# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 4th
# LOK SABHA DEBATES

[ पांचवां सत्र / Fifth Session ]

Preservation Unit
16-1-89

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं]
[Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price*: One Rupee

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 10—शुक्रवार, 2 अगस्त, 1968/11 श्रावण, 1890 (शक)

No. 10—Friday, August 2, 1968/Sravana 11, 1890 (Saka)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| *ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 271. | पश्चिम बंगाल में असमर्थ स्वतंत्रता सेनानियों के लिये घर | Homes for Infirm Freedom Fighters in West Bengal . . . . . | 1667—74 |
| 272. | दिल्ली की परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता | Financial Assistance for Delhi Projects | 1674-77 |
| 273. | अन्तर्राज्यीय विवाद | Inter-State Disputes . | 1677—84 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| | | | |
|---|---|---|---|
| 274. | भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाओं का पुन: चालू किया जाना | Resumption of Air Services between India and Pakistan . . . . . | 1684 |
| 275. | अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) की गति-विधियां | CIA activities. . | 1684-85 |
| 276. | प्रदेशवाद | Regionalism | 1685 |
| 277. | तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वाले पाकिस्तानियों की जम्मू तथा काश्मीर में गतिविधियां | Activities of Pak. Saboteurs in J. & K. | 1685-86 |
| 278. | भारतीय विद्यार्थियों का विदेशों में बसना | Indian Students Settled Abroad . | 1686 |
| 279. | गिलगित सिंकियांग सड़क | Gilgit-Sinkiang Road . . . . | 1686-87 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 280. | दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन | Amendment to Criminal and Civil Procedure Codes . . . . . | 1687 |
| 281. | दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता | Code of Criminal Procedure and Indian Penal Code . . . . . | 1687-88 |
| 282. | सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की गैर-सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध | Restraints on Retired Government Officers for Employment in Private Sector . . | 1688 |
| 283. | वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय के साथ विलय | Merger of Scientific Research and Cultural Affairs with Education Ministry . . | 1688 |
| 284. | अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के नाम में परिवर्तन | Change in names of Andaman and Nicobar Islands . . . . . | 1688-89 |
| 285. | बम्बई पत्तन में खाद्यान्न तथा उर्वरक लाने वाले पोतों को रोकना | Detention of Ships Carrying Food grains and Fertilizers at Bombay Port . . | 1689 |
| 286. | शिक्षा-संस्थाओं के युवकों के लिये एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम | Integrated National Programme for Youth of Educational Institutions . . . | 1689-90 |
| 287. | राजस्थान में सोना एकत्र किया जाना | Collection of Gold in Rajasthan . | 1690 |
| 288. | कार प्लेटों का हिन्दी में नम्बर | Hindi Number Plates of Cars . | 1690-91 |
| 289. | अंग्रेजी तथा यूरोपीय भाषाओं में पर्यटन सम्बन्धी पुस्तिकाओं का प्रकाशन | Publication of Booklets on Tourism in English and European languages . . | 1691 |
| 290. | मद्रास-सिंगापुर नौवहन सेवा | Madras-Singapore Shipping Service . | 1691-92 |
| 291. | बेरोजगार इंजीनियरों के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की उपपत्तियां | Findings of C. S. I. R. re. unemployed Engineers . . . . . | 1692 |
| 292. | वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग | Commission for Scientific and technical Terminology . . . . | 1692-93 |

| अ० प्र० संख्या S.Q. No. | विषय | SUBJECT | PAGES |
|---|---|---|---|
| 293. | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ की प्रयोगशाला द्वारा एक प्रकाशन आरम्भ किया जाना | Publication by Council of Scientific and Industrial Research at Botanical Gardens-Lucknow . . . . . | 1693 |
| 294. | जहाज भाड़ा | Sea Freight . | 1694 |
| 295. | आनन्द मार्ग | Anand Marg . | 1694-95 |
| 296. | बड़े टेंकर ठहराने योग्य बनाने के लिये बड़ी बन्दरगाहों का विकास | Development of major ports to receive big tankers . . . . . | 1695-96 |
| 297. | टी० यू० 134 रूसी विमानों के दिये जाने का प्रस्ताव | Offer of T.U. 134 Russian Planes | 1696 |
| 298. | चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े पत्तनों का विकास | Development of major ports during Fourth Plan . . . . . | 1696-97 |
| 299. | बद्रीनाथ तथा ऋषिकेश में तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों के लिये सुविधायें | Facilities for Pilgrims/Tourists at Badrinath and Rishikesh . . . . . | 1697 |
| 300. | मद्रास में रामानुजन स्मारक प्रतिष्ठान | Ramanujan Memorial foundation in Madras | 1697-98 |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. No.** | | | |
| 2240. | विदेशों में भारतीय कला एवं संस्कृति संबंधी प्रदर्शनी | Exhibition of Indian Art and Culture Abroad . . . . . | 1698 |
| 2241. | भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् | Indain Council for Cultural Relations | 1699 |
| 2242. | राज्यों को पुरातत्वीय सर्वेक्षण का एक एकक बनाना | State as a Unit of Archaeological Survey | 1700 |
| 2243. | भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का मसौदा तैयार करने के लिये सम्पादक बोर्ड | Board of Editors to prepare the Draft of History of Freedom Movement in India . | 1700-1701 |
| 2244. | भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास | History of Freedom Movement of India . | 1701-1702 |
| 2245. | पोर्ट ब्लेयर में सूखी गोदी | Dry Dock at Port Blair . . . | 1702 |
| 2246. | बम्बई पत्तन में चोरी तथा उठाईगीरी | Thefts and Pilferages at Bombay Port . | 1702-1703 |

| U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2247. | बम्बई पत्तन न्यास | Bombay Port Trust . . . | 1703—1705 |
| 2248. | फौजदारी अदालतों में भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा रिकार्ड में गड़बड़ करना | Tampering of Records by Provident Fund Inspectors in Criminal Courts, Delhi . | 1705-1706 |
| 2249. | केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी सहायक | Hindi Assistants in Central Secretariat | 1706 |
| 2250. | पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारत पर चलचित्र | Film on India to Develop Tourism . . | 1706-1707 |
| 2251. | सड़क कराधान जांच समिति का प्रतिवेदन | Road Taxation Enquiry Committee Report | 1707—1709 |
| 2252. | अध्यापकों का औसत वेतन | Average Salary of Teachers . | 1709-10 |
| 2253. | मान्यता प्राप्त सिंकार समवाय | Recognised Shikar Companies . | 1710-11 |
| 2255. | बरेली में जिला परिषद् के एक कर्मचारी की मृत्यु | Death of a Zila Parishad Employee in Bareily . . . . . | 1711 |
| 2256. | इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के जलपान विभाग के कर्मचारियों के निलम्बन के आदेश | Suspension Orders on Employees of Catering Department of I.A.C. . . . | 1711-12 |
| 2257. | राज्य सरकारों के अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन | Demonstration by Non-gazetted Employees of State Government . . . . | 1712 |
| 2258. | मंत्रियों की उपलब्धियां | Emoluments drawn by Ministers . . | 1712 |
| 2259. | राज्यों की लाटरी | State Lotteries | 1712-13 |
| 2260. | पुरातत्व विभाग को प्राचीन स्मारकों का दान | Donation of Antiques to Department of Archæology . . . . . | 1713 |
| 2261. | काश्मीर के भारत में विलय सम्बन्धी सम्मेलन | Convention on Kashmir's accession to India | 1713 |
| 2262. | न्यायालयों में अंग्रेजी | English in Courts . | 1713-14 |
| 2263. | पंजाब सरकार द्वारा लाटरी आरम्भ किया जाना | Starting of State Lottery by Punjab Government . . . . . | 1714 |
| 2264. | दिल्ली में कारों की चोरियां | Car Thefts in Delhi | 1714-15 |
| 2265. | शिक्षा मंत्रालय में संसदीय सहायक | Parliamentary Assistant in Education Ministry . . . . . | 1715 |
| 2266. | सरकारी अधिकारियों की विदेशी पत्नियां | Foreign Wives of Government Officials . . | 1715-16 |

| अतारां प्र० संख्या U.S.Q. No. | विषय SUBJECT | पृष्ठ/ PAGES |
|---|---|---|
| 2267. | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी — Central Government Employees | 1716 |
| 2268. | मद्रास हिन्दी अध्यापक संघ — Madras Hindi Teachers' Association | 1716-17 |
| 2269. | दिल्ली में माओ का साहित्य — Mao's Literature in Delhi | 1717 |
| 2270. | उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद — Boundry Dispute between U.P. and Bihar | 1717-18 |
| 2271. | बापानगर (दिल्ली) मे पुलिस की ज्यादतियां — Police Excesses in Bapanagar (Delhi) | 1718 |
| 2272. | उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन — C.B.I. Report on Former Orissa Mlnisters | 1718-19 |
| 2273. | मुसलमानों को प्रतिनिधित्व — Representation to Muslims | 1719 |
| 2274. | नागपुर और गाजीपुर में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं — Outbreak of Communal Violence in Nagpur and Ghazipur | 1719-20 |
| 2275. | राष्ट्रीय राजपथ सम्पर्क में कमियों का अध्ययन करने के लिये सर्वेक्षण दल — Survey Teams to Study Deficiencies of National Highway System | 1720 |
| 2276. | नेपालियों द्वारा घुसपैठ — Intrusion by Nepalese | 1720 |
| 2277. | विश्व की समकालीन कला का त्रैवार्षिकी सम्मेलन — Triennale on Contemporary World Art | 1721 |
| 2278. | दिल्ली में वरिष्ठ व्यायाम-शिक्षकों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण — Revision of pay Scales of Senior P. T. Instructors in Delhi | 721-22 |
| 2279. | अमृतसर में एक यूरोपीय महिला की गिरफ्तारी — Arrest of a European lady in Amritsar | 1722 |
| 2280. | आदिम जातीय लोगों को आत्म-निर्णय का अधिकार — Right of Self Determination to Tribals | 1722 |
| 2281. | बिहार सरकार द्वारा अध्यापकों की छंटनी — Retrenchment of Teachers by Bihar Government | 1722-23 |
| 2282. | साम्प्रदायिक दंगे — Communal Riots | 1723 |
| 2283. | अन्दमान द्वीप समूह में बन्दी रखे गये क्रान्तकारियों का संघ — Association of Revolutionaries jailed in Andamans | 1723-24 |
| 2285. | तकनीकी शिक्षा संबंधी समिति — Committee on Technical Education | 1724-25 |

| तारा० प्र० संख्या U.S.Q.Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 2286. | परिवहन विकास परिषद् | Transport Development Council | 1725-26 |
| 2287 | अखिल भारतीय सेवायें | All India Services . | 1726 |
| 2288. | केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग को मिलाना | Amalgamation of Central Hindi Directorate and Scientific and Technical Terminology Commission . . . . . | 1726-27 |
| 2289. | वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग | Scientific and Technical Terminology Commission . . . . . | 1727 |
| 2290. | केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग में अनुसंधान सहायक (रिसर्च आसिस्टेंट) | Research Assistans in Central Hindi Directorate and Commission for Scinetific and Technical Terminology. . . . | 1727 |
| 2291. | हिन्दी काम के लिये एक पृथक संवर्ग | Cadre for Hindi Work . . . | 1727-28 |
| 2292. | दिल्ली के पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पर लापता लोगों के बारे में शिकायतें दर्ज किया जाना | Complaints re. Missing Pfrsons Lodged at Pahar Ganj Police Station in Delhi . | 1728 |
| 2293. | दिल्ली में औद्योगिक विवादों में केन्द्रीय रक्षित पुलिस का हस्तक्षेप | Central Reserve Police Interference in Industrial Disputes in Delhi . . . | 1728-29 |
| 2294. | एयर इंडिया के लिये जैट विमान | Jets for Air-India . | 1729 |
| 2295. | संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार | Sangeet Natak Akademy Awards | 1729-30 |
| 2296. | दिल्ली में पुलिस मैनों की गिरफ्तारी | Arrest of Delhi Policemen | 1730 |
| 2297. | आदिम जातियों के लोगों द्वारा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अवैध कब्जा | Tribals Occupying Unauthorised areas in West Bengal . . . . | 1730 |
| 2298. | मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह | Minicoy and Amindivi Islands | 1731 |
| 2299. | चांदीपुर आन-सी का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास | Chandipur on Sea as Tourist Centre . | 1731 |

| अता० प्र० संख्या<br>U.S.Q. Nos. | विषय<br>SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2300. भारतीय पुलिस सेवा | Indian Police Service . | 1731 |
| 2301. इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के विमान | I.A.C. Fleet . . . | 1732 |
| 2302. पर्यटक बसों में गाइड | Guides in Tourist Buses . | 1732 |
| 2303. थाई एयरवेज | Thai Airways . | 1733 |
| 2305. समिति पद्धति | Committee System . . | 1733-34 |
| 2306. चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग | Use of Foreign Money in Elections | 1734 |
| 2307. कलकत्ता पत्तन न्यास | Calcutta Port Trust . | 1734-35 |
| 2308. पर्यटन के लिये कांगड़ा जिले का विकास | Development of Kangra District for Tourism | 1735 |
| 2309. मिज़ो लोगों का केन्द्रीय पुलिस चौकी पर हमला | Mizo attack on Central Reserve Police Post | 1735-36 |
| 2310. दिल्ली परिवहन उपक्रम को हानि | Loss suffered by D.T.U. . | 1736 |
| 2311. गृह-कार्य मंत्रालय मे फालतू कर्मचारी | Surplus staff in Ministry of Home Affairs . | 1737-38 |
| 2312. शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां/बोर्ड | Advisory Committees/Boards attached with Education Ministr . . . . | 1738 |
| 2313. तिहाड़ सेंट्रल जेल, दिल्ली | Tihar Central Jail, Delhi . . | 1738 |
| 2314. दिल्ली के लिये हायर सेकण्डरी बोर्ड | Higher Secondary Board for Delhi . | 1738-39 |
| 2315. अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार | Publicity to attract more tourists | 1739 |
| 2316. आजाद हिन्द सरकार के स्थापना दिवस की सार्वजनिक छुट्टी | Public Holiday on Azad Hind Government Foundation Day . . . . . | 1739-40 |
| 2317. उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि | Enhancement of pay and allowances of U.P. Primary School Teachers . | 1740 |
| 2318. उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त प्राथमिक अध्यापक | Additional primary teachers in U.P. . | 1740 |
| 2319. उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सड़कें | Roads in Deoria District, U.P. | 1740-41 |
| 2320. उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में सड़कें | Roads in Ballia District, U.P. . | 1741 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2321. खड़गपुर प्राद्योगिकी संस्थान के नये निदेशक | Director, Khargpur Technological In Institute | 1741 |
| 2322. एशिया प्रतिष्ठान | Asia Foundation . | 1742 |
| 2323. महेश योगी आश्रम | Mahesh Yogi Ashram | 1742-43 |
| 2324. सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन | All Party Hill Leaders Conference | 1743 |
| 2325. गुजरात में नई बन्दरगाह | New Port in Gujrat . | 1743-44 |
| 2326. दिल्ली में गैर-सरकारी बसों द्वारा सड़क दुर्घटनायें | Road accidents by Private Buses in Delhi . | |
| 2327. प्राथमिक शिक्षा का विषय केन्द्रीय सूची में शामिल करना | Transfer of Primary Education Item to Central List . . . . . | 1744 |
| 2328. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा | Central Secretariat Clerical Service . | 1745 |
| 2329. चण्डीगढ़ | Chandigarh . . | 1745 |
| 2330. भाषा नीति | Language Policy . . . | 1745 |
| 2331. हरयाणा उच्च न्यायालय | Haryana High Court | 1746 |
| 2332. पादरी फेरर | Father Ferrer . | 1746 |
| 2333. गांधी हत्या षड्यंत्र की जांच | Enquiry into Gandhi Murder Conspiracy . | 7 |
| 2334. शिक्षा बोर्ड के बारे में मुख्य कार्यकारी पार्षद का वक्तव्य | Statement by Chief Executive Councellor re. Board of Education . . . . | 1747 |
| 2335. सचिवालय सेवाओं में पदोन्नति का कोटा | Promotion quotas in Secretariat Services . | 1747-48 |
| 2336. केन्द्रीय सचिवालय सेवायें | Central Secretariat Services | 1748 |
| 2337. अस्थायी सरकारी कर्मचारी | Temporary Government Employees . | 1750-51 |
| 2338. श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या | Murder of Shri Deendayal Upadhyay. | 1750 |
| 2339. मेकेनिकल अनुसंधान संस्था दुर्गापुर के निदेशक, श्री एम० एम० सूरी को अनुमति | Permission to Shri M. M. Suri, Director of Mechanical Research Institute, Durgapur. | 1750-51 |
| 2340. गोरखपुर जिले का प्रशासन | Gorakhpur Administration | 1751 |
| 2341. बिहार में एक हरिजन की मृत्यु | Death of Harijan in Bihar | 1751-52 |
| 2342. शिक्षकों को न्यूनतम वेतन | Minimum Salary to Teachers . | 1752-53 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ / PAGES |
|---|---|---|---|
| 2343. | राष्ट्रपति के शासन के अधीन वाले राज्यों में सलाहकार समितियां | Advisory Committees in States under Presidents Rules. . . . . | 1753 |
| 2345. | छोटी बन्दरगाहों के विकास सम्बंधी सम्मेलन | Conference on Development of Minor Ports | 1753-54 |
| 2346. | एक गुफा में लिंग का पता लगाना | Discovery of a Cave Lingam . | 1754 |
| 2347. | रांची में हुए दंगे | Ranchi Riots . | 1754 |
| 2348. | जेल नियमावलियां | Jail Manuals | 1754-55 |
| 2349. | केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य | Kerela Chief Minister's Statement | 1755 |
| 2350. | कलकत्ता के पुलिस अस्पताल मे दंगा | Clash in Calcutta Police Hospital | 1755-56 |
| 2351. | पान पर बिक्री कर | Sales Tax on Betel Leaf | 1756 |
| 2352. | राजस्थान के मुख्य मंत्री का त्यागपत्र | Resignation of Rajasthan Chief Minister | 1756-57 |
| 2353. | दिल्ली प्रशासन द्वारा संसद की स्वीकृति के लिये भेजे गये विधेयक | Bills Sent by Delhi Administration for Parliament's Approval. . . . | 1757 |
| 2354. | आसाम के अफगानों और पख्तूनों को परेशान किया जाना | Alleged Harassment of Afghans and Pakhtoons in Assam . . . . | 1757-58 |
| 2355. | बच्चों और स्त्रियों का अपहरण | Abduction of Children and Women | 1758 |
| 2356. | दिल्ली में मारे गये।घायल हुए सरकारी अधिकारी/ अधिवक्ता | Government Officials/Advocates wounded/ killed in Delhi . . . . | 1758 |
| 2357. | विमान दुर्घटनायें | Air Crashes . | 1759 |
| 2358. | संविधान का अनुच्छेद 370 का निरसन | Abrogation of Article 370 of Constitution | 1759-60 |
| 2359. | सड़क परिवहन उद्योग | Road Transport Industry | 1 |
| 2360. | हवाई अड्डों का विस्तार | Expansion of Aerodromes. | 1760-61 |
| 2361. | अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली | Ashoka Hotels, Ltd., New Delhi | 176 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 2362. | रूस द्वारा बड़े जहाज की पेशकश — Offer from U.S.R. for a bigger Plane | 1762 |
| 2363. | ईसाई धर्म प्रचार संस्थायें — Christian Missionaries . | 1762-63 |
| 2364. | अमरीकी सहायता — American Aid | 1763 |
| 2365. | कालीकट के निकट हवाई अड्डा — Aerodrome near Calicut | 1763-64 |
| 2366. | अन्तर्देशीय जलमार्ग — Inland Waterways . | 1764 |
| 2367. | सम्पादक बोर्ड द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास का मसौदा तैयार किया जाना — Board of Editors to prepare Draft for History on Freedom Movement . . | 1764-65 |
| 2368. | भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिये सम्पादक बोर्ड — Board of Editors for Compilation of History of Indian Freedom Movement . | 1765 |
| 2369. | अध्यापक प्रशिक्षण कालेज — Teacher Training College | 1765—66 |
| 2370. | मोटलों का स्थापित किया जाना — Setting up of Motels . | 1766 |
| 2371. | शिक्षा पर राष्ट्रीय आय — National Income on Education | 1766 |
| 2372. | दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से बस सेवा — Bus Services from Delhi Inter-State Bus Stand . . . . . | 1767 |
| 2373. | विमान सेवायें — Air Services . . . . | 1767 |
| 2374. | अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कालेज — Hindi Teachers' Training Colleges in Non-Hindi speaking States . . . . | 1767—68 |
| 2375. | हिन्दी निदेशालय तथा बहु-भाषी शब्दकोष — Hindi Directorate and Multilingual Dictionary . . . . . | 1768—69 |
| 2376. | भारत और पूर्व पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियां — Pak activities on India-East Pakistan Border | 1769 |
| 2377. | भारत-ब्रिटेन विमान भाड़े की खुली दर प्रणाली — Open rate system for Indo-U.K. Air Fare | 1769—70 |
| 2378. | केरल में माओ समर्थक पोस्टर — Pro-Mao Posters in Kerala . | 1770 |
| 2379. | साम्प्रदायिक प्रचार — Communal propaganda . . . | 1770 |

| U. S. Q. Nos. विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 2380. उड़ीसा के भारतीय प्रशासन सेवा के एक अधिकारी का ज्ञापन | Memorial from an Orissa I.A.S. Officer | 1771 |
| 2381. पाठ्य पुस्तकों के लिये स्वायत-शासी निगम | Autonomous Corporation for Text Books | 1771 |
| 2382. काकिनाडा बन्दरगाह का बड़ी बन्दरगाह के रूप में विकास | Development of Kakinada Port as a Major Port | 1771—72 |
| 2383. दिल्ली के स्कूलों और कालिजों में दाखिला | Admission in Delhi Schools and Colleges | 1772 |
| 2384. कोटा (राजस्थान) के लिये विमान सेवा | Air Service for Kota (Rajasthan) | 1772 |
| 2385. केन्द्रीय स्कूलों में अध्यापकों का चयन | Selection of Teachers in Central Schools | 1772—73 |
| 2386. विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी | Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students for Higher Studies Abroad | 1773—74 |
| 2387. गुजरात में पत्तनों का विकास | Development of Ports in Gujarat | 1774—75 |
| 2388. उड़ीसा में जगन्नाथ सेना | Jagannath Sena in Orissa | 1775 |
| 2389. बिहार के आदिवासी लोगों की शिकायतें | Grievances of Adivasis of Bihar | 1775—76 |
| 2390. बिहार में शिक्षा नीति | Educational Policy in Bihar | 1776 |
| 2393. भ्रष्टाचार के मामले | Corruption Cases | 1776—77 |
| 2395. मिलों तथा कुकी लोगों का चीन में प्रशिक्षण | Training of Mizo and Kukis in China | 1777 |
| 2396. भारतीय कुश्ती संघ | Wrestling Federation of India | 1777 |
| 2397. वाल्कट और डोंजे के सहायक | Helpers of Walcott and Donze | 1777—78 |
| 2398. उच्च न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi in High Courts | 1778 |
| 2399. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जनपथ, दिल्ली | Regional Transport Office at Janpath, Delhi | 1778—79 |
| 2400. न्यायाधीशों का तबादला | Transfer of Judges | 1779—80 |
| 2401. दिल्ली-मद्रास कैरेवल विमान सेवा | Delhi-Madras Caravelle Air Service | 1780 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 2402. | यूगोस्लाविया से जहाजों क प्राप्त किया जाना | Ship from Yugoslavia | 170 |
| 2403. | प्रशासन में राजनैतिक दलों द्वारा हस्तक्षेप | Interference by Political Parties in the Administration . . . . . | 1781 |
| 2404. | मंगलौर पत्तन परियोजना | Mangalore Port Project . | 1781 |
| 2405. | दिल्ली नगर निगम का विघटन | Dissolution of Delhi Municipal Corporation . . . . . | 1782 |
| 2406. | दिल्ली नगर निगम का विघटन | Dissolution of Delhi Municipal Corporation . . . . . | 1782 |
| 2407. | उत्तर प्रदेश में अपराध | Crimes in U.P. | 1782—83 |
| 2408. | केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के काम के लिये नियुक्त कर्मचारी | Staff Employed for Hindi Work in Central Government Offices . . . . | 1783 |
| 2409. | पंजाब विश्वविद्यालय | Punjab University . | 1783 |
| 2410. | दिल्ली से चलने वाली यू० पी० रोडवेज़ की बसें | U.P. Roadways Buses plying for Delhi . | 1783—84 |
| 2411. | पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यक | Linguistic Minorities in Punjab | 1784 |
| 2412. | दयानन्द जी और श्याम जी के बीच पत्र-व्यवहार | Correspondence between Dayanand Ji and Shyam Ji . . . . . | 1784—85 |
| 2413. | उत्तर प्रदेश में भूमि वितरण के सम्बन्ध में आन्दोलन | Land Agitation in U.P. . . | 1785 |
| 2414. | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् | National Council of Education Research and Training . . . . . | 1785 |
| 2415. | उत्तर प्रदेश सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी | Non-Gazetted Employees of Uttar Pradesh . . . . . | 1786 |
| 2416. | मोतीहारी में एक छात्र को छुरा मारे जाने की घटना | Stabbing of a Student in Motihari . | 1786 |
| 2417. | सीमा सुरक्षा सेना के कर्मचारी | Border Security Force Personnel . | 1786—87 |
| 2418. | नागाओं के साथ मुठभेड़ | Clashes with Nagas . . . | 1787 |
| 2419. | एयर इंडिया के कार्यालयों द्वारा पर्यटन का विकास | Promoting Tourism by Air India Offices . | 1787 |
| 2420. | पश्चिमी जर्मनी से ड्रेजर | Dredger for West Germany . | 1787—88 |

| अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 2421. | राष्ट्रीय राजपथों का विकास — Development of National Highways | 1788 |
| 2422. | आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करना — Inclusion of Nepali Language in Eighth Schedule | 1789 |
| 2423. | राज भवन — Raj Bhavans | 1789 |
| 2425. | हैदराबाद के निज़ाम की तरफ बकाया धनराशि — Dues from Nizam of Hyderabad | 1789—90 |
| 2426. | एक तटवर्ती जहाज की दुर्घटना — Accident to a Coastal Vessel | 1790 |
| 2428. | सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भर्ती के लिये संरक्षण — Reservation for Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Service | 1790—91 |
| 2429. | राष्ट्रीय एकता परिषद् — National Integration Council | 1791 |
| 2430. | इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयरइंडिया विज्ञापन — I.A.C. and A.I. Advertisements | 1791—92 |
| 2431. | सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना — Scheme to send Cultural Delegations | 1792—93 |
| 2432. | अणु शक्ति विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में काम करने वाले वैज्ञानिक — Scientists working in Department of Atomic Energy/Council of Scientific and Industrial Research | 1793 |
| 2433. | भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये भर्ती — Recruitment to I.A.S. | 1793 |
| 2434. | भारत-श्रीलंका सांस्कृतिक करार — Indo-Ceylon Cultural Agreement | 1793—94 |
| 2435. | आगरा जाने वाले पर्यटकों को सुविधाएं — Facilities for Tourists visiting Agra | 1794 |
| 2436. | दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं — Road Accidents in Delhi | 1794—96 |
| 2437. | प्रमुख हवाई अड्डों पर चुंगी लेना — Terminal charges at Major Airports | 1796 |
| 2438. | काश्मीर का विकास — Development of Kashmir | 1796—97 |
| 2439. | अगरतला-कलकत्ता विमान सेवा — Agartala-Calcutta Air Service | 1797 |

| अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 2440. | शोलापुर-चितलदुर्ग राष्ट्रीय राजपथ | Sholapur Chilaldurg National Highway | 1797—98 |
| 2441. | हिन्दी विरोधी आन्दोलन के दौरान केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की हानि | Loss to Central Government Property during anti-Hindi Agitation . . | 1798 |
| 2442. | भारत और कुवेत के बीच विमान सेवायें | Indo-Kuwait Air Services | 1798—99 |
| 2443. | पुरातत्व विषय सम्बन्धी पुस्तकों का जमा किया जाना | Dumping of Archaeological Books . | 1799 |
| 2444. | शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् | National Council of Educational Research and Training . . . . . | 1799—1800 |
| 2445. | ईसाई धर्मप्रचार संस्थाओं की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां | Anti-national Activities of Christian Missions . . . . . | 1800 |
| 2446. | मिजो विद्रोहियों द्वारा करों की वसूली | Mizos Collecting Taxes . . | 1800—1801 |
| 2447. | बाड़मेर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ | Pakistani infiltration in Barmer . | 1801 |
| 2448. | जहाज खरीदने के लिये पश्चिमी जर्मनी से ऋण | Credit from West Germany for purchase of Ships . . . . . | 1801 |
| 2449. | दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को दाखिला | Admission in Delhi University of Sanskrit Post Graduates . . . . . | 1801 |
| 2450. | बिहार में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल | Bihar Government Employees' Strike . | 1801—1802 |
| 2451. | नागालैंड के लिये पृथक् राज्यपाल | Separate Governor for Nagaland | 1802 |
| 2452. | जलगांव-बोदरली सड़क | Jalgaon-Boderli Road . . | 1802 |
| 2453. | अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में प्रव्रजन | Migration from other States to M.P. | 1803 |
| 2454. | मध्य प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान | Central Grant to M.P. Educational Institutions . . . . . | 1803 |
| 2455. | मध्य प्रदेश के स्कूलों तथा कालेजों में प्रदर्शन कक्ष | Demonstration Rooms in Schools and Colleges of M.P. . . . . | 1803 |

| तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 2456 | मध्य प्रदेश में जूनियर टेक्निकल स्कूल | Junior Technical School in M.P. | 1803 |
| 2457 | कच्छ सीमा पार करते समय लखसर चौकी पर हिरासत में लिये गये पाकिस्तानी | Pakistanis held at Lakhasar Post while crossing Kutch Border. . . . | 1803-1804 |
| 2458 | मिजो लोगों द्वारा मनीपुर में घुसपैठ | Mizo Infiltration in Manipur | 1804 |
| 2459 | नई दिल्ली नगरपालिका के विषय | N.D.M.C. Affairs | 1804-1805 |
| 2460 | अंडमान में बंगला माध्यम का स्कूल | Bengali Medium School in Andaman . | 1805 |
| 2461 | चौथी योजना में पर्यटन का विकास | Development of Tourism during Fourth plan . . . . . | 1805-1806 |
| 2462 | भारत के लिये रूसी जहाज | Soviet Ships for India | 1806 |
| 2463 | त्रिपुरा में 'संगकर्क' की गतिविधियां | Activities of Sang kark in Tripura . | 1806-1807 |
| 2464 | कालीकट हवाई अड्डा | Calicut Airport . . | 1807 |
| 2465 | मनीपुर के कर्मचारियों के वेतन मान और महंगाई भत्ता | Pay Scales and Dearness Allowance to Employees of Manipur . . . | 1807-1808 |
| 2466 | केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना | Recognition of Central Government Employees' Association . . . . | 1808 |
| 2467 | स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना | Mid-day Meal Scheme in Schools . | 1808-1809 |
| 2469 | पारादीप बन्दरगाह | Paradeep Port . . . | 1809 |
| 2470 | पालम हवाई अड्डे पर बिजली की सप्लाई का बन्द हो जाना | Power Break Down at Palam Airport . | 1809-1810 |
| 2471 | उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास | Development of Tourism in U.P. | 1810 |
| 2472 | अन्दमान और निकोबार का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास | Development of Andaman and Nicobar as Tourist Centre . . . . | 1810 |
| 2473 | मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास | Development of Tourist Spots in Madhya Pradesh | 1811-12 |

| तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 2475 | हिन्दी आशु-लिपिक | Hindi Stenographers | 1812 |
| 2476 | पश्चिम बंगाल में अराजकता | Lawlessness in West Bengal | 1812-13 |
| 2477 | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संस्था | Recognised Association of Central Government Employees | 1813 |
| 2478 | रूसी वाणिज्य दूतावास के कार्यालय के सामने प्रदर्शन | Demonstrations before U.S.S.R. Consulate-General's Office | 1813 |
| 2479 | स्कूलों तथा कालेजों में खेल-कूद को अनिवार्य विषय बनाना | Sports as Compulsory Subject in School and Colleges | 1813-14 |
| 2481 | पांडिचेरी में ओरोविल्ले टाउनशिप के लिये यूनेस्को से सहायता | U.N.E.S.C.O. Aid To Auroville Township at Pondicherry | 1814 |
| 2482 | माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शिक्षा निदेशालय के अधीन लाना | Transfer of Middle, Primary and Secondary Schools to Directorate of Education | 1814-15 |
| 2483 | खनन संस्थान, कोडरमा (बिहार) | Mining Institute, Kodarma (Bihar) | 1815 |
| 2484 | शिवालिक पहाड़ियों (शिमला) में विशालकाय कंकाल | Giant Skeltons in Shivaliks (Simla) | 1815-16 |
| 2485 | पाकिस्तानी तस्कर | Pak Smugglers | 1816 |
| 2486 | मदाक्सीरा ताल्लुक का मैसूर के साथ विलय | Merger of Madaksira Taluk with Mysore | 1816 |
| 2487 | शिक्षा मंत्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के साथ मनीपुर के शिक्षा मंत्री की मुलाकात | Manipur Education Minister Meeting with Education Minister and Chairman, U.G.C. | 1817 |
| 2488 | राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर इम्फाल-पालेल सड़क पर दुर्घटना | Accident at Imphal patel Road on National Highway No. 39 | 1817 |
| 2489 | दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय | Hindi University in South | 1817-18 |
| 2490 | ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय स्थान पर मंत्री का शिविर | Minister's Camp at Hill Station During Summer | 1818 |

| तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 2491 | मंत्रियों के दौरे | Tours of Ministers | 1818 |
| 2492 | दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के सम्बन्धियों को सूचना | Information to relatives of Persons Involved in Accidents in Delhi | 1818-19 |
| 2493 | उड़ीसा में उड़िया भाषा के विकास के लिये सहायता | Assistance for Development of Oriya Language in Orissa | 1819 |
| 2494 | शिवाजी की "भवानी तलवार" | "Bhavani Talwar" of Shivaji | 1819 |
| 2495 | अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी नारियल बागान को पट्टे पर दिया जाना | Leasing of Government Coconut Plantation in Andaman Nicobar Islands | 1820-21 |
| 2496 | अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह की जारवास आदिवासी आदिम जातियां | Jarawas Aboriginal Tribes of Andaman and Nicobar Islands | 1821 |
| 2497 | टी० एस० एस० 'स्टेट आफ बाम्बे' नामक जहाज द्वारा जहाजरानी सेवा | Shipping Service by T.S.S. State of Bombay | 1821-1822 |
| 2498 | 'एम० वी० शानपेन' नामक जहाज द्वारा ले जाया गया माल | Cargo carried by "M.V. Shanpen" | 1823 |
| 2499 | मध्य अन्दमान द्वीप में उत्तरा जेटी पर कार्य | Work on Uttara Jetty in Middle Andaman | 1823-24 |
| 2500 | अन्दमान प्रशासन के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएं | Writ Petitions in Calcutta High Court against Andaman Administration | 1824 |
| 2501 | अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आठवीं कक्षा के परिणाम | Result of Class VIII in Andaman and Nicobar Islands | 1824 |
| 2502 | "स्टेट आफ बाम्बे" और "एम० वी० अन्दमान" जहाजों द्वारा ले जाया गया सामान | Cargo carried by 'State of Bombay' and 'M.V. Andaman' | 1825 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 2503 | अन्दमान द्वीप समूह में डीजल ईंधन की कमी — Shortage of diesel fuel in Andamans | 1826 |
| 2504 | पश्चिम बंगाल में कुलटी में भूमि का धंसना — Subsidence in Kulti (West Bengal) | 1826-1827 |
| 2505 | गृह-कार्य मंत्रालय में हिन्दी में पत्र-लेखन और टिप्पण लेखन — Noting and drafting in Hindi in the Home Ministry | 1827 |
| 2506 | राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 — National Highway No. 6 | 1827 |
| 2507 | बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय के छात्रावास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का सुरक्षण — Reservation of seats in hostel of M. S. University of Baroda for Scheduled Castes and Scheduled Tribes | 1827-28 |
| 2508 | यमुना-चम्बल घाटी आतंकित रक्षा समिति — Yamuna-Chambal Ghati Atankit Raksha Samiti | 1828 |
| 2509 | गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का चम्बल घाटी का दौरा — Visit by Minister of State in Ministry of Home Affairs to Chambal | 1828 |
| 2510 | राष्ट्रीय एकता परिषद् का सम्मेलन — Conference of National Integration Council | 1829 |
| 2511 | दिल्ली नगर निगम के साथ भेदभाव — Discrimination against Delhi Municipal Corporation | 1829 |
| 2512 | सरकारी कार्यालयों से देवताओं के चित्रों को हटाये जाने के बारे में मद्रास सरकार के आदेश — Madras Government's order *re* : removal of pictures of Gods from Government offices | 1829 |
| 2513 | चतुर्थ ग्रेड केन्द्रीय सचिवालय सेवा — Grade IV Central Secretariat Service | 1830 |
| 2514 | दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर ( एम० ए० हिन्दी ) कक्षा में प्रवेश — Admission to (M.A. Hindi) Delhi University | 1830 |
| 2515 | केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर हिन्दी में पत्र व्यवहार — Correspondence in Hindi at State and Central Level | 1830-31 |

| तारांकित प्र० संख्या / Q. Nos. | विषय / Subject | पृष्ठ / Pages |
|---|---|---|
| 2516 | साम्प्रदायिक दंगे / Communal Riots | 1831 |
| 2517 | पुरातत्वीय वस्तुओं की विदेशों को तस्करी / Smuggling of Archaeological Articles to Foreign Countries | 1831-32 |
| 2518 | उदयपुर (राजस्थान) के निकट जवार माला में खुदाई कार्य / Excavation in Jawar Mala near Udaipur (Rajasthan) | 1832 |
| 2519 | विदेशी धर्म प्रचारक / Foreign Missionaries | 1832-33 |
| 2520 | उदयपुर हवाई अड्डा / Udaipur Airport | 1833 |
| 2521 | स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्ति योजना / Voluntary Retirement Scheme | 1833-34 |
| 2522 | उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सड़कें / Roads in Banda District Uttar Pradesh | 1834 |
| 2523 | सीमा सुरक्षा बल में भर्ती / Recruitment to Border Security Force | 1834 |
| 2524 | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये नौकरियों में सुरक्षण / Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates for Employment | 1834-35 |
| 2525 | कलकत्ता ट्रामगाड़ी का किराया / Calcutta Tram Fares | 1835-36 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 1836 |
| पंजाब विनियोग अधिनियम इत्यादि के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय | Supreme Court Judgement on Punjab Appropriation Act, etc. | 1836 |
| ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में | *Re* : Calling Attention Notices | 1836-37 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 1838—39 |
| राज्य सभा से सन्देश | Messages from Rajya Sabha | 1839-40 |
| अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | Advocates (Amendment) Bill as Passed by Rajya Sabha | 1840 |
| अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के सम्बन्ध में याचिका | Petition *re* : Advocates Act, 1961 | 1840 |
| सभा का कार्य | Business of the House | 1840-41 |

| तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| नियम 377 के अन्तर्गत विषय—कम्पनी (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में उप-प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में | Matter Under Rule 377 *re.* Deputy Prime Minister's Statement on Companies (Amendment) Bill | 1841-42 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | 1841-42 |
| श्री मोरारजी देसाई | Shri Morarji Desai | 1842 |
| बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 | Banking Laws (Amendment) Bill, 1968 | 1842—49 |
| विचार करने का प्रस्ताव प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में | Motion to consider as reported by Select Committee | 1842—49 |
| सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) संशोधन विधेयक | Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill | 1849—52 |
| विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | Motion to consider, as passed by Rajya Sabha | 1849—52 |
| श्री जगन्नाथ राव | Shri Jaganath Rao | 1849—51 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri | 1851-52 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | 1852 |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति | Committee on Private Members' Bills and Resolutions | 1852 |
| 33वां प्रतिवेदन | Thirty-Third Report | 1852 |
| सिविल और सैनिक विभागों में पदों के बारे में संकल्प वापिस लिया गया | Resolution *re.* Posts in Civil and Military departments—withdrawn | 1852—63 |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | Shrimati Tarkeshwari Sinha | 1852—54 |
| श्री नायनार | Shri R. K. Nayanar | 1854-55 |
| श्री नन्द कुमार सोमानी | Shri N. K. Somani | 1855-56 |
| श्री हिम्मतसिंहका | Shri Himatsingka | 1856 |
| श्री श्रीचन्द गोयल | Shri Shri Chand Goel | 1856-57 |
| श्री हनुमन्तैया | Shri Hanumanthaiya | 1857 |
| श्री शिवचन्द्र झा | Shri Shiva Chandra Jha | 1857-58 |
| श्री स० मो० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee | 1858 |
| श्री विद्या चरण शुक्ल | Shri Vidya Charan Shukla | 1858—63 |

| तारांकित प्रश्न संख्या / U.S.Q. No. | विषय / SUBJECT | पृष्ठ / PAGES |
|---|---|---|
| ग्राम आवास विकास के सम्बन्ध में संकल्प | Resolution *re* : Rural Housing Development | 1863—65 |
| श्री सु० कु० तापड़िया | Shri S. K. Tapuriah | 1863-64 |
| श्री रा० दो० भण्डारे | Shri R. D. Bhandare | 1864-65 |
| श्री धीरेश्वर कलिता | Shri Dhireshwar Kalita | 1865 |
| भारत के खाद्य निगम द्वारा अदा किये गये विलम्ब शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा | Half-an-Hour Discussion *re* : Demurrage paid by Food Corporation of India | 1866—68 |
| श्री वेणी शंकर शर्मा | Shri Beni Shankar Sharma | 1866 |
| श्री अन्ना साहिब शिन्दे | Shri Annasahib Shinde | 1867-68 |
| कार्य मन्त्रणा समिति | Business Advisory Committee | 1868 |
| 21वां प्रतिवेदन | Twenty-first Report | 1868 |

# लोक-सभा

**अध्यक्ष**

श्री नी० संजीव रेड्डी

**उपाध्यक्ष**

श्री खाडिलकर

**सभापति तालिका**

श्री तिरुमल राव

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

श्री रा० ढो० भण्डारे

श्री गाडिलिंगन गौड

श्री वासुदेवन नायर

श्री हेम बरुआ

**सचिव**

श्री श्यामलाल शकधर

# भारत सरकार

## मंत्रिमंडल के सदस्य

| | |
|---|---|
| प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री | श्रीमती इन्दिरा गांधी |
| उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री | श्री मोरारजी देसाई |
| औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री | श्री फखरुद्दीनअली अहमद |
| गृह-कार्य मंत्री | श्री यशवन्तराव चव्हाण |
| वाणिज्य मंत्री | श्री दिनेश सिंह |
| श्रम तथा पुनर्वास मंत्री | श्री जय सुखलाल हाथी |
| खाद्य तथा कृषि मंत्री | श्री जगजीवन राम |
| पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री | डा० कर्ण सिंह |
| पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री | श्री अशोक मेहता |
| विधि मंत्री | श्री गोविन्द मेनन |
| रेलवे मंत्री | श्री चे० मु० पुनाचा |
| संसद कार्य तथा संचार मंत्री | डा० राम सुभग सिंह |
| परिवहन तथा नौवहन मंत्री | डा० वी० के० आर० वी० राव |
| शिक्षा मंत्री | डा० त्रिगुण सेन |
| सूचना और प्रसारण मंत्री | श्री के०के०शाह |
| स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री | श्री सत्य नारायण सिंह |
| प्रतिरक्षा मंत्री | श्री स्वर्ण सिंह |

## राज्य मंत्री

| | |
|---|---|
| वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री ब० रा० भगत |
| स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री | डा० श्री० चन्द्रशेखर |
| रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री परिमल घोष |
| समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री | डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह |
| निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री | श्री जगन्नाथ राव |
| प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री ल० ना० मिश्र |
| वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री कृष्ण चन्द्र पन्त |
| पैट्रोलियम और रसायन, समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री रघुरामैया |
| सिंचाई और विद्युत् मंत्री | डा० कु० ल० राव |
| औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री रघुनाथ रेड्डी |
| इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री प्र० चं० सेठी |

| | |
|---|---|
| शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री शेर सिंह |
| खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री अन्नासाहिब शिन्दे |
| गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री | श्री विद्याचरण शुक्ल |
| शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री भागवत झा आजाद |
| संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री | श्री इ० कु० गुजराल |
| खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री गुरुपदस्वामी |

## उप-मंत्री

| | |
|---|---|
| परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री | श्री भक्त दर्शन |
| रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री रोहनलाल चतुर्वेदी |
| श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री दा० रा० चव्हाण |
| खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री | डा० एरिंग |
| पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री | श्रीमती जहांआरा जयपाल |
| श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री स० चु० जमीर |
| प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री म० रं० कृष्ण |
| उप-मंत्री | डा० सरोजनी महिषी |
| स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री ब० सू० मूर्ति |
| वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जगन्नाथ पहाड़िया |
| वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री मुहम्मद शफी कुरेशी |
| इस्पात,खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री राम सेवक |
| गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री के० एस० रामास्वामी |
| समाज कल्याण विभाग और पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री मुत्याल राव |
| विधि मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री मुहम्मद यूनस सलीम |
| सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री | श्रीमती नन्दिनी सत्पथी |
| सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री | श्री सिद्धेश्वर प्रसाद |
| औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री भानु प्रकाश सिंह |
| निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री इकबाल सिंह |
| वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री | ब्री सुरेन्द्र पाल सिंह |

# लोक-सभा

## LOK SABHA

शुक्रवार, 2 अगस्त, 1968/11 श्रावण, 1890 (शक)
Friday, August 2, 1968/Sravana 11, 1890 (Saka)

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**

**The Lok Sabha met at Eleven of the Clock**

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
**Mr. Speaker** in the Chair ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### पश्चिम बंगाल में असमर्थ स्वतंत्रता सेनानियों के लिये घर

*271. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में बहुत से वृद्ध तथा असमर्थ क्रांतिकारियों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों का आवास तथा निर्वाह के बारे में बहुत ही दयनीय दशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्रान्तिकारियों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये अच्छे घर बनाने की कोई योजना आरम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उन असमर्थ स्वतन्त्रता सेनानियों की, जिन्हें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सही संख्या ज्ञात नहीं है । तथापि राज्य सरकार ने 60 वृद्ध तथा असमर्थ राजनीतिक पीड़ितों के रख-रखाव तथा उन्हें आवास प्रदान करने के लिये एक आश्रम की स्थापना के लिये योजना स्वीकृत की है जिसके लिए राज्य के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 1·25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

**श्री समर गुह** : श्रीमन्, ऐसी लोकोक्ति है कि क्रान्ति अपने ही बच्चों का नाश करती है और यदि इस पर ध्यान दिया जाये तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय क्रान्तिकारियों की निष्ठुरता से उपेक्षा की गई है और उन को बिल्कुल ही विस्मृत कर दिया गया है । अन्यथा, मैं उस उत्तर को समझ नहीं सका जो अभी यहां दिया गया है । यदि गृह-कार्य मंत्री उस स्थल पर होते तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि उनका उत्तर कुछ और होता । अन्दमान कैदियों के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री महोदय को एक अभ्यावेदन दिया गया था और पश्चिमी बंगाल में परामर्शदात्री समिति की बैठक में चर्चा के दौरान भी इस विषय को उठाया गया था । जिस पर अन्दमान कैदियों की ओर से कुछ प्रतिनिधि उनसे मिले और यह अभ्यावेदन दिया गया तथा इस पर सर्वश्री सिराजुद्दीन हक, कालिपद राय

तथा बी० एन० माथुर ने हस्ताक्षर किये थे। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय से ऐसा बना बनाया तैयार उत्तर मिलेगा जिन्हें अमीर घराने में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त है। अपने उत्तर में उन्होंने लिखा है :—

"भूतपूर्व अन्दमान राजनीतिक कैदियों को शेष राजनीतिक पीड़ितों से, जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया, भिन्न एक विशेष श्रेणी के रूप में नहीं माना जाता, उन सुविधाओं और रियायतों का उपभोग स्वीकार्य सीमा तक भूतपूर्व अन्दमान राजनीतिक कैदी भी कर सकते हैं जो कि सामान्य रूप से उन राजनीतिक पीड़ितों को उपलब्ध हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया।"

क्रान्तिकारियों तथा भूतपूर्व अन्दमान राजनीतिक कैदियों की श्रेणी स्वतन्त्रता संग्राम के अन्य सेनानियों से निश्चित रूप से भिन्न है। यदि आप पश्चिमी बंगाल जायें.....

**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं आपको याद दिला सकता हूं कि यह प्रश्न-काल है।

**श्री समर गुह :** एक वाक्य और कह कर मैं अपने प्रश्न को समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस सरकार ने पिछले 20 वर्षों के दौरान उन हजारों लोगों के लिये, उन राजनैतिक बन्दियों के लिये जो स्वतन्त्रता के लिये लड़े और शहीदों की भांति फांसी पर लटक गये, कुछ भी नहीं किया, उनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिये। पश्चिमी बंगाल में आप देखेंगे कि वहां हजारों ऐसे राजनीतिक बन्दी तथा क्रान्तिकारी हैं जो 10 से ले कर 15 वर्षों तक जेल में रहे, एक हजार से अधिक ऐसे हैं जो 15 से लेकर 20 वर्ष तक जेल में रहे, कुछ सौ ऐसे हैं जो 20 से 25 वर्ष तक जेलों में रहे और कम से कम कुछ दर्जन ऐसे हैं जो 25 और 30 वर्ष से भी अधिक समय तक अन्दमान में जेलों में रहे थे अथवा बन्द रखे गये थे। क्या देश ऐसी आशा नहीं करेगा कि इस प्रकार के बन्दियों को राजनैतिक पीड़ितों की विशेष श्रेणी में स्थान दिया जाय क्योंकि उनका उद्देश्य भारतीय स्वतन्त्रता के आदर्श के लिए अपना सम्पूर्ण समर्पण और सम्पूर्ण बलिदान कर देना था।

इस पृष्ठभूमि के साथ अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग के साथ न केवल पश्चिमी बंगाल में रह रहे बल्कि सम्पूर्ण देश के क्रान्तिकारियों तथा शहीदों के परिवारों, भूतपूर्व अन्दमान बन्दियों, उनके जीवित माता-पिताओं, विधवाओं, उनके नाबालिग लड़के तथा लड़कियों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देगी तथा सभी क्रान्तिकारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेगी ? .....(**व्यवधान**)।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह अब बैठने की कृपा करेंगे ? सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना सीख रहे हैं और मैं चुप हूं।

**श्री समर गुह :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राजनैतिक बन्दियों की सहायता करने के लिए कोई कारगर कदम उठायेगी तथा उन भूतपूर्व क्रान्तिकारियों को जो कि एक दीर्घ अवधि तक कारावास में रहे थे, जो अन्दमान जेल में रह रहे थे उनको विशेष वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए तथा उनके परिवारों के उन व्यक्तियों को जो अब जीवित हैं तथा विधवाओं, माताओं, पिताओं, नाबालिग लड़कों, लड़कियों को सहायता देने के लिए तथा जिन की आयु 60 वर्ष की हो गयी है उनको पेंशन देने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी। जहां तक उत्तर देते हुए दी गई जानकारी का सम्बन्ध है मैं जानना चाहता हूं क्रान्तिकारियों के हेतु यह घर कब आरम्भ किया गया है और यह कब पूर्ण हो जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या सरकार को विदित है

कि स्वयं क्रान्तिकारियों द्वारा एक दूसरा घर बना लिया गया है जिसका नाम विप्लवी निकेतन है तथा क्या सरकार क्रान्तिकारियों के उस घर के लिये भी सहायता देगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : सभा को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि एक अनुपूरक प्रश्न- ने $7\frac{1}{2}$ मिनट ले लिये हैं और मैं किसी भी सदस्य को ऐसा करने से नहीं रोक सकता। मैं मजबूर हूं।

**एक माननीय सदस्य** : आप मजबूर नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल घंटी बजा सकता हूं। मैं केवल माननीय सदस्य से बैठ जाने के लिये निवेदन कर सकता हूं। मैं केवल अपील कर सकता हूं। माननीय सदस्यों को स्वयं इस बात को समझना चाहिये। और क्या किया जा सकता है ?

**श्री रंगा** : हमारी केवल यह प्रार्थना है कि आप अपने किसी एक प्रतिनिधि को सलाह दें कि वह कुछ ऐसा संकेत दें कि अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार पूछा जाय। राष्ट्र के राजनैतिकि पीड़ितों के प्रति अत्याधिक सम्मान का भाव रखते हुए भी मालूम पड़ता है कि मेरे मित्र को अनुपूरक प्रश्न पूछना नहीं आता और वह दूसरों पर आरोप लगाये जा रहे हैं . . . . . (**व्यवधान**)

**श्री समर गुह** : आप नेताजी के साथी रहे हैं . . . . (**व्यवधान**)

**श्री क० लकप्पा** : वह वरिष्ठ सदस्य हैं और ऐसे आरोप उन पर नहीं लगाये जा सकते।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री लकप्पा भी उसी दल के सदस्य हैं। यदि वे इस बात पर संतोष प्रकट करते हैं कि एक अनुपूरक प्रश्न सात मिनट ले सकता है तो मैं सन्तुष्ट हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल चार सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होगा।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि राजनैतिक पीड़ितों के लिये कुछ अधिक किया जा सकता था। मैं स्वतन्त्रता संग्राम के साहसी योद्धाओं के कष्टों और उनके बलिदानों के बारे में माननीय सदस्य की जो भावनायें हैं उनके साथ अपनी भावनाओं को भी शामिल करता हूं। जहां तक इन दो बातों का सम्बन्ध है, इनके बारे में हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। जैसा कि सभा में पहले भी बताया जा चुका है कि स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाले इन बहादुरों को सहायता देने का काम विभिन्न राज्य प्रशासनों को सौंपा गया है और वे इस मामले में अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करते रहे हैं उदाहरणार्थ, वे इकमुश्त नकदी अनुदान, भूमि अनुदान, मासिक पेंशन, स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान उन पर जो जुर्माना किया गया था उस को वापिस करने, जब्त की गयी सम्पत्ति को लौटाने के कामों को करते रहे हैं, तथा पुनर्वास ऋण तथा अन्य वस्तुएं भी देते रहे हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है हम नीति को नियमित करने तथा समन्वित करने का कार्य करते हैं और इस नीति को सभी राज्य प्रशासनों ने स्वीकार किया है। वे अपनी क्षमता के अनुसार स्वतन्त्रता आन्दोलन के योद्धाओं को सहायता देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री समर गुह** : मैंने गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहा था कि क्या वे क्रान्तिकारियों की एक भिन्न श्रेणी बनाने जा रहे थे।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है हम अपनी क्षमता के अनुसार समय समय पर विभिन्न राजनैतिक पीड़ितों को तदर्थ सहायता देते हैं। जहां तक पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा राजनैतिक पीड़ितों के लिये घर बनाने का सम्बन्ध है, जैसाकि मैं अपने मूल उत्तर में बता चुका हूं कि चालू वर्ष के बजट में इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है और मुझे उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वे इस कार्य को जल्दी से पूर्ण करने के लिए समुचित कार्यवाही करेंगे।

**श्री समर गुह** : मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने "क्रान्तिकारियों" शब्द की महत्ता को नहीं समझा है जिसका मैंने अपने प्रश्न में बार-बार प्रयोग किया है। मैं केवल गृहमंत्री महोदय से पूछता हूं, जो उस बैठक में उपस्थित थे और जो दो अग्र-गामी क्रान्तिकारियों—चापेकर तथा सावरकर भाइयों की भूमि के रहने वाले हैं; क्या सरकार क्रान्तिकारियों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति का गठन करेगी ? मैं यह बताना जाहता हूं कि क्रान्तिकारियों और राजनैतिक पीड़ितों के बीच कुछ अन्तर है। पिछले 20 वर्षों से यह प्रश्न ऐसा ही पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं क्या वे इस बात से सहमत होंगे ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : श्रीमन्, उन्होंने यह प्रश्न मुझ से पूछा है इसलिये, आपकी अनुमति से मैं इसका उत्तर दूंगा। राज्य मंत्री इस विषय पर हमारी नीति के आधार पर बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या समिति नियुक्त करना आवश्यक है ? यदि उनके पास हमें देने के लिये कोई सुझाव हों, कोई विशेष विचार हों तो मैं उनके साथ चर्चा करने के लिये तैयार हूं। केवल समिति नियुक्त करने से कुछ नहीं होता, यदि माननीय सदस्यों के पास कोई विशेष विचार अथवा सुझाव हों तो मैं इस विषय पर उनके साथ चर्चा करने के लिप तैयार हूं जिससे मैं उनको उस बात से परिचित करा सकता हूं जो हम कर रहे हैं और जो कुछ इस विषय पर किया जा सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : डा० गोविन्द दास।

**श्री समर गुह** : मैंने उनका ध्यान दिलाया.....

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। सभा में 522 सदस्य हैं।

**Dr. Govind Das:** Just now the hon. Minister stated that the whole matter has been left to the State Governments in this regard and the Central Government are making efforts to do something in this matter. May I know whether any plans from all the States have been received by the Centre in this regard and whether there is any difference among those plans, is so, whether the Central Government are thinking to prepare one plan for the whole of India?

**Shri Vidya Charan Shukla:** As I have said in my main reply, so far as the policy is concerned, we co-ordinate that policy at the Central level. I have no knowledge at this time about the plans which have been prepared by the State Administrations in this respect. I do not know even this also that whether the plans which were prepared many years ago were sent to us or not. But as I have said earlier, we have been giving assistance to the political sufferers on 8—10 items and so long they get this help, we do not get more complaints. But when they find difficulty in getting this help and face hardships then they make complaints to us and we take it up with the State Government or make efforts ourselves to help them.

**Shri Rabi Ray:** Just now the hon. Minister stated that the policy is the same, but I want to know whether you have received any such complaint that the people who participated in the freedom struggle and are in the Congress Party now got the said help and the people who participated in the freedom struggle but now are in the opposition party do not receive that help? May I know whether the hon. Minister will tell that how many of the persons who took part in three National Movements of 1920-21, 1931 and 1942 got this help and how many of them are in the opposition party?

**Shri Vidya Charan Shukla:** So far as the financial assistance is concerned, this is given without any discrimination and I personally know that financial assistance has been given to many people on the recommendations of the Opposition Members. So far as it is concerned that how much assistance has been given and how many freedom fighters are in the Opposition Party or in the Congress Party, we do not have any figures because we do not see the freedom fighters with such eyes that who are in the Congress Party and who are in the Opposition Party; for us they are all equal wherever they may be.

**Shri Rabi Ray:** The people who are in the Congress Party get more, and favouritism is being done.

**श्री स० मो० बनर्जी** : आप उनको यहां तक कि राजनैतिक बन्दी भी नहीं समझते ।

**श्री कार्तिक उरांव** : लोक-नैतिकता अथवा राष्ट्रीय-नैतिकता, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, की मांग है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की उचित देखभाल हो और उनकी हिफाजत की जाय । कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो यहां तक कि राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध थे अपने अपदूषण। महत्व से राष्ट्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने में सफल हुए। कुछ और भी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के साथ अपने सम्बन्धों का फायदा उठा रहे हैं । तब वे इमानदार और निष्ठावान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी हैं जिनकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है या उनको बिल्कुल विस्तृत कर दिया गया है । उदाहरणार्थ टाना भगतों ने अपना सब कुछ खो दिया है यहां तक कि अपनी भू-सम्पत्ति भी खो दी है क्योंकि वे सन् 1921 के असहयोग आन्दोलन में महात्मा गांधी जी के प्रबल तथा निष्ठावान अनुगामी थे। बिहार राज्य सरकार ने उनको अपनी भूमि फिर से प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये मंजूर किये लेकिन वह सब बेकार गया, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं क्या उनके दिमाग में कोई योजना तैयार करने की बात है जिससे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को उनके राजनैतिक संबंधों का ध्यान में न रखते हुए, ठीक देखभाल हो सके और उनकी क्षतिपूर्ति हो जाय और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में विचार करना चाहेगी ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं पहले ही संकेत कर चुका हूं कि हमारे विचार और हमारी नीत ऐसी ही है।

**Shri Om Prakash Tyagi:** I want to know from the Government that whether the Government considers the soldiers and officers of I.N.A. as political sufferers who fought with Late Shri Netaji Subhas Chandra Bose in 1942? If so, whether they are given help and if so, how much?

**Shri Vidya Charan Shukla:** We treat them fully as fighters of freedom who formed Indian National Army with Netaji and give them full assistance. I do not have the figures at this time about the amount of assistance given but full assistance is given to them and no discrimination of any sort is made.

**श्री रा० कृ० सिंह** : मैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का संयोजक था। उस सम्मेलन में जो भाषण दिये गये थे वे ऐसे थे कि यह मालूम पड़ता है कि कुछ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को बेकार सिद्ध किया गया है और उनकी उपेक्षा की स्थिति बड़ी भयंकर है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का समुचित

राष्ट्रीय इतिहास तैयार किया जायेगा; क्या प्रत्येक जिले में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्मान का एक रजिस्टर रखा जायेगा; क्या गरीब हकदार सेनानियों को अथवा उनकी विधवाओं को पेंशन दी जायेगी; क्या उनके बच्चों को फीस की पूरी रियायत दी जायेगी और इस प्रश्न के राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से क्या भारत सरकार इस संसद् में एक विधेयक लायेगी जिसका सभा के सभी दल समर्थन करेंगे ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं अपने उत्तर में पहले ही संकेत दे चुका हूं कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए हम उतना नहीं कर सके हैं जितना हमें करना चाहिये था। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि देश में स्वनंत्रता संग्राम के कुछ ऐसे सेनानी हैं जिनकी दशा अच्छी नहीं है तथा जो कष्ट सहन कर रहे हैं और उनकी देखभाल अच्छी प्रकार नहीं की गई है।

जहां तक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के इतिहास संकलन करने का सम्बन्ध है हमने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस काम को करने के बारे में कदम उठा दिये हैं। एक बहुत विस्तृत 'कौन क्या' का संकलन किया जा रहा है।

**श्री रंगा** : उनका कहना है "उन लोगों की सूची"।

**श्री रा० कृ० सिंह** : प्रत्येक जिले में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मान रजिस्टर होना चाहिये।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : हम एक "कौन क्या" का संकलन कर रहे हैं जिसको सम्मान रजिस्टर कहा जा सकता है अथवा कोई दूसरा उचित सा नाम दिया जा सकता है।

मैं भी समझता हूं कि कुछ राज्य प्रशासनों ने स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सेनानियों को राष्ट्र के प्रति उनकी साहसिक सेवाओं को मान्यता देते हुए दानपात्र प्रदान किये हैं।

**श्री रा० कृ० सिंह** : यहां तक कि उनको 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के कार्यक्रम में भी आमंत्रित नहीं किया जाता।

**डा० रानेन सेन** : मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश में हजारों भूतपूर्व राजनैतिक पीड़ित है जबकि उनमें से केवल कुछ सौ सेनानी पश्चिमी बंगाल सरकार से पैंशन प्राप्त करते हैं और पैंशन की यह राशि भी औसतन 50 से 60 रु० प्रति मास है; यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को अनुदेश देने का प्रयत्न करेगी अथवा उनको अतिरिक्त अनुदान देगी जिससे अधिक संख्या में भूतपूर्व राजनैतिक पीड़ितों को यह प्राप्त हो और पैंशन की इस नगण्य राशि में एक अच्छी राशि के रूप में वृद्धि हो ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम उतना नहीं कर पाये हैं जितना करना चाहिये था और गृह-मंत्री महोदय ने भी सुझाव दिया है कि यदि इस मामले से सम्बंधित कुछ अच्छे सुझाव हैं तो हम उन पर चर्चा कर सकते हैं और अपने कार्य में सुधार करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

**डा० रानेन सेन** : यह मेरा सुझाव है। शायद वे यहां और अभी अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करें।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : हम इस पर विचार करेंगे।

**श्री द्वा० ना० तिवारी :** स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को एक ही श्रेणी में रखा जाना चाहिये चाहे वे आतंकवादी हैं अथवा क्रान्तिकारी अथवा सत्याग्रही । अन्तर केवल इस सम्बन्ध में होना चाहिए कि उन्होंने कितने वर्ष कष्ट उठाये हैं । अन्यथा उन्हें एक ही श्रेणी में रखना चाहिये । तब, मैं जानना चाहूंगा, क्या सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की संख्या तथा उनके विवरण के बारे में राज्य सरकारों से आंकड़े एकत्र करने के लिए कदम उठाये हैं । थोड़े से सेनानी जीवित हैं और वे भी 10–15 वर्षों में चले जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं क्या उन्होंने राज्य सरकारों से सेनानियों की संख्या , उनको दी गई सहायता तथा जिनको अब तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है उनकी संख्या के बारे में आंकड़े एकत्र कर लिये हैं ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं उनके प्रश्न के एक भाग का उत्तर दे चुका हूं । हम राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा शिक्षा मंत्रालय से परामर्श करके स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में जानकारी का संकलन कर रहे हैं । जहां तक अब तक दी गयी सहायता के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने का प्रश्न है हम राज्य सरकारों को केवल परामर्श देते रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर सेनानियों को यथासम्भव उदारतापूर्वक सहायता दें । लेकिन हमने ऐसी जानकारी एकत्र नहीं की है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को अब तक कितनी सहायता दी गई है ।

**Shri Abdul Ghani Dar:** May I know whether the hon. Home Minister is aware that the Sachhar Ministry allotted plots to the political sufferers of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, so that they may get help? At that time when there was President's Rule the Governor ordered that all the political sufferers should be allowed to purchase lands of Rs. 450 per acre, and that amount also may be recovered from them in instalments so that they can do the development of their lands easily. And whether he is also aware that the order of the then Governor has not been implemented by the present Ministry in Haryana? The reason is that there is not even a single member in the Haryana Ministry which is running in the name of Congress, who has ever been to jail, that is why they do not understand the importance of political sufferers?

**Shri Vidya Charan Shukla:** This is absolutely wrong to say that they do not know about the sufferings of the fighters of freedom who have not ever been to jail. They can understand their value who have even little of knowledge. So far as this question is concerned I will enquire from the Haryana Government.

**अध्यक्ष महोदय :** दूसरा प्रश्न । श्री राम गोपाल शालवाले ।

**Shri Ramavatar Shastri:** Mr. Speaker, I am getting up from the beginning but I am not being given any chance to speak while the other who got up after me are being given the chance.

**अध्यक्ष महोदय :** तीन या चार साम्यवादी सदस्य उठें और मैंने डा० रानेन सेन को बुलाया, प्रत्येक सदस्य महोदय चाहते हैं कि उनको बुलाया जाय, मैं क्या कर सकता हूं ? जब उनमें से तीन-चार सदस्य उठें तो मैंने डा० रानेन सेन को पुकारा । क्या वह बैठने की कृपा करेंगे ? (व्यवधान)

**Shri Ramavatar Shastri:** This is injustice. This is denying our rights.

**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे बैठने की कृपा करेंगे । मैं उनको बाहर भेजना नहीं चाहता । दलों के नेताओं को कुछ कहना चाहिये ।

**Shri Shiva Chandra Jha:** This is not right....

**अध्यक्ष महोदय :** जब संयुक्त समाज वादी दल के सदस्य उठे तो मैंने उनके नेता को बुलाया । क्या वे बैठने की कृपा करेंगे ?

**Shri Ramavatar Shastri:** Then what will be the use of sitting in this House.

**अध्यक्ष महोदय :** शास्त्री जी यदि आप इस सभा में बैठना नहीं चाहते तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभा से बाहर चले जायें । यदि आप बैठना चाहते हैं तो शान्ति से बैठिये, .... (**व्यवधान**) मैं तर्क नहीं करना चाहता । या तो आप शान्ति से बैठिये अथवा सभा से बाहर चले जाइये । सभा का कार्य नहीं रुकना चाहिये ।

**Financial Assistance for Delhi Projects**

**272. Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Metropolitan Council have demanded Rs. 11 crores for implementing the various projects of Delhi;

(b) if so, the date by which Government would provide the financial assistance;

(c) whether it is also a fact that the Executive Council has demanded that the question of sources of revenue of Delhi be also referred to the Morarka Commission; and

(d) if so, the action so far taken by Government in this connection?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Pursuant to a Resolution passed by the Delhi Metropolitan Council on the 4th April, 1968, the Delhi Administration sent proposals to this Ministry on the 13t hJune, 1968 for allotment of additional funds to the extent of Rs. 12.49 crores during the current financial year for various schemes.

(b) The proposals consist of 46 items and are under consideration in the various concerned Ministries. As detailed justification for various proposals is still to be furnished by the Delhi Administration, it is difficult to set a date by which these proposals are likely to be finalised.

(c) The Executive Council is reported to have suggested that the Study Team on Union Territories' Administration (headed by Shri Morarka) appointed by the Administrative Reforms Commission may be asked to examine the principles that should govern the quantum of financial assistance to Delhi.

(d) The suggestion has not been accepted.

**Shri Ram Gopal Shalwale:** I would like to know, what report has been given by the Reddy Commission which was appointed by the Government

to find out and consider the economic position of the Delhi Administration? May I know whether it is fact that the said Commission recommended grants of Rs. 12 crores for Delhi Administration? Besides, I would also like to know the income of the Government from income tax, sales tax and other taxes by the Delhi Administration and how much is given to the Delhi Administration out of that?

**Shri Vidya Charan Shukla:** Mr. Speaker, so far as the first question is concerned, the appointment of the Reddy Commission was made not with a view to give financial assistance to Delhi Administration but its object was only to make recommendations to the Government regarding this, that on what basis the financial assistance should be given to the Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Corporation. But when Shri Reddy was appointed as the Governor of Uttar Pradesh, the work of the Commission suffered a little and then Shri Morarka was appointed as a new Chairman of the Commission to do this work but we have not received complete report from him so far.

So far as the second question is concerned, the question of giving financial assistance to Delhi Administration does not arise because there is no separate consolidated fund for Delhi. The income earned from Delhi goes to the Consolidated Fund of India and the expenditure necessary for Delhi is met from this Fund. Therefore, assistance cannot be given to Delhi in the same way as is given to other States.

**Shri Ram Gopal Shalwale:** In foreign countries the Capital city enjoys a special position, therefore, because Delhi is the Capital of India, whether the Government of India will be prepared to give similar facilities to Delhi Administration?

**Shri Vidya Charan Shukla:** Mr. Speaker, we give more facilities to Delhi Administration than others because it is the Capital of India. Here we have to do certain such things which we generally do not do in other places.

**Shri Ram Gopal Shalwale:** What is your reply regarding the demand of Rs. 11 crores?

**Shri Vidya Charan Shukla:** I have stated in my main answer that we are consulting various Ministries and the decision will be taken only when the consultation work is completed.

**Shri Maharaj Singh Bharati:** The areas which come under the Delhi Capital are covered according to the Delhi Master Plan. A large part of the neighbouring areas is also included in it. May I know whether it is a fact that the Central Government only help the Delhi Administration and the areas out of Delhi included in the Master Plan are neglected, if so, whether the Government will try to exclude those areas from the Master Plan, if not, whether those areas will also be given assistance?

**Shri Vidya Charan Shukla:** This is a strange question . . .

**Shri Maharaj Singh Bharati:** No doubt, ours is a strange position.

**Shri Vidya Charan Shukla:** Yes, Sir, our position is also strange because the territory of Delhi is connected with many States and when we have to develop Delhi economically, geographically and from other point of views, we have to keep in view the question of outside areas also. It means that we should take administratively those places of U.P. or Haryana also...

**Shri Maharaj Singh Bharati:** We should take them in the form of financial assistance.

**Shri Vidya Charan Shukla:** We can not help them by way of financial assistance or in other forms because our resources are limited and therefore we want to keep those areas within Delhi territory so that we can undertake maximum work in Delhi area.

**Shri Bal Raj Madhok:** I want to invite the attention of the hon. Minister to the fact that he was in the wrong when he stated that the Reddy Commission had not finished his work and Morarka Commission is completing that work. Actually the Reddy Commission had finished his work and he had submitted his report to the Government also. This Morarka Commission is different to that. I think either the hon. Minister does not have full information or he wants to create some confusion by saying this. The hon. Minister has stated that various Ministries are being consulted about Delhi Administration's demand for funds. Delhi Administration have not been able to implement its schemes during the last 1-1|2 years. According to the new budget for Delhi the revenue is Rs. 36 crores and the expenditure is Rs. 42 crores. Besides, there is an income of about Rs. 42 crores to the Central Government from Delhi through income tax. Delhi is the Capital of India, so we give special attention towards Delhi but inspite of all this I have to say that special attention is not being paid to Delhi. Because Jan Sangh is ruling in Delhi therefore, the Government are intentionally deferring the matter regarding granting funds to the Delhi Administration to make it a failure. This is my charge. They are hesitating in allotting the funds which they (Delhi Administration) deserve. For instance, I would like to say that New Delhi Municipal Committee owed some dues to Delhi Municipal Corporation. Works and Housing Minister Shri Jagannath Rao was appointed as arbitrator in this matter and he decided that Delhi Municipal Corporation should be given Rupees 59 lakhs but the Home Minister negatived it. I would like to say, that while there is a need for development in Delhi, there is no overbridge in Delhi and lakhs of people are daily put in troubles due to this. Similarly, there is no hospital in West Delhi and Shahdara. The Central Government do not give any funds to Delhi Administration for all these necessary things, I would like to know whether the Government will immediately implement the recomendations of the Reddy Commission and will allot funds to Delhi Administration or Delhi Corporation? The Government give 95 per cent grants to Higher Secondary Schools but they are not prepared to grant even 50 per cent grants to the Schools of the Corporation. Therefore I would like to know from the hon. Minister whether they will change their policy of discrimination and make arrangements for allotting funds to Delhi Administration?

**Shri Vidya Charan Shukla:** In fact the hon. Professor is in the habit of making charges and therefore he is charging us here...

**Shri Bal Raj Madhok:** I will substantiate my charge.

**Shri Vidya Charan Shukla:** I tell you how wrong you are. The hon. Member has stated wrong that the Reddy Commission had finished its work and submitted its report and the Morarka Commission is a different one. The fact is that the Reddy Commission had submitted its interim report. That was not a final report. After that we decided that because the work has not been completed and the work has to be completed, therefore the final report should come. So the interim report was not considered and we

are still waiting for the final report. The hon. Professor has stated wrong and it is like misleading the house to say that the Commission has completed its work. The fact is that the Commission has not completed its work.

His second charge is also wrong that we are intentionally doing discrimination here and are not allotting as much funds as we did before. He can see the figures in this respect. I am ready to hold talks with the hon. Professor provided he may be prepared to think over it with a cool mind and should be prepared to try to understand it. But unfortunately he always says all these things with a political point of view. If he wants to understand it with a cool mind and without keeping politics before him, I can make him understand and I have full confidence that he will be able to understand it that we are helping in a right manner in that matter and are not following the policy of discrimination. The charges imposed by Shri Bal Raj Madhok on us are absolutely wrong and baseless.

**Shri Bal Raj Madhok:** I had stated that the report of Reddy Commission has been received and the hon. Minister has also accepted that their interim report has been received. Now, the interim report is received first in every case, I would like to know what action he has taken on the interim report? Similarly, the New Delhi Municipal Committee has to give Rs. 59 lakhs to Delhi Municipal Corporation. Shri Jagannath Rao arbitrated in this case and he stated that Rs. 59 lakhs is to be given to Delhi Corporation but you have neglected that. I would like to know whether it is a fact or not? Give us reply whether the amount of Rs. 59 lakhs was not stopped by you?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि.....

**श्री बलराज मधोक :** वह ग़लत तथ्य दे रहे हैं तथा जान-बूझ कर सभा को गुमराह कर रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अन्तरिम रिपोर्ट के बारे में उन्होंने मान लिया है । धन के बारे में भी वह कहते हैं कि माननीय सदस्य उनसे बातचीत कर सकते हैं तथा यदि माननीय सदस्य किसी प्रकार का भेदभाव सिद्ध कर सकें तो वह उसे ठीक कर देंगे । यही कुछ मैं हिन्दी में कही गई बात से समझ पाया हूं । अतः अब कोई विवाद नहीं रहता । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

## अन्तर्राज्यीय विवाद

*273. **श्री क० लकप्पा :**
**श्री श्रीधरन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिये कोई स्थायी निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मोटे रूप से ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) से (घ). राष्ट्रीय एकता परिषद् जो कि हाल ही में श्रीनगर में समवेत् हुई थी, उसने भाषायी राज्यों के सीमा विवादों को सर्वसम्मत आधार पर सुलझाने हेतु सारे देश में एक समान लागू होने वाले सामान्य सिद्धान्तों को बनाने तथा

इन विवादों को तुरन्त हल करने हेतु किसी ढांचे के गठन की सिफारिश की थी । परिषद् की सिफ़ारिश की जांच की जा रही है ।

**श्री क० लकप्पा :** राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक काश्मीर घाटी में बड़े ही शीतल वातावरण में .....

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अब दिल्ली के तथा संसदीय वातावरण में आकर अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

**श्री क० लकप्पा :** यह बैठक कांग्रेसी प्रशासन द्वारा सारे देश में पिछले 20 वर्षों के दौरान फैलाई गई खण्डता की समस्या का हल ढूंढने के लिये हुई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस राष्ट्रीय एकता परिषद् ने भारत सरकार के कहने से महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के सीमा-विवाद पर विचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त महाजन आयोग की रिपोर्ट का खण्डन करने तथा उसको दबाने के लिए कहा है, तथा क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् ने इस उद्देश्य हेतु एक राष्ट्रीय पंचाट के रूप में एक स्थायी ढांचा गठित करने का कोई निश्चित और ठोस हल ढूंढने का विचार किया है ?

संविधान की धारा 263 में भी ऐसे किसी ढांचे का अनुमान लगाया गया है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पहले महाजन रिपोर्ट को लागू करेगी ? इसके बाद दूसरी अन्तर्राज्य समस्यायें भी हैं, जैसे नदी-जल विवाद ; इस्पात संयंत्रों की स्थापना ; उद्योगों के लिये स्थापना स्थान ; धन-राशि का वितरण ; खाद्यान्नों का आवंटन आदि आदि । कई राज्यों से सम्बन्धित ऐसे अनेक विवाद हैं । इस आधार पर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इन चीजों की जांच करने के लिये कोई उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय पंचाट गठित करेगी ? मंत्री महोदय से इन दोनों विशिष्ट प्रश्नों का मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** प्रश्न के प्रथम भाग का जहां तक सम्बन्ध है, सरकार ने यह सिफ़ारिश इसी रूप में नहीं की थी । राष्ट्रीय एकता परिषद् के दो या तीन भाग बना दिए गए थे । जिस भाग ने यह सिफ़ारिश की थी उसकी अध्यक्षता माननीय सदस्य के दल के प्रधान ने की थी ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । वह प्रधान का निर्णय नहीं था । दल के प्रधान के बारे में क्या आक्षेप है ? यह तो समिति का निर्णय था ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** माननीय सदस्य को यह टिप्पणी उस समय करनी चाहिये थी जब उन्हीं के दल के सदस्य ने सरकार पर तथ्यों को दबाने का आरोप लगाया ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** निर्णय को दबाने के बारे में क्या बात है ? सदस्य तो प्रश्न पूछ रहे हैं ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं तो जानकारी दे रहा हूं । मैंने तो कहा है कि दल के प्रधान ने समिति की अध्यक्षता की थी ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मंत्री महोदय भी उस सम्मेलन के सदस्य थे । उस समिति में हर दल का प्रतिनिधित्व था और निर्णय सामूहिक था ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : निःसन्देह, मैं भी यही कह रहा हूं । मैंने केवल जानकारी दी है । वह इस कारण नाराज़ क्यों होते हैं ?

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इसकी आवश्यकता नहीं थी ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह सिफ़ारिश उस दल ने की थी जिसकी अध्यक्षता किसी विशिष्ट व्यक्ति ने की थी । यह तथ्य है । अन्ततः यह स्वीकार किया गया ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : सम्मेलन द्वारा समिति की सिफ़ारिश को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : कुछ परिवर्तन के लिये उस सिफ़ारिश को समिति के पास वापस भेजा गया था तथा इसके पश्चात् वह सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई थी ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : उप-समिति की सिफ़ारिश को परिवर्तन के बाद महा-परिषद् ने स्वीकार किया था ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : अन्ततः वह सिफ़ारिश सर्व सम्मति से स्वीकृत हुई थी ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : यह ठीक है ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : आप ऐसा कह दें ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मेरा कहने का मुख्य अभिप्राय यह है कि यहां किसी भी चीज़ को दबाने की कोई बात नहीं है ।

महाजन आयोग के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था । मैसूर के मुख्य मंत्री ने विशिष्ट रूप से इसे उठाया था तथा वहां भी प्रधान मंत्री ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी कि रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है तथा उन्होंने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है । सरकार इस बारे में कोई वायदा नहीं करना चाहती कि उस सिफ़ारिश में निहित सिद्धान्त लागू भी होगा अथवा नहीं । मेरे विचार से वह इसे स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें । सम्मेलन में यही स्थिति स्पष्ट की गई थी ।

**श्री क० लकप्पा** : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि सम्मेलन में निर्णय सर्व-सम्मति से हुए थे । क्या यह सत्य नहीं है कि मुख्य मंत्री ने विमति की टिप्पणियां दी हैं तथा पत्रकार सम्मेलन बुलाने के पश्चात् वक्तव्य दिया है कि यह एकता परिषद् अनेकता उत्पन्न करने के लिये बनाई गई है तथा हमारे पास महाजन आयोग की यह रिपोर्ट भी है ? क्या यह वक्तव्य ठीक है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : उनके द्वारा बुलाये गये किसी पत्रकार सम्मेलन की मुझे जानकारी नहीं है । इसके साथ ही मुझे किसी विमति की टिप्पणी की भी जानकारी नहीं है । जो कुछ उन्होंने कहा तथा जो भी विचार व्यक्त किये उनका जिक्र मैंने किया है ।

**श्री क० लकप्पा** : नहीं । उन्होंने एक वक्तव्य दिया था . . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को उसका पता नहीं है ।

**श्री श्रीधरन** : समय के साथ-साथ राज्यों के मध्य विवाद भी बढ़ गये हैं और जिस प्रकार का भी समन्वय राज्यों के मध्य है वह है डाकाजनी तथा तस्करी, जिसमें कि श्री चव्हाण की पुलिस के कांस्टेबल भी सम्मिलित हैं। अनेक विवाद इस सरकार द्वारा अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये पैदा किये गये हैं जैसे कि सीमा-विवाद तथा महाजन-रिपोर्ट जिसे कि केरल के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि वे किसी प्रकार का ढांचा गठित करने का विचार कर रहे हैं। परन्तु हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसी घटनाओं का अनुमान कर लिया था; वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे तथा राजनीति में लिप्सा रखने वाले नहीं थे। उन्होंने संविधान में इसके लिये एक उपबंध रखा था; अनुच्छेद 263 के अनुसार :

> "यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि होगी, जिस पर
>
> (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हों उनकी जांच करने और उन पर मंत्रणा देने;"

ये विवाद पिछले 20 वर्षों से उत्पन्न हो रहे हैं तथा अनेक अवसरों पर उभरते हैं। मैं गृह-कार्य मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने कितने अवसरों पर इस उपबन्ध का अनुसरण किया है यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया ? संविधान के इस उपबन्ध के अधीन वे किन मामलों पर कार्यवाही करते हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : उन्होंने मुझ से एक बड़ा सारगर्भित प्रश्न पूछा है पर जहां इसका सम्बन्ध इस विशिष्ट भाग से है, मैं यह कह सकता हूं कि कुछ विवाद तो अवश्य हैं और ये विवाद भारत सरकार द्वारा उत्पन्न नहीं किये गये हैं। बात केवल इतनी है कि इनका समाधान नहीं हो पाया है। इसी पर राष्ट्रीय एकता परिषद् को चिन्ता है। उन्होंने विचार किया कि क्या कुछ स्वीकृत सिद्धान्तों को अपनाने से इसका हल नहीं निकल सकता तथा उन सिद्धान्तों को निश्चित करने के बाद एक ढांचा स्थापित किया गया। यही वह सिफ़ारिश थी। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। मैं नहीं जानता कि वह दूसरी बातों में क्यों जा रहे हैं ?

**श्री श्रीधरन** : संविधान के इस उपबन्ध के अधीन कितने अवसरों पर कार्यवाही की गई है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मुझे इसके लिये सूचना चाहिये।

**Shri Prem Chand Verma:** I want to know from the Home Minister whether the dispute over Chandigarh prevailing between Haryana, Punjab and Himachal Pradesh is being put to the Prime Minister for arbitration, or it is being solved in any other way? Secondly, Himachal Pradesh is claiming Pathankot, Kalka and other areas on the plea that those are hilly areas. Therefore, may I know that whether this will be handed over to a tribunal or to the Prime Minister for arbitration?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह स्वाभाविक ही है कि मुझे इसके लिये सूचना चाहिये, परन्तु साथ ही मैं यह भी कह सकता हूं कि इस प्रश्न पर यहां विचार किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से सम्बन्धित राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

**श्री जे० मुहम्मद इमाम** : राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सारे ही देश का पुनर्गठन किया गया था तथा उस आयोग की रिपोर्ट में एक क्षेत्रीय परिषद् का विधान था जिसके द्वारा सारे ही

सीमा-विवादों के हल होने की आशा है, तथा कुछ मामलों में यह क्षेत्रीय परिषद् कुछ विवाद हल करने में सफल भी हुई है। अब सबसे प्रमुख विवाद मैसूर और महाराष्ट्र के मध्य है जिसके बारे में हम ने पहले ही कोई न कोई हल निकालने का निश्चय कर रखा है। महाजन आयोग की नियुक्ति की गई थी और यह विचार किया गया था कि आयोग के माध्यम से यह विवाद हल हो जायेगा। परन्तु राष्ट्रीय एकता परिषद् का यह नया प्रस्ताव महाजन आयोग की रिपोर्ट का परिणाम है जो कि मैसूर सरकार को मान्य है। अतः, क्या मैं जान सकता हूं कि महाजन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ताकि ये सभी शंकायें समाप्त हो जायें ?

दूसरे, मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों ने निश्चित रूप से हमें बताया है कि समिति तथा राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा दिये गये इस प्रस्ताव को मैसूर के मुख्य मंत्री ने स्वीकार नहीं किया तथा परिषद् में उन्होंने उनका विरोध किया था। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार, सीमा-ढांचा सम्बन्धी इस सिफ़ारिश के बारे में सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सलाह तथा अनुमोदन लेकर कोई निर्णय करेगी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि महाजन आयोग की रिपोर्ट के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। यह सत्य है। जैसा मैंने कहा है, राष्ट्रीय एकता परिषद् की रिपोर्ट विचाराधीन है।

**श्री रंगा** : यह चुपचाप ही विचाराधीन रहेगी।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : स्वाभाविक है कि बिना जांच किये कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

**श्री मणिभाई पटेल** : स्वराज्य की भावना लोगों में उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से भाषाई राज्यों का गठन किया गया था; परन्तु इसने किसी भिन्न ही दिशा में कार्य किया तथा विभाजन कर दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि इन सब विवादों को समाप्त करने हेतु क्या सरकार इन सब भाषाई राज्यों को समाप्त करके सारे देश को चार खण्डों में विभक्त करेगी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**Shri Jharkhande Rai:** May I know how does the Government want to solve the issues relating to the border-disputes between two States prevailing for the last 20 years? What is the difficulty with the Government in accounting for a village as a unit in regard to settling all these border-disputes? What is the objection if a village where majority of the people speak a particular language is merged with the State of that very language? What is the difficulty in accepting this principle? The issue of border-disputes as to which Taluka, area or village should remain in which State, has been in vogue in the country for the last 20-21 years. You have not so far been able to decide about it. I want to know what is the difficulty in taking a village as a unit?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : माननीय सदस्यों से वाद-विवाद में पड़ना बड़ा कठिन है। जहां भी दोनों सम्बन्धित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने सहमति प्रकट की उसे स्वीकार कर लिया गया तथा जहां कहीं समझौता न हो सका वहां यह स्वीकार नहीं किया जा सका। इसलिये, मेरे लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि इसके लिये क्या सिद्धान्त अपनाये जायें। प्रश्न यह है कि क्या हम कोई सुगम तथा स्वीकारणीय सिद्धान्त बना सकते हैं। जब तक यह आधार नहीं बनता

तब तक यह प्रश्न हल नहीं हो सकता । ये समस्यायें बड़ी पेचीदा, कठिन तथा गूढ़ हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि राजनयिक दृष्टि से भी ये समस्यायें बड़ी जटिल हैं ।

**श्री शंकरानन्द** : यद्यपि महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने काफी समय पहले प्रस्तुत कर दी थी परन्तु सरकार अभी तक किसी निश्चय पर नहीं पहुंची है तथा गृह-कार्य मंत्री कहते हैं कि यह रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है । राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफ़ारिशों के अनुसार तथा जनता और विपक्ष की आलोचना से बचने के लिये क्या सरकार महाजन आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय करने के लिये कोई समय सीमा निश्चित करेगी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं माननीय सदयों की जिज्ञासा को समझता हूं । दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका ।

**Shri Shri Chand Goyal:** The Chairman of Punjab Border Commission, Shri Shah, who was the acting Judge of Supreme Court, had given his decision, but against that decision the Punjab and Haryana States are claiming certain areas which they think should be merged with them, and they are not satisfied with the Shah Commission's decision. I want to know whether these States have submitted their demands to the Government asking for certain areas to be merged with them?

As regards Chandigarh, both have their claims. Since it has not so far been decided through arbitration, have the Government taken any step to solve this issue, or are they considering this issue, and also, are they thinking about deciding the issue by taking public opinion?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जो कुछ मैंने पहले कहा है उससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता । यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट जानकारी चाहते ही हैं, तो वह मुझे इसकी सूचना दे सकते हैं ।

**श्री नायनार** : पिछले कुछ वर्षों से जल-विवाद तथा अन्तराज्य सीमा-विवादों आदि को लेकर राज्यों के बीच सम्बन्ध खराब होते जा रहे हैं । श्रीनगर में हुई हाल की अपनी बैठक में राष्ट्रीय एकता परिषद ने इन विवादों को हल करने के लिये एक ढांचे के गठन का निर्णय लिया है तथा सब दलों ने इसे स्वीकार किया है । यह सिफारिश करने के पश्चात् मैसूर के मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल जब मैसूर गये तो उन्होंने वक्तव्य दिया.....

**अध्यक्ष महोदय** : तीन सदस्य पहले ही इस बारे में पूछ चुके हैं।

**श्री नायनार** : इसका सम्बन्ध केरल राज्य से है ।

**श्री क० लक्कप्पा** : हम चाहते हैं कि यह लागू हो . . . (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसे सभा में लागू करना चाहते हैं।

**श्री नायनार** : जहां तक केरल का सम्बन्ध है . . .

**श्री क० लक्कप्पा** : इसमें उनका हाथ है..... (**व्यवधान**)

**श्री नायनार** : कांग्रेस सहित केरल के सभी दल महाजन आयोग की रिपोर्ट का विरोध करते हैं। केरल के लोगों को यह स्वीकार नहीं है। क्या मैं गृह-कार्य मंत्री से यह स्पष्ट उत्तर पा सकता हूं . . . . (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

**श्री नायनार :** मैं गृह-कार्य मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । प्रश्न यह है कि क्या सरकार राष्ट्रीय एकता परिषद् की इस सिफारिश को स्वीकार करेगी जो कि उसने श्रीनगर की अपनी बैठक में की है ; तथा क्या यह सिफारिश समस्या का समाधान करने के लिये उपयुक्त है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जैसा कि बताया जा चुका है राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिश की सरकार जाँच कर रही है ।

**Shri Tulsidas Jadhav:** The Pataskar Formula has been accepted by two States. Secondly, it is well confirmed from the Municipal and Assembly elections as also the results thereof, that that area belongs to those people. Thirdly, three States are concerned with the Mahajan Commission Report and two of them are against its implementation. Fourthly, why does the Central Government settle these disputes on their own and not in a democratic way by considering the majority of opinions?

**श्री क० लकप्पा :** यह ठीक नहीं है । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया है और वे तो आयोग के प्रति बड़े जिज्ञासु थे । अतः महाराष्ट्र का भी इसमें हाथ है । (व्यवधान)

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं किया है जिसका कि मैं उत्तर दूं ।

**श्री धीरेश्वर कलिता :** मैं आसाम और नागालैंड सीमाओं के बारे में एक प्रश्न कर रहा हूं । आसाम राज्य का सिबसागर जिला नागालैंड राज्य के समीप है । वहां एक बहुत बड़ा वन है जो कि आसाम सरकार ने ले रखा है । यह भाग आसाम राज्य का है । कुछ समय पहले नागालैंड सरकार ने भी इसका दावा किया था तथा शिकारगाह बनाने के लिये ठेकेदारों को लाइसेंस दे दिये थे । आसाम सरकार ने भी ठेकेदारों को लाइसेंस दे दिये थे । अब दोनों ओर के ठेकेदार तथा श्रमिक वहां लड़ रहे हैं । कभी कभी भूमिगत नागा भी वहां आ जाते हैं तथा लोगों का अपहरण कर लेते हैं तथा कर वसूल करते हैं । कुछ वर्षों से झगड़ा जारी है । प्रश्न यह है कि क्या सरकार दोनों राज्यों के मध्य समझौता कराने के लिये कोई आयोग स्थापित करने का विचार कर रही है ताकि आसाम और नागालैंड राज्यों के मध्य अन्तिम रूप से सीमायें निर्धारित हो सकें ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** यह ऐसा मामला है जिस पर कि सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों को विचार करना है । इस समय किसी आयोग की नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है ।

**श्री नारायण दांडेकर :** क्या भारत सरकार ने राजनीतिज्ञों की इस संकुचित मनोवृत्ति को असंगत सिद्ध करने के लिये मैसूर, महाराष्ट्र तथा केरल के विवादग्रस्त क्षेत्रों के लिये जनमत कराने का विचार किया है ?

**श्री क० लकप्पा :** नहीं ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है ।

**श्री नारायण दांडेकर :** क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जैसा कि मैंने बताया है, सारा मामला विचाराधीन है। बहुत कहें तो आपके सुझाव पर भी विचार किया जा सकता है।

**श्री जे० एच० पटेल** : (कन्नड़ भाषा में बोले)

**अध्यक्ष महोदय** : विवाद मैसूर तथा महाराष्ट्र के मध्य है। यदि आप इस भाषा में बोलते हैं तो सब लोग नहीं समझ सकेंगे।

**श्री जे० एच० पटेल** : (कन्नड़ भाषा में बोले)

**श्री एस० एम० पटेल** : क्या मैं इसका अनुवाद कर सकता हूं?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं स्वयं इसे समझ चुका हूं। कोई क्यों इसका अनुवाद करे? आपका प्रश्न था कि जब कच्छ निर्णय स्वीकार कर लिया गया तो महाजन निर्णय भी क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता अब आप दोनों बैठ जायें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**Shri Madhu Limaye:** Will there be no answer to this question?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

**भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाओं का पुनः चालू किया जाना**

*274. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवा को पुनः चालू किये जाने के प्रश्न पर पाकिस्तान से फिर विचार-विमर्श किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)**: (क) और (ख). भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच सिविल विमान सेवाओं को तुरन्त पुनः आरम्भ करने के लिए बातचीत प्रारम्भ करने के अपने प्रस्ताव को राजनयिक माध्यम से दुहराया है। लेकिन, पाकिस्तान सरकार से अभी कोई उभर नहीं मिला है।

**अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) की गतिविधियां**

275. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री नम्बियार :**
**श्री प० गोपालन :** **श्री उमानाथ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० माल्डर के "सी० आई० ए० हूज-हू" नामक प्रकाशन की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि "सी० आई० ए०" द्वारा स्टेट डिपार्टमेंट और अमरीकी विदेश सेवा तथा अभिकरणों, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, शान्ति दल, अमरीकी

शिक्षा विनिमय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीकी मिशन को कहां-कहां और किस प्रकार से गुप्तचर सेवा के प्रयोजन से काम में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त अभिकरणों और मिशनों की कार्य-विधियों के बारे में कोई जांच पड़ताल की है; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष हैं, और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग). सरकार ने "सी० आई० ए० हूज-हू" प्रकाशन के सम्बन्ध में समाचार देखा है। पुस्तक की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। तथापि, हमारे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेंसी, यू० एस० एजूकेशन एक्सचेंज, या भारत में शान्ति दल का सी० आई०ए० द्वारा गुप्त सेवा कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है।

## प्रदेशवाद

*276. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री ना० स्व० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि प्रदेशवाद के बारे में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् के निर्णय के परिणामस्वरूप विघटन होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) मैसूर के मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा था कि परिषद् के निर्णय के परिणामस्वरूप विघटन होगा। फिर भी उन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि प्रस्तावित भाषायी सीमा-विवाद पर विचार करने के लिए नियमित संस्थान की नियुक्ति से अन्तर्राज्यीय सीमाओं के बारे में नये दावे और पेतिदावे उत्पन्न हो सकते हैं।

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने मैसूर के मुख्य मंत्री जिसके एक सदस्य हैं क्षेत्रीय विषयों की समिति की यह सिफारिश स्वीकार की है कि भाषायी सीमावर्त्ती मामले को शीघ्र निपटाने के लिए सारे देश पर लागू होने वाले एक समान सामान्य सिद्धांत निर्धारित किये जाने चाहियें और एक संस्थान स्थापित किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

## तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वाले पाकिस्तानियों की जम्मू तथा काश्मीर में गतिविधियां

*277. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में वहां के राष्ट्र-विरोधी लोगों की सांठ-गांठ से तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के लिये पाकिस्तानी षड्यंत्रकारियों ने इस राज्य में युद्ध-विराम रेखा के साथ-साथ शिविर लगा रखे हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि छापामार युद्ध प्रणाली के चीनी विशेषज्ञ इन शिविरों के प्रभारी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग). यह सुज्ञात है कि पाकिस्तान वर्षों से अपने क्षेत्र में और जम्मू व काश्मीर राज्य के भाग में जिस पर इसका अवैध कब्ज़ा है राज्य में तोड़-फोड़ और विनाश करने की तैयारियों में जुटा रहा है। सरकार सतर्कता बरत रही है और सभी सम्भावी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार है। इससे अधिक सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

## भारतीय विद्यार्थियों का विदेशों में बसना

278. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा विश्व के अन्य उन्नत देशों में उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिये जाने वाले विद्यार्थियों में से लगभग तीस प्रतिशत विद्यार्थी वहां पर स्थायी रूप से बसने का प्रयत्न करते हैं और वे वापस भारत नहीं लौटते हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि कितने प्रतिभाशाली विद्यार्थी भारत से बाहर जाकर बस गये हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा करने का है जिनके कारण विदेश जाने वाले विद्यार्थी भारत में वापस आने को लालायित रहें ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) अमरीका की एक कांग्रेस संबंधी उप-समिति के सम्मुख पेश किये गये तथ्यों के आधार पर 1967 में 1425 भारतीय अमरीका में आव्रजक बन गये थे। यह उन भारतीयों का लगभग पांचवां भाग है जो सम्भवतः 1967 के शुरू में अमरीका में अध्ययन अथवा अनुसंधान कर रहे थे अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

अन्य उन्नत देशों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) कितने प्रतिभाशाली विद्यार्थी भारत से बाहर जा कर बस गये हैं उनकी स्थिति और इसके कारण का मूल्यांकन करने तथा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1563/68]।

## गिलगित सिकियांग सड़क

279. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
**श्री रवि राय** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शेख अब्दुल्ला के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गिलगित-सिकियांग सड़क बनाने के बारे में पाकिस्तान और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसमें उन्हें कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई देती; और

(ख) यदि हां, तो उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण शेख के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) गिलगित–सिंकियांग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, इस बारे में विभिन्न रिपोर्टें हैं। बताया जाता है कि उसने कहा कि चूंकि यह मार्ग व्यापार तथा संचार के लिये है, कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के यथार्थतः अधिकार में है और कि उसका चीन के साथ समझौता अन्तिम है, अतएव सड़क का निर्माण आपत्ति जनक नहीं है। बाद की एक समाचार-पत्र की सूचना के अनुसार शेख अब्दुल्ला ने कहा कि उसे सही रूप में उद्धृत नहीं किया गया है और चूंकि यह पाकिस्तान के यथार्थतः नियंत्रण में है और पाकिस्तान द्वारा कोई समझौता केवल अनन्तिम ही हो सकता है, उसने अपनी असमर्थता प्रकट की थी।

(ख) शेख अब्दुल्ला के कथित वक्तव्य आपत्तिजनक थे क्योंकि इनमें इस तथ्य को ओझल किया गया कि इस सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में समझौता हमारी प्रभुता का अतिलंघन करता है और अवैध है। फिर भी सरकार के विचार में इन वक्तव्यों के सम्बन्ध में शेख अदुल्ला के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

**दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन**

*280. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राजाओं को मिली कानूनी छूट को समाप्त करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख) सिद्धांत रूप में सरकार ने भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां और विशेषाधिकार समाप्त करने का सामान्य निर्णय लिया है, किन्तु ब्यौरा अभी तय किया जाना है। विचाराधीन प्रस्तावों में से एक यह है कि व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता की धारा 87–ख और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197–क जो शासकों को विशेष दर्जा देती है संशोधित की जाए। अन्य ब्योरों के साथ यह प्रश्न भी तय किया जाएगा।

**दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता**

*281. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री 19 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने उस बीच में दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 पर विधि आयोग के प्रतिवेदन की पहली किश्त, जिसका सम्बन्ध भाग I से V तक है, प्राप्त हो गई है, चूंकि पुनर्गठित विधि आयोग संहिता के अन्य भागों की जांच कर रहा है, शेष भागों पर इसकी सिफारिशों से संहिता के पहले पांच भागों के सम्बन्ध में पहले से ही आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रभाव पड़ सकता है इसलिए ऐसा विचार है कि इस समय संहिता के अन्य भागों पर आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जाय और सम्पूर्ण संहिता के सम्बन्ध में विधान बनाने के लिए उसके सुझावों पर विचार किया जाय। विधि आयोग भारतीय दण्ड संहिता के संशोधन के प्रश्न की जांच कर रहा है।

**सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों की गैर-सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध**

*282. **श्री चपला कांत भट्टाचार्य :**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त सिविल कर्मचारियों पर गैर-सरकारी क्षेत्र में नियोजन सम्बन्धी इस समय लागू प्रतिबन्धों को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में नियोजन पर भी लागू करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

**Merger of Scientific Research and Cultural Affairs with Education Ministry**

*283. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs had been merged with the Ministry of Education on the 21st November, 1963;

(b) if so, whether it is also a fact that the employees and the officers who were working in the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs prior to the above date have been given the benefit of their past services and their services have been treated as continuous in the Ministry of Education on the same posts which they were holding previously; and

(c) if so, whether this rule has been made applicable in respect of all posts.

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** Reply to parts (a), (b) and (c) is in the affirmative.

**Change in Names of Andaman and Nicobar Islands**

*284. **Shri Bal Raj Madhok:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration the proposal to name the Andaman and Nicobar Islands as Savarkar and Parmanand Dweep; and (b) if so, the decision taken by Government in this regard?

**The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

---

**बम्बई पत्तन में खाद्यान्न तथा उर्वरक लाने वाले पोतों को रोकना**

285. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
**श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन में खाद्यान्नों और उर्वरकों से लादे हुए बहुत से जहाजों से माल नहीं उतारा गया है और वे वहां पर मई, 1968 के मध्य से खड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कारण कितना बिलम्ब शुल्क देना पड़ेगा ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) 15 मई 1968 को खाद्यान्न के पांच और उर्वरक के चार को बम्बई पत्तन पर माल उतारने के लिए ठहरे हुए थे। इन सारे पोतों से माल 28 जून, 1968 तक उतारा गया था।

(ख) मुख्य कारण एक थे—उर्वरकों का अधिक संख्या में आना, वर्षा के कारण काम में बाधा पड़ना, मौसम के कारण श्रमिकों की कमी, कुछ जहाजों में टूटे टूटे माल का होना जिसके कारण माल उतारने की गति धीमी रही।

(ग) उल्लिखित जहाजों पर लिया जाने वाला वास्तविक शुल्क तब ज्ञात होगा जब वाशिंगटन और लन्दन पर के हमारे सप्लाई मिशनों द्वारा इन जहाजों की समय शीटें अन्तिम रूप से तैयार की जायेंगी :।

**शिक्षा-संस्थाओं के युवकों के लिये एकीकृत राष्ट्रीय कार्य-क्रम**

*286. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की शिक्षा संस्थाओं के युवकों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय कार्य क्रम के महत्व और आवश्यकता को स्वीकार करती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय छात्र सेना तथा सहायक छात्र सेना इत्यादि योजनाओं के कार्य संचालन की प्रतिवर्ष समीक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार संतुष्ट है कि इन योजनाओं से अपेक्षित लाभ हो रहा है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी हां।

(ख) जब भी आवश्यक समझा जाता है, योजना पर पुनर्विचार किया जाता है। सरकार ने कुंजरू समिति की सिफारिशों पर सहायक छात्र सेना दल (आग्जिनियरी क्रैडिट कोर), राष्ट्रीय अनुशासन योजना तथा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को मिला कर राष्ट्रीय फिटनैस कोर शुरू की थी। नैशनल फिटनैस कोर का कार्यक्रम स्कूलों में चलाया जाता है।

(ख) जी हां।

**Collection of Gold in Rajasthan**

*287. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an order vide No. S.O. 5306|F.D.|65, dated the 10th December, 1965 was issued in the name of District Magistrate, Chittorgarh by the Secretary (Finance Department), Government of Rajasthan, Jaipur for collecting gold in order to weigh the late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri against gold;

(b) whether it is also a fact that the District Magistrate, Chittorgarh deposited 56 kilograms and 863 grams of gold in the District Treasury, Chittorgarh on the 16th December, 1965 in compliance with the said order and the receipt was handed over to Shri Ganpat Lal;

(c) whether Government propose to lay a copy of the order of the Finance Secretary on the Table of the House; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y B. Chavan):** (a) Yes, Sir. The Finance Secretary, Government of Rajasthan, has written on 10th December 1965, to the Collector, Chittorgarh, requesting him to accept and deposit in the Treasury, after proper counting and weighing, the gold offered as contribution equal to the weight of the late Prime Minister when he visits Chhoti Sadri:

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) This is a State Government communication to one of its officers and the substance of it has been conveyed in the answer to clause (a).

**Hindi Number Plates of Cars**

*288. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Police have challaned the cars bearing number plates in Hindi in the Capital;

(b) whether this action of Police is not contrary to Government's language policy; and

(c) whether Government propose to make its policy clear so that the Police may not harass the people unnecessarily?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Motor Vehicles Act, as at present, requires that number plates on motor vehicles should be in Roman letters and international form of Indian numerals. The question as to whether this provision should be amended in any way is under the active consideration of the Government.

**Publication of Booklets on Tourism in English and European Languages**

*289. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Tourism Department has published not a single booklet regarding tourism in Hindi or in any other Indian language;

(b) whether it is also a fact that all the booklets on tourism are published in English and other European languages;

(c) if so, the reasons for which this policy of discrimination has been adopted in regard to Hindi as well as all other Indian languages and the persons responsible therefor;

(d) whether Government propose to take action against them; and

(e) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** (a) to (c). In November, 1962 when drastic economy cuts were made on account of the Chinese aggression and the declaration of Emergency that followed, it was decided that the Central Government should restrict its programme of production of publicity materials to those required in the international field to attract foreign tourists, leaving it to the State Governments to produce materials in the Indian languages for the home tourists. Since then the Tourist Department of the Government of India have been producing publicity materials in English and other European languages.

(d) and (e). Do not arise.

**मद्रास-सिंगापुर नौवहन सेवा**

290. **श्री सम्बन्धन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और सिंगापुर के बीच चलने वाले जहाजों में यात्रियों को उपलब्ध सेवाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को इन जहाजों में यात्रियों के लिये कम सुविधाओं के बारे में अभ्यावेदन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) और (घ). जी हां, इन स्टीमरों में कम सुविधाओं के बारे में शिकायतें मिली हैं । जो शिकायतें दूर की जा सकती हैं वे दूर की जाती हैं । इस मार्ग पर चलने वाले पोत पुराने हैं और उनमें आधुनिक सुविधायें और आराम की व्यवस्था नहीं की जा सकती ।

भारत के शिपिंग कारपोरेशन के पास एक नये पोत के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें सब जरूरी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था होगी। निगम सिंगापुर के लिये डेक टिकट जारी करने के बारे में कार्यप्रणाली के पुनरीक्षण किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

**बेरोजगार इंजीनियरों के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की उपपत्तियां**

291. **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री अंबुचेजियान :**
**श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये व्यापक अध्ययन से पता लगा है कि देश में 37,500 इंजीनियर बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन प्रतिवेदन में अन्य क्या बातें कही गई हैं;

(ग) उनको नौकरी देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस वर्ष इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले को सीमित रखने के अनुदेश दिये हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) अनुमान लगाया गया था कि अप्रैल, 1968 में लगभग 37,500 बेरोजगार इंजीनियर थे।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1564/68**]

(घ) जी हां। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस आशय का सुझाव दिया है कि इंजीनियरी कालेजों के दाखिले की क्षमता का पुनरीक्षण करना चाहिए और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार ही दाखिलों को सीमित कर देना चाहिए, ताकि स्तर कायम रखे जा सकें।

**Commission for Scientific and Technical Terminology**

†*292. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the production and publication of standard works at the University level is being handled at present by the Commission for Scientific and Technical Terminology under his Ministry;

(b) if so, whether this work will continue to be done by the Commission in future also; and

(c) if not, the name of the body which will undertake this work and the details of alternative work which will be entrusted to the said Commission?

**The Minister of State for Education (Prof. Sher Singh):** (a) Yes, Sir.

(b) What will be the future responsibility of the Commission in producing books of University level is under consideration;

(c) There is no question of any single organisation other than the Coming books of University level is under consideration.

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ की प्रयोगशाला द्वारा एक प्रकाशन आरम्भ किया जाना**

*293. **श्री भगवान दास ।**
**श्री अब्राहम :**
**श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की नेशनल बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ स्थित प्रयोगशाला ने हाल ही में 'प्लांट साइंस' नामक प्रकाशन निकालना आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लोक लेखा समिति (चतुर्थ लोक सभा) ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि बिना विशेषज्ञ समिति की अनुमति के कोई नयी पत्रिका प्रकाशित नहीं की जानी चाहिये;

(ग) क्या लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार 'प्लांट साइंस' को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पत्रिका का प्रकाशन क्यों आरम्भ किया गया था ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणा सेन)** : (क) नेशनल बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ ने हाल ही में "टेकनीकल कम्यूनिकेशन, नेशनल बोटेनिक गार्डन्स, लखनऊ" नामक प्रकाशन निकाला है न कि "प्लांट साइंस"।

(ख) जी नहीं। लोक लेखा समिति (चौथी लोक सभा) ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 41वीं रिपोर्ट (तीसरी लोक सभा) और 5वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में नियुक्त विशेष समितियों को अपना विचार विमर्श शीघ्र समाप्त कर लेना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रकाशन तथा मूल्य लगाने की नीतियों को सुदृढ़ तथा वास्तविक आधार पर लाया जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ की कार्यकारी परिषद् द्वारा अपनी 27 अक्तूबर, 1965 को हुई बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर प्रकाशन पर कार्य शुरू कर दिरा गया है।

## जहाज भाड़ा

**294. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठरी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बन्दरगाहों जैसे न्यूयार्क और लन्दन से एशियाई देशों के नौवहन मार्गों पर भाड़े के बारे में भारतीय बन्दरगाहों से भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य समुद्री मार्गों पर भाड़े और दूरियां कितनी हैं; और

(ग) ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव)** : (क) यह सत्य है कि नौवहन सम्मेलनों द्वारा एक ही वस्तु के लिये भारत में पश्चिमी पत्तनों जैसे न्यूयार्क लन्दन के लिये वनस्पति अन्य एशियायी और अफ्रीकी पत्तनों से उन्हीं गन्तव्य स्थानों तक के लिये गये भाड़े से अधिक भाड़ा लिये जाने के कई मामले हैं।

(ख) भाड़ा जांच बीरों को जिन भेद-भाव वाले भाड़े की दरों का पता चला है उनसे संबद्ध वस्तुओं/भाड़ा दूरी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1565/68]**

(ग) भाड़ा जांच बीरो स्वयं और ऐसे भेद-भाव पूर्ण भाड़े की दूरी के विशिष्ट घटनाओं के बारे में की मिली शिकायतों पर सम्बद्ध सम्मेलन से बातचीत करता है। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप जैसा कि सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण के अन्तिम कालम से ज्ञात होगा, कई मामलों में कम करने में सफलता मिली।

## आनन्द मार्ग

*295. **श्री बाबूराव पटेल :**
**श्री वि० नरसिम्हा राव :**
**श्री ज़ताफत अली खां :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

'क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई को रायपुर में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय को आनन्द मार्ग (एक सम्प्रदाय) के बारे में अप्रिय समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो आनन्द मार्ग प्रचारक संघ की कब और किसने स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहां है, इसके कुल सदस्य कितने हैं और भारत तथा भारत से बाहर इसकी शाखाएं कितनी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 5 मार्च, 1967 को पश्चिम बंगाल सरकार के स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बगलटा (पुरुलिया ज़िले में) जो अब आनन्दनगर के नाम से प्रसिद्ध है कुछ आनन्दमार्गियों पर हमला किया था;

(घ) इस हमले में कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने मारे गये और न्यायिक जांच ने क्या निर्णय दिया है ;

(ङ) क्या आनन्दमार्गियों का पाकिस्तान के साथ कोई सम्बन्ध है और यदि हां, तो उनकी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इसके कारण क्या हैं ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आनन्द मार्ग प्रचारक संघ श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था और 28-11-55 को पटना में प्रथम बार पंजीकृत किया गया । मार्ग के मुख्यालय आनन्द नगर पश्चिमी बंगाल के ज़िला पुरुलिया में ग्राम बगालता में स्थित है । इसके कुल सदस्यों और भारत में इसकी शाखाओं की संख्या के बारे में सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं । भारत के बाहर शाखाओं के बारे में भी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ङ) सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

**बड़े टैंकर ठहराने योग्य बनाने के लिये बड़ी बंदरगाहों का विकास**

**296. श्री स० कुण्डू** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी बन्दरगाहों के विकास के कार्य को पूरा कर दिया है ताकि उन्हें बड़े बड़े टैंकरों को ठहराने के योग्य बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बन्दरगाहों में कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या सरकार ने पारादीप बन्दरगाह पर इस उद्देश्य के लिये माल गोदी के निर्माण के लिये धन की मंजूरी दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव)** : (क) तथा (ख) विभिन्न पत्तनों पर इस बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

**कलकत्ता** में बजबज में 610 से 615 फुट तक की लम्बाई वाले टैंकर ठहराने के लिये गोदियों का विस्तार किया गया है । हल्दिया में तेल के लिये एक गोदी का निर्माण किया गया है तथा उसके शीघ्र ही चालू किये जाने की आशा है । गोदी में किसी भी लम्बाई के टैंकर आ सकेंगे परन्तु शुरू में 30 फुट डुबाव वाले तथा 1971 में आवश्यक कार्य पूरे होने के बाद 38 फुट डुबाव वाले टैंकर आ सकेंगे ।

**बम्बई** में समुद्री तेल टर्मिनल में एक गोदी में सुधार किया गया है ताकि 53,000 डी डब्ल्यु टी तथा 42 फुट डुबाव वाले टैंकर आ सकें ।

**मद्रास** में एक नया बाह्य पत्तन निर्माणाधीन है। इसमें तेल के एक बर्थ की व्यवस्था है जिसमें शुरू में 77,000 डी डब्ल्यु टी तथा अन्त में एक लाख डी डब्लयू टी क्षमता वाले टैंकर लाये जा सकेंगे। इस बर्थ के अप्रैल, 1969 तक तैयार हो जाने की आशा है।

**कोचीन** में तट से परे तक टर्मिनल के निर्माण की सम्भावना पर इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये सलाहकारों द्वारा विचार किया जा रहा है। इसमें कोचीन तेलशोधक कारखाने में गहरे अपरिष्कृत तेल लाने वाले अधिक डुबाव वाले टैंकर आ सकेंगे।

**विशाखापत्तनम** में अधिक से अधिक 33 फुट के डुबाव वाले 33,000 से 37,000 डी डब्ल्यू टी वाले टैंकरों के लिये सुविधायें पहले ही उपलब्ध हैं।

**मरमागोआ** में पत्तन के विकास कार्यक्रमों में 38 फुट डुबाव वाले टैंकरों के लिये एक नया तेल बर्थ स्थापित करने की व्यवस्था शामिल है। परियोजना की स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू हो जायेगा।

(ग) और (घ) पारादीप में एक सामान्य मालगोदी बनाने के लिये प्राक्कलन की परीक्षा की जा रही है। इस गोदी के बनाने के लिये 1968-69 में पारादीप पत्तन के वार्षिक योजना कार्यक्रम में 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### टी० यू० 134 रूसी विमानों के दिये जाने का प्रस्ताव

*297. **श्रीमती सुशीला गोपालन:**
**श्री वि० कु० मोडक:**
**श्री रमानी :**
**श्री मृत्युंजय प्रसाद :**
**श्री रामेश्वर सिंह :**
**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
**श्री वि० ना० शास्त्री :**
**श्री रा० बरुआ :**

क्या **पर्यटन तथा उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्री की रूस की यात्रा के दौरान सोवियत एवियेशन एक्सपोर्ट कम्पनी के चेयरमैन ने भारतीय परम्परागत वस्तुओं के बदले में टी० यू० 134 विमान सप्लाई करने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े को बढ़ाने के लिये नये विमान, जिनमें टी० यू० 134 विमान भी सम्मिलित हैं, प्राप्त करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

### चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े पत्तनों का विकास

298. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े पत्तनों के विकास और उनको आधुनिक रूप देने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्तावों पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)**: (क) जी, नहीं । बड़े पत्तनों के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**Facilities for Pilgrims/Tourists at Budrinath and Rishikesh**

*299. **Shri Shardanand:**
**Shri Onkar Singh:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at Badrinath, arrangements exist for the stay of only 500 pilgrims or tourists whereas 1,000 persons come to visit that place daily during the pilgrims period;

(b) whether five persons have died there this season due to exposure;

(c) whether it is also a fact that nearly 15,000 pilgrims had to experience great difficulty due to lack of adequate transport arrangement at Rishikesh during the pilgrimage period; and

(d) if so, the action taken so far by Government against the officials responsible for such a situation and the steps taken to avoid recurrence of such incidents in future?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)**: (a) It has been reported that about a thousand pilgrims can be accommodated at Badrinath. Existing accommodation, however, fell far short as there has been an unprecedented rush of pilgrims to the shrine this year.

(b) No report about anybody dying on account of exposure during the pilgrim season this year has been received.

(c) and (d). About 12,000 pilgrims are estimated to have been stranded at Rishikesh during the pilgrim season this year as the transport arrangements available then could cater for only 2,000 pilgrims daily, while 4,000 pilgrims are estimated to have arrived daily. The Transport Commissioner, Uttar Pradesh visited Rishikesh and the rush was cleared in about eight days by increasing the number of buses and their seating capacity and also by diverting buses from other regions. There is, therefore, no question of taking any action against any one in this case.

The Uttar Pradesh Government have arrangements in hand for putting more buses on the pilgrim route and do divert traffic along other routes.

**मद्रास में रामानुजन स्मारक प्रतिष्ठान**

300. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्रास में हाल ही में रामानुजन स्मारक प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या भारत के महान गणित शास्त्री श्रीनिवास रामानुजन की रचनाओं तथा गणित शास्त्र को लोकप्रिय बनाने तथा उसका विकास करने के लिये प्रतिष्ठान के उद्देश्य में सहायता देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) रामानुजन के ऋण से देश को उऋण कराने के लिये सरकार द्वारा अपनी ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) मद्रास के रामानुजन स्मारक प्रतिष्ठान की स्थापना के बारे में सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है परन्तु पूर्ण ब्योरा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जब प्रतिष्ठान सहायता के लिये आवेदन पत्र देगा तो प्रस्ताव पर उसके गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(ग) 1953-54 तथा 1954-55 में अशोक धर्मार्थ न्यास द्वारा स्थापित रामानुजन गणित संस्थान में गणित के प्राध्यापक के लिये अनुदान दिया था । बाद में जब संस्था मद्रास विश्वविद्यालय के नियंत्रण में चली गई, तो केन्द्रीय सरकार ने 1957–60 के लिये सहायता जारी रखी । 1960 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संस्थान के लिये विश्वविद्यालय की सहायता करता रहा है । यह संस्थान अब गणित में अग्रेतर अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय केन्द्र का अंग है ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### विदेशों में भारतीय कला एवं संस्कृति संबंधी प्रदर्शनी

2240. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विदेशों में भारतीय कला एवं संस्कृति सम्बन्धी कितनी प्रदर्शनियों का और किन-किन नगरों में आयोजन किया गया, प्रत्येक प्रदर्शनी किस तारीख को तथा कितने समय तक रही और प्रत्येक प्रदर्शनी पर कितना खर्च हुआ था ;

(ख) प्रदर्शनी में किस प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया और उनकी यदि बिक्री हुई तो कितनी ;

(ग) प्रदर्शनी के सम्बन्ध में कितने लोगों ने विदेश यात्रा की तथा उनके नाम क्या हैं और उनके निवास, भोजन तथा विमान के किराये पर कितनी राशि खर्च हुई तथा उसमें से विदेशी मुद्रा कितनी थी ; और

(घ) इन प्रदर्शनियों के फलस्वरूप क्या लाभ हुआ ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 1566/68]

(घ) प्रश्नाधीन अवधि में भारत ने कुछ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनियों में भाग लिया था । इन प्रदर्शनियों में प्राचीन और समकालीन भारतीय कला के बहुत से नमूने बहुत से देशों के नागरिकों को दिखाये गये थे । प्लास्टिक कलाओं के जरिये सीधा सम्पर्क स्थापित करने से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय कला नक्शे में रखने में और प्राचीन और समकालीन दोनों प्रकार की भारतीय संस्कृति के मूल्यांकन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भाग अदा किया है । सहगामी कलाकारों ने अपने प्रतिरूपों के साथ विचार-विनिमय किया और जिन देशों का उन्होंने दौरा किया वहां के प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र के विकास और सुझावों का अध्ययन करके मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया ।

## भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

2241. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को चलाने के लिये पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितना व्यय हुआ है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में "इण्डो-एशियन कल्चर" (अंग्रेजी), "थाकुआफत-उल-हिन्द" (अरबी) और "इण्डो-इरानिका" (फारसी और अंग्रेजी) त्रैमासिक पत्रिकाओं की कितनी-कितनी प्रतियां प्रकाशित हुईं, कितनी-कितनी प्रतियां बिकीं और उनके प्रकाशन पर कुल कितनी लागत आई;

(ग) पिछले पांच वर्षों में, इस परिषद् द्वारा कौन कौन सी दुर्लभ पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों का प्रकाशन किया गया तथा उनके प्रकाशन पर कुल कितनी लागत आई ;

(घ) पिछले पांच वर्षों में कितने विद्वान तथा विद्यार्थी विदेशों से हमारे देश में आये तथा कितने यहां से दूसरे देशों में गये, उनके नाम क्या हैं तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर कुल कितना खर्च हुआ है ; और

(ङ) इस परिषद् तथा इसकी गतिविधियों से वस्तुतः कितना लाभ हुआ है ; और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को चलाने के लिये पिछले पांच वर्षों का वार्षिक खर्च नीचे दिया गया है :—

| | रुपये |
|---|---|
| 1963–64 | 10,98,422 |
| 1964–65 | 13,08,072 |
| 1965–66 | 15,31,541 |
| 1966–67 | 17,20,181 |
| 1967–68 | 17,63,052 |

(ख) विवरण संलग्न है (अनुबन्ध I)

(ग) पिछले पांच वर्षों में कोई दुर्लभ पुस्तक अथवा पांडुलिपि प्रकाशित नहीं की गई ।

(घ) विवरण संलग्न है (अनुबन्ध II, III और IV).

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 1566/68]

(ङ) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् विदेशों में भारतीय संस्कृति को दर्शाने तथा अन्य देशों की संस्कृति सम्बन्धी ज्ञान को भारत में प्रचार करने का कार्य कर रही है । सांस्कृतिक सम्बन्धों का उद्देश्य अनिवार्यतः दूरदर्शी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से अनुकूल जनमत पैदा करके तथा सम्बन्धित देशों में हमारे जीवन और संस्कृति तथा विचारों को समझ कर उन से लाभ उठाया जा सकता है । भारत को समझने के लिये कुछ नये क्षेत्र बनाने के लिये, परिषद ने धीरे-धीरे अपना कार्यकलापों का क्षेत्र विस्तृत किया है ।

**राज्यों को पुरातत्वीय सर्वेक्षण का एक एकक बनाना**

2242. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में पुरातत्वीय सर्वेक्षण के लिये एक सर्किल होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसूर राज्य में ऐसा कोई सर्किल नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि व्हीलर समिति ने मैसूर के लिये एक मध्य-दक्षिण सर्किल बनाने की सिफारिश की है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; और

(च) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) किसी सर्किल का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार प्रशासनिक आवश्यकताओं, स्मारकों की संख्या तथा भौगोलिक समीपता पर आधारित है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का मसौदा तैयार करने के लिये सम्पादक बोर्ड**

2243. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पादक बोर्ड द्वारा नियुक्त निदेशक ने जिसे भारत में स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास का मसौदा तैयार करना था, समय पर और उसे दी गयी हिदायतों के अनुसार अपना कार्य किया था ;

(ख) क्या सम्पादक बोर्ड ने वर्ष 1954 में अहमदाबाद में अपनी बैठक में इसकी रूपरेखा की मंजूरी दी थी;

(ग) यदि हां, तो 1955 के अन्त में सम्पादक बोर्ड भंग करने के मूल कारण क्या हैं; और

(घ) कैसे, कब और किन मूल कारणों से स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास लिखने का कार्य डा० ताराचन्द को दिया गया था ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) निदेशक ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का मसौदा समय पर तैयार कर लिया था लेकिन मसौदे को सम्पादक बोर्ड की स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि वह बोर्ड की हिदायतों के अनुसार तैयार

नहीं किया गया था। इसने स्वतन्त्रता संग्राम को समेकित राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं माना था और उसने विभिन्न सामाजिक दलों के कार्य और पारस्परिक कार्य को इसमें शामिल नहीं किया था।

(ख) जी हां। इसकी रूपरेखा स्वीकार कर ली गई थी। सम्पादक बोर्ड के कुछ सदस्यों ने सभा में निदेशक द्वारा तैयार किये गये मसौदे के स्तर के बारे में शंका व्यक्त की थी।

(ग) सम्पादक बोर्ड को भंग करने का मुख्य कारण यह था कि जब 1955 की मध्यावधि तक के बोर्ड के कार्य का पुनर्विलोकन किया गया तो यह अनुभव किया गया था कि आन्दोलन के इतिहास संकलन के कार्य को किसी एक बोर्ड को सौंपने के स्थान पर एक विद्वान को सौंपना उचित होगा और संग्रह कार्य और लेखन कार्य को अलग रखा जाना चाहिये।

(घ) भाग (ग) के उत्तर में दिये गये कारणों से ही भारत स्वतन्त्रता संग्राम के संकलन का कार्य डा० तारा चन्द जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और जिन्हें भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के सामान्य समीक्षक के रूप में अच्छी जानकारी है, को नवम्बर, 1957 में सौंपा गया था।

**भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास**

**2244. श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'भारत स्वतन्त्रता संग्राम' का इतिहास के खण्ड एक का स्तर गिरा हुआ होने तथा उसम कई तथ्य सम्बन्धी भूलें होने के कारण हमारी काफी आलोचना हुई है ;

(ख) क्या खण्ड दो के स्तर में सुधार करने के लिये डा० ताराचन्द की सहायता के लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी;

(ग) क्या विशेषज्ञों की सहायता के बावजूद भी इतिहास का दूसरा खण्ड तथ्य सम्बन्धी भूलें तथा मनमाने निर्णयों के कारण दूषित हो गया है ;

(घ) यदि हां तो, क्या सरकार का विचार इन दोनों खण्डों के सम्पादक के लिये एक सम्पादक बोर्ड नियुक्त करने का है जिससे तथ्य सम्बन्धी भूलें और पूर्व धारणायें हटाई जा सकें ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी, नहीं। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही समीक्षा की गई थीं। लेखक द्वारा की गई व्याख्या की आलोचना की गई थी। किसी भी वास्तविक गलती का उल्लेख नहीं किया गया था लेकिन कुछ छपाई में हुई गलतियों का उल्लेख किया गया था जिन्हें दुबारा छापते समय ठीक कर दिया गया था।

(ख) प्रथम खंड के प्रकाशित होने के पश्चात् एक तदर्थ मंत्रणा समिति की नियुक्ति की गई थी जिससे डा० ताराचन्द मंत्रणा ले सकते थे।

(ग) मंत्राणा समिति ने डा० ताराचंद द्वारा तैयार किये गये खंड 2 को स्वीकृति दे दी थी। यह खंड 1967 में प्रकाशित हुआ। इस बारे में अभी तक पांच या छः समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं। उनमें से आधी समीक्षाओं में इसे एक महत्वपूर्ण अंशदान माना है। केवल दो में इसके विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं लेकिन किसी वास्तविक गलती का उल्लेख नहीं किया गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**पोर्ट ब्लेयर में सूखी गोदी**

2245. **श्री य०अ० प्रसाद** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर में जहाजों की मरम्मत के लिये एक निर्जल गोदी और नौवहन पथ (शिपवेज) के निर्माण के लिये एक वृहद् योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या पत्तन सुविधाओं का विकास करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा और उस पर कुल कितना व्यय होगा?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) पोर्ट ब्लेयर में पोतों के लिये मरम्मत सुविधाओं के विकास के लिये जैसे स्लिपवे, फिंगरजेटी, सूखी गोदी और यात्री तथा माल शेड के लिये मास्टर योजना तैयार की जा रही है।

(ख) जो मास्टर योजना तैयार की जा रही है उसमें पर्याप्त पत्तन सुविधाओं के विकास करने की व्यवस्था है।

(ग) मास्टर योजना के 1968 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है और उस समय तक तुरन्त अपेक्षित सुविधाओं पर उद्व्यय का भी हिसाब कर लिया जायेगा।

**बम्बई पत्तन में चोरी तथा उठाईगीरी**

2246. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंबई पत्तन न्यास की विभिन्न गोदियों में से पिछले तीन वर्षों में कितनी चोरी तथा उठाईगीरी की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि केवल बंबई गोदी से ही प्रतिदिन एक लाख रुपये से अधिक की चोरी होती है;

(ग) सामान्यतः किन किन वस्तुओं की चोरी तथा उठाईगीरी होती है;

(घ) क्या यह सच है कि शेडों के बाहर बने पिंजरों से भी चोरी होती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या सरकार समूचे मामले की जांच करने तथा उक्त बुराई का सामना करने के लिये उपायों की सिफारिश करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने के औचित्य पर विचार करेगी ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)**: (क) चोरियों की संख्याएं, चुराये गये माल का मूल्य और बरामद किये माल के मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

| वर्ष | चोरियों की संख्या | मूल्य | बरामद की गयी राशि |
|---|---|---|---|
| 1965-66 | 446 | 7,05,602 | 6,00,411 |
| 1966-67 | 398 | 6,42,501 | 5,68,101 |
| 1967-68 | 428 | 8,22,771 | 6,49,717 |

(ख) जी, नहीं।

(ग) साधारणत: जिस माल की चोरी की जाती है वह हैं "बाल बियरिंग" साईकल और मोटर के सहायक पुर्जे, बिजली का सामान, "डाइज" और रेग, "नाइलोन कोन" और "बाबिनस" रेडियो के अंग और स्टेवलेस इस्पात की शीटें। नापने की औजारों और प्रेसर गाजों की भी बार-बार चोरी होती है।

(घ) ट्रांजिट शेडों और गोदामों में कुछ लाकफास्ट हैं जिनमें सुपुर्दगी होने तक बहुमूल्य सामान को रखा जाता है। थोड़े से मामले ऐसे हुए हैं जिनमें उठाईगीरों ने अपने आपको इन ट्रांजिट शडों और गोदामों के बन्द होने पर उनमें चट्टों में लगे माल में छुपा दिया था और इन लाकफास्टों के पड़े कुछ माल को चुरा लिया। परन्तु अधिकांश मामलों में माल बरामद कर लिया गया और अपराधियों को सजा दी गयी है।

(ङ) प्रत्येक शेड का एक शेड अधीक्षक होता है जिसकी प्रत्येक पारी में बदली होती रहती है। प्रत्येक शेड और गोदाम पर वाच और वार्ड के कर्मचारी और राज्य पुलि के सिपाही तैनात किये जाते हैं जिससे चोरी जाने से माल की रक्षा हो सके और ये कर्मचारी भी बारी-बारी से पारियों पर बदलते रहते हैं। चूंकि यह निश्चित करना कठिन है कि ठीक किस समय चोरी हुई है अत: कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग या दल को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराना संभव नहीं है। तथापि पत्तन ट्रस्ट इस विषय की बंबई के पुलिस उपायुक्त (पत्तन) की सलाह से आगे जांच कर रहा है।

(च) पत्तन अधिकारी इस समस्या से पूर्णत: सतर्क हैं और उन्होंने सुरक्षा के उपायों को पहले ही कड़ा कर दिया है। अत: सरकार का इस प्रयोजन के लिए कोई समिति स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया बड़े पत्तनों पर का आयोग बड़े पत्तनों के कार्यचालन के प्रत्येक पहलुओं की जांच कर रहा है।

## बम्बई पत्तन न्यास

2247. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातकर्ताओं द्वारा माल के कम प्राप्त किये जाने के परिणामस्वरूप बम्बई पत्तन न्यास को कितनी राशि के दावे पेश किये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पिछल तीन वर्षों में आयातकर्ताओं द्वारा पेश किये गये हजारों दावे इस आधार पर बम्बई पत्तन न्यास ने अस्वीकृत कर दिये थे कि उसके साथ सभी दस्तावेज विशेषत: सीमाशुल्क विभाग द्वारा दिये गये निरोध-प्रमाणपत्र ठीक समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये थे और यदि नहीं, तो ये दावे आमतौर पर और किन आधारों पर अस्वीकृत किये गये थे;

(ग) बम्बई पत्तन न्यास ने वर्ष 1966-67 में माल के कम पाये जाने के दावों के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया; और

(घ) आयातकर्ताओं को माल जल्दी छुड़ाने के लिये प्रेरित करने के हेतु बम्बई पत्तन न्यास ने क्या कार्यवाही की है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट दावों की संख्याओं के बारे में कोई हिसाब नहीं रखता जो उसे आयातकर्ताओं से मिलते हैं जिनमें आयातकर्ताओं द्वारा प्राप्त कमी के लिये अदायगी का दावा किया जाता है। फिर भी तथाकथित हानि या माल की क्षति के लिये बम्बई पोर्ट के विरुद्ध दायर किये गये दावों के बारे में नीचे सूचना दी जाती है :—

| वर्ष | दावों की संख्या | मूल्य (रुपये) |
|---|---|---|
| 1965-66 | 40 | 6,90,965.49 |
| 1966-67 | 72 | 8,08,237.53 |
| 1967-68 | 136 | 19,70,526.13 |

(ख) यह ठीक है कि अधिकांश दावे पिछले तीन वर्षों में माल में कमी के आधार पर किये गये थे। किन्तु यह ठीक नहीं है कि चूंकि वे सब डाकूमेंटों के साथ विशेषकर कस्टम द्वारा दिये हुए डिटेनशन सर्टिफिकेट के साथ नहीं पेश किये गये थे इसलिये अस्वीकार कर दिये गये। कस्टम द्वारा जारी किया डिटेनशन सर्टिफिकेट आयातकर्ता की प्रार्थना के उस सहायता के लिये किया जाता है जो इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल फारमेलिटी के वास्तविक चालन के लिये कस्टम द्वारा माल के रोकने के आधार पर डेमरेज फीस हटा देने के लिये दिया जाता है। अत: इस सर्टिफिकेट का पेश करना गोदी से निकासी के पूर्व कम पाये गये माल के मूल्य का दावा करने के लिये युक्तिसंगत नहीं है। जहाँ तक कमी के दावों का सम्बन्ध है उन पर जाँच किये हुए तथ्यों के तथा बम्बई पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अधीन पोर्ट ट्रस्ट के अधिकार और देयता के संदर्भ में विचार किया जाता है।

(ग) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने कमी व क्षति के दावों को तय करने में औसतन 63903 रुपये की अदायगी की है। कमी के लिये अदा की हुई राशि बताई नहीं जा सकती क्योंकि इसका दित्ता अलग नहीं रखा जाता।

(घ) गोदी में भीड़ कम करने के लिये और आयातकर्ताओं द्वारा शीघ्र माल ले जाने के लिये बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने निम्न उपायों को अपनाया है :—

(1) वह सब माल जो पोत के "फ्री डे" के अन्तर्गत हटाया नहीं जाता है

वह पोत के "फ्री डे" की समाप्ति पर तुरन्त गोदियों में जमा माल गोदामों में ले जाया जाता है। जमा माल गोदामों में आने पर पैकेज पोत के अनुसार और भेजे जाने के अनुसार संभाल कर रख दिये जाते हैं जिसमें उन्हें पहुंचाये जाने में और ले जाये जाने में सुविधा हो और पोत की निकासी से हटाये जाने में शीघ्रता की जा सके।

(2) आने वाले पोत यात्रियों का साथ में न लाया जाने वाला सामान पर्याप्त मात्रा में लाते हैं। उनको हटाये जाने में समय की अवधि कम करने और माल के स्वामियों को अपना सामान पहुंचाने में सुविधा होने के लिये वह माल नम्बर जमा माल गोदाम अलेग्ज़ेन्ड्रा डाक में अलग भाग में हटा कर रख दिया जाता है, जहाँ कस्टम जाँच शुल्क का दिया जाना और पोर्ट ट्रस्ट प्रभार की अदायगी मौके पर ही करनी होती है।

(3) अलेग्जेन्ड्रा डाक में सब बड़े बर्थों में अलहदा कस्टम सेक्शन खोल दिये गये हैं जिसमें पहले डाक से दूर कस्टम हाऊस में की जाने वाली कार्य-वाहियाँ वहीं की जा सकें।

(4) उतरने, पोत में लादने और माल लिये जाने में शीघ्रता करने के लिये उपायों का सुझाव देने और विचार विमर्श करने के लिये एक सम्पर्क समिति बनाई गई है जिसमें कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट अधिकारी और नौवहन हितों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा पत्तन का डाक मैनेजर समय-समय पर सामान्य हितों के मामलों पर विचार विमर्श करने के लिये कस्टम हाऊस क्लियरिंग एजेन्ट असोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिलता रहता है।

(5) डाकर से डिलेवरी के घंटे 6 बजे संध्या तक कर दिये गये हैं जिससे माल की निकासी में शीघ्रता हो सके। इसी के साथ-साथ 8.30 सवेरे से 4 बजे संध्या तक पोर्ट ट्रस्ट प्रभारों के अधिनिर्धारण के लिये सुविधायें भी दी गई हैं।

(6) माल को शीघ्र निकालने के लिये समय-समय पर डेमरेज दर बढ़ाई जाती रही है।

(7) खाद्यान्न और रासायनिक खाद के लदान में शीघ्रता के लिये बलार्ड पियर स्टेशन प्लेटफार्म में रेलवे साईडिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है।

(8) न उठाये गये माल की नीलामी बिक्री रोक दी गई है।

(9) पोर्ट रेलवे विभाग इनवर्ड कवर्ड इमटीस के कोटा में वृद्धि के लिये ट्रंक रेल से निरन्तर सम्पर्क रखता है।

**फौजदारी अदालतों में भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा रिकार्ड में गड़बड़ करना**

**2248. श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मंत्री 28 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि दिल्ली की फौजदारी

अदालतों में भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा रिकार्ड में वास्तव में गड़बड़ की गई है;

(ख) क्या सरकार ने अब इन शिकायतों की जाँच कराई है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो संसद् से तथ्यों को छिपाने के क्या कारण थे और गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). केवल 25 मई, 1968 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। वह मामले में जाँच कर रहा है। अतः तथ्यों को छिपाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**Hindi Assistants in Central Secretariat**

**2249. Shri Hardayal Devgun:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the posts of Hindi Assistants in the Central Secretariat were categorised as Class II before 1967 but these have now been down-graded to Class III;

(b) whether it is also a fact that such of the Hindi Assistants as have been confirmed have been categorised as Class II;

(c) if so, whether some anomaly has arisen by categorising some of the Hindi Assistants who qualified in the U.P.S.C. examination in 1959 as Class II and the others as Class III; and

(d) if so, the action being taken by Government to remove this anomaly?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). There is no centralised cadre of Hindi Assistants. The posts were created by the Ministries|Departments themselves according to their needs and there was no uniformity in the classification of the posts either. In view of the scale of pay attached to the post and taking into account the general principles for classification of posts, it was decided in December, 1967, that the posts of Hindi Assistant should be classified as Class III posts and instructions were issued accordingly. Persons already confirmed in the Class II posts of Hindi Assistant have been allowed to retain Class II status as personal to them.

(c) and (d). With the issue of the orders of December, 1967, all posts of Hindi Assistant have been classified as Class III. Protection of status on a personal basis has been given only in respect of those who have already been confirmed in Class II posts. No anomaly is thus involved in the classification of posts of Hindi Assistant.

**पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारत पर चलचित्र**

**2250. श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने मैसर्स दुर्गा खोटे प्रोडक्शंज के प्रचार फिल्म एकक तथा अमरीका के मैसर्स कार्ल डडले प्रोडक्शंज को भारत पर चलचित्र बनाने को कहा है;

(ख) मध्य प्रदेश के किन-किन महत्वपूर्ण पर्यटक रुचि के स्थानों को उनके प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण चलचित्र में दिखाया जायेगा ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के सब से महत्वपूर्ण आकर्षक केन्द्र "शिकार" को भी चलचित्र में दिखाया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां । इस उद्देश्य के लिये मैसर्स दुर्गा खोटे प्रोडक्शंज को नियुक्त किया गया है । कार्ल डुडले ने भारत सम्बन्धी एक फिल्म तैयार की है, तथा पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये आतिथ्य के बदले वे, यदि सरकार चाहे तो, उस फिल्म की कापियां मूल लागत पर देने के लिए भी सहमत हो गये हैं ।

(ख) और (ग). देश में पर्यटन की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ साथ-मध्य प्रदेश भी फिल्म प्रोडक्शन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है । 1968-69 में फिल्म्स डिवीजन द्वारा, 'भारत के वन्य पशु' ('वाइल्ड लाइफ इन इंडिया') विषयक एक फिल्म तैयार की जानी है । यह फिल्म अन्य चीजों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के वन्य पशुओं को भी शामिल करेगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## सड़क कराधान जांच समिति का प्रतिवेदन

**2251. श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं, विशेष रूप से चुंगी तथा जांच पड़ताल चौकी के बारे में क्या कहा गया है और वे वाणिज्यिक यातायात पर कहां तक लागू होती है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)**: (क) सड़क परिवहन कराधान जांच समिति की चुंगी और जांच पड़ताल चौकियों से सम्बन्धित मुख्य सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं :—

(1) चुंगी (टरमिनल कर और टाल सहित) कराधान का एक तंग करने वाला और पुराना प्रकार है और जिन राज्यों में यह अभी वसूल किया जाता है वहां तुरन्त खत्म कर देना चाहिए ।

(2) चुंगी/टरमिनल करों के खत्म करने से जो राजस्व की हानि होगी वह अन्य तरीकों से जैसे बिक्री कर पर अधिभार नगर बिक्री कर, बिक्री करों पर अधिभार और नगर कुल बिक्री कर या इन सब को मिलाकर । समिति के अनुसार नगर कुल बिक्री कर औरों से अधिक अच्छा है । परन्तु यह राज्यों पर छोड़ देना चाहिए कि वह अपने अनुकूल वैकल्प वरण करे ।

(3) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम का अनुच्छेद 15 इस अधिनियम के अनुच्छेद 14 में दी गई घोषित वस्तुओं पर के बिक्री कर या खरीद कर की दर पर प्रतिबन्ध लगाता है । नगर बिक्री कर या नगर कुल बिक्री कर लगाने में इन प्रतिबन्धों को ढील दी जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को त्यागे बिना चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर राज्यों को नगर बिक्री कर या कुल बिक्री कर लगाने की आज्ञा दे सकती है ।

(4) राज्यों द्वारा स्थापित मौजूदा जांच पड़ताल चौकियां यातायात के आवागमन में बड़ी बाधा डालती है और यातायात को धीमा करती है । जांच पड़ताल चौकियों की प्रथा को पूरी तरह पुनर्गठित किया जाना चाहिए और जांच पड़ताल चौकियों की संख्या न्यूनतम कर देनी चाहिए। अनेक प्रकार की जांच पड़ताल चौकियों, जैसे बिक्री कर, परिवहन विभाग, पुलिस, मद्यनिषेध माल चोरी से लाना ले जाना, वन और सिविल सप्लाई विभागों की जांच को जांच पड़ताल चौकियों के विभाग में परिणित कर देना चाहिए जो विभिन्न सम्बद्ध विभागों की आवश्यकता पूरी करेगा ।

(5) इस प्रकार संयुक्त जांच पड़ताल चौकियों में टिकट वाले माप तोल पुल होने चाहिएं और वे पर्याप्त दूरी पर होने चाहिएं ।

(6) और अधिक जांच पड़ताल के लिए उड़न दस्तों की प्रथा बरती जाय और मोटर गाड़ी अपराधों का फैसला चलते फिरते न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए ।

समिति की कुछ अन्य मुख्य सिफारिशें निम्न हैं :—

(1) केन्द्र तथा राज्य के मोटर गाड़ी पर के कराधान का मौजूदा स्तर सड़क परिवहन उद्योग की उन्नति को हतोत्साह करते हैं । कुछ राहत दी जानी चाहिए या कम से कम कराधान की मौजूदा स्तर में परिवर्तन किया जाना चाहिए ।

(2) सम्पूर्ण देश के लिए मोटर गाड़ी कराधान के लिए एक रूप सिद्धान्त निश्चित करने वाला कानून संसद द्वारा बनाया जाना चाहिए ।

(3) यदि सड़कों और सड़क परिवहन द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास के दिये जाने वाले योगदान से देश को लाभ होना है तो सड़कों के विकास और देखभाल के लिये आजकल जितना धन आवंटित किया जाता है उससे अधिक धन आवंटित करने के अलावा और कोई चारा नहीं है ।

(4) "होम" राज्य से बाहर नियमित, अस्थायी या विशिष्टि परमिटों पर चलने वाली ठेके पर की गाड़ियों को जिन राज्यों से होकर वे गुजरती हैं उन्हें कोई अन्य कर या शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है ।

(5) माल बुक करने वाली एजेंसियों को नियमित किया जाना चाहिए और लाइसेंस प्रथा से उनका कारोबार नियंत्रित किया जाना चाहिए ।

(6) विकास छूट जो वापस ले ली गई है, को सड़क परिवहन जिसे कर राहत प्राप्त प्राथमिक उद्योगों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, के विस्तार के लिए पुनः चालू किया जाना चाहिए ।

(7) अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का पुनर्गठन एक पूर्णकालिक उच्च शक्ति वाले स्वतन्त्र संस्था के रूप में किया जाना चाहिए । इसे अन्तर्राज्यीय परिवहन के नियमन और कराधान के बारे में अतिरिक्त शक्ति होनी चाहिए ।

(ख) और (ग). समिति की सिफारिशों पर मध्य प्रदेश सरकार के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

**अध्यापकों का औसत वेतन**

2252. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निम्नलिखित वर्ग के एक अध्यापक को औसतन कितना वेतन मिलता है :

(1) प्राथमिक स्कूल का अध्यापक--

--शहरी स्कूल

--देहाती स्कूल

(2) माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूल का अध्यापक--

--शहरी स्कूल

--देहाती स्कूल

(3) कालेज स्तर के अध्यापक--

--गैर-सरकारी कालेज

--सरकारी कालेज

(4) तकनीकी कालेजों के प्राध्यापक--

--केन्द्रीय सरकार

--राज्य सरकार

(ख) उक्त श्रेणियों के आधार पर अध्यापकों को दी जाने वाली सुविधाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) पश्चिमी देशों में अध्यापकों को औसतन कितना वेतन तथा सुविधायें दी जाती हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि पश्चिमी देश स्कूल स्तर से उच्चतर शिक्षा के स्तर की अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का कैसे वित्त पोषण कर रहे हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) भारत में ऐसे ही उपाय करने में क्या बाधायें हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद)**: (क) और (ख). शहरी स्कूलों और देहाती स्कूलों के अध्यापकों के अलग-अलग आंकड़े और प्रबन्धकों के विभिन्न श्रेणियों के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस विषय पर उपलब्ध समुचित और अन्तिम आंकड़ों वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--1568/68**]

(ग) पूछी गई जानकारी इतनी विस्तृत है कि वह यहां पर नहीं दी जा सकती ।

(घ) और (ङ). भारत में इस प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व शिक्षा आयोग ने शिक्षा का वित्त पोषण करने के बारे में बहुत से देशों में जांच की थी । आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि शिक्षा का वित्त पोषण अनेक स्रोतों—केन्द्र, राज्य स्थानीय प्राधिकार और गैर-सरकारी कोष द्वारा सब से अच्छा रहेगा । प्रगतिशील देश राष्ट्रीय आय का लगभग पांच से सात प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय करते हैं । राष्ट्रीय आय की तुलना में शैक्षिक व्यय में प्रति वर्ष दुगुनी वृद्धि हुई । शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के सरकारी संकल्प में ये सिफारिशें मुख्यतया स्वीकार की गई हैं ।

(च) भारत में इसका तेजी से विकास न होने का मुख्य कारण गरीबी है । विश्व में हमारे राष्ट्रीय आर्थिक स्तर और विकास के दूसरे आवश्यक प्रतियोगी दावे सब से कम हैं ।

**मान्यता प्राप्त शिकार समवाय**

**2253. श्री गा० शं० मिश्र** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने तथा कौन-कौन से शिकार समवाय काम कर रहे हैं और वे कौन-कौन से राज्य में हैं ;

(ख) यदि इन समवायों को सरकार द्वारा अथवा वित्तीय निकायों द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है तो उसके आंकड़े क्या हैं ;

(ग) इन समवायों को प्राथमिकता के आधार पर दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन समवायों को मान्यता देते समय सरकार किन बातों को ध्यान में रखती है;

(ङ) उन समवायों को आयातित कारें अलाट करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ;

(च) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में शिकार के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव किया है ; और

(छ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह)**: (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की गई है अनुबन्ध में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1568/68]**

(ख) सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है ।

(ग) सरकार इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करती है, जैसे उनके प्रचार कार्य एवं अभिवृद्धि के सम्बन्ध में विदेश यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा विनिर्मोचन ; शिकार सम्बन्धी उपस्कर तथा सहायक सामग्री के आयात में सहायता; जब कभी आवश्यक होता है, व्यवसाय के मार्ग में

आई समस्याओं के बारे में उचित कार्यवाही कराने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बीच-बचाव करना ।

(घ) शिकार के साज-सामान आयोजकों को सरकार द्वारा मान्यता इन आधारों पर दी जाती है :— आर्थिक दृष्टि से परिपुष्टता, शिकार का अनुभव, आवश्यक शिकार उपस्कर सम्पन्नता, शिकार पर्यटन का प्रचार करने के लिये किये गये अथवा किये जाने वाले उपाय तथा भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा की गई असंदिग्ध सिफारिशें ।

(ङ) शिकार के साज-सामान आयोजकों द्वारा उपार्जित की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर उनके लिये सेकण्ड-हैण्ड आयातित कारों का नियतन किया जाता है ।

(च) राज्य सरकार ने गत वर्ष भारत सरकार को सूचित किया था कि उनका निकट भविष्य में शिकार पर्यटन के राष्ट्रीयकरण के कोई प्रस्ताव नहीं थे । इस विषय में राज्य सरकार से और कोई पत्र इत्यादि नहीं प्राप्त हुआ ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Death of a Zila Parishad Employee in Bareilly**

**2255. Shri Brij Bhushan Lal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a young employee of the Zila Parishad, Bareilly (U.P.) Shri Kushalpal Singh, died of hunger in Bareilly City on the 22nd June, 1968;

(b) whether it is also a fact that the said employee was not paid his salary whereby he could get himself medically treated and make his both ends meet; and

(c) if so, the action taken in the matter?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House, as soon as possible.

**इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के जलपान विभाग के कर्मचारियों के निलम्बन के आदेश**

**2256. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने अपने जलपान विभाग के नौ कर्मचारियों को हाल ही में मुअत्तली के आदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कुछ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कर्मचारी संघ ने मुअत्तली के आदेशों से विरुद्ध क्रमबद्ध आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(घ) क्या सरकार इन नौ कर्मचारियों के विरुद्ध मुअत्तिली के आदेशों को वापस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क), (ख) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स के कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे के दो खान-पान प्रबन्ध अधिकारियों का 21 मई, 1968 को 12.30 बजे कुछ कर्मचारियों द्वारा 'घेराव' किया गया। पुलिस ने 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया। जांच होने तक, इंडियन एयरलाइन्स ने सम्बन्धित कर्मचारियों को 23 मई, 1968 को निलम्बित कर दिया। परन्तु एयर कारपोरेशन के कर्मचारी संघ के महा सचिव द्वारा आश्वासन दिये जाने पर कि औद्योगिक शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखे जायेंगे, 13 जून, 1968 को निलम्बन आदेश वापिस ले लिये गये।

(ग) जी, हां।

**Demonstration by non-gazetted employees of State Governments**

**2257. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the non-Gazetted employees of all the State Governments in the country had staged a demonstration at the residence of the Prime Minister on the 10th July, 1968 in support of their demands;

(b) if so, the details of their demands; and

(c) Government's reaction thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) No demonstration was staged at the residence of the Prime Minister on 10th July, 1968. But some members of the All India State Government Employees Federation observed a 'dharna' on that date in front of the North Block of the Central Secretariat.

(b) and (c). The demands of the employees of the State Governments are mainly the concern of the State Government concerned. Generally there have been demands from the employees in respect of need based minimum wage, stoppage of victimisation and retrenchment, national Dearness Allowance formula for 100 per cent neutralisation of the cost of living index etc.

**मंत्रियों की उपलब्धियां**

**2258. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967 में तथा 1968 के पहले पांच महीनों में प्रधान मंत्री, मंत्री मंडल स्तर के प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप-मंत्री ने यात्रा भत्ते, अतिथि सत्कार भत्ते तथा अन्य उपलब्धियों के रूप में कितनी धन-राशि प्राप्त की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

**State Lotteries**

**2259. Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some State Governments have decided to start lotteries and chit funds for various purposes;

(b) the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government propose to grant permission again to the private companies on which ban was imposed some years ago to start lotteries again?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). Consequent on representations from some State Governments, the Central Government have decided to permit State Governments to hold State lotteries, if they consider such action desirable, subject to hte condition that tickets of such lotteries shall not be sold in another State without the express consent of the State Government concerned. As regards Chit Fund, Government are not aware if State Governments, except Kerala, propose to run them.

(c) The question of granting permission to Private Companies to organise lotteries is the concern of the State Governments as per entry 34 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution.

## पुरातत्व विभाग को प्राचीन स्मारकों का दान

2260. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेंगारा, जिला शोलापुर के श्री रामलिंगप्पा लमतूरे ने पुरातत्व विभाग को 30,000 रुपये के मूल्य की प्राचीन वस्तुएं दान दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां रखने की योजना बनायी गई है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) और (ख). भारतीय पुरातत्व विभाग को कोई दान नहीं दिया गया था । इस बारे में राज्य सरकारों से पूछताछ की जा रही है।

## काश्मीर के भारत में विलय संबंधी सम्मेलन

2261. **श्री क० लकप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "काश्मीर के विलय के प्रश्न" पर शेख अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार नहीं समझती है कि उन विवादों को, जिन पर विचार-विमर्श होने का प्रस्ताव है, उचित रूप में सोचा गया है अथवा यथार्थता से संबंध रखते हैं।

## English in Courts

2262. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an article published in the special weekly issue of AJ (Varanasi) of the 19th May, 1968 under the caption "Why fascination of English in the Courts"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Yes, Sir.

(b) The article deals with the reported decision of the Supreme Court Bar Association to the effect that English should continue to be the link language. The policy of the Government of India in regard to the language to be used in proceedings before the Supreme Court and High Courts is governed by Article 348 of the Constitution and Section 7 of the Official Languages Act, 1963.

## पंजाब सरकार द्वारा लाटरी आरम्भ किया जाना

2263. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य की ओर से एक लाटरी आरम्भ करने की अनुमति ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) और (ख). राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि राज्यों की ओर से लाटरी चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त है बशर्ते कि ऐसी लाटरियों के टिकट किसी दूसरे राज्य में, उस राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के बिना न बेचे जायें।

## दिल्ली में कारों की चोरियां

2264. **श्री चपलकांत भट्टाचार्य :** **श्री के० एन० अब्राहम :**
**श्री नम्बियार :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री भगवान दास :** **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1968 को 'स्टेट्समेन' समाचारपत्र में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि किस प्रकार तीन किशोर बालकों ने, जो वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के पुत्र बताये जाते हैं, सब तालों को लग जाने वाली कुंजी की सहायता से एक पत्रकार की कार चुराई;

(ख) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए इससे पहले की एक घटना की ओर भी दिलाया गया है जिसमें एक सैनिक अधिकारी के किशोरावस्था वाले पुत्र ने कृषि भवन से कार चुराई थी;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अन्तर्गत माता-पिता अपने बच्चों, विशेषकर नाबालिग बच्चों, के आचरण के लिये जिम्मेदार माने गये हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त मामलों में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) सरकारी कर्मचारी आचरण नियम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

(घ) श्रीमान जी प्रश्न नहीं उठता ।

**Parliamentary Assistant in Ministry of Education**

**2265. Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10370 on the 10th May, 1968 and state:

(a) whether it is a fact that it had been decided to transfer the persons working on the remunerative post of Parliament Assistant in his Ministry since the 30th October, 1958, to some other post;

(b) whether it is also a fact that the person who was trained to carry out the duties of Parliament Assistant efficiently and who was promoted to this post on 15th April, 1968, has been reverted as an Assistant;

(c) if so, whether it is proposed to post the same trained person to the aforesaid post; and

(d) if not, the reasons for continuing the same person on this remunerative post for such a long time, when another trained person is available in the Ministry?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** (a) Yes, Sir. But the position was reviewed later and it was not considered advisable to transfer him in the interest of efficient disposal of Govt. work.

(b) One of the Parliament Assistants in this Ministry was proposed to a higher post in a leave vacancy. The vacancy of Parliament Assistant thus caused was filled by another Assistant as a temporary measure. This arrangement ceased to exist as soon as the original incumbent rejoined duties.

(c) Does not arise at present.

(d) In the interest of efficient disposal of Govt. work.

**Foreign Wives of Government Officials**

**2266. Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4821 on the 22nd March, 1968 and state:

(a) the names of the Minister, four Ambassadors and 160 officials referred to in the Statement laid in reply to the aforesaid question;

(b) the posts held by them and the Ministries|Offices in which they are working and the countries where these Ambassadors have been posted;

(c) the names of countries to which their wives originally belonged;

(d) the names of such officials as had obtained prior permission of Government before marrying foreign ladies; and

(e) the names of those whose wives have been granted Indian citizenship?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) to (e). The name of the Minister is Dr. Chandrasekhar, the Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning. Information regarding the remaining items is being collected.

### Central Government Employees

2267. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Officers are threatening the employees who work according to rules framed by Government;

(b) whether it is also a fact that excessive workload is put on the Central Government employees by their Officers who never utilise the services of stenographers attached to them; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to engage Officers and Stenographers fully?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). No such instances have come to the notice of the Ministry of Home Affairs.

(c) Does not arise.

### Madras Hindi Teachers' Association

2268. **Shri Bal Raj Madhok:** **Shri Bansh Narain Singh:**
**Shri Sharda Nand:** **Shri Jagannath Rao Joshi:**
**Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Madras Hindi Teachers' Association had recently submitted a memorandum to the Deputy Prime Minister in Rajpalayan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken so far by Government in regard thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh):** (a) Yes, Sir.

(b) The Association had apprehended that as a result of the abolition of the three-language formula by the State Government of Madras resulting in the elimination of Hindi from the school curriculum, about 2,500 Hindi Teachers were likely to be thrown out of employment. The Association had sought the intervention of the Government of India to impress upon the Government of Madras to absorb these surplus Hindi Teachers suitably. They had also requested that the Government of India may evolve a Scheme to utilise these surplus teachers for teaching Hindi to those who volunteer to learn the language.

(c) The Government of Madras have issued orders for providing alternative employment to all the qualified surplus Hindi Teachers. It is understood that only those surplus Hindi Teachers who are not qualified and trained or those who have been working only in leave vacancies are likely

to be retrenched. The majority of such teachers are ladies and their number is not likely to exceed 500. On the recommendations of the Karyakarini Upsamiti of the Hindi Shikesha Samiti of this Ministry, the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha has been requested to formulate a detailed Scheme for opening Hindi Vidyalayas in select places in the Madras State for teaching Hindi to those who are desirous of learning it. The Vidyalayas shall in such cases be single-teacher institutions and every effort will be made to absorb Teachers retrenched by the Madras Government in these Vidyalyas. The Upsamiti had also recommended that the Government of India should render 100 per cent financial assistance for the running of such Vidyalyas. The matter will be further considered by the Government of India on receipt of detailed proposals from the Sabha.

**Mao's Literature in Delhi**

**2269. Shri Sitaram Kesri:**
**Shri Shashi Bhushan:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the press reports that the propaganda material of Chinese Dictator Mao Tse Tung is available in the Capital in abundance;

(b) if so, whether Government have tried to know the source of the aforesaid material and the names of the persons or the institutions distributing it in the Capital;

(c) whether Government are also aware that several copies of Mao's 'Red Book' have been sent at the addresses of several students of Delhi University, writers and column writers; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Yes, Sir.

(b) A number of books by Mao Tse Tung have been published in Hindi and Urdu by the Bhawana Prakashan, Subhash Nagar, Delhi. Some books have also been distributed by the Chinese Embassy through post and through persons visiting the Embassy.

(c) The Chinese Embassy are known to have sent copies of Mao's "Red Book" to the addresses of some students of the Delhi University, writers and column writers.

(d) Mere distribution or publication of Mao literature is not punishable under the existing law but where such distribution or publication questions the territorial integrity and sovereignty of India or where it constitutes a threat to public peace, appropriate action under law can be taken. We are hopeful that public opinion will assert itself, isolating those who are being influenced by a pernicious ideology.

**उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद**

**2270. श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच के सीमा के संबंध में रिपोर्ट देने के लिये

सरकार द्वारा नियुक्त किये गये त्रिवेदी आयोग से प्राप्त हुए प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर स्थित चार गावों को इनमें से किसी भी राज्य में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन गांवों के मुकदमों का निपटारा अब तक किस राज्य की अदालतों में होता रहा है और इन गांवों से कौन सा राज्य सरकारी लगान आदि वसूल करता रहा है; और

(घ) ये गांव किस राज्य में शामिल किये गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख). श्री त्रिवेदी ने सतत सीमा सरेखण की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिशें संसद् द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित करके अमल में लायी गयी है। अतः इनमें से किसी राज्य से कोई ग्राम छूट जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

**Police excesses in Bapanagar (Delhi)**

**2271. Shri Sitaram Kesri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the press report that Shri Babulal Kelkar, a member of the Delhi Metropolitan Council, has demanded an enquiry into the police excesses in Bapanagar area on the 22nd and 28th June, 1968 through a memorandum submitted to the Lieutenant Governor;

(b) whether his attention has also been drawn to this point made out by Shri Kelkar tha tin case the matter not investigated, a new agitation would be started;

(c) whether Government have obtained details in this regard; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Yes, Sir. A written complaint was made to the Lieutenant Governor, Delhi, by Shri Babu Lal Kelkar on 9-7-1968.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). A report on the incidents mentioned has been received by Delhi Administration. An enquiry into the same is in progress.

**उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों के बारे में केन्द्रीय जाच ब्यूरो का प्रतिवेदन**

**2272. श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक तथा उनके अन्य सहयोगियों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन इस आधार पर संसद में पेश नहीं किया गया कि वह एक सविशेषाधिकार वाला दस्तावेज है; और

(ख) क्या वही प्रतिवेदन अब बिना किसी आपत्ति के खन्ना आयोग को दे दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) यह प्रतिवेदन आयोग से प्राप्त एक सम्मन के उत्तर में तथा गृह-मंत्री द्वारा 12 जून, 1967 को सदन में दिये गये वक्तव्य के अनुसार खन्ना आयोग के सन्मुख रखा गया था ।

**Representation to Muslims**

**2273. Shri S. R. Damani:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the question of giving more representation to Muslims is under consideration of Government;

(b) if so, the specific provisions of the Constittuion which permit differential treatment to the muslims; and

(c) the areas in which more representation is sought for this community and is said to be under consideration?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) and (c). The question of representation of minority communities in services was considered in a conference of Chief Ministers held on May 19, 1968. It was pointed out by the Home Minister that there was no proposal for reservation for any minority community in services. What was needed was to see that no prejudices worked against certain communities, and that proper opportunities were provided to the members of the minority communities. It was agreed that the position in this regard should be reviewed by the State Governments, and all possible efforts should be made to step up the recruitment of members of the minority communities in services, subject to the observance of the relevant constitutional provisions.

(b) Does not arise.

**नागपुर और गाजीपुर में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनायें**

**2274. श्री एस० आर० दामानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर और गाजीपुर में हाल में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बारे में राज्य सरकारों से रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं;

(ग) क्या हाल ही में श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठकों में साम्प्रदायिक दंगों के विषय में चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के स्थायी हल के लिये वह परिषद किन निष्कर्षों पर पहुंची है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) नागपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगों की रिपोर्ट सरकार को मिली है । उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल ही में गाजीपुर में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं ।

(ख) नागपुर में 9 जून से 13 जून, 1968 तक साम्प्रदायिक दंगों के दौरान 26 व्यक्ति मारे गये। 35 व्यक्ति घायल हुये। घटनाओं के संबंध में 353 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा स्वीकृत साम्प्रदायिक मामलों की समिति की सिफारिशों की एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1570/68]

**राष्ट्रीय राजपथ संपर्क में कमियों का अध्ययन करने के लिये सर्वेक्षण दल**

2275. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे राष्ट्रीय राजपथ संपर्क में कमियों का अध्ययन करने तथा उसके बारे में प्रतिवेदन देने के लिये कोई सर्वेक्षण दल नियुक्त करने का सरकार का विचार हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेंगे और क्या कमियों को अविलम्बनीय आधार पर दूर करने के लिये पर्याप्त वित्तीय तथा अन्य उपबंध किये जा रहे है।

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) राष्ट्रीय मुख्य मार्ग व्यवस्था में कमियों की प्रकृति की सीमा जानने के लिये आवश्यक दित्ता एकत्र करने के लिये कई सर्वेक्षण दल स्थापित किये गये हैं।

(ख) इन दलों द्वारा दित्ता के एकत्र करने में लगभग चार महीने लगेंगे। इनके मंत्रालय में प्राप्त होने के बाद दित्ता का संपादन किया जायेगा और इसमें भी कुछ और समय लगेगा। और यह सब किये गये काम की मात्रा पर निर्भर करता है जो सूचना और संकलित ब्योरा पर आधारित होगा। यह दित्ता चतुर्थ योजना के ब्यौरों के बनाने में उपयोगी होगा, किन्तु वास्तव में की गई व्यवस्था प्रत्येक विशिष्ट वर्ष के लिये स्वीकृत वित्तीय उद्व्यय की सीमा पर निर्भर करेगी।

**नेपालियों द्वारा घुसपैठ**

2276. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में टोलापाड़ा क्षेत्र में नेपालियों द्वारा की गई घुसपैठ की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अतिक्रमणों को रोकने तथा इस क्षेत्र में आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एल० रामास्वामी)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालम किये जा रहे हैं।

## विश्व की समकालीन कला का त्रैवार्षिकी सम्मेलन

2277. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समकालीन विश्व कला संबंधी त्रैवार्षिकी सम्मेलन में से विभाग बनाये गये थे अर्थात् भारतीय तथा विश्व विभाग ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या अकादमी तथा सरकार का यह मत है कि भारतीय तथा विश्व कला की तुलना नहीं की जा सकती अर्थात् भारतीय कला इतनी श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट है कि अन्य देशों की कला से इसकी तुलना नहीं की जा सकती ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) से (ग) समकालीन विश्व कला संबंधी त्रैवार्षिकी सम्मेलन में कोई अलग-अलग खंड नहीं थे, अर्थात् भारतीय और विश्व खंड । तथापि, प्रदर्शनी के लिये निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत पुरस्कार प्रदान किये गये थे:–

(क) राष्ट्रीय अथवा विदेशी कलाकार को स्वर्ण पट्टी, जिसने ललित कला के किसी वर्ग में सर्वसम्मत मत प्राप्त किया हो ।

(ख) निम्नांकितों को स्वर्ण पदक प्रदान किये जा सकते हैं :—

(i) सर्वोत्तम विदेशी चित्रकार ।

(ii) सर्वोत्तम राष्ट्रीय चित्रकार ।

(iii) सर्वोत्तम विदेशी शिल्पी ।

(iv) सर्वोत्तम राष्ट्रीय शिल्पी ।

(v) सर्वोत्तम विदेविदेशी रेखाचित्रकार (ग्राफिस्ट)

(vi) सर्वोत्तम राष्ट्रीय चित्रकार (ग्राफिस्ट) ।

पुरस्कारों के लिये नियम ऐसी ही अन्य अन्तर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकी के अनुसार बनाये गये थे जहां अलग राष्ट्रीय पुरस्कार रखने की प्रथा है और भारतीय कला की श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता का प्रश्न नहीं उठता ।

## Revision of Pay Scales of Senior P.T. Instructors in Delhi

2278. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the old pay scale of the Senior P. T. Instructors in the Aided Higher Secondary Schools under the Education Department, Delhi has been revised from Rs. 100—250 to Rs. 160—300 with effect from 1960 on the basis of the recommendations of the Second Pay Commission ;

(b) if so, whether the said scale of pay is being given to all the Senior P.T. Instructors in the Aided Higher Secondary Schools under the Education Department, Delhi; and

(c) whether any exception in this regard has been made in the case of a Senior P. T. Instructor D.A.V. Higher Secondary School, Gandhi Nagar, Delhi and if so, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):** (a) Yes, Sir. For those employees only who were in service on 1-4-1950.

(b) No, Sir. Those employed as Senior P.T. Instructors after 1-4-1950 are getting different scales of pay according to their qualifications as per recommendations of the Second Pay Commission.

(c) No such exception has been made.

**Arrest of an European Lady in Amritsar**

**2279. Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an European lady had been arrested at Amritsar recently;

(b) whether the Bombay Police had also registered a case against her; and

(c) if so, the charge against her for which she has been arrested?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) It is reported that a lady of Czech origin was arrested at Amritsar on 27-3-1968.

(b) Yes, Sir.

(c) The Bombay Police had registered a case against her for breach of the restriction order under the Foreigners Act.

**Right of self-determination to Tribals**

**2280. Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Communist Party of India has approved the programme of giving the right of self-determination to the tribal people in the meeting of its Executive; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

**Retrenchment of teachers by Bihar Government**

**2281. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have decided to retrench about 4,000 teachers of Primary schools from service in the State;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to take some steps with a view to protect the said teachers against the proposed retrenchment; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Miniser of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)**: (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise

**Communal Riots**

**2282. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of communal riots which took place in the various States during the period from 1967 to June 1968 separaely;

(b) the State-wise yearly number of communal riots which took place during this period;

(c) the number of persons killed;

(d) the total loss of property in the riots; and

(e) the number of persons arrested in connection with these riots?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla))**: (a) to (e). No communal disturbances took place during the peoriod 1-1-1967 to 30-6-1968 in the States of Punjab, Haryana, Nagaland and Orissa and in the Union Territories of Manipur, Tripura, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Goa, Deman and Diu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Delhi, Dadra and Nagar Haveli and Himachal Pradesh as well as NEFA.

In Mysore there was one riot in 1967 and 4 in 1968. No one was killed in these riots. The loss of property is estimated at Rs. 19,72,921 approximately. 846 persons were arrested in connection with these incidents.

Information from the remaining States and Union Territories is being collected.

**Association of Revolutionaries jailed in Andamans**

**2283. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the revolutionaries who were imprisoned in Andaman jail during the days of freedom struggle have formed some organisation associations;

(b) if so, the name thereof;

(c) whether the Prime Minister has received any recommendation from such an organisation/association;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) to (e). Two representations dated the 3rd April, 1968, addressed to the Prime Minister, were received from an association styled as "Ex-Andamans Political Prisoners' Fraternity Circle", from Calcutta. One of the representations contain some suggestions for the preservation of

the Cellular Jail at Port Blair as a memorial to the freedom fighters who were lodged in that jail during the British regime and for making arrangements, for keeping alive the memory of the association of the Andaman and Nicobar Islands with Netaji Subhash Chandra Bose and his Indian National Army. The other representation contains some demands for the grant of certain concessions|facilities to the "Ex-Andaman Political Prisonners" and their dependents.

As regards the suggestion for setting up a memorial to the freedom fighters who were incarcerated in the Port Blair Cellular Jail, it has already been decided to presherve the Central Tower of the Jail as a memorial and to put plaques there to commemorate the sufferings of the Indian patriots who wre incarcerated there. It has also been decided to set up a memorial to Netaji Bose in the Andamans.

As regards grant of facilities and concessions, the ex-Andaman political prisoners scattered in the country are not treated as a special category distinct from the rest of the political sufferers who participated in the freedom movement. The facilities and concessions admissible in general to the political sufferers who took part in the Freedom Movement can also be availed of by the ex-Andaman political prsioners to the extent admissible.

## तकनीकी शिक्षा संबंधी समिति

2285. **श्री नि० र० लास्कर :**
**श्री अंबचेडियान :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने विभिन्न राज्यों में तकनीकी संस्थाओं को सहायक अनुदान देने के बारे में एक सूत्री संहिता की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या प्रस्तावित सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी जा रही हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकारों को क्रियान्विति के लिये सिफारिशें भेज दी गई हैं ।

### विवरण

(एक) समिति ने यह स्वीकार किया है कि आवर्ती व्यय के लिये केन्द्रीय सहायता बन्द हो जाने के बाद गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रबन्धकों को शुल्क तथा अंशदान से होने वाली आय से संस्था के व्यय पर समूचा घाटा पूरा नहीं होगा । यह भी स्वीकार किया गया है कि संस्थाओ के प्रबन्धकों से अंशदान समान नहीं होगा क्योंकि यह उनकी आस्तियों तथा अन्य संसाधनों पर निर्भर करता है । अत: इस सम्बन्ध में कोई समान नीति निर्धारित करना सम्भव नहीं है । परन्तु इसके साथ ही संस्था

शुरु करते समय गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रबन्ध कों द्वारा उनकी तकनीकी संस्थाओं के लिये दिया जाने वाला अंशदान स्पष्ट रू प से निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(दो) अध्यापन शुल्क के बारे में समिति ने सिफारिश की है कि अधिकतम सीमा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिये परन्तु शुल्क सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक अथवा स्वीकृत सकल व्यय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । परन्तु अध्यापन शुल्क तथा अंशदान से मिलने वाली राशि कु ल आवर्ती व्यय पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होगी । अतः समिति अनुभव करती है कि राज्य सरकारें सहायतानुदान द्वारा कमी पूरी करें ।

(तीन) इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि यद्यपि सभी राज्यों के लिये समान सहायतानुदान संहिता व्यवहार्य नहीं है, तथापि प्रत्येक राज्य के लिये सभी गैर-सरकारी संस्थाओं के लिये एक संहिता होनी चाहिये । यह संहिता निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर बनाई जानी चाहिये :—

(क) आवर्ती में समूची कमी राज्य सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिये । गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा अंशदान की मात्रा का समान होना आवश्यक नहीं है । तथापि यह आवश्यक है कि सम्बन्धित संस्थाओं की स्थापना के समय अंशदान की मात्रा निर्धारित की जाये ।

(ख ) किसी संस्था का व्यय निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अनुज्ञय मदें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा उसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा निर्धारित मदों के अनुसार हो ।

(ग) संस्था को राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्कों अथवा स्वीकृत सकल व्यय के 25 प्रतिशत से अधिक शुल्क नहीं लेने चाहियें । शुल्कों की दर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार होना चाहिये अर्थात इंजीनियरी कालेजों का अध्यापन शुल्क 360 रुपये तथा पाली-टेक्निकों के लिये 180 रुपये तथा कालेजों और स्कूलों दोनों के लिये 40 रुपये विशेष शुल्क ।

**परिवहन विकास परिषद्**

2286. **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्रीमती सुशीरा गोपालन :**
**श्री अंबचेजियान :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री आदिचन :**
**श्री राममूर्ती :**
**श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री कं० हाल्दर :**
**श्री हेम राज :**
**श्री चक्रपाणि :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये परिवहन

विकास परिषद् की बैठक 24 और 25 जून, 1968 को मैसूर में हुई थी ;

(ख) क्या इस परिषद ने अन्तर्राज्यीय परिवहन कराधान और सड़क परिवहन की वित्त संबंधी समस्याओं पर भी विचार किया है ; और

(ग) परिषद की अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न हैं। (अनुबन्ध 1–2) **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 571/68]**

## अखिल भारतीय सेवायें

2287. **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री अंबचेजियान :**
**श्री चेंगललाया नायडू :**

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि एक इंजीनियरों के लिये तथा दूसरी चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, दो अखिल भारतीय सेवायें बनाई जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों ने इन नई अखिल भारतीय सेवाओं के बनाये जाने का विरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार को सभी राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया का पता लग गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) सभी राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो चुकी हैं, किन्तु भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की संरचना की योजना की रूपरेखा के ज्ञापन पर अन्तिम उत्तर महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों से अभी आने हैं।

(घ) मद्रास सरकार ने नई अखिल भारतीय सेवाओं में भाग लेना इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि इनका संबंध पूर्णतया राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले विषयों से है। मैसूर सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती की योजना में कुछ मूलक परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है। केरल सरकार ने नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण पर आमतौर पर असहमति प्रकट की है, किन्तु इन सेवाओं में भाग लेना अस्वीकार नहीं किया है। अन्य सभी राज्य सरकारें मोटे तौर पर इन नई अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना की योजना से सहमत हैं।

## Amalgamation of Central Hindi Directorate and Scientific and Technical Terminology Commission

2288. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to consider the question of setting

up a new Department by amalgamating the Central Hindi Directorate and the Scientific and Technical Terminology Commission in view of the existing and future programmes of these departments;

(b) if so, the time by which the amalgamation would take place; and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Minister of State for Education (Prof. Sher Singh):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Commission for Scientific and Technical Terminology was separated from the Central Hindi Directorate only in 1965, for reasons of better and more effective functioning. There is no occasion for considering the merger of the two organisations.

**Scientific and Technical Terminology Commission**

**2289. Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of sanctioned post at present for different subjects in the Commission for Scientific and Technical Terminology and the number of those posts out of them on which persons are working; and

(b) the time by which the present vacant posts would be filled up and if it is not proposed to fill them up, the reasons herefor?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh):** (a) A statement is attached. **(Placed in Library. See No. LT-1572/68.)**

(b) Steps are being taken to fill the posts as early as possible but it is difficult to give an indication of the date by which all the vacant posts will be filled.

**Research Assistants in Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical, Terminology**

**2290. Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the time by which the persons working on permanent posts of Research Assistants in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology would be confirmed; and

(b) the reasons for the delay in the matter?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh):** (a) and (b). A Departmental Promotion Committee for deciding the suitability of the temporary Research Assistants for purpose of confirmation against permanent posts is being convened shortly. Orders regarding confirmation will issue after the recommendations of the Departmental Promotion Committee have become available.

**Cadre for Hindi work**

**2291. Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a proposal to create a new Hindi Cadre is under consideration by including Hindi Officers and staff engaged on Hindi work in the

Central Hindi Directorate, Commission of Scientific and Technical Terminology and in other Ministries;

(b) if so, the time by which action would be taken in this direction; and

(c) if not, whether it is proposed to make some other arrangement?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) As the scheme is to train the existing personnel to do their work in Hindi as well, it is not the intention to recruit any separate staff for Hindi work. The isolated posts created exclusively for Hindi work will cease to exist in due course as and when the regular staff learns Hindi.

**दिल्ली के पहाड़गंज पुलिस स्टेशन पर लापता लोगों के बारे में शिकायतें दर्ज किया जाना**

2292. **श्री तेन्नेटि विश्वानाथम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई से 15 जुलाई, 1968 तक लापता लोगों के बारे में दिल्ली में पहाड़गंज पुलिस थाने में कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई ;

(ख) इन लापता लोगों को ढूढ निकालने के लिये पुलिस द्वारा क्या-क्या विशेष प्रयास किये गये ;

(ग) कितने मामलों में पुलिस सफल रही है ; और

(घ) अन्य मामलों में पुलिस की विफलता के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):** (क) 8

(ख) खोये हुए व्यक्तियों के ब्यौरे दिल्ली केन्द्रीय गुप्तवार्ता राजपत्र में और पुलिस के दैनिक बुलेटिन में विस्थापन के लिए प्रकाशित किये गये थे। खोये हुए व्यक्तियों का पता लगाने वाले दस्ते और स्थानीय पुलिस के द्वारा खोज की गई थी ।

(ग) सात मामलों में व्यक्तियों का पता लगा लिया गया था ।

(घ) शेष एक मामले में जांच अभी जारी है ।

**दिल्ली में औद्योगिक विवादों में केन्द्रीय रक्षित पुलिस का हस्तक्षेप**

2293. **श्री भगवान दास**
**श्री के० एम० अब्राहम :**
**श्री रमानी :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम दिल्ली इंजीनियरिंग मजदूर संघ, दिल्ली से एक इस आशय का ज्ञापन मिला है कि दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने हाल ही में इस औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप किया ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) से (ग). निर्दिष्ट संघ से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली में कुछ ट्रेड यूनियन के झगड़ों में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाने वाला एक पत्र तथाकथित जनरल मजदूर यूनियन (पंजीकृत) करमपुरा के तथाकथित महामंत्री से प्राप्त हुआ था तथा जांच करने पर वे अभियोग निराधार पाये गये ।

## एयर इंडिया के लिये जेट विमान

2294. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
**श्री क० हाल्दर :**
**श्री राम सेवक यादव :**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को बड़े जम्बो-जैट विमानों के स्थान पर, जिन्हें भारत ने खरीदने का निर्णय किया था, छोटे जम्बो-जेट देने का प्रस्ताव रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) विमान खरीदने के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(घ) इन विमानों के खरीदने पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)**: : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

## संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार

2295. **श्री बाबूराव पटेल** : : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष किन-किन संगीतज्ञों को संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला है ;

(ख ) पुरस्कार का निर्णय किस मास में किया जाता है ;

(ग) यह पुरस्कार किस आधार पर दिये जाते हैं ;

(घ ) कार्यकारी बोर्ड अथवा चयन समिति के सदस्यों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ;

(ङ) क्या सभी सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं अथवा वे किस तरीके से चुने जाते हैं ; और

(च) मनोनीत सदस्यों के नाम क्या हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) पिछले वर्ष अर्थात 1967 में जिन संगीतज्ञों को पुरस्कार दिये गये, उनके नाम यह हैं :

1. श्री अमीर खां (हिन्दुस्तानी संगीत) गया
2. श्री अयोध्या प्रसाद (हिन्दुस्तानी वाद्य संगीत—पखावज)
3. श्री सी० वेंकटराव (करनाटक संगीत) गया
4. श्री के० एस० वेंकटारमैया 'पापा' (करनाटक वाद्य संगीत—वायलन)

(ख) पुरस्कारों का निर्णय साधारणतया नवम्बर अथवा दिसम्बर में किया जाता है ।

(ग) किसी कलाकार के अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि के आधार पर तथा कला के विकास तथा समृद्धि में उनके मूल योगदान के आधार पर ।

(घ) कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम एक विवरण में दिये गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1573/68]

(ङ) भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये हैं :—

(1) डा० वी० एस० झा

(2) डा० वी० के० नारायण मेनन

**दिल्ली पुलिसमैनों की गिरफतारी**

2296. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में पुलिस क्वाटरों में एक कांस्टेबल के कमरे से कई पुलिसमैन गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** (क) और (ख), दिल्ली छावनी पुलिस क्वाटरों के किसी क्वाटर से दिल्ली पुलिस के व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किये गये थे । यद्यपि, नई पुलिस लाइन्स के एक क्वाटर से जुआ अधिनियम के अधीन स्थानीय पुलिस ने एक छापा मार दल द्वारा 4–7–68 को दिल्ली पुलिस के 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

**आदिम जातियों के लोगों द्वारा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अवैध कब्जा**

2297. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में आदिम जातियों के लोगों ने पश्चिम बंगाल, के कुछ भागों पर कब्जा कर रखा है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के किन भागों पर कब्जा किया गया है ; और

(ग) क्या इन भागों पर बलात कब्जा किया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालम किये जा रहे हैं ।

## मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप समूह

2298. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब सागर में मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों के मूल निवासियों को ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सिपाही को अपनी साईकिल से उतरकर सलाम करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस द्वीप समूह में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## चांदीपुर आन-सी का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास

2299. **श्री स० कुण्डू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बालासोर में चांदीपुर-आन-सी का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्य आरम्भ किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्य कब आरम्भ करने का विचार है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

## भारतीय पुलिस सेवा

2300. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को और अधिक वेतन देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). मामला अभी विचाराधीन है ।

## डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान

2301. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में अपना बिमान बेड़ा बढ़ाने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने विमान खरीदे जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि की आवश्यकता है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं । सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

## Guides in Tourist Buses

2302. **Shri Beni Shanker Sharma:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the persons knowing Indian languages are as much entitled to travel in tourist buses in Delhi as the foreign tourists;

(b) whether it is also a fact that the persons working as Guides in these buses use only English language and no other Indian language;

(c) if so, whether Government propose arrange to instruct the Guides to explain in Hindi also so that Hindi-knowing tourists may also understand; and

(d) if so, when the said arrangements will be made and the reasons for not providing Hindi-speaking guides so far?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** (a) Yes Sir.

(b) to (d) Since the tourists travelling in sight-seeking tours are drawn from various language groups both from within the country an outside, the guides in explaining sights to them generally speak in English. The guides have however, been asked to explain in the languages of the regions concerned, if so requested.

## थाई एयरवेज

2303. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकाक-दिल्ली हवाई मार्ग पर दोनों स्थानों के बीच यात्रियों को लाने ले जाने के बारे में थाई एयरवेज का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) क्या उपरोक्त समझौते के परिणामस्वरूप दिल्ली तक पूर्वी पाकिस्तान के बीच विमान सेवा फिर से आरम्भ हो गई है, जो 1965 में संघर्ष के बाद बन्द हो गई थी और यदि हां, तो कब से ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां, अप्रैल, 1968 में भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल तथा थाईलैंड के प्रतिनिधिमण्डल के बीच हुई बातचीत के दौरान तै की गई व्यवस्था के अनुसार थाई एयरवेज इंटरनेशनल को थाईलैंड-रंगून-ढाका-कलकत्ता काठमाण्डू-दिल्ली मार्ग पर तथा उससे परे के निर्दिष्ट स्थानों को हवाई सेवाएं परिचालित करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु थाई एयरवेज इंटरनेशनल को एक ही उड़ान में कलकत्ता और दिल्ली दोनों स्थानों को जाने का अधिकार नहीं दिया गया है।

(ग) हालांकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स के सिवाय अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के उपरान्त भी अपनी विमान सेवायें जारी रखी हैं, फिर भी जब तक 2 जुलाई, 1968 को थाई एयरवेज इन्टरनेशनल ने विमान सेवा द्वारा दिल्ली को पूर्वी पाकिस्तान से सीधा नहीं जोड़ दिया, तब तक इन सेवाओं में से कोई भी विमान सेवा दिल्ली को सीधा पूर्वी पाकिस्तान से नहीं जोड़ती थी।

## समिति पद्धति

2305. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1968 के दैनिक समाचार पत्र "स्टेट्समैन" में "कमेटी राज या नाट टू डिसाइड" (समिति राज या निर्णय कैसे न करें) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कार्य संचालन तथा उनके प्रतिवेदनों की क्रियान्विति के बारे में उस समाचार में बताई गई स्थिति कहां तक ठीक है ;

(ग) क्या शीघ्र निर्णय होने तथा उनको तुरन्त पालन करने हेतु समितियों की वर्तमान प्रणाली में सरकार कोई परिवर्तन कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख), (ग) और (घ). कभी-कभी व्यक्त किये गये उन विचारों की कि सरकार द्वारा अपनायी गयी समिति पद्धति में कई प्रकार की कमियां हैं, सरकार को जानकारी है। अतः सलाहकार समितियों के कार्य-संचालन इन कमियों को यदि हटाया नहीं तो कम करने की दृष्टि से विभिन्न मंत्रालयों में भूतकाल में पुनरीक्षण किया गया है। ऐसी सलाहकार समितियों का एक पुनरीक्षण

गृह-मंत्रालय के कहने पर मंत्रालयों द्वारा अगस्त, 1965 में आरम्भ किया गया था। ऐसे स्थायी अनुदेश भी हैं कि मंत्रालयों को यह देख ने के लिए वार्षिक पुनरीक्षण करना चाहिए कि क्या समितियों में से कोई समिति समाप्त की जा सकती है और इसकी भी परीक्षा करनी चाहिये कि क्या ऐसे सदस्यता बैठकों की कालावधि और विद्यमान सम्मेलन संबंधी प्रक्रियाओं आदि का कोई वैज्ञानिक पुनर्गठन सम्भव है।

सभी मंत्रालयों/विभागों को हाल में यह आग्रह करते हुए अनुदेश जारी किये गये हैं कि विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने को तुरन्त कार्यवाही करें और उन पर दिये गये निर्णयों के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दें।

## चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग

2306. **श्री गणेश घोष :**
**श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
**श्री प० गोपालन :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री चक्रपाणि :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले आम चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर कब तक विचार पूरा कर लिये जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग) अभी गुप्त वार्ता विभाग के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। चूंकि इस प्रतिवेदन की विभिन्न विधाओं पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया जाना है, इस जांच में लगने वाला समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है। फिर भी यथासम्भव शीघ्र ही यह काम पूरा किया जायगा।

## कलकत्ता पत्तन न्यास

2307. **श्री गणेश घोष :**
**श्री वि० कु० मोडक :**
**श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के घाटे में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1965–66 से 1967–68 तक की अवधि में क्रमश: इसको कितना घाटा हुआ ; और

(ग) इस घाटे को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख). 1965–66 से 1967–68 की अवधि में कलकत्ता पोर्ट कमिशनरों द्वारा जो हानि उठाई गई वह निम्न है :—

| 1965–66 | 1966–67 | लाख रुपयों में 1967–68 |
|---|---|---|
| 174.3 | 311.6 | 100.1 |

(ग) हानि को कम करने के लिये विगत तीन वर्षों में कई बार पत्तन प्रभारों में वृद्धि की गई। पोर्ट कमिश्नर आर्थिक उपायों द्वारा व्यय करने के प्रयास कर रहे हैं। कलकत्ता पोर्ट की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिये सरकार ने एक सदस्य समिति भी स्थापित की है जिसके सदस्य भारत के रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री पी० सी० भट्टाचार्य हैं। उनकी रिपोर्ट अभी हाल ही में मिल गई है और उसकी परीक्षा की जा रही है।

## पर्यटन के लिये कागंडा जिले का विकास

2308. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री ने हिमाचल प्रदेश जिले के कुछ भागों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ उस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं पर विचार किया था और क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव उनके सामने रखे गये थे और क्या उनमें से कुछ प्रस्ताव उनके विचार से व्यावहारिक भी थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये कोई प्रस्ताव मन्त्रालय के विचाराधीन है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) मंत्री महोदय के दौरे के दौरान बहुत से लोग जो उनसे मिले उन्होंने उनसे उस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के बारे में सामान्य रूप से चर्चा की।

(ग) पर्यटन विभाग के अनुरोध पर भारतीय प्रबंध संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट) द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही उस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास की विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया जायेगा। उसके बाद राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जायेगी।

## मिजो लोगों का केन्द्रीय पुलिस चौकी पर हमला

2309. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जून, 1968 को मिजो विद्रोहियों ने मशीन गनों तथा मार्टरों से केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस की एक चौकी पर गम्भीर हमला कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो हमला कितना व्यापक था, जान व माल की कितनी हानि हुई और क्या विद्रोहियों को समाप्त कर दिया गया था अथवा नहीं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि मिजो विद्रोहियों ने चीन से प्रशिक्षण तथा हथियार लेने का प्रबन्ध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और हथियारों, युद्धोपकरणों तथा प्रशिक्षण के मामले में विद्रोहियों को क्या सहायता मिली है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख). 19 जून, 1968 को लगभग 150 मिजो कुकी विद्रोहियों ने स्वचालित शस्त्रों से मनीपुर में मारेह पर केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस चौकी पर आक्रमण किया था। चौकी ने जवाब में गोली चलायी और गिरोह का पीछा किया जो जंगलो में लुप्त हो गया। मुठभेड़ में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। विद्रोहियों की क्षति या हताहतों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ). सरकार को मिज़ो विद्रोहियों के बर्मा के पार गिरोह भेज कर चीन से सहायता प्राप्त करने की चेष्टाओं की जानकारी है। सीमा पर सुरक्षात्मक उपाय मजबूत कर दिये गये है।

## दिल्ली परिवहन उपक्रम को हानि

**2310. श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि 1967-68 में दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्य पर भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी हानि हुई तथा उसके क्या कारण थे ; और

(ग) उसमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)**: (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली परिवहन संस्थान के अनुसार 1967-68 के दौरान उसे 149.36 लाख रुपये (अस्थायी) का घाटा हुआ। इसमें शेष ऋण-किस्त और उन पर का ब्याज भी शामिल है। इस घाटे के मुख्य कारण ये थे :

(1) फालतू पुर्जों, ईंधन, तेल और लुब्रिकेटों और टायर और ट्यूबों के मूल्य में वृद्धि।

(2) मंहगाई भत्ते में बराबर वृद्धि।

(3) निम्नतर यात्री किराया संरचना।

(ग) संस्थान ने निम्नलिखित उपाय सुझाये हैं :—

(1) 1-10-1965 से ऋण की शेष किस्तों के स्थगन की मंजूरी।

(2) जिन बसों पर खर्चा अधिक हो रहा है उनको बदलने के लिए 100 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण देना।

(3) यात्री किराये में वृद्धि।

उक्त प्रथम दो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। यात्री किराये में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वयं दिल्ली परिवहन समिति ने स्वीकार नहीं किया है।

## गृह-कार्य मंत्रालय में फालतू कर्मचारी

**2311. श्री प्रेम चंद वर्मा :** क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में मन्त्रालय में नियुक्ति कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो श्रेणीवार कितने कर्मचारी, आवश्यकता से अधिक पाये गये थे और क्या उनकी छंटनी करने का विचार है या उन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी देने का विचार है ;

(ग) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में मंत्रालय ने कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये और इस अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने पद बनाये गये ; और

(घ) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों आदि के पास आवश्यकता से अधिक कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनके लिये समुचित मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है ?

**गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) उन 1967-68 के दौरान मंत्रालय के कुछ अनुभागों के स्टाफ की जाँच की गई थी ।

(ख) मंत्रालय की सम्पूर्ण आवश्यकताओं से कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं पाया गया अतः उसकी छंटनी करने तथा अन्य स्थानों पर लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा 53 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये, इनमें से 4 राजपत्रित थे और 49 अराजपत्रित । 49 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 44 को स्वीकृत संख्या में पहले से वर्तमान रिक्तियों में नियुक्त किया गया था । 5 कर्मचारी नये पदों पर नियुक्त किये गये ।

4 राजपत्रित अधिकारियों में से दो को केवल लघु अवधियों के लिये उन अधिकारियों के काम का अध्ययन करने पर लगाया गया था जिनके स्थान पर उन्हें नियुक्त किया जाना था ।

उक्त अवधि में कुल मिलाकर 14 राजपत्रित पद बनाये गये । इनमें से एक तो एक वर्तमान पद को नाम बदलने के रूप में था और दो, उपर्युक्त स्थिति के अनुसार कार्य अध्ययन करने के लिये नियुक्त अधिकारियों के लिए थे और वे पहले ही समाप्त हो चुके हैं । शेष ग्यारह में से दस पद नये कामों के लिये सृजन किये गये हैं ।

(घ) इस मंत्रालय के कर्मचारियों में से ही अनौपचारिक आधार पर मंत्रियों के कार्यालयों में निम्नलिखित अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गये हैं । इनके लिये अपेक्षित स्वीकृति विद्यमान है ।

### गृह मंत्री का कार्यालय

| | |
|---|---|
| सहायक | एक |
| निम्न श्रेणी लिपिक | दो |
| दफ्तरी | एक |
| चपरासी | एक |

### गृह मंत्रालय में मंत्री का कार्यालय

| | |
|---|---|
| आशुलिपिक (हिन्दी) | एक |

निम्न श्रेणी लिपिक . . . एक

दफ्तरी . . . . एक

**उप-गृह मंत्री का कार्यालय**

निम्न श्रेणी लिपिक . . एक

**शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां/बोर्ड**

2312. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा अन्य संगठनों के नाम क्या हैं तथा उसके सदस्यों के काम क्या हैं और उनमें प्रत्येक को क्या-क्या काम सौंपे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी हैं ;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देश एक ही बार के लिये होता है और यदि नहीं, तो किसी सदस्य को कितनी बार पुन: नाम निर्देशित किया जा सकता है और एक बार नाम निर्देशन की अवधि कितनी है ; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):** (क) से (घ). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**तिहाड़ सेंट्रल जेल, दिल्ली**

2313. **श्री रा० कृ० सिंह:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित तिहाड़ सेन्ट्रल जेल में सामान्यत: बहुत अधिक बन्दी रखे जाते हैं और वहाँ पर बन्दियों को रखने की दशा अत्यन्त असंतोषजनक है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कैदियों की संख्या कम करने और उनके रहने की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) तिहाड़ केन्ट्रल जेल में बहुत अधिक बन्दी रखे जाते हैं पर रहने की स्थिति संतोषजनक बनाने के प्रत्येक प्रयत्न किये जाते हैं ।

(ख) तिहाड़ सेन्ट्रल जेल में कैदियों की संख्या कम करने की दृष्टि से अतिरिक्त जेलें बनाने का प्रस्ताव है ।

**दिल्ली के लिये हायर सेकण्डरी बोर्ड**

2314. **श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अपना पृथक् हायर सेकण्डरी बोर्ड स्थापित कर लेने

का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका वर्तमान सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या ऐसा करना एक ही काम दो बार करना नहीं होगा और क्या इससे एजेन्सियों की संख्या नहीं बढ़ेगी ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)**: (क) जी हाँ। दिल्ली प्रशासन ने ऐसे एक बोर्ड की स्थापना का विचार किया है परन्तु भारत सरकार उसके लिए राजी नहीं है।

(ख) यह मौजूदा बोर्ड के कर्मचारियों में स्थान-भ्रष्ट का कारण बनेगा और इस कार्य के करने में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख रुपयों के घाटे का अनुमान है।

(ग) जी हाँ।

## अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार

**2315. श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए यूरोप के देशों में कोई नवीन प्रचार अभियान आरंभ किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर अनुमानित व्यय कितना है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). पर्यटन की अभिवृद्धि के मामले में यूरोप में एयर इंडिया के फैले हुए कार्यालय-जाल और प्रोत्साहन कार्य में उनके अनुभव को भी उपयोग करने के लिए एक नयी व्यवस्था आयोजित की गयी है। इस व्यवस्था के अनुसार उस महाद्वीप में पर्यटन की अभिवृद्धि विषयक कार्य का पथ-निर्देशन महाद्वीपीय यूरोप के लिए एयर इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जायेगा, जोकि इस कार्य के लिये एयर इंडिया के मुख्यालय के माध्यम से पर्यटन विभाग के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ग) यह व्यवस्था अभी अभी प्रारंभ की गयी है तथा आगामी पर्यटन काल (सीजन) के लिए अभिवृद्धि विषयक कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परिणामों को इतनी जल्दी आँका भी नहीं जा सकता है।

## आजाद हिन्द सरकार के स्थापना दिवस की सार्वजनिक छुट्टी

**2316. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिन्द सरकार के स्थापना दिवस की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए 21 अक्तूबर, 1968 को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी):** (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। दीपावली के कारण 21 अक्तूबर, 1968 केन्द्रीय सरकार कार्यालयों के लिए पहले ही छुट्टी का दिन है।

**उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि**

2317. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ;

(ग) ऐसी योजना पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को अन्य राज्यों के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की तुलना में कम वेतन तथा मंहगाई भत्ते मिलते हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):** (क) जी हाँ।

(ख) जब निधि उपलब्ध होगी तब ऐसा सम्भव होगा।

(ग) इस योजना पर प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(घ) बहुत से राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को कम वेतन मिलता है, लेकिन कुछ अन्य राज्यों के मुकाबले में उन्हें उतना ही वेतन या उससे कुछ अधिक ही वेतन मिलता है।

**उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त प्राथमिक अध्यापक**

2318. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की बढ़ती संख्या के लिये वहाँ अगले शैक्षणिक वर्ष में 32,600 अतिरिक्त प्राथमिक अध्यापकों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी, हाँ। अगले शैक्षणिक वर्ष में 32,600 अतिरिक्त प्राथमिक अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

(ख) नई चौथी योजना बनाते समय उक्त आवश्यकता को ध्यान में रखा जायेगा।

**उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सड़कें**

2319. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रत्येक सड़क के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की ;

(ख) इस समय उनमें से कितनी सड़कें अच्छी हालत में हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन सड़कों का निर्माण आरंभ करने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक सड़क पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

## उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में सड़कें

**2320. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में बलिया जिले में प्रत्येक सड़क के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की ; और

(ख) उस जिल में चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान और किन-किन सड़कों का निर्माण आरम्भ करने का विचार है और इन सड़कों पर कितनी लागत आयेगी ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) और (ख). आवश्यक सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

## खड़गपुर प्राद्योगिकी संस्थान के नये निदेशक

**2321. श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर प्राद्योगिकी संस्थान में कुछ समय पूर्व एक नया निदेशक नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो निदेशक की अर्हताएं क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिक वरिष्ठ और अर्हता-प्राप्त लोगों की उपेक्षा की गई है और सेवा निवृत्ति की अवस्था पहुंच जाने के पश्चात् भी उसका सेवा-काल बढ़ाया गया है।

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)**: (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान निदेशक वास्तुशास्त्री हैं और वह रायल इंस्टीट्यूट आफ ब्रिटिश आरचीटेक्ट्स (आरीबा) के सह सदस्य हैं। उन्होंने स्कूल आफ आरचीटैक्टर, लीवर पूल, बम्बई, और ऐडिनबर्ग में अध्ययन किया है।

(ग) जी, नहीं। वर्तमान निदेशक इंस्टीट्यूट में वरिष्ठतम प्रोफेसर थे और मार्च, 1958 में उनकी नियुक्ति उप-निदेशक के रूप में भी की गई थी। उनकी सेवा अभी तक सेवा-निवृत्ति की अवस्था तक नहीं पहुंची है।

## एशिया प्रतिष्ठान

**2322. श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री प० गोपालन :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री चक्रपाणि :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 26 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में जानकारी इकट्ठी की गई है कि भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था, जिस के लिए वित्त की व्यवस्था एशिया प्रतिष्ठान द्वारा की जानी है, की कौन-कौन सी परियोजनायें हैं, प्रत्येक परियोजना को कितना धन दिया जाता है, प्रत्येक परियोजन में कितने विदेशी काम करते हैं तथा वे किस-किस देश के रहने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक जानकारी इकट्ठी किये जाने की सम्भावना है तथा इस के बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् । परियोजनाओं के नाम और प्रत्येक परियोजना द्वारा प्राप्त अनुदान निम्न प्रकार हैं :—

| परियोजना का नाम | 1963—67 के दौरान प्राप्त कुल अनुदान |
|---|---|
| | रु० |
| 1. 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से लेकर सन् 1947 तक के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियों का कोश . | 2,43,184 |
| 2. इंस्टिट्यूट के पुस्तकालय के लिए ऐतिहासिक पत्रिकाएं खरीदने के लिए और शैक्षिक बैठकों और विचार गोष्ठियों के लिए सामान्य अनुदान (जनरल सपोर्ट ग्रांट) . | 59,206 |

कोई विदेशी कर्मचारी नहीं रखा गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## महेश योगी आश्रम

**2323. श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री के० एम० अब्राहम :**
**श्री क० अनिरुद्धन :**
**श्री चक्रपाणि :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि महेश योगी के आश्रम के

सामने एक "नोटिस बोर्ड' लगाया गया है जिस पर लिखा है कि भारतीय लोग आश्रम में तीन महीने तक नहीं जा सकते ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीयों के आश्रम में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के कारणों की जांच की है ; और

(ग) उसके निष्कर्षों पर क्या कायवाही की गयी है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री के० एस० रामास्वामी )**: (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनके ध्यान में ऐसा कोई सूचना पट नहीं आया है जिस पर तीन महीने के लिए भारतीयों के लिये आश्रम में प्रवेश वर्जित लिखा हो ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

## सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन

2324. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निर्णय किये गये ; और

(ग) पृथक पर्वतीय राज्य बनाने की उनकी मांग के बारे में क्या निर्णय किया गया और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) सम्मेलन ने अपनी मांग दोहराई थी कि किसी भी रूप में आसाम का पुनर्गठन ऐसा हो कि पहाड़ी क्षत्रों का आवश्यक मान तथा आसाम के शेष भागों के साथ उनका बराबर का दर्जा अवश्य ही बना रहे और यह निश्चय किया था कि यदि संसद् के चालू सत्र में आसाम के पुनर्गठन को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, तो वे सीधी अहिंसात्मक कार्यवाही करेंग ।

(ग) आसाम के पुनगठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

## गुजरात में नई बन्दरगाह

2325. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में एक नये बन्दरगाह का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह बन्दरगाह कहां पर बनाया जायेगा और योजना का अन्य ब्यौरा क्या है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख). बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व संबद्ध राज्य सरकारों का है । गुजरात की राज्य सरकार ने रिपोर्ट की है कि दहेज के निकट नर्मदा नदी के मुहाने में एक गहरे जल पत्तन का प्रस्ताव उनके विचाराधीन है । पत्तन की ठीक स्थिति और स्कीम के बारे में राज्य सरकार ने अभी तक ब्यौरे तैयार नहीं किये हैं ।

**दिल्ली में गैर-सरकारी बसों द्वारा सड़क दुर्घटनायें**

2326. **श्री मणिभाई ज० पटेल :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में जो अनेक दुर्घटनायें हुई हैं और उसके लिये दिल्ली परिवहन के अधीन चलने वाली गैर-सरकारी बसें उत्तरदायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में जनवरी, 1968 से इन बसों की कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन बसों में लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक सवारियां ली जाती हैं क्योंकि दिल्ली परिवहन द्वारा इन बसों से प्रति दिन केवल कुछ निर्धारित राशि ली जाती है तथा उन्हें तेज रफ्तार से चलाया जाता है और उनमें अधिक से अधिक सवारियां भर ली जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां न ली जायें इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी हां ।

(ख) 1-1-1968 से 30-6-1968 तक 263 ।

(ग) दि० प० सं० के अनुसार, चालन से अधिकतम संभव राजस्व उपार्जन करने के लिये प्राइवेट चालक अपनी बसों को अत्यधिक भर लेते हैं ।

(घ) दि० प० सं० मार्गों पर प्राइवेट बसों के चालन के लिये 1-7-68 से दिल्ली परिवहन समिति ने एक पुनरीक्षित स्कीम चालू की है । इस पुनरीक्षित स्कीम के अधीन अन्य बातों के अलावा स्वयं संस्थान द्वारा कन्डक्टरों की व्यवस्था की जायेगी और प्राइवेट बस चालकों को 80 पैसे किलोमीटर की दर से अदायगी की जायेगी और अर्जित संपूर्ण भाड़ा कन्डक्टरों द्वारा संस्थान में जमा कर दिया जायेगा ।

**प्राथमिक शिक्षा का विषय केन्द्रीय सूची में शामिल करना**

2327. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राथमिक शिक्षा का विषय संविधान की सातवीं अनसूची की अनुवर्ती अथवा केन्द्रीय सूची में लाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद)** : जी, नहीं ।

## केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

2328. **श्री हरिदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के केन्द्रीकरण के बारे में केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों ने कोई मांग पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान । केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के वर्तमान विकेन्द्रीकृत प्रशासन में कुछ तरमीम करने की सम्भावना की परीक्षा की जा रही है ।

## चन्डीगढ़

2329. **श्री हरिदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ के भविष्य के बारे में निर्णय करने के लिये जनमत संग्रह कराने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में निर्णय पहले ही कर लिया गया है अथवा पंजाब और हरियाणा राज्यों के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ सलाह करके इस बारे में निर्णय करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक जनमत संग्रह किये जाने की सम्भावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). भाषायी सीमा सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिये एक समान सामान्य सिद्धांत निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । एक स्थिति में यह सुझाव दिया गया था कि चण्डीगढ़ सहित कुछ क्षेत्रों में जनता की इच्छा जानने के लिये रायशुमारी की जाय । तथापि इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है और इस उद्देश्य से सामान्य सिद्धांत निर्धारित करने के पूरे मामले पर राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दुबारा जांच की जा रही है ?

## भाषा नीति

2330. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन संघ राज्य क्षत्रों में जहां कोई विधान मण्डल नहीं हैं, अपनाई गई भाषा नीति की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : राज्य भाषा अधिनियम में दी गई केन्द्रीय सरकार की राज भाषा नीति पूर्णतया उन संघ राज्य-क्षेत्रों पर भी लागू होती है जिनके अपने विधान मण्डल नहीं हैं ।

## हरियाणा उच्च न्यायालय

2331. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ स्थित पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) मई, 1968 में कितनी नियुक्तियां की गई थीं ; और

(ग) इन सब रिक्त पदों पर नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) आजकल एक ।

(ख) पांच ।

(ग) रिक्तियों को भरने के प्रस्तावों की राज्य प्राधिकारियों से प्रतीक्षा की जा रही है।

## पादरी फेरर

2332. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्पेन के नागरिक पादरी फेरर को, जो कि मनमाड (महाराष्ट्र) में कथित रूप में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था, सरकार ने भारत छोड़ो नोटिस दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा महाराष्ट्र सरकार की गुप्त (रिपोर्ट) के आधार पर किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने समूचे मामले का पुनर्विलोकन किया था और नोटिस को वापिस ले लिया था ;

(घ) क्या कुछ राजनैतिक दलों ने नोटिस वापिस लिए जाने की प्रार्थना की थी; और

(ङ) यदि हां, तो वे राजनैतिक दल ग्रुप अथवा व्यक्ति कौन हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). पादरी फेरर को भारत छोड़ने का एक नोटिस दिया गया था क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया था कि उनकी कुछ गतिविधियां अवांछनीय हैं। फिर भी उनकी ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले की पुनः परीक्षा की गई। पुनः परीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि यदि वे कुछ समय के लिये विदेश चले जाएं तो उनके फिर भारत में, महाराष्ट्र के अतिरिक्त किसी भी राज्य में, जो उन्हें लेने को राजी हों, काम करने के लिए लौट कर आने पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(घ) और (ङ). व्यक्तियों और संस्थाओं से अभ्यावेदन उनकी अपनी ओर से प्राप्त हुए हैं न कि किसी राजनैतिक दल से अथवा उसकी ओर से।

## गांधी हत्या षड़यंत्र की जांच

**2333. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पूर्व महात्मा गांधी की हत्या की जांच करने के लिये, एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो जांच में क्या प्रगति हुई तथा अब तक कितनी गवाहियां ली गई हैं ; और

(ग) आयोग की उपपत्तियां क्या हैं और उन्हें कब तक सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने अभी तक 87 गवाहों की जांच की है। कुछ गवाहों को उनसे और अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए दुबारा, तिबारा बुलाना पड़ा जैसे और जब आयोग के ध्यान में नई सामग्री लायी गई ।

(ग) मामले में आयोग अब भी जांच कर रहा है और जांच 30 सितम्बर, 1968 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ।

**Statement by Chief Executive Councillor regarding Board of Education**

**2334. Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports of the statement by the Chief Executive Councillor of Delhi that the Delhi Administration would set up its own Board of Higher Secondary Education in Delhi even against the wishes of the Central Government;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the reports saying that the Delhi Administration has made all preparations for setting up the said Board and the Board would start functioning by 1970;

(c) whether Government's attention has also been drawn to the reports saying that from the next session the syllabus of studies would be prescribed by the proposed Delhi Higher Secondary Board and not by the Centre; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)**: (a) to (d). Yes, Sir. Government have seen the press reports. The proposal of Delhi Administration to set up a separate Board has been considered by the Government who have not agreed to it.

**Promotion quotas in Secretariat services**

**2335. Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the percentage on Government Servants (Secretariat Services) to be promoted on the basis of seniority and length of service, separately, as per decision of Government;

(b) the basis of which this quota for promotion of Assistants working in the Central Secretariat was decided;

(c) who will be given priority in promotion between an Assistant appointed by the Union Public Service Commission having 5 years service and another Assistant working in Secretariat having 10, 15 or 20 years' service; and

(d) the decision of Government in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) and (b). Under the C.S.S. Rules, 1962, vacancies in the promotion quota in the Section Officers' Grade are required to be filled by persons included in the Select List. After 1-10-1967, the Select List is to be drawn up by drawing persons in equal proportion from the following categories:

(i) permanent officers of the Assistants' Grade in each cadre, who have renderd not less than eight years approved service in that grade, in the order of their seniority, subject to the rejection of the unfit;

(ii) persons selected on the results of the limited annual Departmental Competitive Examination. There is no provision in the rules, as they stand at present, for making promotion to the grade of Section Officer otherwise than in accordance with seniority in the grade of Assitant.

(c) There is no question of giving priority to any category of Assistants. Under the rules, only such of the Assistants as are included in the Select List for the Section Officers' Grade in the manner indicated are eligible for appointment as Section Officer.

(d) Does not arise.

**Central Secretariat Services**

**2336. Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the names of those Government offices which had not been included in the Secretariat Services previously but have now been included;

(b) the present position of the employees working in these offices;

(c) whether it is a fact that even now there are many such Government offices, whose employees have not been included in the Secretariat Services; and

(d) if so, the total number of such employees and the minimum as well as maximum periods of service rendered by them?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) A list of offices participating in the Central Secretariat Services is given in the C.S.S. Rules, 1962, and no additions to that list have been made so far.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir.

(d) The Ministry of Home Affairs do not maintain details of staff working in various office not participating in the Central Secretariat Services

**Temporary Government employees**

2237. **Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of persons working at present in Government Offices who have rendered 10 to 15 years of service and are still temporary;

(b) whether Government have drawn up any scheme to confirm such employees; and

(c) if so, the details thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) The total number of temporary and quasi-permanent employees in the Central Government as on 1-8-1967 was 9,24,980, and the total number of such employees confirmed or who were likely to be confirmed by the end of 1967 were 1,44,958. Thus there were 7,80,022 temporary employees by the end of 1967. The uptodate figures of temporary employees serving in Central Government Departments who have renderd 10 to 15 years of service are not readily available, but as on 30-11-1966, the number of such employees who had rendered service between 10 and 20 years was 23,052. Some of these persons might have been confirmed since then.

(b) and (c). Orders were issued by the Ministry of Finance on 24th March, 1960 in which the Ministries/Departments other than P.&T. Department Government Workshop and Industrial Establishments were requested to convert 80 per cent of temproray posts including Class IV posts into permanent ones in the permanent Departments provided that such posts have been in existence for a continuous period of not less than three years and the temporary posts are required for work of a permanent nature. On 13th September 1966, Ministry of Finance also issued orders that 50 per cent of the posts in Non-permanent Departments as have existed for not less than 10 years and are not proposed to be wound up in the foreseeable future may also be made permanent, provided the posts have been in continuous existence for a period of five years or more and are required indefinitely. This decision is also applicable to Subordinate and Attached Offices. In the orders of 24th March, 1960 the Ministries were also requested to convert temporary posts into permanent ones and confirm eligible employees against these posts expeditiously.

Temporary posts in Government Workshops and Industrial establishments are made permanent on an *ad-hoc* basis, except that, in Defence Workshops, 40 per cent of the sanctioned posts are authorised to be made permanent and, in Railway Workshops, employees who have completed three years of service are treated as permanent until such time as the administrative Ministry/Department is in a position to assess the permanent requirements of the Industrial staff. As regards the Workcharged Staff engaged on a casual or daily rated basis, non-industrial categories of such staff are authorised to be brought on the Regular Establishment, whereas the Industrial posts can be made permanent, to the extent of 50 per cent only if these have been in existence for more than 3 years and are likely to continue on a long term basis.

Temporary non-gazetted posts in the P&T Department excluding the

Workshops and industrial establishments are made permanent on the following basis:—

(i) In circle and Administrative Offices:

With some exceptions, 80 per cent of posts which have been in existence for a continuous period of not less than 3 years and are required for work of permanent nature can be made permanent.

(ii) In the remaining offices:

All operative and non-operative posts which have been in existence for a continuous period of not less than 2 years and are required for work of permanent nature can be made permanent, provided the number of temporary posts in these cadres is not less than 10 per cent of the total number of permanent and temporary posts.

As regards temporary gazetted posts in the P&T Department, according to the existing orders, 80 per cent of such posts as have been in existence continuously for more than 3 years on the 1st March of the year under review and are required for work of a permanent nature can be retained permanently.

Each Department has an O&M Cell which looks into the staff requirements at a given point of time. The Staff Inspection Unit of the Department of Expenditure also conducts work study *ad hoc* and makes its recommendations to the Ministry concerned.

**श्री दीन दयाल उपाध्याय की हत्या**

2338. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बारे में जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन 10 व्यक्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (न्यायिक), वाराणसी के न्यायालय में 4-5-1968 को आरोप पत्र दर्ज किये गये थे तथा मामले न्यायाधीन हैं।

**मेकैनिकल अनुसंधान संस्था, दुर्गापुर के निदेशक, श्री एम० एम० सूरी को अनुमति**

2339. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर स्थित मेकैनिकल अनुसंधान संस्था के निदेशक श्री एम० एम० सूरी को जिन्होंने सूरी ट्रांसमिशन का अविष्कार किया है, किसी गैर-सरकारी फर्म में नौकरी करते रहने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह अनुमति सरकार ने दी है और उसका ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणसेन)** : (क) और (ख) केन्द्रीय मेकैनिकल अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर के निदेशक, श्री एम० एम० सूरी द्वारा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में आने के बाद औपचारिक प्रार्थना करने पर, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष (शिक्षा मंत्री) ने 26 नवम्बर, 1964 को परिषद की एक फाइल पर श्री सूरी को 1.00 लाख रुपए वार्षिक भुगतान पर एक प्राइवेट फर्म की ओर से सलाहकार सेवा स्वीकार करने के लिए स्वीकृति

दे दी थी। बशर्ते अन्य बातों के साथ-साथ रेल मंत्रालय की भी अनुमति हो। किन्तु रेल मंत्रालय ने, जिसके श्री सूरी स्थायी कर्मचारी हैं, जब उनके पास यह मामला भेजा गया तब अपनी रजामंदी नहीं दी।

इसलिये श्री सूरी को, किसी प्राइवेट फर्म को सलाह देने अथवा सलाह देने के काम को जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई थी।

श्री सूरी ने, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सेवा में 15 जून, 1964 से आए हैं, 1 नवम्बर, 1964 से परामर्श देने का कार्य शुरू किया है।

मामले की जांच की जा रही है।

## गोरखपुर जिले का प्रशासन

2340. **श्री रवि राय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर जिले (उत्तर प्रदेश) का प्रशासन वहां की पुलिस और बंडाधिकारियों में मतभेद हो जाने के कारण ठप्प हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** (क) जी नहीं, श्रीमान्। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

## बिहार में एक हरिजन की मृत्यु

2341. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 4 दिसम्बर, 1967 को माधुपुर नामक ग्राम, पुलिस थाना खजोली, जिला दरभंगा (बिहार) में एक हरिजन व्यक्ति श्री सिद्धु पासवान की हत्या कर दी गयी थी परन्तु अभियुक्त के विरुद्ध छः महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ;

(ख) क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने की बजाये, मृतक के पुत्रों और अन्य व्यक्तियों को, जो शिकायत लिखाने गये थे, गिरफ्तार किया गया तथा परेशान किया गया ;

(ग) क्या इस हत्या के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने और समुचित जांच कराने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** :(क) से (घ) बिहार सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार मिर्जापुर, थाना मधुबनी, जिला दरभंगा के महंत श्री मदन मोहन दास के पास ग्राम मधुपुर, थाना खजोली में 125 बीघे भूमि थी, पिछले वर्षों में यह भूमि बटाइदारी प्रथा के आधार पर बटाइदारों को दी जाती थी। 1967 में महन्त स्वयं कृषि करना चाहता था। 1966 से महन्त तथा बटाइदारों के बीच न्यायालयों में कई मुकदमें दायर किये गये।

2. आरोप लगाया गया है कि 4 दिसम्बर, 1967 को परिहारपुर, थाना मधबनी के शिव शंकर झा तथा हथियाली, थाना खजोली के संत महंतों के नेतृत्व में पांच छः सौ व्यक्तियों की एक भीड़

विवादास्पद भूमि पर खड़े धान क फसल बलपूर्वक काटना चाहती थी, मौके पर पुलिस का एक दस्ता पहुंच गया तथा भीड़ तितर बितर हो गई। परन्तु भीड़ पुनः इक्ट्ठी हो गई और वे बलपूर्वक फसल काटना चाहते थे। श्री सिद्धु पासवान को इस दल का एक सदस्य बताया जाता है। महन्त की ओर से 15 तथा 20 व्यक्ति इस प्रक्रम पर भीड़ से झगड़ पड़े। पुलिस का दस्ता पुनः उस स्थान पर पहुंच गया। भीड़ भाग गई तथा इस मुठभेड़ में मारे गये सिद्धु पासवान की लाश छोड़ गई।

3. झगड़े का कारण बटाइदारी से उत्पन्न होने वाला कृषि सम्बन्धी झगड़ा था। वास्तव में घटना से पहले उन में बारह मुकदमे चल रहे थे। उनके विरुद्ध धारा 107/117(3), दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही भी शुरू की गई थी। सिद्धु पासवान की हत्या के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अन्तर्गत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। 10 मई, 1968 तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ था। बाद में छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनका श्री सिद्धु पासवान की हत्या में हाथ होने का सन्देह था।

4. मृत व्यक्ति के पुत्र, श्री कमलेश्वर पासवान को धान काटने पर होने वाले झगड़े में भाग लेने वाली अवैध भीड़ का सदस्य होने के आरोप में स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

5. फौजदारी मुकदमे की जांच डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल पुलिस के अधीक्षण में की गई थी। जांच के दौरान यह अनुभव किया गया कि सब इंस्पैक्टर तथा असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर पुलिस के झगड़ा रोकने का अपना कर्त्तव्य तथा बाद में उचित प्रकार से जांच करने का अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया था। इन दो अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है।

## शिक्षकों का न्यूनतम वेतन

2342. **श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री कंवर लाल गुप्त :**
**श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और देश के शेष अन्य भागों के शिक्षकों की उचित माँगों को पूरा करने के किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय न्यनतम वेतन और सेवा की समान शर्तों और समान मंहगाई भत्ता इत्यादि निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) शिक्षकों की मुख्यतः माँगे वेतन के बारे में हैं। यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और वे स्त्रोतों की उपलब्धता के अनुसार वेतन में वृद्धि के लिये कार्यवाही कर रही । दिल्ली के अध्यापकों के बढ़ाये गये वेतन-मान दिखानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1574/68]

(ख) से (घ) शिक्षा आयोग ने स्कूल अध्यापकों के लिये विशेष वेतन मानों की सिफारिश की है। उनकी सेवा की गई शर्तों के बारे में भी उससे सिफारिशें की गई हैं। राज्य सरकारें अपनी

परिस्थितियों के अनुसार शिक्षकों का समान वेतनमान भी उससे अधिक वेतनमान दे सकती हैं। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सब राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

**राष्ट्रपति के शासन के अधीन वाले राज्यों में सलाहकार समितियां**

2343. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्य में, जिनमें विधान मण्डल तोड़ दिये गये हैं, राज्यपालों को परामर्श देने के लिये किसी प्रकार की लोकप्रिय सलाहकार समितियाँ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). संबन्धित राज्य विधान मण्डलों (शक्तियों का प्रत्यायोग) अधिनियमों के अधीन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए संसद् सदस्यों की परामर्शदायी समितियाँ गठित की गई हैं। संसद् के चालू सत्र में बिहार के लिए ऐसा ही एक विधेयक पेश किये जाने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने संबंधित विभागों की दक्षता में तथा अन्य मामलों में सुधार लाने के लिए सुझाव देने के हेतु आठ विभिन्न सलाहकार समितियाँ तथा योजना बनाने तथा आर्थिक विकास पर सलाह देने के लिए एक योजना सलाहकार परिषद् भी स्थापित की हैं। अन्य राज्यों के लिए ऐसी सलाहकार समितियों के संबंध में कोई समान आधार निर्धारित नहीं किया गया है।

**छोटी बन्दरगाहों के विकास सम्बन्धी सम्मेलन**

2345. **श्री अदिचन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में जून 1968 के चौथे सप्ताह में छोटी बन्दरगाहों संबंधी दूसरा सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन मुख्य विषयों पर विचार किया गया और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) चौथी योजना में छोटी बन्दरगाहों के विकास संबंधी व्यय के बारे में कोई निर्णय किया था तो वह क्या है और चौथी योजना में कौन–कौन सी विशिष्ट परियोजनाएं शामिल की जायेंगी ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). सम्मेलन में चुनी हुई छोटी बंदरगाहों की विकास योजनाओं को, जो कि पहले से चली आ रही है, केन्द्र द्वारा चालू की गई योजनाओं के रूप में फिर से चालू किये जाने की सिफारिश की गई है। सम्मेलन में चौथी योजना के दौरान छोटी बन्दरगाहों के विकास के बारे में भी विस्तार से विचार किया गया और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि देश में उपलब्ध समिति स्रोतों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये योजना बनाते समय यातायात और तत्संगत आर्थिक स्थितियों के अनुसार प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सम्मेलन में तटकर्षण

समस्याओं और छोटी बन्दरगाहों द्वारा अनाज और उर्वरकों का प्रबन्ध करने की पूरी क्षमता प्रयोग करने पर भी विचार किया गया।

**एक गुफा में लिंग का पता लगना**

2346. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा प्रशासन द्वारा किये गये ऐतिहासिक अनुसंधान के सिलसिले में नेफा में सुबारगिरी तथा योगा नदियों के संगम पर एक बड़ी गुफा का पता लगा है जिसमें एक लिंग है;

(ख) यदि हाँ, तो इस खोज का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) से (ग) : सरकार को ऐसी खोज के बारे में जानकारी नहीं है और नेफा प्रशासन से पूछताछ की जा रही है।

**रांची में हुए दंगे**

2347. **श्री उमानाथ :**
**श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राँची में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जाँच के लिये नियुक्त किये गये आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयोग ने जाँच के मामले के सभी जानकार व्यक्तियों को 31 जनवरी, 1968 तक अपने ब्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। बयान देने की तिथि बाद में कुछ व्यक्तियों और राज्य सरकार के अनुरोध पर 15 फरवरी, 1968 तक बढ़ाई गई थी। कागजात और शपथ-पत्रों की जाँच में कुछ समय लगा। इसके पश्चात् 25 मार्च, 1968 से 137 गवाहों की जाँच करने के लिये, जिनमें से कुछ को एक से अधिक बार बुलाना पड़ा था, आयोग ने तीन बार राँची की यात्रा की। राँची-हतिया में दंगों से संबंधित आयोग की रिपोर्ट अगस्त, 1968 में पेश होने की आशा है।

**जेल नियमावलियां**

2348. **डा० रानेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेलों के प्रशासन तथा बन्दियों के प्रति व्यवहार के बारे में बनाई

गई जेल नियमावलियों में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अधिकतर राज्यों में संशोधित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने जेल नियमावलियों को संशोधित करने के लिये राज्यों को कोई निर्देश दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो वर्तमान जेल नियमावलियों में केन्द्रीय सरकार ने क्या संशोधन करने के सुझाव दिये हैं ;

(घ) क्या संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली की जेलों के प्रशासन में कोई परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो अब तक क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मद्रास, उड़ीया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की जेल नियमावलियां राज्य सरकारों द्वारा संशोधित की गई हैं। शेष राज्यों में जेल नियमावलियों के संशोधन का प्रश्न संबंधित राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). "जेलें" नितान्त रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं। फिर भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि आदर्श जेल नियमावली को निर्देशन की एक पुस्तक के रूप में स्वीकार करते हुये वे अपनी वर्तमान जेल नियमावली को संशोधित करें या उसमें तरमीम करें। आदर्श जेल नियामावली की एक प्रतिलिपि 6-9-60 को तारांकित प्रश्न संख्या 2161 के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रखी गई थी।

(घ) और (ङ). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**Kerala Chief Minister's Statement**

**2349. Shri Ramavatar Sharma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Chief Minister of Kerala regarding convening a new Constituent Assembly; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Yes, Sir.

(b) The Chief Minister, Kerala had made this suggestion primarily in the context of Centre-State relations. The Administrative Reforms Commission is already examining matters relating to Centre-State relations.

**कलकत्ता के पुलिस अस्पताल में दंगा**

2350. **श्री त्रिविध कुमार चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ते के पुलिस अस्पताल में रोगियों के रूप में भरती हुए पुलिस कर्मचारियों के बीच 20 जून, 1968 को हुए हिंसात्मक झगड़े और कलकत्ता पुलिस एसोसियेशन

द्वारा समाचारपत्रों के लिये जारी किये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें डाक्टरों समेत अस्पताल के कर्मचारियों के विरूद्ध कदाचार, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें की गई हैं ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस मामले में तथा कलकत्ता पुलिस एसोसियेशन द्वारा लगाये गये उक्त आरोपों के संबंध में उच्च स्तरीय जाँच कराई गई है ; और

(ग) क्या इन आरोपों के संबंध में भी जाँच कराई गई है जो डाक्टरों ने अस्पताल में मरते हुए पुलिसमैनों के विरूद्ध लगाये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग) : पश्चिमी बंगाल सरकार से ज्ञात हुआ है कि कलकत्ता पुलिस अस्पताल में रोगियों के रूप में दाखिल पुलिस कर्मचारियों के बीच कोई हिसंक झगड़ा नहीं हुआ है, परन्तु 20 जून, 1968 को कलकत्ता पुलिस के एक सब इंस्पैक्टर ने रात्रि के खाने के प्रश्न पर चिकित्सा अधिकारी के साथ बुरा व्यवहार किया। बाद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जाँच की तथा सब इंस्पैक्टर को बूरे व्यवहार के कारण विभागीय दंड दिया गया ।

कलकत्ता पुलिस अस्पताल में कदाचार की शिकायत करने वाली कलकत्ता पुलिस एसोसियेशन की एक विज्ञप्ति की ओर भी पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान दिलाया गया है, पश्चिमी बंगाल सरकार इन आरोपों की जाँच कर रही है ।

**पान पर बिक्री कर**

2351. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान पर बिक्री कर से छूट की राशि की सीमा बढ़ाने अथवा इसे बिक्री कर से मुक्त करने के बारे में सरकार को दिल्ली प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् पान पर पहले ही बिक्री कर से छूट है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

**राजस्थान के मुख्य मंत्री का त्यागपत्र**

2352. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् में जनसंघ दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था जिस में मांग की गई थी कि राजस्थान के मुख्य मंत्री से त्यागपत्र मांगा जाय ;

(ख) क्या यह सच है कि न्यायाधीश जगत नारायण द्वारा निकाले गये निष्कर्षों के अनुसार श्री सुखाड़िया को शुद्ध आचरण सम्बन्धी सरकार के अपने नियमों का उल्लंघन तथा अन्य अनेक अवैध कार्यों तथा जाली प्रविष्टियां इत्यादि करने का दोषी पाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) श्री बाजपेयी के पत्र के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह पता चला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई है । तदनुसार यह मामला न्यायालय में है ।

**दिल्ली प्रशासन द्वारा संसद् की स्वीकृति के लिए भेजे गये विधेयक**

**2353. श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने संसद् की स्वीकृति के लिये कुछ विधेयक सरकार को भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और उन विधेयकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के कहने पर दिल्ली महानगर परिषद् को भेजे गए विधायी प्रस्ताव तथा ऐसे प्रस्ताव जो मूल रूप में दिल्ली प्रशासन के हैं, बताने वाला एक विवरण संलग्न है । महानगर परिषद् की सिफारिशें दिल्ली प्रशासन द्वारा संबंधित मंत्रालयों को सूचित कर दी गई हैं । संलग्न विवरण इस मंत्रालय को भेजी गई सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही बतलाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1575/68] अन्य मंत्रालयों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है जो सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**आसाम में अफगानों और पख्तूनों को परेशान किया जाना**

**2354. श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में अफगानों और पख्तूनों को परेशान किये जाने के बारे में गृहमंत्री को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) आसाम में रहने वाले अफगानों और पख्तूनों की संख्या कितनी-कितनी है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) मामला राज्य सरकार के साथ परामर्श में विचाराधीन है ।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1968 को आसाम में रहने वाले पंजीकृत अफगान और पख्तूनों की क्रमश: संख्या 229 और 856 थी ।

**बच्चों और स्त्रियों का अपहरण**

**2355. श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में राजधानी में कितने बच्चों और स्त्रियों का अपहरण किया गया ;

(ख) उनमें से कितने बच्चों और स्त्रियों का पता लगा लिया गया तथा कितने बच्चे और स्त्रियां मारी गईं अथवा जिनका पता नहीं लगाया जा सका ; और

(ग) कितने दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया और क्या दण्ड दिया गया ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1576/68]**

**दिल्ली में मारे गये/घायल हुए सरकारी अधिकारी/अधिवक्ता**

**2356. श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में राजधानी में प्रतिवर्ष कितने पुलिस अधिकारी अथवा सरकारी अधिवक्ता मारे गये अथवा गम्भीर रूप से घायल हुए ;

(ख) इन में से कितने अधिकारियों को डकेती अथवा चोरी के कारण हानि हुई ; और

(ग) इन वर्षों में प्रति वर्ष कितने अपराधियों को दण्ड दिया गया और उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1577/68]**

## विमान दुर्घटनायें

2357. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में कितनी विमान दुर्घटनायें हुई हैं और कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए ;

(ख) सरकार पर कितने राशि के दावे प्रस्तुत किये गये तथा कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितनी हानि हुई ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) 1965, 1966 और 1967 के दौरान भारत में सिविल रजिस्टर्ड विमानों की 66 उल्लेखनीय दुर्घटनायें हुई। इन दुर्घटनाओं में 41 आदिमी मारे गये तथा 6 घायल हुये।

(ख) मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्तियों के बारे में सरकार के पास कोई मांग (क्लेम) नहीं आई। परन्तु इंडियन एयरलाइन्स ने अब तक मारे गये यात्रियों के निकटतम सम्बन्धियों को मुआवजे के रूप में 14, 94,500.00 रुपये की राशि प्रदान की है। इसमें विमान कर्मियों की मृत्यु के कारण दिया गया मुआवजा शामिल नहीं है।

(ग) बीमें से प्राप्त होने वाले धन तथा रद्दी माल की कीमत का हिसाब लगा देने के बाद सरकारी मलकियत के विमानों (जिसमें ग्लाइडर भी शामिल हैं) की दुर्घटनाओं के कारण सरकार को 46,025.00 रुपये की शुद्ध हानि होने का अनुमान लगाया गया है। जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का सम्बन्ध है उनके 3 विमानों को बट्टे खाते में डाल दिया गया जिसमें से दो का बीमा हुआ हुआ था तथा एक-एक विदेशी कम्पनी से चार्टर पर लिया हुआ था। कारपोरेशन ने इनके कारण से कोई नुकसान नहीं उठाया। इसके अतिरिक्त ,उनके विमानों में से पाँच को भारी क्षति हुई। चार की हालत में कुल 64,893.00 रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है। पांचवें की हालत में हुई हानि का अनुमान तत्काल उपलब्ध नहीं है।

## संविधान के अनुच्छेद 370 का निरसन

2358. **श्री अब्दुल गनी दार :**
**श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करने के बारे में कोई नया प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निराकरण कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (ग) अनुच्छेद 370 के अधीन राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा भारतीय संविधान के अधिकाधिक उपबन्धों को जम्मू

तथा काश्मीर राज्य पर लागू किया गया है तथा इस अनुच्छेद के निराकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

## सड़क परिवहन उद्योग

2359. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केसकर समिति के प्रतिवेदन पर आधारित सड़क परिवहन उद्योग के सरकारी पुनरीक्षण की उपपत्तियों के बारे में जानकारी है जिसमें कहा गया है कि यात्री गाड़ियां चलाने पर व्यय में कर 43.3 प्रतिशत तथा माल की ढुलाई वाले परिवहन में कर 35.7 प्रतिशत है और यदि हां, तो क्या सरकार उसके साथ सहमत है और यदि नहीं तो सरकार की उपपत्तियां क्या हैं ।

(ख) क्या यह सच है कि 1966 के बाद भी कर के तत्व में अग्रेतर वृद्धि हुई है और मोटर गैसोलीन के विक्रय मूल्य में कर की प्रतिशतता तथा तीव्र गति डीजल में 73 प्रतिशत है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में ऐसे कराधान का आयात अधिकतम है और यदि नहीं, तो उन देशों के नाम क्या है जहां आयात भारत की तुलना में अधिक है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) सरकार सड़क कराधान जांच समिति के इस परिणाम को जानती है और उससे सहमत है ।

(ख) केसकर समिति के अनुसार पेट्रोलियम और हाई स्पीड डीजल तेल पर 1966 से शुल्क में और बढ़ोतरी हुई है । मोटर गेसोलीन और एच० एस० डी० के क्रय मूल्य में कर तत्व की प्रतिशतता के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में कहा है कि अन्तराष्ट्रीय सड़क संघ सांख्यिकीय दिसा के अनुसार 1965 में डीजल तेल के बिक्री मूल्य में कर तत्व भारत में सर्वाधिक था । पेट्रोल के बारे में भी यही स्थिति थी ।

## हवाई अड्डों का विस्तार

2360. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :
**श्री नि० रं० सास्कर** :
**श्री अम्बुचेजियान** :
**श्री चेंगलराय नायडू** :
**श्री मोहन स्वरूप** :
**श्री शिवकुमार शास्त्री** :
**डा० सूर्य प्रकाश पुरी** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं की तुलना में भारत के विभिन्न हवाई अड्डों के सभी विस्तार कार्यक्रम बहुत ही अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विस्तार कार्यक्रम आयोजन के स्तर पर ही त्रुटिपूर्ण होते हैं और पहले विस्तार कार्यक्रमों के पूरे होने से पहले ही अग्रेतर विस्तार अनिवार्य हो जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय हवाई अड्डों की वर्तमान स्थिति उन विमानों के लिये जिनके अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में प्रयोग किये जाने की सम्भावना है, बिल्कुल अनुपयुक्त समझी जाती है और जब तक भारतीय हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नये सिरे से बनाने के लिये तुरन्त कार्रवाही नहीं की जाती, भारतीय हवाई अड्डों के अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के मानचित्र से धीरे-धीरे समाप्त होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या योजना है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हवाई अड्डों का निर्माण और अन्य सहायक सुविधाओं की व्यवस्था निरंतर चलने वाली प्रक्रियायें हैं। बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो तो वे समय-समय पर नियोजित और कार्यान्वित की जाती हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हुए हैं जहां कि यातायात वृद्धि तथा टेक्नालाजिकल विकास की अप्रत्याशित गति के कारण ऐसी सुविधाएं प्रत्याशित समय से पहले ही अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं।

(ग) और (घ). जम्बो जेट एवं एस० एस० टी० विमानों जैसे अधिक भारिता के विमानों का भारत से होकर परिचालन आरम्भ होने के समय तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उनमें यात्रियों को संभालने की तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने के प्रश्न की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। समिति की सिफारिशों की जांच तथा उनका क्रियान्वन सर्वथा उचित समय के अन्दर ही किया जायेगा। समिति की नियुक्ति अग्रिम योजना के रूप में की गयी थी।

**अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली**

2361. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री सं० चं० सामन्त :**
**श्री महाराज सिंह भारती :** **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है कि अशोक होटल में बहुत से कमरे खाली क्यों रहते हैं जबकि दिल्ली के गैर-सरकारी होटल प्रायः भरे रहते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि होटल वर्गीकरण समिति के अनुसार अशोक होटल को गैर-सरकारी होटल से कम दर्जे का माना गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं होते तथा होटल में उनकी सेवा और लोगों से सम्बन्ध बहुत खराब होते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा अशोक होटल में विद्यमान स्थितियों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (घ). जी नहीं। लेकिन सरकार अशोक और जनपथ होटल्स लिमिटेड के विलयन सहित अनेक उपचारी उपायों पर विचार कर रही है।

(ख) जी, नहीं। समिति को अभी अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी है।

(ग) जी नहीं, यद्यपि सुधार के लिए हमेशा गुंजायश रहती है।

**रूस द्वारा बड़े जहाज की पेशकश**

2362. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**
**श्री श्रीधरन :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य मार्गों पर उड़ाये जाने के लिये रूस ने भारत को एक अधिक बड़ा विमान, जो उस देश द्वारा बनाये गये विमानों में नवीनतम है, बेचने की पेशकश की है ;

(ख) बोइंग 737 विमान की तुलना में यह विमान कितना अच्छा काम करता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) रूस के मेसर्स एविओ एक्सपोर्ट ने फिलहाल टी० यू० 134 विमान बिक्री के लिये इस शर्त के साथ प्रस्तुत किये हैं कि जब इनसे बड़े टी० यू० 154 विमान उपलब्ध होंगे तो इन दोनों की लागत में अन्तर का भुगतान करके इनके बदले वे लिये जा सकेंगे।

(ख) और (ग). क्योंकि इस नये विमान टी० यू० 154 का संबद्ध परिचालन विषयक ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है इसलिये इसके तथा बोइंग 737 के कार्य का कोई तुलनात्मक मूल्यांकन करना संभव नहीं; और न ही टी० यू० 154 को प्राप्त करने के लिये शर्तें इत्यादि की चर्चा की जा सकी है।

**ईसाई धर्म प्रचार संस्थाएं**

2363. **श्री नायनार :** **श्री रमानी :**
**डा० अ० क० गोपालन :** **श्री अनिरुद्धन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आसाम के छोटा नागपुर, संथाल परगना, नागालैण्ड तथा पहाड़ी जिलों में काम करने वाली विभिन्न धर्म प्रचार संस्थाओं को प्राप्त कुल अनुदानों की जानकारी इस बीच इक्ट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जानकारी कब तक इक्ट्ठी हो जाने की सम्भावना है तथा इस बारे में देरी होने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) से (ग). दस हजार रुपये से कम राशियों के उद्देश्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते। अधिकृत व्यापारी तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित कागजात नष्ट कर देते हैं। एक स्थान पर किसी मिशन द्वारा प्राप्त राशियों और

अन्य स्थानों पर उसके द्वारा विभिन्न शाखाओं में बांटी गई राशियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इन स्थितियों में उपलब्ध सूचना के अनुसार आसाम के क्षेत्र में काम करने वाले मिशनों को सन् 1965, 1966, 1967 तथा 1968 (मार्च तक) कुल 34.84 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। आसाम के पहाड़ी जिलों में मिशनों से सम्बन्धित सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

छोटा नागपुर, संथाल परगना तथा नागालैण्ड में काम कर रहे मिशनों से सम्बन्धित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। यह लगभग एक मास में उपलब्ध होने की आशा है। आंकड़ों के उद्देश्य से मिशनरी संस्थानों द्वारा प्राप्त राशियां "प्राइवेट डोनेशन" (निजी दान) शीर्ष के अधीन वर्गीकृत की जाती हैं जिसमें उपहार, असम्बन्धित निजी राशियां, प्रव्रजकों द्वारा किये गये राशियों के हस्तान्तरण, परिवार रख-रखाव, धार्मिक मिशनों की व्यवस्था आदि शामिल है। मिशनरी संस्थानों की प्राप्तियां "प्राइवेट डोनेशन" नामक विस्तृत शीर्ष के अधीन आने वाली प्राप्तियों से पृथक की जानी हैं। इस पृथकीकरण के लिये समय अपेक्षित है।

**अमरीकी सहायता**

2364. **श्री नायनार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों तथा संस्थाओं को अमरीकी सहायता मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया जाता है।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1578/68]**

**कालीकट के निकट हवाई अड्डा**

2365. **श्री नायनार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट (केरल राज्य) के निकट हवाई अड्डा बनाने के लिये स्थान के बारे में केरल सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को केरल राज्य के परिवहन मंत्री द्वारा 20 मई, 1968 को कालीकट से जारी किये गये वक्तव्य का पता है जिसमें कहा गया है कि केरल सरकार कारीपुर (कालीकट जिला) में हवाई अड्डा बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को भूमि देने के लिये तैयार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) कालीकट के लिये एक हवाई अड्डा बनाने के लिये कारीपुर का स्थान चुना गया है तथा इस बात की राज्य सरकार को सूचना दे दी गयी है।

(ख) राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। अपितु, राज्य सरकार से इस स्थान का अभिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है, ताकि जब हवाई अड्डे की प्रायोजना की स्वीकृति मिले तो यह स्थान तत्काल उपलब्ध हो।

(ग) कालीकट हवाई अड्डा प्रायोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

**अन्तर्देशीय जलमार्ग**

2366. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दस से पन्द्रह वर्षों की अवधि में विकास का प्रक्रमवार कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में अन्तर्देशीय जलमार्गों की क्षमता की व्यापक जांच के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)**: (क) और (ख). चूंकि 10 से 15 वर्ष के लिये विकास का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में अन्तर्देशीय जलमार्गों की क्षमता की विस्तृत परीक्षा करने में अवश्य ही कुछ समय लगेगा, अत: प्रथम चरण में चुने हुए प्रदेशों में विशिष्ट योजनाएं बनाना जरूरी समझा गया है ताकि नदी सेवाएं यथासंभव शीघ्र शुरू की जा सकें । अत: देश के मौजूदा अंतर्देशीय जल परिवहन क्रम के अध्ययन और इस प्रकार के परिवहन के विकास की दृष्टि से विभिन्न प्रदेशों में विकास के क्रमिक कार्यक्रम सुझाने के लिए एक अंतर्देशीय जल परिवहन समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

**सम्पादक बोर्ड द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास का मसौदा तैयार किया जाना**

2367. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तैयार करने के लिये 30-12-1952 को एक सम्पादक बोर्ड की स्थापना की थी ;

(ख) क्या शिक्षा मंत्रालय ने इस इतिहास के प्रत्येक खण्ड के प्रकाशन के लिये निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की थीं :—

खण्ड 1—31 मार्च, 1956

खण्ड 2—31 मार्च, 1957

खण्ड 3—31 मार्च, 1958 ;

(ग) क्या उपरोक्त इतिहास के पहले और दूसरे खण्ड क्रमश: 1961 और 1967 में प्रकाशित हो सके थे और क्या तीसरा खण्ड अभी तक तैयार नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को तैयार करने तथा प्रकाशित करने में असाधारण विलम्ब करने और उसके फलस्वरूप खर्च में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । यह तो सम्पादक बोर्ड का अस्थायी सुझाव था जिसे मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास को नवम्बर, 1957 से नये सिरे से 3 खंडों में लिखने की वर्तमान योजना बनाई गई है जो मुख्यतः मूल स्रोतों पर आधारित होगी । इसका उद्देश्य स्वतंत्रता की लड़ाई में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का और आन्तरिक और विश्व की शक्तियों द्वारा इसकी प्रगति और सफलता में किये गये कार्य का उल्लेख करना है ।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के प्रत्येक खंड को तैयार करने में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सी सामग्री जो देश के अन्दर और देश से बाहर बिखरी पड़ी है, इक्ट्ठा करना और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना शामिल है । निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा । इस प्रकार के कार्य में लेखक को जगह-जगह दौड़ाया नहीं जा सकता और ना ही ऐसे मामले में कोई तिथि निश्चित करना सम्भव है । फिर भी, यह प्रयास किये जा रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की परियोजना को यथा शक्य शीघ्रता से पूरा किया जाये ।

**भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिए सम्पादक बोर्ड**

2368. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1952 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिये स्थापित सम्पादक बोर्ड ने सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० आर० सी० मजूमदार को इतिहास का मसौदा तैयार करने के लिये निदेशक नियुक्त किया था ;

(ख) क्या डा० मजूमदार ने पहले खण्ड का मसौदा समय पर तैयार किया था, जिस पर बोर्ड ने 31 दिसम्बर, 1954 को अहमदाबाद में अपनी बैठक में विचार किया था और बोर्ड ने सामान्य रूप से उसकी रूपरेखा की मंजूरी दे दी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का पहला खण्ड इस स्वीकृत मसौदे के आधार पर तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस बैठक में केवल रूपरेखा स्वीकृत की गयी थी परन्तु मसौदा नहीं । सम्पादक-मण्डल की बाद की बैठक में डा० आर० सी० मजूमदार के तैयार किए गए मसौदे पर विचार किया गया था परन्तु मंजूर नहीं किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) चूंकि सम्पादकों ने मसौदा स्वीकृत नहीं किया था ।

**अध्यापक प्रशिक्षण कालेज**

2369. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवेश की समस्या को हल करने के उद्देश्य से देश में और अधिक अध्यापक प्रशिक्षण कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** :(क) और (ख). अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं में अलग-अलग राज्यों में काफी भिन्नता है । कुछ राज्यों में, उदाहरणार्थ, केरल अथवा मद्रास में, सुविधाएं पर्याप्त हैं । अन्य राज्यों में, उदाहरणार्थ, असम और पश्चिम बंगाल में सुविधाएं अपर्याप्त हैं और उसमें सुधार की आवश्यकता है । जिन राज्यों में अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं उनसे नई प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने अथवा विद्यमान प्रशिक्षण संस्थाओं के विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा उन्हें चौथी योजना में शामिल करने का अनुरोध किया गया है ।

## मोटलों का स्थापित किया जाना

2370. **श्री हेम राज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तीर्थ स्थलों पर तथा उनके मार्ग के स्थानों में मोटल खोलने का है ;

(ख) उनका प्रबन्ध स्थानीय निकायों को सौंपने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन स्थानीय निकायों को क्या सहायता देने का विचार है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का, जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है स्वयं अपनी कारों से यात्रा करने वाले पर्यटकों के हित के लिए मोटलों के निर्माण का प्रस्ताव है । उनके लिए स्थानों का चयन, सड़क यातायात के परिमाण तथा पर्यटक रुचि के स्थानों से उनकी निकटता पर आधारित होगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## National Income on Education

2371. **Shri Maharaj Singh Bharati:**
**Shri T. P. Shah:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the percentage of national income spent on education during 1967-68;

(b) whether Government have taken any steps to impart good education with least expenditure; and

(c) if so, the details thereof?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen)**: (a) About 2.8 per cent.

(b) and (c). Consistent with the urgent need to secure expansion with a view to equalizing educational opportunity, the effort all the time has been to provide as good education as possible within the limited resources available.

**Bus Services from Delhi Inter-State Bus Stand**

**2372. Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the number of buses being run from the Inter-State Bus stop of Delhi to the various parts of Delhi; and

(b) whether it is a fact that the required number of bus services are not being provided and passengers are discouraged deliberately from travelling by bus?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan):** (a) and (b). Three city routes Nos. 46, 55 and Z, are operated from the Inter-State Bus Terminal by the Delhi Transport Undertaking. The total number of buses being run on these three routes is 36. In addition, 41 routes which are operated along Alipur Road|Nicholson Road, also serve the Terminal. But Stops at suitable points on these roads have been provided for the convenience of those visiting the Terminal.

**Air Services**

**2373. Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of new routes within and outside the country, with their particulars, on which Government have decided to run air services during the year 1968-69?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** The Indian Airlines proposes to operate the following new services within the country during the year 1968-69:

(i) Bombay-Baroda-Ahmedabad.

(ii) Delhi-Lucknow-Patna-Calcutta.

(iii) Delhi-Agra-Khajuraho-Banaras.

(iv) Calcutta-Bagdogra-Patna-Kathmandu.

Air India have tentative plans to introduce halts at Mogadishu (Somalia) Addis Ababa (Ethiopia) and Entebbe (Uganda) on their East African services. In addition, they plan to operate an Indo-Gulf service on the route Bombay-Bahrain-Dubai-Kuwait. The operation of the services through these new points, however, is subject to the permission of the Governments concerned.

**अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कालेज**

2374. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, नागालैंड, पंजाब, नेफा तथा त्रिपुरा जैसे अहिन्दी भाषी राज्यों में 1968–69 में हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कालेज खोलने का विचार है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, तमिलनाड तथा मद्रास राज्यों में अब तक कुल कितने हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षित किये गये थे ; और

(ग) क्या उन्हें हिन्दी पढ़ाने वाले स्कूलों में अध्यापक के लिये नौकरियाँ दी गई हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)**: (क) इस बारे में लोक सभा में 29 मार्च, 1968 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5713 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। जिसमें जम्मू, काश्मीर नागालैंड और पंजाब में हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कालेज खोले जाने का उल्लेख किया गया है। आसाम, नेफा और त्रिपुरा की स्थिति के बारे में नीचे उल्लेख किया गया है :—

**आसाम** :—1965–66 में हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कालेज खोलने की मंजूरी दे दी गई थी लेकिन राज्य सरकार अभी तक उसको आरम्भ करने में असमर्थ रही है। राज्य सरकार से प्राप्त अन्तिम सूचना के अनुसार कालिज के चालू सत्र से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

**नेफा** :—नेफा में इस प्रकार के कालेज खोले जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

**त्रिपुरा** :—हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये एक कालेज पहले से ही खुला है ।

इसके अतिरिक्त नागालैंड सरकार हिन्दी अध्यापकों के लिये एक आन्तरिक सेवा प्रशिक्षण संस्था के खोले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस बारे में औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करे ।

(ख) आंध्र प्रदेश, मैसूर और मद्रास राज्यों में, केन्द्र सरकार की सहायता से स्थापित हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कालेजों में, 1967–68 के अन्त तक, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

| आंध्र प्रदेश | मैसूर | मद्रास |
|---|---|---|
| 611 | 943 | 179 |

(ग) इस बारे में सरकार को कोई विशेष जानकारी नहीं है ।

**हिन्दी निदेशालय तथा बहुभाषी शब्दकोष**

2375. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी की उन्नति तथा प्रचार के लिये विशेष तथा अहिन्दी राज्यों में प्रचार के लिये 1 मार्च, 1960 से दक्षता से कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या एक बहुभाषी शब्दकोष प्रकाशित करने का प्रस्ताव शुरू किया गया है और यदि हाँ, तो शब्दकोष कब प्रकाशित किया जायेगा ;

(ग) प्रत्येक राज्य में एक भाषा संस्था स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(घ) क्या राज्यों ने ऐसी संस्थायें स्थापित करने के लिये स्वीकृति व्यक्त की है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना के लिये कितना अनुदान दिया गया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी हाँ ।

(ख) भारतीय भाषा समिति द्वारा तीन भाषाओं--हिन्दी, क्षेत्रीय भाषा और इंगलिश में शब्दकोष निकालने की सिफारिश की है। इस विषय में एक योजना तैयार की गई है।

(ग) और (घ). भाषा संस्थाओं को स्थापित किये जाने और इसके बारे में हुई सरकार की प्रतिक्रिया सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1579/68]

(ङ) भाषाओं की संस्थाओं के स्थापित किये जाने के लिये मंत्रालय द्वारा कोई सीधी सहायता नहीं दी गई है। यद्यपि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सम्बद्ध सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में 40 प्रतिशत सहायता देने का अधिकार है। राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राप्त सहायता और उसके प्रयोग किये जाने के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**भारत और पूर्व पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियां**

2376. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर आतंकपूर्ण गतिविधियाँ चल रही हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान के उच्च सैनिक अधिकारियों के वहाँ पर जाने के बाद काफी बड़ी संख्या में मुजाहिदों को प्रशिक्षण देने का काम तेजी से किया जाने लगा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो अपनी सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग). सरकार को सीमा पर ऐसी गतिविधियों को तथा अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गये अनेक कदमों की जानकारी है। सरकार अपनी सीमाओं के सम्बन्ध में जागरूक है।

**भारत-ब्रिटेन विमान भाड़े की खुली दर प्रणाली**

2377. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा ब्रिटेन के बीच विमान भाड़ा अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संस्था द्वारा निर्धारित अधिकृत दर प्रणाली के आधार पर तय करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) क्या यह निर्णय पश्चिम एशिया की विमान कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर भाड़ों में कमी किये जाने के कारण किया गया है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने भारत और यू० के० के बीच 'ओपन रेट सिस्टम' (इच्छानुसार किराये लेने की प्रणाली) चालू करने का कोई निर्णय नहीं किया है। परन्तु कई हवाई कम्पनियों द्वारा निर्धारित किरायों से कम किराये लेने के कारण भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार की सहमति से एयर इंडिया को दिल्ली से लन्दन तक उत्प्रवासी यातायात कम किराये पर ले जाने के निदेश दे दिये थे। अन्तर्राष्ट्रीय विमान

परिवहन संस्था के विनियमों के अनुसार इसकी इजाजत है। इन विनियमों के अनुसार किराये केवल उन देशों की हवाई कम्पनियों द्वारा घटाये जा सकते हैं जिनसे यातायात प्रारम्भ होता हो अथवा जहाँ वह समाप्त होता हो अर्थात् इस मामले में एयर इंडिया तथा बी० ओ० ए० सी० द्वारा ही ये किराये घटाये जा सकते हैं।

एक पश्चिमी एशियाई हवाई कम्पनी ने भारत सरकार के इस अनुदेश से दुखित अनुभव किया तथा इस क्षेत्र में जिसमें कि भारत से यू० के० का मार्ग भी सम्मिलित था, आई० ए० टी० ए० की किरायों सम्बन्धी व्यवस्था की निन्दा की। इससे इस सेक्टर में इच्छानुसार किराये लेने (ओपन रेट) की परिस्थिति उत्पन्न हुई। सरकारी स्तर पर बातचीत के परिणामस्वरूप 15 जुलाई तक किराये अस्थायी तौर पर प्रतिबन्धित कर दिये गये, परन्तु अब उनमें फिर से छूट दी गई है। मामले पर सरकारी स्तर पर अब भी बातचीत चल रही है।

### केरल में माओ समर्थक पोस्टर

2378. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एलिपी (केरल) के कारथीगपल्ली तालुक के गाँवों में माओ समर्थक पोस्टर लगे पाये गये थे जिन पर चीन समर्थक नारे लिखे थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश के विभिन्न भागों विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में भारत विरोधी तथा चीन समर्थक इस प्रकार के प्रचार को रोकने को ध्यान में रखते हुए सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार एलिपी जिले (केरल) के कारथीगपल्ली तालुक के कुछ गाँवों में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के उग्रवादी गुट की विचारधारा वाले पोस्टर देखे गये थे।

(ख) सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक निगरानी रख रही है।

### साम्प्रदायिक प्रचार

2379. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक प्रचार पर पाबंदी लगाने के लिये राज्यों को निदेश दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस निदेश में साम्प्रदायिक प्रचार की कोई परिभाषा की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या परिभाषा की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग). सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान वर्तमान कानून के उपबन्धों और विशेषत: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153–क, 295–क तथा 505–ग की ओर आकर्षित किया है जो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए लागू की जा सकती हैं जो धर्म आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दे या कोई ऐसा काम करें जिससे विभिन्न धार्मिक दलों या समुदायों के बीच सद्भावना बनाये रखने के लिए अनिष्ट हो।

**उड़ीसा के भारतीय प्रशासन सेवा के एक अधिकारी का ज्ञापन**

2380. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासन सेवा के एक अधिकारी ने, जो इस समय उड़ीसा सरकार के अन्तर्गत काम कर रहा है, एक ज्ञापन दिया है जिसमें बताया गया है कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को किस प्रकार तंग किया गया ;

(ख) क्या उसने अपने मंत्रालय से इस विषय में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उसके ज्ञापन और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की एक प्रति सरकार पटल पर रखने का विचार कर रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) और (ख) उड़ीसा संवर्ग के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उसे निलम्बित किये जाने के आदेश के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया है । ज्ञापन की एक अग्रिम प्रतिलिपि प्राप्त हुई है । राज्य सरकार की टिप्पणी सहित मूल की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

**पाठ्य पुस्तकों के लिये स्वायत्तशासी निगम**

2381. **श्री धीरेश्वर कलिता** :
**श्री ईश्वर रेड्डी** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने और उनमें सुधार करने के लिये प्रत्येक राज्य में किसी स्वायत्तशासी निगम को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) से (ग) 1964–66 में स्थापित शिक्षा समिति ने एक सुझाव दिया था कि राज्य स्तर पर एक अलग एजेंसी, जो स्वायत्तशासी और वाणिज्यिक आधार पर कार्य कर रही हो, और जिसका पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने और शैक्षिक सहायता देने में शिक्षा मंत्रालय से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हो, स्थापित की जानी चाहिये । बिहार तथा महाराष्ट्र राज्य की सरकारों ने पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने के लिये पहले ही स्वायत्तशासी निगम की स्थापना कर ली है । ऐसा विदित हुआ है कि कुछ और राज्य भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ।

**काकिनाडा बन्दरगाह का बड़ी बन्दरगाह के रूप में विकास**

2382. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काकिनाडा को एक बड़ा बन्दरगाह बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया जायेगा ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की संभावना है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर अनुमानित लागत कितनी है ?

**परिवहन तथा नौवहन तथा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)**: (क) काकीनाडा पत्तन बड़े पत्तन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**Admission in Delhi Schools and Colleges**

**2383. Shri Onkar Lal Berwa:**
**Shri Bal Raj Madhok:**
**Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the reasons for which admission has been stopped in schools and colleges in Delhi;

(b) whether Government contemplate opening of new schools and colleges in view of their shortage in Delhi; and

(c) the number of boys and girls who have not been able to get admission in schools and colleges this year?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)**: (a) Admissions have not yet been stopped everywhere.

(b) 13 new schools have already been opened in Delhi. One new college has also been opened under a private management in New Delhi. Opening of any additional school or college is not contemplated at present.

(c) No complaint has been received about non-admission in schools. As regards colleges, admissions are still going on.

**कोटा (राजस्थान) के लिये विमान सेवा**

2384. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अगस्त, 1968 से कोटा (राजस्थान) के लिए विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Selection of Teachers in Central Schools**

**2385. Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that selection of Teachers was recently made for

the appointment of some teachers in the Central Schools;

(b) whether it is also a fact that teachers of Punjab and other States were not appointed there; and

(c) if so, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):** (a) Yes, Sir.

(b) It is not true, though appointments are not made on this consideration.

(c) The question does not arise.

**विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी**

2386. **श्री द० रा० परमार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजने के बारे में कोई योजना या कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है जिन्हें गत पांच वर्षों में सरकारी खर्च पर तथा सरकारी छात्रवृत्तियां देकर उनके अपने खर्च पर विदेशों में भेजा गया ।

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) से (ग). संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है ।

**विवरण**

भाग (क) अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजे जाने वाली योजना के अन्तर्गत, अनाधिसूचित, खानाबदोष, अर्द्ध खानाबदोष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी विदेश भेजे जाते हैं ।

भाग (ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 9 छात्रवृतियां प्रदान की जाती हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| (1) अनुसूचित जातियां . . . . . | 4 |
| (2) अनुसूचित आदिम जातियां . . . . . | 4 |
| (3) अनाधिसूचित खानाबदोष अर्द्धखानाबदोष आदिम जातियां . | 1 |
| | 9 |

**पाठ्यक्रम** :—ये छात्रवृतियां उन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान के लिये दी जाती है जिनकी भारत में कोई व्यवस्था नहीं है ।

**योग्यता :** अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना चाहिये और उसकी निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिये :—

**अनुसूचित जातियों के लिये** (1) एम० डी० एम० एस० या स्वास्थ्य आदि या औषध/शल्यचिकित्सा में स्नात्तकोत्तर डिपलोमा प्राप्त किया हो ।

या

(2) इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो ।

या

(3) अन्य विषयों में प्रथम श्रेणी में स्नात्तकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो ।

**अनुसूचित आदिमजातियां** (1) एम० डी०, एम० एस० या एम० एस० सी० या स्वास्थ आदि या औषध शल्य चिकित्सा में स्नात्तकोत्तर डिपलोमा प्राप्त किया हो ।

या

(2) इंजिनियरिंग में द्वितीय श्रेणी में स्नात्तकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो ।

(3) अन्य विषयों में द्वितीय श्रेणी में स्नात्तकोत्तर डिग्री प्राप्त की हों ।

**आयु** :—अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष पुरस्कार मिलना हो उस वर्ष 1 अक्तूबर को 35 वर्ष से कम होनी चाहिये ।

**छात्रवृत्ति की राशि** :—यह छात्रवृत्ति ब्रिटेन में £540 से £565 तक प्रतिवर्ष और अमेरिका में $1800 प्रतिवर्ष है । इसमें पुस्तकों, अत्यावश्यक उपकरणों, अध्ययन भ्रमण, थीसिस पर जिल्द चढ़ाना, सब फीस और चिकित्सा बीमा खर्चे और दोनों ओर का यात्रा भाड़ा और अत्यावश्यक आन्तरिक यात्रा और रखरखाव भत्ता पर हुये वास्तविक खर्चे शामिल हैं ।

**बांड** :—विद्यार्थी को निर्धारित फार्म में एक बांड भरना होता है जिसमें वह और बातों के अलावा यह आश्वासन देता है कि वह अपना अध्ययन/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात भारत लौट जायेगा और भारत में 5 वर्ष तक रहेगा ।

भाग (ग) 1963 से 36 विद्यार्थियों (24 अनुसूचित जातियों और 12 अनुसूचित आदिम जातियों के) को पूर्णतया सरकारी खर्च पर विदेशों में भेजा गया । चूंकि योजना के अन्तर्गत चुने गये विद्यार्थी के सब खर्चों को सरकार ने सहन करना होता है । अतः सरकारी छात्रवृत्तियां देकर उन्हें उनके खर्च पर विदेशों में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**गुजरात में पत्तनों का विकास**

2387. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में खम्भात पत्तन की विकास योजनाओं की मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) गुजरात के अन्य पत्तनों के विकास की योजनायें क्या हैं ;

(ग) क्या पत्तनों के विकास के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि हां तो किन-किन पत्तनों के विकास को प्राथमिकता दी गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख)

बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व संबद्ध राज्य सरकार में निहित है । गुजरात की राज्य सरकार ने रिपोर्ट की है कि गुजरात राज्य में (कैंबे के पत्तन को शामिल कर) छोटे और मध्यवर्ती पत्तनों के विकास के लिये उनकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

**उड़ीसा में जगन्नाथ सेना**

2388. **श्री शिवचन्द्र झा :**
**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968 में उड़ीसा में एक जगन्नाथ सेना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र की शिव सेना के मुकाबले में इस सेना का उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं ;

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) देश में कुल मिलाकर ऐसी गैर-सरकारी साम्प्रदायिक सेनायें कितनी हैं ; उनके नाम क्या हैं ; उनमें कितने-कितने सैनिक हैं और वे किन-किन क्षेत्रों में काम करती हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) तथा (ख). राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जगन्नाथ सेना के नाम से स्वयं को पुकारने वाले 19 व्यक्तियों का एक छोटा सा दल उनके ध्यान में आया था । इनके उद्देश्य पीड़ा ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना, उड़िया भाषा का विकास करना और उड़िया जनता में एकता की भावना उत्पन्न करना आदि है । गैर-महाराष्ट्रियों के विरुद्ध शिव सेना जिस प्राकर से प्रचार कर रही थी उसकी भर्त्सना प्रतिक्रियात्मक और हानिकारक के रूप में की गई है ।

(ग) ऐसी संगठनों की गतिविधियों पर सरकार निगरानी रखती है और आवश्यकता अनुसार कानून के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(घ) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1580/68**]

**बिहार के आदिवासी लोगों की शिकायतें**

2389. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के आदिवासियों ने अपनी कठिनाइयों को दूर कराने के लिए सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख) बिहार के आदिवासियों की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें भूमि अन्य संक्रामण और बेरोजगारी की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

(ग) राज्य सरकार से भूमि के अन्य संक्रामण की समस्या की तुरन्त जांच करने के लिए तथा आदिवासियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने की कार्यवाहियों के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है ।

## बिहार में शिक्षा नीति

2390. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में शिक्षा की नीति अनिश्चित अवस्था में रही है जैसा कि केन्द्रीय संचार मंत्री डा० राम सुभग सिंह ने कहा था और 3 जुलाई, 1968 के 'इंडियन नेशन', पटना में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले 10 वर्षों में बिहार के विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या स्थिति रही है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## Corruption Cases

2393. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases of corruption registered with the departments concerned by the Special Police Establishment of the Central Investigation Bureau from January, 1967 to-date;

(b) the number of Gazetted Officers involved in those cases;

(c) the number of officials punished departmentally during the above period; and

(d) the number of Gazetted Officers among them and the number of those officers and employees whose services were terminated on charges of corruption during the above period?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) 1201 cases of Corruption were registered by the Delhi Special Police Establishment Division of the Central Bureau of Investigation during the period January, 1967 to June, 1968.

(b) 464 Gazetted Officers were involved in these cases.

(c) As per results received so far, 36 officials have been punished departmentally in the above cases.

(d) Of these 36 Officials, two were of Gazetted status. One public servant of Non-Gazetted status had his service terminated.

**Training of Mizo and Kukis in China**

**2395. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any enquiry in regard to a news-item published in the daily Hindustan of the 8th July, 1968, in which it has been stated that 1000 Mizo and Kuki rebels have gone to China to receive training and arms;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the action proposed to be taken by Government in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). Government's attention has been drawn to this news-item. According to information available with the Government, Kuki and Mizo hostiles has been crossing into Burma in batches, but there is no information that 1000 Mizo and Kuki hostiles have gone to China.

(c) Does not arise.

**Wrestling Federation of India**

**2396. Shri Hukam Chand Kachwai:**
**Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Wrestling Federation of India has not invited Bharat Kesari Master Chandgi Ram to the Training Camp organised in Simla with a view to deprive him of his chance to take part in the Mexico Olympic;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) whether Government propose to direct the Wrestling Federation to invite Bharat Kesari also to the Training Camp at Simla so as to enable him to take part in Mexico?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):** (a) to (c). The Government has taken up the matter with the All India Council of Sports who will discuss the entire issue with the Wrestling Federation of India.

**वाल्कट और डौजे के सहायक**

**2397. श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो विदेशियों जीन डौजे तथा डेनियल वालकाट जिन्हें भारत में गैर-कानूनी ढंग से

दाखिल होने और चोरी छिपे गैर-कानूनी गतिविधियां करने के आरोप में बम्बई तथा मद्रास में सजा दी गयी थी, के सहायकों के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त हुई है ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और सजा पाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख) जीन डौजे तथा डेनियल वालकाट के विरुद्ध उनके भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने तथा तस्करी गतिविधियों के लिये दर्ज मामलों के सम्बन्ध में 10 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। 7 व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 5, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 109 और 114 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है। जीन डौजे और डेनियल वालकाट लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने पर, दोषी ठहराये गये थे। शष व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अभी चलाया जा रहा है। जांच के दौरान यह पाया गया था कि इन व्यक्तियों ने वालकाट और डौजे की, उनकी तस्करी और अवैध गतिविधियों में सहायता की थी।

**Use of Hindi in High Courts**

**2398. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are making efforts to introduce Hindi in High Courts very soon; and

(b) if so, by which time?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Under Article 348(2) of the Constitution read with Section 7 of the Official Languages Act, 1963, the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi, or the Official Language of the State, in proceedings before the High Court of that State. Such a consent was given by the President when a proposal was received from the State Government for permitting the use of Hindi for arguments in cases pending before the Allahabad High Court.

(b) The question of bringing into force Section 7 of the Official Languages Act, 1963 is under consideration in consultation with the State Governments.

**क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जनपथ दिल्ली**

2399. **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री प्र० ना० सोलंकी :**
**श्री मीठालाल मीना :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली के जनपथ स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा प्रतिदिन, महीनेवार और वर्षवार कितने सीखने के स्थायी लाइसेंस दिये जाते हैं और कितने रजिस्ट्रेशन किये जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को लाइसेंस की अधिक संख्या को देखते हुये कर्मचारियों की कम संख्या होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि लोगों को लाइसेंसों के नवीकरण और रजिस्ट्रेशन के समय कठिनाइयों का सामना करना होता है क्योंकि कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होते और उन्हें पुरानी दिल्ली कार्यालय में जाने को कहा जाता है ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखें संख्या ए० टी० 1580/68]

(ख) जी हां, सामान्यतः कर्मचारियों की कमी है तथापि भीड़ के मौकों पर जब कर का भुगतान किया जाता है, अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) नई दिल्ली कार्यालय पहले जनपथ पर एक कमरे में था। 20-6-1968 से एक अतिरिक्त आयुक्त की व्यवस्था की गई है और उस कार्यालय में किये गये सौदों से संबन्धित (अर्थात गैरव्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस और नये निजी मोटर गाड़ियों के पंजीकरण का जारी किया जाना) का रिकार्ड वहां उपलब्ध है। तथापि पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का पुनः नवनीकरण पुरानी दिल्ली के परिवहन निदेशालय के कार्यालय में किया जाता है क्योंकि सारा काम नई दिल्ली के कार्यालय में स्थानान्तरित करना संभव नहीं है।

जनपथ, नई दिल्ली में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा प्रतिदिन, प्रतिमास और प्रतिवर्ष जारी किये गये सीखने वाले। स्थायी लाइसेंसों की संख्या बताने वाला विवरण।

| जनवरी 1968—मार्च 1968 | | | 1967-68 |
|---|---|---|---|
| | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिवर्ष |
| (1) सीखने वालों के लाइसेंस | 146 | 2,713 | 22,619 |
| (2) स्थायी लाइसेंस . . | 32 | 740 | 9,595 |
| (3) मोटर गाड़ियों का पंजीकरण | 59 | 1,377 | 14,258 |

## न्यायाधीशों का तबादला

2400. श्री अजमल खां :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री घो० ना० देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वेदव्रत बहुगुणा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता लाने के लिये न्यायाधीशों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में तबादला करने तथा उच्च न्यायिक मदों पर अन्य राज्यों के व्यक्तियों को भर्ती करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार का ध्यान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले के बारे में 16 जून 1968 के स्टेट्समैन के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 16 जून, 1968 के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। इन प्रस्तावों पर अभी कोई निर्णय नहीं लियय गया है ।

## दिल्ली-मद्रास कैरेवेल विमान सेवा

2401. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से मद्रास जाने वाले कैरेवेल विमान इस समय किस मार्ग से होकर जाते हैं ;

(ख) दिल्ली और मद्रास के बीच सबसे छोटा मार्ग कौन सा है ; और

(ग) कैरेवेल अथवा अन्य विमान सेवाओं द्वारा सबसे छोटा मार्ग प्रयोग नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और सबसे छोटे मार्ग के प्रयोग नहीं किये जाने के कारण कितना अधिक ईंधन और जन शक्ति की हानि होती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग). दिल्ली और मद्रास के बीच सबसे छोटा रास्ता इन दोनों स्थानों के बीच सीधी उड़ान द्वारा होगा जिसमें 950 नाटिकल मील की दूरी शामिल होगी। परिचालन एवं तकनीकी कारणों से, कारवेल विमान द्वारा फिलहाल परिचालित किया जा रहा मार्ग दिल्ली-सोना डिग-भोपाल- येल्ला रेड्डी-विकाराबाद मद्रास है, जिसमें 995 नाटिकल मील की दूरी शामिल है। आने-जाने सहित प्रत्येक यात्रा में इस मार्ग परिवर्तन के कारण 875 लीटर अधिक पेट्रोल की खपत होती है। इससे प्रतिमास मानवीय श्रम के 49 घंटे लगते हैं, जिनमें से 21 उड़ान कर्मियों के और 28 केबिन कर्मियों के होते हैं।

## युगोस्लाविया से जहाजों का प्राप्त किया जाना

2402. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज निगम ने यूगोस्लाविया से एक जहाज प्राप्त करने का निर्णय किया है जिससे सभी मौसमों में मुख्य भूमि तथा लक्कदीव द्वीप समूह सेवा के बीच सेवा सुनिश्चित हो जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो जहाज की क्या कीमत होगी और इसकी क्षमता कितने यात्रियों को ले जाने की होगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। भारत के शिपिंग कारपोरेशन ने मुख्य देश और लक्कादीव द्वीपों के बीच वर्ष भर सेवा करने के लिये एक यात्री तथा मालपोत के निर्माण के लिये यूगोस्लाविया को आदेश दिया है।

(ख) पोत की लागत 157.50 लाख रुपये होगी। पोत 1800 डी० डब्लू०टी० का होगा और उसकी यात्री ले जाने की क्षमता 112 तथा माल की क्षमता 800 टन होगी।

**प्रशासन में राजनीतिक दलों द्वारा हस्तक्षेप**

2403. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन में सभी स्तरों पर सत्ताधारी दल द्वारा हस्तक्षेप के बारे में मद्रास के भूतपूर्व मंत्री श्री भक्तवत्सलम के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के काम को लोक सेवा आयोग को सौंपने के सम्बन्ध में विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार केवल कार्य कर रहे न्यायाधीशों को लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त करने का है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) प्रश्न में पूछे गये वक्तव्य में, जैसा कि समाचार पत्रों में दिया गया था, मद्रास राज्य के प्रशासन के बारे में कुछ सामान्य पर्यवेक्षण दिये गये थे। श्री उस वक्तव्य के अनुसरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग). जी नहीं, श्रीमान्।

**मंगलौर पत्तन परियोजना**

2404. **श्री लोबो प्रभु** : क्या परिवहन तथा नौ-हन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर पत्तन परियोजना में इस समय नियुक्त कर्मचारी इस स्थिति में हैं कि वे इतने बड़े काम का देखभाल कर सकें कि जिस पर प्रति वर्ष चार करोड़ रुपये व्यय होते हों;

(ख) यदि हाँ, तो दिसम्बर, 1967 से केवल एक करोड़ रुपये का व्यय किये जाने के क्या कारण है तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या मंत्रिमंडल ने दिसम्बर, 1967 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका क्रियान्वित में देरी होने के क्या कारण हैं ?

**परिवहन तथा नौ-हन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (घ). मंगलौर पत्तन परियोजना 24.30 करोड़ रुपये की लागत पर मंजूरी दी जा चुकी है। इस परियोजना के लिये धन का आवंटन वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर निश्चित किया गया है जिसमें देश की सम्पूर्ण साधन स्थिति का विचार रखा जायेगा। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिये इस परियोजना के लिये 100 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और इस राशि तक निर्माण कार्यक्रम सीमित रखा गया है।

मंगलौर पत्तन परियोजना में दो सिविल प्रभाग हैं, एक डिजाइन के लिये और दूसरा निर्माण कार्य के लिये। मौजूदा निर्माण कार्य प्रभाग अभी चार करोड़ रुपये वार्षिक की लागत के निर्माण कार्यों को पूर्ति नहीं कर सकता है।

**Dissolution of Delhi Municipal Corporation**

**2405. Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the move for the dissolution of Delhi Municipal Corporation is getting support from the Central Government; and

(b) if not, the names of the forces responsible for spreading this rumour?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) No, Sir.

(b) The Government is not aware of any such sources.

**Dissolution of Delhi Municipal Corporation**

**2406. Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the present Municipal Corporation has increased a number of facilities regarding transport etc. for the citizens of Delhi;

(b) if so, whether Government have given financial aid to the present Municipal Corporation in the same way as was given in the previous years; and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Yes, Sir. As against 893 buses on an average a day during March, 1967, the corresponding figure in March, 1968 was 1074. A new centre for issue of passes has been added this year. Thirtyfive new bus queue shelters were constructed in 1967-68, bringing the total to 411 in the operational area as on 31st March, 1968.

(b) There has been no change in the policy of the Government in the matter of financial assistance to the Delhi Municipal Corporation.

(c) Does not arise.

**Crimes in U.P.**

**2407. Shri Prakash Vir Shastri:**
**Shri Surya Prakash Puri:**
**Shri Ramavatar Sharma:**
**Shri Shiv Kumar Shastri:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the number of crimes is increasing in Uttar Pradesh;

(b) if so, the measures envisaged to further improve the law and order situation; and

(c) the time by which the measures would be adopted?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) to (c). The Government of Uttar Pradesh have reported that there has not been any significant increase under the important heads of

crime in the State as compared to the corresponding period during the last year. The Government, however, are taking necessary administrative measures to increase the operational efficiency of the police force.

**Staff Employed for Hindi Work in Central Government Offices**

**2408. Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that such persons as were appointed twelve years ago by the Central Government in the capacity of stenographers, Clerks/ Typists for doing only Hindi work and have been doing constantly the Hindi work since then, would be compelled now to do English work alongwith their Hindi work though they may not possess the requisite knowledge of English;

(b) if so, the reasons therefor and the arrangements made to remove difficulties being faced by them in doing work in English; and

(c) whether this action would not hamper the progressive use of Hindi in official work, its expansion, propagation and development?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**Punjab University**

†**2409. Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no decision has been taken to declare Punjab university a Central University due to the undecided future of Chandigarh;

(b) whether it is also a fact that for this reason the effect on internal atmosphere and educational set up of the University is not proper; and

(c) if so, when an announcement declaring it a Central University is likely to be made?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** (a) Yes, Sir, no such decision has been taken.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**U.P. Roadways Buses Plying for Delhi**

**2410. Shri Prakash Vir Shastri:**
**Shri Ramavatar Sharma:**
**Dr. Surya Prakash Puri:**
**Shri Shiv Kumar Shastri:**

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.P. State Roadways buses plying from Moradabad to Delhi come from a longer route *via* Meerut instead of *via* Hapur;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which Roadways buses are proposed to be started on Garhmukteshwar, Hapur and Delhi road which has potential passenger traffic?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan):** (a) to (c). The necessary information is being obtained from the Government of U.P. and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

**Linguistic Minorities in Punjab**

**2411. Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 529 on the 8th March, 1968 and state:

(a) the details of the adequate machinery, constitutional, or otherwise, provided to protect the interests of the linguistic minorities in Punjab;

(b) whether it is a fact that Hindi words have been wiped out from sign boards of Government offices and from milestones on roads and the use of Hindi has been totally stopped in Governmental work in Punjab; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Safeguards included in Part III of the Constitution are justiciable. In addition, under Article 350-B of the Constitution, the Commissioner for Linguistic Miniorities is also required to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution and to submit annual reports to the President. These reports are placed before Parliament and copies thereof are also sent to the State Governments. The Punjab Government have designated a senior Officer as Special Officer for linguistic minorities who works under the directions of the Chief Secretary.

(b) Punjabi in Gurmukhi script is the sole official language of Punjab Government and is being used for all official work. The State Government have, however, decided that Hindi shall be used for correspondence with the Central Government and the Hindi speaking States. The sign boards in Government offices which were in English previously have been replaced by Punjabi. On roads maintained by the State Government distance on milestones and traffic signs are in Punjabi. On national highways, the milestones have not been changed.

(c) Under Article 345 of the Constitution, the official language of a State is to be decided by the legislature of that State.

**Correspondence between Dayanand Ji and Shyam Ji**

†**2412. Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3394 on the 8th March, 1968 and state the further progress since made for obtaining the correspondence held between Maharishi Dayanand Saraswati and the eminent revolutionary Shri Shyamji Krishna Varma and other related documents

**The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh):** Enquiries have been made from the author of the biography of Shyamji Krishna Varma and it is understood that the letters and other papers of

Shyamji Krishna varma have got distributed at various places. Efforts so far made, do not reveal any correspondence between swami Dayanandji and Shyamji Krishna Varma. Enquiries are however still in progress with the persons and the authorities who are having these papers with a view to find out whether, and if so, what correspondence took place between Swami Dayanand and Shyamji Krishna Varma.

**Land Agitation in U.P.**

**2413. Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested in the agitation which was launched some time back in connection with the distribution of land among landless people in Uttar Pradesh;

(b) whether Government have drawn up any scheme to utilise such land as has been lying unused in Uttar Pradesh; and

(c) if so, the details thereof;

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):** (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

**National Council of Educational Research and Training**

**2414. Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no uniform rules have been framed in connection with the services of the employees of the National Council of Educational Research and Training;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the employees of the said institution are dismissed and re-appointed arbitrarily;

(d) whether some employees were dismissed in May-June, 1968 and were reappointed immediately; and

(e) whether Government propose to take steps to frame uniform rule to check the cases of harassment caused to employees and their dismissal in an arbitrary manner?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** (a) and (b). Service rules for the employees of the National Council of Educational Research and Training are under preparation and will be promulgated soon. For the interim period the Council is following uniform procedures for all employees according to the provisions approved by the Governing Body.

(c) No, Sir.

(d) No, Sir.

(e) The service rules are already under preparation and Government has not received any complaints regarding harassment or dismissal of the employees.

**Non-Gazetted Employees of Uttar Pradesh**

**2415. Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the demands of non-Gazetted employees of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) The demands of non-Gazetted employees have been considered by the State Government many times in the past. The State Government have decided very recently to set up Staff Councils in Departments having recognised employees' organisations and any matters coming up through them will be considered.

(b) Question does not arise in view of Staff Councils proposed to be set up.

**मोतीहारी में एक को छुरा मारे जाने की घटना**

2416. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० एल० कालेज, मोतीहारी (बिहार) के प्रि-साइंस श्रेणी के एक छात्र को जुलाई, 1968 में छुरा मारा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में बिहार में अराजकता बढ़ रही है और विशेष कर चम्पारन में; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए क्या कार्यवाही की है

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) प्रहार का इरादा कालिज के विद्यार्थियों में शत्रुता बतायी जाती है।

(ग) और (घ) : बिहार सरकार ने सूचना दी है कि अराजकता बढ़ नहीं रही है।

**सीमा सुरक्षा सेना के कर्मचारी**

2417. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा सेना, आसाम राइफल्ज तथा लद्दाख स्काउट्स रेजीमेंट में इस समय कार्य कर रहे अधिकारियों तथा जवानों की संख्या कितनी है; और

(ख) 1968–69 में इन पर कुल कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :(क) यह सूचना देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

(ख) सन् 1968–69 के दौरान सीमा सुरक्षा दल और आसाम राइफल्स पर होने वाले व्यय का प्राक्कलन सन् 1968-69 के लिये गृह-मंत्रालय के अनुदानों की माँगों में सदन के सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है। लद्दाख स्काउट्स के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सशस्त्र दलों को विभिन्न एककों के सम्बन्ध में व्यय की राशि अलग अलग दिखाने की प्रथा नहीं है। तथापि, सशस्त्र दलों पर कुल होने वाला प्राक्कलित व्यय सन् 1968–69 के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की माँगों में देखा जा सकता है जिसकी एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रख दी गई है।

### नागाओं के साथ मुठभेड़

2418. श्री नीरेन्द्र सिंह चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एस० ए० पी०, एस० ए० एफ, आसाम राइफल्स, सीमा सुरक्षा दल और अन्य दलों के कितने सैनिक नागालैण्ड में विद्रोही नागाओं की गतिविधियों को रोकने के लिये आरम्भ की गई कार्यवाही के प्रारम्भ से लेकर अब तक की अवधि में नागाओं के आक्रमण में या उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही में मारे गये, घायल हुए, अपहृत किये गये अथवा लापता हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### एयर इंडिया के कार्यालयों द्वारा पर्यटन का विकास

2419. श्री स० कुण्डू : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोप में स्थित एयर इंडिया के बिक्री कार्यालयों को भारत के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के काम में लगाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एक नयी व्यवस्था आयोजित की गयी है जिसका उद्देश्य भारत में पर्यटकीय आकर्षणों एवं सुविधाओं के बारे में पर्यटन विभाग के विशिष्ट अनुभव को एयर इंडिया के फैले हुए विस्तृत कार्यालय-जाल तथा यूरोप में उनके पर्यटन सम्बन्धी अभिवृद्धि कार्य के अनुभव के साथ जोड़ देना है। इस व्यवस्था के अनुसार जब कि पर्यटन विभाग तथा एयर इंडिया यूरोप में भी अपने अलग अलग व्यक्तित्व को बनाये रखेंगे, उस महाद्वीप में पर्यटन विषयक अभिवृद्धि कार्य का पथ-निर्देशन एयर इंडिया के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा जो कि बम्बई स्थित एयर इंडिया के मुख्यालय के माध्यम से पर्यटन विभाग के प्रति उत्तरदायी होगा।

### पश्चिमी जर्मनी से ट्रैक्टर

2420. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार पश्चिमी जर्मनी के 20 लाख डी० एम० के

ऋण के विरुद्ध पश्चिमी जर्मनी के सप्लायरों को ड्रेजर के लिये आर्डर देने में अभी तक असफल रही है;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं और

(ग) ऋण का शीघ्र प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (ग) पश्चिम जर्मन सप्लायर की डी० एम० 28 मिलियन की क्रेडिट के अधीन पश्चिम जर्मनी से आयातित संघनित्र सहित एक निकर्षक के निर्माण के लिये गुजरात की राज्य सरकार ने 28 जून, 1968 को मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता को एक आशय पत्र जारी किया है। पश्चिम जर्मन सप्लायर्स से निकर्षक आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

## राष्ट्रीय राजपथों का विकास

2421. **श्री अदचन** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर कितनी धन राशि खर्च की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजपथों के विकास में क्या प्रगति की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि अब भी बहुत से राष्ट्रीय राजपथों पर नदियों को पार करने के लिये पुल नहीं हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन राजपथों पर बहुत से कमजोर पुल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) 194.14 करोड़ रुपये।

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | निर्माण किये गायब टुकड़ों की कुल लम्बाई | 1620 मील |
| | निर्माण किये हुए बड़े पुलों की सम्पूर्ण संख्या | 137 मील |
| | सुधार किये गये मौजूदा अनुभागों की कुल लम्बाई | 9500 मील |
| | दोहरी गली में चौड़ी की गई सड़कों की कुल लम्बाई | 2400 मील |

इसके अलावा तीन पंचवर्षीय योजनाओं में पूरे किये गये काम में 31 मार्च, 1966 को गायब टुकड़ों के 90 मीलों में और 47 बड़े पुलों पर काम प्रगति पर था। मौजूदा अनुभागों के 300 मील का सुधार और गाड़ी चलने योग्य दोहरी गलियों में 1600 मील सड़क चौड़ी की जा रही थी।

(ग) जी हां।

**आठवीं अनुसूची में नैपाली भाषा को शामिल करना**

2422. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत मे नेपाली भाषा-भाषी लोगों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा सम्मिलित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कितनी जल्दी यह कार्य किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में नेपाली भाषा-भाषी लोगों की जनसंख्या 10,21,102 है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार का दृष्टिकोण है कि वृहत राष्ट्रीय हित में आठवीं अनुसूची को और आगे परिवर्द्धित नहीं करना चाहिये।

**राजभवन**

2423. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के लिये कितने राजभवन (गवर्नमेंट हाउस) हैं;

(ख) इन भवनों का कुल क्षेत्र कितना है और इन भवनों में कितना निर्मित क्षेत्र है;

(ग) इनका वर्तमान बाजार मूल्य कितना है; और

(घ) इन में कर्मचारियों और रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय कितना होता है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) दो राजभवन तथा एक फ्लैग स्टाफ हाउस बंगला।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) 12.54 लाख रुपये जिसमें 4.06 लाख रु० के म्युनिसिपल कर शामिल हैं।

**Dues from Nizam of Hyderabad**

2425. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received a complaint from the Government

of Andhra Pradesh that a sum of Rs. 14 lakhs is due from the Nizam of Hyderabad in respect of water and electricity charges; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b) The Government of India have not received any complaint from the Government of Andhra Pradesh regarding dues from the Nizam of Hyderabad in respect of water and electricity charges. However, on an earlier occasion, the State Government had intimated that the Nizam had claimed privilege of exemption in regard to payment of his dues to the State Electricity Board Andhra Pradesh and that the matter was under examination of the State Government.

**Accident to a Coastal Vessel**

**2426. Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one 8000-ton vessel met with an accident at a place 150 miles away from Bhavnagar on the Saurashtra coast in May, 1968;

(b) if so, the amount of expenditure that had been incurred on its construction; and

(c) the amount of loss suffered as a result of its involvement in this accident and the causes thereof?

**The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao):** (a) to (c), S.S. 'Bharat Ratna' dead weight tonnage 7972, constructed at a cost of Rs. 83.24 lakhs, on her voyage from Bhavnagar to Calcutta with 5,900 tons of salt in bulk ran aground on 14th May, 1968 in the Gulf of Cambay roughly 50 miles from Bhavnagar. The ship with her cargo was a total loss. The loss suffered consequent on this accident is estimated to be Rs. 64.7 lakhs. A preliminary inquiry into the shipping casualty has been conducted and the report is under scrutiny, after which decision will be taken on whether formal investigation under Section 360 of the Merchant Shipping Act of 1958 is to be ordered.

**सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लोगों को भर्ती के के लिये सुरक्षण**

2428. श्री सिन्हा :
श्री सोलावे :
श्री प्र० ० ठाकुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिये हाल ही में नियुक्त की गई समिति के सदस्यों के नाम, अधिकार तथा कर्तव्य क्या हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में ऐसी समितियां नियुक्त की गई हैं; और

(ग) यदि हां तो उनका ब्योरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एल० रामास्वामी)** : (क) समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने वाले संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1582/68]**

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे यादों दल द्वारा सिफारिश की गई समितियों के समान समितियों के गठन पर विचार करें। तथापि यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितनी राज्य सरकारों ने वास्तव में इन समितियों का गठन कर लिया है।

**National Integration Council**

**2429. Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on the meetings of the National Integration Council held at Srinagar recently;

(b) the expenditure incurred on the dinner given by the Prime Minister and the source from where this expenditure was met; and

(c) whether the Prime Minister held any special meeting with Sheikh Abdullah?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) whether the Prime Minister held any special meeting with Sheikh visit.

**इंडियन एयरलान्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के विज्ञापन**

**2430. श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया का विज्ञापन कार्य किसी ऐसे अभिकरण द्वारा किया जाता है जिसे किसी विदेशी फर्म का सहयोग प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में कोई विज्ञापन-अभिकरण इस योग्य नहीं है जो यह काम कर सके; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के विज्ञापनों के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि निर्धारित की जानी है और उसमें से कितनी कितनी राशि अंग्रेजी तथा अन्य भाषायी समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकलवाने के लिये नियत की जानी है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) एयर इंडिया का भारत में विज्ञापन कार्य मेसर्स वाल्टर थौम्पसन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो कि 10 मई,

1968 से पहले अमरीका के मेसर्स वाल्टर थौम्पसन के सहायक के रूप में कार्य करती थी। उस तारीख से यह कम्पनी हिन्दुस्तान थौम्पसन एसोसियेट्स लिमिटेड के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में बदल दी गयी है जिसके 60% शेयर भारतीयों के हैं।

इंडियन एयरलाइन्स का विज्ञापन कार्य मेसर्स बलैरियन मैवस एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो कि अमरीका के मैवकैन एरिकसन इन्टरनेशनल इन्क० के सहयोग से कार्य करती हुई एक भारतीय कम्पनी है।

(ख) एयर कारपोरेशन स्वायत्त होने के कारण, अपने विज्ञापन एजेंटों की नियुक्ति के बारे में निर्णय पूर्णतया स्वयं करते हैं। एयर इंडिया ने सूचित किया है कि वे अपने एजेन्टों की सेवाओं से सन्तुष्ट हैं जो कि एक अत्यधिक प्रतियोगितापूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पूर्णतया सज्जित हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने बताया है कि उनका इन एजेंटों को चुनने का मुख्य कारण यह है कि इन एजेन्टों की एक उन सभी मुख्य अड्डों पर शाखायें हैं जहां कि एयरलाइन्स अपनी सेवाएं परिचालित करती हैं।

(ग) 1967–68 के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

| | एयर इंडिया | आई०ए०सी० |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं (जरनल्स) | 4,23,400 | 5,34,113 |
| अन्य भाषाओं के दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं | 1,33,350 | 69,774 |
| कुल | 5,56,750 | 6,03,887 |

### सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल भेजने की योजना

2431. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1968–69 में विभिन्न देशों को सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डल भेजने की एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) उन देशों को कितने सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल भेजे जाने की सम्भावना है; और

(घ) 1968–69 में उस पर कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) (क) से (घ). 1968–69 के दौरान अब तक रूस और चैकोस्लोवाकिया के साथ सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है।

भारत–पोलैंड कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त हंगरी, रोमानिया, बलगेरिया यूगोस्लेविया और मंगोलिया के साथ पहले किये गये सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम भी इस वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों में, जिनके अन्तर्गत प्रतिनिधियों को भेजा जाना है साहित्यक, प्लास्टिक कला और मानव शास्त्र शामिल है। फिर भी इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते समय देश की आर्थिक स्थिति के हित में अधिक से अधिक यथा सम्भव कार्यक्रमों को मिला दिया जाता है।

इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिये मंत्रालय के चालू वर्ष में 3,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

**अणुशक्ति विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में काम करने वाले वैज्ञानिक**

2432. **श्री नीरेन्द्र सिंह चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अणुशक्ति विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रयोगशालाओं में प्रत्येक में कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन में से कितने योग्य हैं; और

(ग) क्या उनके द्वारा दी गई शिक्षा सम्बन्धी जानकारी की कोई जांच की गई थी, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम थे ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

**भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये भर्ती**

2433. **श्री बेअन्त वरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग अध्यक्ष ने सरकारी कर्मचारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में शामिल होने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस का सामान्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते

**भारत-श्री लंका सांस्कृतिक करार**

2434. **श्री वि० ना० शास्त्री** :
**श्री न० कु० सोंधी** :
**श्री रा० रा० सिंह देव** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-श्री लंका सांस्कृतिक करार, 1959 के अन्तर्गत 1968-69 के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) जी नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच कोई सांस्कृतिक करार भी नहीं है.

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

### आगरा जाने वाले पर्यटकों को सुविधाएं

2435. श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री घी० ना० देव :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा और उसके आस-पास स्थित ऐतिहासिक स्मारकों को देखने जाने वाले पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं में सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक डिवीजनल सलाहकार समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) इसका प्रतिवेदन कब तक मिलने की संभावना है ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) जी, हां । राज्य सरकार द्वारा आगरा डिविजन के आयुक्त की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति की स्थापना की गयी है ।

(ख) और (ग). समिति के विचारार्थ कोई विशिष्ट विषय निर्धारित नहीं किये गये हैं । समिति तीन वर्ष के लिए गठित की गयी है और इसका कार्य पर्यटन की अभिवृद्धि करना और आगरा क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने तथा उनका सुधार करने के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के कार्य-कलापों का समन्वय करना होगा । इस समिति की पहली बैठक 4 जुलाई, 1968 को आगरा में हुई ।

### दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

2436. श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री घी० ना० देव :
श्री रा० रा० सिंह देव .

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत छः महीनों में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए; और

(ग) दिल्ली में यातायात नियन्त्रण में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :(क) 1-1-1968 से 30-6-68 की अवधि के दौरान दिल्ली में 3759 सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) क्रमशः 193 और 1536 ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किये गये अधिक महत्वपूर्ण उपाय निम्न हैं :—

(1) एक सब-इंसपेक्टर के मातहत प्रथम कर्मचारी दिसम्बर, 1962 से सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिये तैनात किये गये हैं ।

(2) सड़क सुरक्षा पर नक्शे और इश्तिहार बच्चों और अन्य सड़क प्रयुक्त करने वालों में वितरित किये गये हैं ।

(3) सड़क सुरक्षा पर कई स्कूलों और शहर के 25 सिनेमाघरों में फिल्में दिखाई जाती हैं । स्कूल के बच्चों के लिए टेलीविजन शो का भी प्रबन्ध किया गया ।

(4) बार-बार विशिष्ट गति जांच पड़ताल की जाती है ताकि मोटर गाड़ियों को तेजी से चलाने की प्रवृति कम हो जाये ।

(5) अत्याधिक भीड़ के मौकों पर महत्वपूर्ण सड़कों के लिए चलते फिरते यातायात पत्रांक भेजे जाते हैं जिससे यातायात के नियम भंग करने वालों को पकड़ा जाये और यातायात की रुकावटों को दूर करने में सहायता मिले ।

(6) दिल्ली शहर और इस के उप-नगरों के विकास के लिए एक नियमित और संगठित योजना मास्टर योजना में शामिल की गयी है ताकि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, नागरीकरण और अन्य बातों के कारण भविष्य में यातायात खतरा पैदा हो जाये ।

(7) शैक्षिक संस्थाओं में सड़क सुरक्षा पर भाषण और यातायात नियमों पर अनुदेश दिये जाते हैं, छात्रों के लाभ के लिए सड़कों के बारे में व्यवहारिक प्रदर्शन भी किये गये हैं ।

(8) मेसर्स बर्मा शैल आइल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी की सहायता से इरविन रोड, नई दिल्ली में एक यातायात प्रशिक्षण पार्क बनाया गया है । यह मार्च, 1964 से चालू है । सुबह के समय यातायात पुलिस नियत कार्यक्रम के अनसार स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षण देती है । शाम को पार्क विशिष्ट आयु के सब लड़कों के लिए खुला रहता है ।

(9) जहां आवश्यकता है वहां बड़ी सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और स्वचालित यातायात संकेत लगाये जा रहे हैं । कुछ सड़कों पर साइकल रास्ते बनाये गये हैं । भीड़भाड़ के क्षेत्रों से बस स्टाप, खोंचे बेचने वाले, टैक्सी अड्डे हटाये जा रहे हैं ।

(10) पैदल चलने वालों के लिए सड़कों में उचित स्थानों पर पैदल-पार पथ दर्शाये गये हैं । कई भीड़ वाली सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों पर पैदल पार पथ सूचित करने वाले पट्ट लगाये गये हैं । नियत चौराहों पर पैदल चलने वालों को सड़क पार करने की शिक्षा देने के लिए और मोटर चालकों को ऐसे स्थानों पर पैदल चलने वालों को सड़क पार करने का अधिकार देने के लिए विशेष अभियान चलाये गये ।

(11) विभिन्न भीड़ वाली सड़कों पर भारी यातायात गाड़ियों का अवागमन बन्द किया गया है और दूसरी ओर कुछ अन्य सड़कों पर उनका आना जाना भीड़ के मौकों

पर के लिए बंद किया गया । नयी दिल्ली की 36 और पुरानी दिल्ली की 16 भीड़ वाली सड़कें भीड़ के मौकों पर धीमी चाल वाली गाड़ियों के लिये बन्द कर दी गयी हैं । नयी दिल्ली के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र 7 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक के लिए बैलगाड़ियों के लिए बन्द कर दिये गये हैं । कई भीड़ वाली सड़कें इकहरे मार्ग घोषित कर दिये गये हैं और विभिन्न सड़कों पर भीड़वाले क्षेत्रों में पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

(12) जनवरी 1963 के शुरू से चुनवा चुनवा तौर पर इंफोर्समेंट किया गया । सार्वजनिक सेवा की गाड़ियों के ड्राइवरों द्वारा चुने हुए स्थानों पर किये गये अपराधों पर विशिष्ट तौर पर ध्यान दिया गया । यातायात नियमों का उलंघन करने वालों का चालान किया गया और उन्हें भारी जुर्माने की सजा दी गयी ताकि उन्हें यातायात के नियम भंग करने की आदत न हो जाय ।

(13) 16 से 20 अप्रैल तक एक राष्ट्रीय अपराध निवारण सप्ताह मनाया गया जिसमें सड़क सुरक्षा उपायों का विस्तृत प्रचार किया गया ।

**प्रमुख हवाई अड्डों पर चुंगी लेना**

2437. **श्री धी० ना० देव :**
**श्री न० कु० सांधी :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री वि० ना० शास्त्री :**

**क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत के चार प्रमुख हवाई अड्डों पर चुंगी कर लगाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक होने की संभावना है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जी, हां । दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सवार होकर भारत से बाहर किसी स्थान को जाने वाले प्रत्येक विमान यात्री पर 15/– रुपये की एक यात्री सेवा फीस लगाने का प्रस्ताव है । इस उद्देश्य के लिये विशेष टिकटें छपाई जा रही हैं । प्रस्तावित फीस से 45 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय होने की आशा है । इस प्रस्ताव को सारा ब्यौरा देते हुए जून, 1968 में भारत राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । स्कीम को अंतिम रूप देने में 25 सितम्बर, 1968, से पहले प्राप्त होने वाले सुझावों एवं एतराजों को दृष्टि में रखा जायेगा । स्कीम को पहली जनवरी, 1969 से चालू कर देने की आशा है ।

**काश्मीर का विकास**

2438. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक होने के बाद बहुत से केन्द्रीय दल, जिनमें कृषि तथा औद्योगिक विशेषज्ञ दल भी थे, वहां भेजे गये हैं ताकि काश्मीर में आर्थिक विकास की गति तेज की जा सके और इस प्रयोजन के लिये समुचित योजनाएं बनायी जा सकें;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक ने क्या टिप्पणी और सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). अपनी नीति के अनुसरण में कि जम्मू व काश्मीर राज्य के आर्थिक विकास की तीव्र प्रगति के बारे में जो भी सम्भव हो, किया जाय, केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर पिछले दो-तीन वर्षों में उपयुक्त कार्यक्रम का सुझाव देने के लिये तकनीकी दलों को राज्य में जाने के लिये नियुक्त किया था। ऐसे दलों की सिफारिशें तथा की गई कार्यवाहियों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1583/68]

**अगरतल्ला-कलकत्ता विमान सेवा**

2439. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगरतल्ला और कलकत्ता के बीच इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की जनता सेवा प्रतिदिन चालू करने का इस बीच निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) उक्त उड़ानों की सेवा में लगाये जाने वाले विमानों की यात्रियों तथा माल ढोने की क्षमता क्या होगी और किस प्रकार का माल ढोया जायेगा;

(घ) इस समय उड़ान के लिये औसतन कितने यात्री प्रतीक्षा सूची में होते हैं और जनता सेवा का दैनिक सेवा में परिवर्तन करने के बाद कितने यात्री प्रतीक्षा सूची में होंगे; और

(ङ) क्या प्रत्येक उड़ान के लिये लम्बी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए सरकार का विचार जनता सेवा में अधिक यात्री ले जाने वाले विमान चलाने का है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). कलकत्ता और अगरतल्ला के बीच आई० ए० सी० की एक जनता सेवा दैनिक आधार पर परिचालित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(घ) कलकत्ता/अगरतल्ला सेवा पर प्रतीक्षा सूची पर रहने वाले यात्रियों की औसत संख्या 8 से 10 है। तथा अगरतला/कलकत्ता सेवा पर 4 से 6 है।

(ङ) परिचालन सम्बन्धी सीमाओं के कारण इंडियन एयरलाइन्स का बड़े विमान द्वारा यह सेवा परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**शोलापुर–चितलदुर्ग राष्ट्रीय राजपथ**

2440. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर–चित्तलदुर्ग राष्ट्रीय राजपथ संख्या 13 (महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों में)

के निर्माण में क्या प्रगति हुई है और अनुमानत: अब तक कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ख) कार्य कब आरम्भ किया गया था और इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) संलग्न विवरण में राष्ट्रीय मुख्यमार्ग 13 में दिये गये निर्माण-कार्य की प्रगति का ब्यौरा दिया गया है। अभी तक व्यय की गई प्राक्कलित राशि लगभग 83.17 लाख रुपये है।

(ख) 1963 से अब तक निर्माण कार्य के 55 कामों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से बीस पूरे हो गये हैं। शेष कार्य के चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

**हिन्दी विरोधी आन्दोलन के दौरान केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की हानि**

2441. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हिन्दी विरोधी आन्दोलनों के दौरान मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों में राज्यवार केन्द्रीय सरकार की कुल कितने अनुमानित मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई;

(ख) क्या संबंधित राज्यों ने हानि के कुछ भाग के लिये प्रतिकर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है।

**भारत और कुवैत के बीच विमान सेवायें**

2442. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान सेवायें चलाने के बारे में बातचीत करने के लिये कुवैत से एक प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० करण सिंह)** : (क) जी, हां। कुवैत सरकार का एक हवाई प्रतिनिधिमण्डल भारत आया तथा उसने नई दिल्ली में 3 से 9 जून, 1968 तक संबंधित भारतीय प्राधिकारियों से बातचीत की।

(ख) भारत सरकार तथा कुवैत सरकार के बीच एक हवाई सेवा क़रार का मसौदा तथा एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में एयर इंडिया तथा कुवैत एयरवेज़ के लिये यातायात अधिकारों तथा सेवा की आवृत्तियों के संबंध में परस्पर विनिमय होने वाले पत्र तैयार किये गये तथा दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों के प्रमुखों द्वारा आद्यक्षरित किये गये।

(ग) एयर इंडिया तथा कुवैत एयरवेज में से प्रत्येक को एक दूसरे के देशों को/में से होकर प्रति सप्ताह तीन सेवाएं परिचालित करने का अधिकार दिया गया है। कुवैत एयरवेज़ को बम्बई

में यातायात अधिकार दिये गये हैं तथा एयर इंडिया को कुवैत में यातायात अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

**पुरातत्वीय पुस्तकों का एक गोदाम में बन्द रखा जाना**

**2443. श्री स० अ० अगड़ी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के पुस्तकालय में पुरातत्वीय महत्व की बहुमूल्य पुस्तकें एक बड़े गोदाम में रख दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप वे नष्ट होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें किसी अन्य उपर्युक्त स्थान पर सुरक्षित ढंग से रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

**शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्**

**2444. श्री ई० के० नायनार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मई, 1968 के महीने में मसूरी में शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के अधीन शिक्षा सम्बन्धी मूल्यांकन के बारे में एक अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया था;

(ख) यदि हां तो उस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में राज्यवार कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था; और

(ग) वर्ष 1965 से 1968 में वर्षवार ऐसे कैम्पों के लिये कुल कितना धन खर्च किया गया ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) जी, हां ।

(ख) 35 ।

राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 1 |
| आसाम प्रदेश | 3 |
| गुजरात | 3 |
| हरियाणा | 1 |
| केरल | 2 |
| मध्य प्रदेश | 1 |
| मद्रास | 2 |

| | |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 5 |
| उड़ीसा | 2 |
| पंजाब | 2 |
| राजस्थान | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 8 |
| पश्चिम बंगाल | 2 |
| दिल्ली | 1 |
| त्रिपुरा | 1 |
| कुल | 35 |

(ग)

| वर्ष | कुल व्यय |
|---|---|
| 1965 | 33,121.11 रुपये |
| 1966 | 21,726.95 रुपये |
| 1967 | 29,029.59 रुपये |
| 1968 | 32,257.05 रुपये |

**Anti-National Activities of Christian Missions**

**2445. Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Christian Missions in Madhya Pradesh and Rajasthan are carrying on anti-Indian activities;

(b) whether it is also a fact that the Christian Missions in the said States are carrying on forcible conversions; and

(c) if so, the action being taken by Government in the matter?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):** (a) to (c). Facts are being ascertained from the concerned State Governments.

**Mizos Collecting Taxes**

**2446. Shri Meetha Lal Meena:**
**Shri V. Narasimha Rao:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hostile Nagas of Tengnuopal Sub-division near Manipur-Burma border have started collecting money by force from the people of Kam and Gerring Communities of 18 tribal village;

(b) whether it is also a fact that the object of the aforesaid scheme is to raise a battalion with this money which could receive training in China; and

(c) if so, the action being taken against the scheme?

**The Deputy Mnister in the Ministry of Home Affairs (Shri S. K. Ramaswamy):** (a) to (c). A reference is invited to the answer to Unstarred Ques-

tion No. 1101 on 26th July, 1968 in the Lok Sabha. Government have no further information.

**Pakistani Infiltration in Barmer**

**2447. Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 9,000 Pakistani nationals have again illegally entered and settled in Barmer area of Rajasthan;

(b) whether it is also a fact that the said Pakistani nationals are trying to get land through false documents, witnesses and certificates; and

(c) if so, the action taken against them?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**जहाज खरीदने के लिये पश्चिमी जर्मनी से ऋण**

2448. **श्री बै० कृ० दासचौधरी**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी ने भारत को जहाज खरीदने के लिये ऋण देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण से कितने जहाज खरीदे जा रहे हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख) : पश्चिम जर्मन सरकार अभी हाल ही में जहाजों की खरीद के लिए ऋण देने के लिए सहमत हुई है । चूंकि इस ऋण के ब्यौरे पर अभी पश्चिम जर्मन सरकार से वार्ता हो रही है अतः इस समय यह कहना संभव नहीं है कि इस ऋण से कितने पोत खरीदे जा सकेंगे ।

**दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को दाखिला**

2449. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को एम ए० संस्कृत में दाखिला नहीं दिया गया है, जब कि बी० ए० पास विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**बिहार में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल**

2450. **श्री जगत मण्डल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मांगें पूरी हो गई हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) जी हां, श्रीमान्। हड़ताल अब समाप्त कर दी गई है।

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मांग यह है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाये ताकि भत्ता उस भत्ते के बराबर हो जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है।

राज्य सरकार इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि इससे 10.50 करोड़ रुपये तक की भारी वित्तीय व्यवस्था करनी होती है। राज्य सरकार के लिए, विशेषत: जबकि अब वह राष्ट्रपति शासन के अधीन है यह उचित नहीं होगा कि कर्मचारियों की ऐसी मांगें स्वीकार की जावें जिससे कि राज्य पर विस्तृत वित्तीय प्रभाव पड़े और हो सकता है कि विकास व्यय में कमी करनी पड़े।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य मांगें छटनी को रोकना, सेवा संगठनों के पदाधारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगाना, संगठनों के पदधारियों की पदोन्नति, स्थायी बनाना, विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करना, सभी सरकारी कर्मचारियों को समान राशन देना तथा नवीन सेवा संगठनों को मान्यता देना है। राज्य सरकार द्वारा इन मांगों पर विचार किया जा रहा है।

### नागालैंड के लिये पृथक् राज्यपाल

**2451. श्री जुगल मण्डल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड सरकार ने नागालैंड के लिये एक पृथक् राज्यपाल की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है।

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने प्रस्ताव पर सहमति प्रकट नहीं की है।

### Jalgaon—Boderli Road

**2452. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some part of the road between Jalgaon (Jalad) city of Maharashtra State and Boderli village of Madhya Pradesh has been made pucca and more than half of the road has not been constructed for the last 8 years or so; and

(b) if so, the reasons therefore?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan)**: (a) and (b). The road connecting Jalgaon (Jalad) city and Boderli village is an inter-State road lying partly in the State of Maharashtra and partly in the State of Madhya Pradesh. The Government of India have received no report about the non-completion of a part of this road. The required information is accordingly being collected from the State Governments concerned and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

**Migration from other States to M.P.**

**2453. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of people of other States who had settled in Madhya Pradesh during the period from 1954 to 1967 and the districts in which they were settled?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):** As the data on migration is collected through decennial Censuses, the information regarding the number of persons belonging to other States who settled in Madhya Pradesh during the period from 1954 to 1967 is not available. However, according to the 1961 Census 1,479,312 persons born in other States of India were enumerated in Madhya Pradesh. Their district-wise distribution is shown in the attached statement. [Placed in Library. See No. LT-1584/68].

**Central Grant to M.P. Educational Institutions**

**2454. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education** be pleased to state the names of Educational Institutions in Madhya Pradesh which have been given grants by the Central Government during 1966-67 under development Plan and the amount of grants given to each institution?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** A statement indicating grants given to educational institutions during 1966-67 is attached. [Placed in Library. See No. LT-1585/68].

**Demonstration Rooms in Schools and Colleges of M.P.**

**2455. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the amount actually given by the Centre for the construction of demonstration rooms in various schools and colleges in Madhya Pradesh in 1967-68; and

(b) the amount proposed to be given to the State for this purpose in 1968-69?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):** (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Junior Technical School in M.P.**

**2456. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to open any Junior Technical School in Madhya Pradesh in 1968-69; and

(b) if so, the details thereof?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**कच्छ सीमा पार करते समय लखसर चौकी पर हिरासत में लिये गये पाकिस्तानी**

2457. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1968 में लखपाल ताल्लुक में लखसर चौकी के निकट कच्छ

सीमा को पार करते हुए पाकिस्तानियों के एक दल को हिरासत में लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो हिरासत में लिए गये पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 19 (4 पुरुष, 7 स्त्रियां और 8 बच्चे) ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) यह सूचना दी गई है कि मूल रूप में यह व्यक्ति कच्छ के थे और अच्छे अवसर की खोज में कई वर्ष पूर्व सिंध गये थे । उन्होंने अब भारत में प्रव्रजन कर लिया है क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान में दुर्व्यवहार किया गया था और तंग किया गया था ।

## मिज़ो लोगों द्वारा मनीपुर में घुसपैठ

2458. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में कुकी लोगों ने मिज़ो विद्रौहियों से, जो चुराचान्द्रपुर तथा जिरिबम सब डिज़ीज़न से संघ राज्य क्षेत्र में घुसपैठ करते रहे हैं, सांठ गांठ कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) कुछ मिज़ो विद्रोहियों ने मनीपुर में घुसपैठ की है और विद्रोही-कार्यवाहियों में कुकी के एक वर्ग के साथ सांठगांठ की है ।

(ख) घुसपैठ को रोकने तथा विद्रोही मिज़ो और कुकियों के गिरोह की हलचल को रोकने के उपाय मजबूत कर दिये गये हैं ।

## नई दिल्ली नगर पालिका के विषय

2459. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से नई दिल्ली नगर पालिका के विषयों को हस्तान्तरित विषयों की सूची में से निकाल दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : संसद् द्वारा अधिनियमित दिल्ली प्रशासन अधिनियम की धारा 27 (1) का परन्तुक बताता है कि "नई दिल्ली से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद् के किसी एक सदस्य अथवा कार्यकारी परिषद द्वारा किसी मामले में लिया गया प्रत्येक निर्णय इस शर्त के साथ होगा कि उसमें प्रशासक की सहमति हो और इस उप-धारा में कुछ भी ऐसा न हो जो प्रशासक और कार्यकारी परिषद के सदस्यों के बीच किसी मतभेद के मामले में प्रशासक को नई दिल्ली के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से, जिसे वह अपने विवेक से आवश्यक समझता है, रोकता हो" । इस परन्तुक का तात्पर्य यह है कि नई दिल्ली से सम्बन्धित मामलों में प्रशासक, अर्थात् दिल्ली के उपराज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण है । सार्वजनिक हित में इस मामले को सुस्पष्ट करने के लिए यह निर्णय किया गया कि धारा 27 की उप-धारा

(3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की संख्या निश्चित करने, उनके कार्यकाल तथा उससे प्रासंगिक अनुपूरक तथा परिणामी सभी मामले जो नई दिल्ली नगर पालिका से सम्बन्धित हों प्रशासक द्वारा अपने विवेक से क्रियान्वित किये जायेंगे।

**अण्डमान में बंगला माध्यम का स्कूल**

2460. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान में गैर-सरकारी संस्था द्वारा संचालित बंगला माध्यम का एक मात्र हाई स्कूल प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया है और उसे मिडिल स्तर का बना दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि अंडमान में बंगला माध्यम वाले 51 जूनियर बेसिक स्कूल हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अण्डमान में बंगला माध्यम वाले स्कूल को चलाने का है जिसमें जूनियर बसिक (बंगला माध्यम) पास विद्यार्थी आगे पढ़ सकें ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)**: (क) पोर्ट ब्लेयर में गैर-सरकारी संस्था द्वारा संचालित बंगला माध्यम का स्कूल, रवीन्द्र बंगला विद्यालय को, जिसे प्रशासन ने मिडिल स्कूल के रूप में मान्यता दी हुई थी, सरकार ने 1 अगस्त, 1967 से अपने हाथ में ले लिया है। हस्तान्तरण के समय, प्रबन्ध संस्था नवीं तथा दसवीं कक्षाएं भी चला रही थी जिनमें क्रमशः 6 तथा 2 विद्यार्थी थे और इस कारण इस स्कूल को उच्चतर दर्जा देने का औचित्य नहीं था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। वहां पहले ही बंगाली माध्यम के तीन मिडिल स्कूल हैं और दो ऐसे उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं जिनमें मिडिल कक्षाएं भी हैं और बंगला भी शिक्षा का एक माध्यम है और वे स्कल अण्डमान द्वीप समूहों में बंगला भाषा-भाषी छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरी करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

**चौथी योजना में पर्यटन का विकास**

2461. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री ओंकार लाल बोहरा:**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना अवधि में पर्यटन के विकास के लिये एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कार्यान्विति के लिये कुल कितनी रकम नियत की गई है;

(ग) केन्द्रीय तथा राज्यों की योजनाओं के लिये क्रमशः कितनी-कितनी पूंजी रखी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार चौथी योजना में उड़ीसा राज्य में किसी पर्यटक केन्द्र का विकास करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इस प्रयोजन के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क), (ख) और (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये पर्यटन योजना पर अभी विचार किया जा रहा है। इसलिये उसके लिये वित्तीय नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) उड़ीसा में पर्यटक बिहार (टूरिस्ट रिज़ॉर्ट) के विकास के लिये प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) इसका निर्धारण तभी किया जा सकता है जब योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुकेगा तथा स्कीम का ब्यौरा तैयार हो जायेगा ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

## भारत के लिये रूसी जहाज

**2462. श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में वाणिज्य मंत्री के रूस के दौरे के समय रूस की सरकार ने भारत को रूसी जहाज बेचने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रूसी जहाज खरीदना स्वीकार कर लिया है ;

(ग) रूस सरकार से किस किस्म के जहाज खरीदने की सम्भावना है, और

(घ) जहाज किन शर्तों पर खरीदे जाने हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (घ). अप्रैल 1968 में भारत में जो रूस का शिष्टमंडल आया था उसने यह बताया था कि वह रूस से भारत को निर्यात की जाने वाली मदों में जहाज शामिल करने में दिलचस्पी रखता है । भारत के वाणिज्य मंत्री अपनी हाल की रूस की यात्रा के दौरान रूस से जहाज खरीदने की भारत सरकार की इच्छा प्रकट की बशर्ते कि कीमतें वाजिब हों और जहाज उन विशिष्टियों के हों जो भारत को स्वीकार हों । इस प्रयोजन के लिये भारत द्वारा अपेक्षित जहाजों की कुछ किस्मों की कुछ विशिष्टियां रूसी अधिकारियों को दी गई थीं । चूंकि रूसी अधिकारी इस मामले की अभी जांच कर रहे हैं और उनसे अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि रूस से किस प्रकार के और किन शर्तों पर जहाज खरीदे जायेंगे ।

## त्रिपुरा में 'संग कर्क' की गतिविधियां

**2463. श्री ए० श्रीधरन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मई, 1968 को 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित त्रिपुरा के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 'संगकर्क' नामक पाकिस्तानी प्रशिक्षित संगठन त्रिपुरा में बसे आदिवासियों को भड़का कर गड़बड़ और हिंसा पैदा कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देख ली है ।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस दल स्थापित कर लिये हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त गश्त तैनात कर दी गई है ।

## कालीकट हवाई अड्डा

2464. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण सम्बन्धी परियोजना-प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे का निर्माण कब आरम्भ होगा ;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना धन खर्च होगा ; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) प्रोजेक्ट को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है । इस बीच राज्य सरकार से हवाई अड्डे के लिये निर्धारित भूमि का, यदि संभव हो तो, अभिग्रहण करने के लिये अनुरोध कर दिया गया है, ताकि इस स्कीम की स्वीकृति प्राप्त होते ही वह भूमि उपलब्ध हो ।

(ख) प्रोजेक्ट के चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने तथा उसके क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जितना जल्दी हो सकेगा निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(ग) प्रोजेक्ट पर लगभग 126 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

(घ) इस प्रकार की स्कीम को पूरा होने में स्वीकृति की तारीख से लगभग दो वर्ष का समय लगने की संभावना है ।

## मनीपुर के कर्मचारियों के वेतन मान और महंगाई भत्ता

2465 **श्री एम० मेघ चन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की सरकार ने अपने कर्मचारियों को नागालैण्ड की सरकार के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत दरों पर वेतन तथा महंगाई भत्ता देने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). कुछ समय पहले मनीपुर सरकार ने हम से मनीपुर के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में नियुक्त मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों को आन्तरिक सीमा (इन्नर लाइन) विशेष वेतन तथा मकान किराया नागालैण्ड में स्वीकृत दरों पर देने के लिए अनुरोध किया था। मामले की परीक्षा की जा रही है ।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना**

2466. **श्री द० रा० परमार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 से किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने प्रार्थना की है कि उसे मान्यता प्रदान की जाये;

(ख) यदि हां, तो कितने संघों ने प्रार्थना की है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ग) उनमें से कितने संघों को मान्यता प्रदान की गई है ; और

(घ) मान्यता न प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) अक्तूबर, 1962 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा संघों को मान्यता) नियम, 1959 प्रवर्तनहीन हो गये थे। अभी तक परिशोधित मान्यता के कोई नियम जारी नहीं किये गये हैं। सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है कि क्या तब से किसी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के किसी संघ ने मान्यता के लिये आवेदन दिया था ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

**स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना**

2467. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री भगवान दास** :
**श्री नम्बियार** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1968 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित हुई इस आशय की टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रायः ऐसा भोजन दिया जाता है जो अस्वास्थ्यप्रद हालातों में तैयार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस कदाचार को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी हां ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी कोई जांच नहीं की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह मुख्यतः राज्य सरकार से सम्बन्धित है ।

**पारादीप बन्दरगाह**

2469. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप बन्दरगाह के अग्रेतर विकास के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम क्या है और उस सम्बन्ध में अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1968-69 में इस बन्दरगाह के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) सम्बद्ध मंत्रालयों और योजना कमीशन की सलाह से चतुर्थ योजना कार्यक्रम के अंश के रूप में पारादीप पत्तन के और आगे विकास के लिए स्कीम बनाई जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 200 लाख रुपये ।

**पालम हवाई अड्डे पर बिजली की सप्लाई का बन्द हो जाना**

2470. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जुलाई, 1968 को पालम हवाई अड्डे पर बिजली की सप्लाई 3 घंटे तक बन्द रही थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विमान यातायात को बहुत हानि पहुंची और यात्रियों को बहुत कठिनाई हुई ; और

(ग) यदि हां, तो यात्रियों को असुविधा न होने देने के लिये भविष्य में इस प्रकार की बिजली की सप्लाई के बन्द हो जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी हां। 10 जुलाई, 1968 को पालम हवाई अड्डे पर रुक रुक कर कुल 1 घण्टा 34 मिनट के लिये पावर ब्रेक डाउन हुआ । परन्तु प्रत्येक बार नागर विमानन विभाग के आपातकालिक जनरेटर ने बिजली फेल होने के कुछ क्षणों के अन्दर ही कार्य करना तथा बिजली देना शुरू कर दिया । तारों में कुछ खराबी के कारण इन्टर-नेशनल बुकिंग हॉल में रोशनी मद्धम एवं टिमटिमानी रही । विमानों के रवाना हो जाने के बाद इस खराबी को ठीक कर दिया गया ।

(ख) विमान यातायात को कोई हानि नहीं हुई तथा समस्त विमान सेवायें समयानुसार परिचालित हुईं । परन्तु ऊपर (क) में बताई गई खराबी के कारण इन्टरनेशनल बुकिंग हॉल में यात्रियों को कुछ असुविधा हुई ।

(ग) पालम हवाई अड्डे में बाहरी पावर सप्लाई के फेल हो जाने पर परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बिजली उत्पादन की आपातकालिक व्यवस्था उपलब्ध है। जैसे ही सामान्य पावर सप्लाई फेल करती है, आपातकालिक व्यवस्था कार्य प्रारम्भ कर देती है।

**उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास**

2471. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में पर्यटन पर 52 करोड़ रुपये खर्च करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में कितनी राशि खर्च की जायेगी ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में एयर इण्डिया के होटल बनाने की कोई योजना है जैसा कि बम्बई में जुहू में बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कहां स्थापित किये जायेंगे ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). पर्यटन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित वित्तीय नियतन पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**अन्दमान और निकोबार का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास**

2472. **श्री गाडिलिगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये धन राशि नियत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और 1968–69 में उसके लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इसका पूर्ण विकास कब तक हो जायेगा ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). क्योंकि अन्दमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिये पर्यटक यातायात पर सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिबन्ध हैं, इन द्वीपों की पर्यटक केन्द्रों के रूप में यातायात सम्बन्धी संभावनाएं सीमित हैं। इन द्वीपों में 1968–69 के दौरान पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ग) इन द्वीपों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में पूर्ण विकास तभी सम्भव है जब इन पर से पर्यटक यातायात सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिये जाते हैं तथा इनके लिये अधिक अच्छी संचार सुविधाओं की व्यवस्था हो जाती है।

## मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

2473. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार को सुझाव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) भारत में और विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों में वर्ष 1960 से अब तक मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों और भारत में शिकार अभियान के बारे में कितने लोगों ने पूछताछ की है; और

(ङ) वर्ष 1960 से अब तक इन स्थानों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी और कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । इसका ब्यौरा पर्यटन विषयक चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित कर दिये जाने और अन्तिम वित्तीय नियतन मालूम हो जाने के बाद ही तय किया जा सकता है ।

(घ) और (ङ). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत में तथा विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालयों द्वारा प्राप्त पूछताछों की केवल कुल संख्या ही रिकार्ड की जाती है । प्राप्त पूछताछों की प्रकृति के बारे में कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है । इसी प्रकार, पर्यटक विषयक आंकड़ों और विदेशी मुद्रा की आय का हिसाब अखिल भारतीय आधार पर रखा जाता है, राज्यों, क्षेत्रों या स्थानों के आधार पर नहीं ।

### विवरण

दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था की गयी :—

**दूसरी पंचवर्षीय योजना**

भाग I—(जिनकी वित्तीय व्यवस्था पूर्णतया भारत सरकार द्वारा की गयी)

1. मण्डू में पर्यटक बंगले का निर्माण;
2. खजुराहो में पर्यटक बंगले का निर्माण;
3. सांची में पर्यटक बंगले पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण ।

भाग II—(जिनकी वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर की गयी)

1. खजुराहो में एक निम्न आय वर्ग रेस्ट हाउस का निर्माण (तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा कर दिया गया) ।

2. मण्डू में एक निम्न आय वर्ग रेस्ट हाउस का निर्माण (तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा कर दिया गया) ।

**तीसरी पंचवर्षीय योजना**

भाग I—(जिनकी वित्तीय व्यवस्था पूर्णतया भारत सरकार द्वारा की जानी है)

1. खजुराहो में पर्यटक बंगले (श्रेणी I) के 4 कमरों और सांची में पर्यटक बंगले के 2 कमरों का वातानुकूलन ।

2. ग्वालियर में पर्यटक बंगले (श्रेणी I) का निर्माण । भूमि प्राप्त कर ली गयी है । यह स्कीम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के निर्माण-कार्यक्रम में सम्मिलित कर दी गयी है ।

**Hindi Stenographers**

**2475. Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any arrangement exists in the U.P.S.C. to hold Hindi Stenographers' Examination, as is being done for English stenographers;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) if so, since when such arrangements have been made;

(d) whether any arrangements exist to hold Hindi Stenographers Examination by the U.P.S.C. for Government employees; and

(e) if not, when such arrangements would be made?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) to (c). As the Scheme is to train the existing personnel to do their work in Hindi as well, it is not the intention to recruit Hindi Stenographers through the U.P.S.C.

(d) and (e). Do not arise.

**पश्चिम बंगाल में अराजकता**

**2476. श्री कं० हाल्दर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के पतन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद वहां पर अराजकता बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) हमारे पास प्राप्त सूचना के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य सरकार का कार्यभार राष्ट्रपति द्वारा लिये जाने के बाद विधि और व्यवस्था स्थिति में सुधार हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संस्था**

**2477. श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त संस्था के पदधारियों को विशेष छुट्टी के तथा अन्य लाभ दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1586/68**]

**Demonstrations before U.S.S.R. Consulate-General's Office**

**2478. Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that demonstrations were staged in front of the office of the Consulate-General of U.S.S.R. at Calcutta in July;

(b) if so, whether it is also a fact that the demonstrators had pelted stones; and

(c) the damage caused to the office of the Consulate-General?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Demonstrations were staged in front of the office of the Consulate-General of U.S.S.R. at Calcutta on 13th July, 1968 and 19th July, 1968.

(b) and (c). On 13th July, 1968 some of the demonstrators became violent and hurled brickbats on the premises breaking the glass light shade of the gate and also damaging few glass panes of the windows of the ground floor of the premises. The extent of damage to the Consulate was slight.

**स्कूलों तथा कालेजों में खेलकूद को अनिवार्य विषय बनाना**

**2479. डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में केन्द्रीय संस्थाओं की प्रशासन समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि स्कूलों और कालेजों में खेलकूद को अनिवार्य विषय बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) राष्ट्रीय खेल संस्थान,

पटियाला ने जुलाई, 1965 में हुई अपनी बैठक में सरकार से स्कूलों और कालेजों की पाठ्यचर्याओं में खेलों के लिए उपयुक्त स्थान देने की सिफारिश की थी ।

(ख) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर जो कि शारीरिक शिक्षा का एकीकृत कार्यक्रम है, और जिसके अधीन देश के बहुत अधिक स्कूल आते हैं, शारीरिक शिक्षा और खेलों पर विशेष जोर देता है ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिये, राष्ट्रीय सेवा कोर के साथ-साथ, राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम भी इस वर्ष से लागू किया जा रहा है ।

**पांडिचेरी में औरोविल्ले टाउनशिप के लिये यूनेस्को से सहायता**

2481. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी में औरोविल्ले टाउनशिप के लिये यूनेस्को द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बस्ती में बसाये जाने वाले लोगों का चयन अरविन्द आश्रम द्वारा किया जायेगा; और

(ग) क्या इस बस्ती के लिये भूमि अर्जित करने के लिये कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) 1966 में अपने चौदहवें आम सम्मेलन में यूनेस्को ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें यह विश्वास व्यक्त किया गया कि औरोविल्ले परियोजना अन्य बातों के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ तथा शान्ति के प्रचार में सहायक होगी और यूनेस्को के आदर्शों में रुचि लेने वालों से उसकी सिफारिश की है । यूनेस्को ने कोई वित्तीय सहायता का संकेत नहीं दिया है ।

(ख) श्री अरविन्द समिति से, जिसने यह परियोजना आरम्भ की है, प्राप्त सूचना के अनुसार, इस क्षेत्र के सभी स्थानीय लोगों को, जो पहले ही औरोविल्ले में हैं और वहां ठहरना चाहते हैं, अरविन्द संगठन में रखा जायेगा । जहां तक अन्य लोगों का सम्बन्ध है, इस बस्ती में रहने के लिये उनके आवेदनपत्रों पर इस समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जायेगा ।

(ग) यह प्रश्न मद्रास सरकार के विचाराधीन है ।

**माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शिक्षा निदेशालय के अधीन लाना**

2482. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री बी० चं० शर्मा :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने 414 माध्यमिक स्कूलों तथा 17 उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों को दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय को देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने इस पर आपत्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

**खनन संस्थान, कोडरमा (बिहार)**

2483. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोडरमा में 1957 में खनन संस्थान के आरम्भ होने के समय से अब तक प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई है और इसके निर्माण पर कितनी लागत आई है;

(ख) इस संस्थान में प्रति वर्ष कितने छात्र प्रशिक्षित होते हैं और प्रति छात्र सरकार की कितनी राशि खर्च होती है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने शीघ्र ही इस संस्थान को बन्द करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि यह संस्थान छात्रों को प्रशिक्षण नहीं देती है, तो किस प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जायेगा; और

(ङ) इसे बन्द करने के प्रस्ताव के कारण सरकार को कुल कितनी हानि होगी ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि खनन में डिप्लोमाधारियों में वर्तमान बेरोजगारी को देखते हुए 1968–69 के लिये पाठ्यक्रम में न तो कोडरमा स्कूल में और न ही धनबाद स्कूल में नये दाखिले किये जायें। किन्तु राज्य सरकार इससे सहमत नहीं हुई और वर्तमान वर्ष के लिये कोडरमा स्कूल में पाठ्यक्रम में दाखिले कर लिये। स्कूल को बन्द नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

**शिवालिक पहाड़ियां (शिमला) में विशालकाय कंकाल**

2484. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला के निकट शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में काफी बड़ी संख्या में विशालकाय कंकाल मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कंकाल उन्हीं कंकालों की श्रृखला में से हैं जो उसी क्षेत्र में 1952 में प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व ऐसे कंकाल हरियाणा राज्य के फिरोजपुर झिरका नामक स्थान पर भी मिले थे; और

(घ) यदि हां, तो भारत के तत्कालीन इतिहास पर उनसे क्या प्रकाश पड़ने की सम्भावना है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):** (क) और (ख). कोई प्राधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है और नरतत्वीय सर्वेक्षण जांच कर रहा है ।

(ग) और (घ). फिरोजपुर झिरका तहसील के ओथा गाँव में 1964 में मिली हड्डियाँ, पंजाब विश्वविद्यालय के नरतत्वीय विभाग के प्रमुख के अनुसार, शायद हाथियों की हड्डियाँ हों और ऐसी हड्डियाँ सिंध–गंगा के मैदान में रेत के टीलों के नीचे अक्सर पाई जाती हैं ।

**Pak Smugglers**

**2485. Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the notorious smuggler, Shri Rehmat Khan, son of Shri Ghulam Khan Bajouchia, who had taken shelter in Pakistan, crossed the Indian border on the 7th February, 1968 and took away a camel, a 12-bore gun, and some cash and other things from village Bhavkhir Sar near Rathaur, Tehsil Anoopgarh, District Ganganagar at the point of gun;

(b) whether the same person had earlier made away to Pakistan with a camel from village Jeevan Desar, Tehsil Anoopgarh, which has not been returned so far; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection and the progress made in getting back the said cash and articles?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The question of recovery of the stolen property has been taken up with the Pak authorities in the border meetings. They have promised to return the property after the trial of the accused in the Pakistan court is over.

**मदाकसीरा तालुक का मैसूर के साथ विलय**

**2486. श्री जे० एच० पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मदाकसीरा पंचायत समिति के सदस्यों का बहुमत अब तालुक का मैसूर राज्य में विलय चाहता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और सूखाग्रस्त क्षेत्र होने के अतिरिक्त यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ भी है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के मैसूर राज्य में विलय से इस क्षेत्र को अच्छी सिंचाई के लाभ तथा अन्य सुविधायें मिलने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):** (क) से (घ). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । इस क्षेत्र को मैसूर को हस्तान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**शिक्षा मंत्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के साथ मनीपुर के शिक्षा मंत्री की मुलाकात**

2487. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में मनीपुर के शिक्षा मंत्री ने उनसे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से दिल्ली में मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस मुलाकात में किन-किन बातों पर विचार-विमर्श तथा चर्चा की गई थी ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)**: (क) मणिपुर के शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिवों से मिले थे ।

(ख) मणिपुर के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छः कालेजों को सहायक-अनुदान देने के प्रश्न पर शिक्षा सचिव से और उत्तर-स्नातक अध्ययन के लिये इम्फाल में गोहाटी विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना के प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव से बातचीत हुई थी ।

**राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर इम्फाल-पालेल सड़क पर दुर्घटना**

2488. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1968 में किसी समय इम्फाल–पालेल रोड, राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर बस दुर्घटना होने के क्या कारण थे;

(ख) इसके परिणामस्वरूप मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी थी;

(ग) सरकार ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितना प्रतिकर दिया है; और

(घ) यदि कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क), (ख), (ग) और (घ). मणिपुर की सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

**दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय**

2489. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की हिन्दी शिक्षा समिति की कार्यकारिणी उप-समिति ने दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव पर दक्षिण की राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) से (ग). कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने 4 जुलाई, 1968 को शिक्षा मंत्री को लिखे गये अपने पत्र में अपने इस अनुरोध को, जो उन्होंने मैसूर राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में पहले किया था, फिर से दुहराया कि मैसूर में हिन्दी माध्यम वाला एक विश्वविद्यालय खोला जाये। हिन्दी शिक्षा समिति की कार्यकारिणी उप-समिति ने 4 तथा 5 जुलाई, 1968 को हुई अपनी बैठक में इस सुझाव का स्वागत किया और इस मंत्रालय को इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये उपयुक्त पग उठाने तथा इस कार्य के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। यह मामला शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

## ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय स्थान पर मंत्री का शिविर

2490. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी मंत्री ने जून, 1968 में किसी पहाड़ी स्थान में कोई शिविर कार्यालय स्थापित किया था, जहाँ से वह सरकारी काम करते थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## मंत्रियों के दौरे

2491. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सत्रावसान की अवधि में किस मंत्री ने अपने दौरे पर सबसे अधिक और किस मंत्री ने सबसे कम खर्च किया है; और

(ख) यात्रा खर्च को कम करने के लिये क्या सरकार का किसी प्रकार के निदेशक सिद्धान्त निर्धारित करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) मंत्रियों द्वारा दौरे केवल तभी किये जाते हैं जब उन्हें उनके कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निभाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझा जाता है। अतः यात्रा खर्च को कम करने के लिये कोई निदेशक सिद्धान्त निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के सम्बन्धियों को सूचना

2492. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पुलिस अथवा अस्पताल अधिकारियों द्वारा दिल्ली के निवासियों के संबंधियों को सड़क दुर्घटनाओं में उनके मारे जाने पर, उनकी पहचान हो जाने पर भी इस बारे में सूचना नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिकारियों को यह निदेश देने का है कि इस मानवीय पहलू की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख). उन व्यक्तियों के बारे में जो दुर्घटना में मर जाते हैं या चोट के कारण मृत्यु हो जाती है उनकी पहचान होने के बाद तुरन्त ही अस्पताल अधिकारियों/दिल्ली पुलिस द्वारा उनके सम्बन्धियों को सूचना दी जाती है ।

## उड़ीसा में उड़िया भाषा के विकास के लिये सहायता

2493. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को उड़िया भाषा के विकास के लिये 1965–66 से 1968–69 तक की अवधि में कितनी वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता दी गई; और

(ख) वहां पर प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए राज्य सरकार ने किस तरीके से धन व्यय किया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) 'आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रगति के लिए राज्य सरकारों को सहायता' की इस मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत 46,607 रुपए की सीमा तक के अनुदान उड़िया भाषा में 'सरल महाभारत' के प्रकाशन के लिए उड़ीसा सरकार को प्रदान किये गए हैं ।

(ख) इस परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी की राज्य सरकार से अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

## शिवाजी की "भवानी तलवार"

2494. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिवाजी की प्रसिद्ध "भवानी तलवार" बम्बई की श्रीमती विनिफेड मोदी नामक महिला के पास है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि शिवाजी तथा उनके सच्चे जनरलों के चित्र भी उनके पास हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन ऐतिहासिक अवशेषों को श्रीमती विनिफेड मोदी से लेने तथा उन्हें संग्रहालय में रखने के लिये इन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) से (घ). सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है किन्तु राज्य सरकार से पूछ-ताछ की जा रही है । सरकार का ध्यान केवल महाराष्ट्र विधान परिषद में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की प्रेस-रिपोर्ट की ओर गया है कि श्रीमती विनिफेड मोदी के पास जो तलवार है वह शिवाजी की नहीं है ।

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी नारियल बागान को पट्टे पर दिया जाना**

2495. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के अधिकारियों ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर में बुनयादाबाद गांव में हाल ही में एक गैर-सरकारी नारियल बागान का अधिग्रहण किया है और यदि हां, तो प्रस्तावित मुआवजा अनुमानत: कितना है;

(ख) उस बागान में कितने वृक्ष हैं और वे कितने-कितने पुराने हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बागान का पट्टा एक व्यक्ति हाजी सुमान अली को, जो अब मर चुका है, दिया था और यदि हां, तो उसने यदि कुछ राशि सरकार को दी थी तो कितनी और पट्टा किस तिथि को दिया गया था और बाद में किस तिथि को उस पर पुनर्विचार किया गया था;

(घ) जिस व्यक्ति को प्रारम्भ में इसका पट्टा दिया गया था, उससे वर्तमान पट्टाधारी ने कितने मूल्य में यह बागान खरीदा और क्या सरकारी बागानकी बिक्री के लिये प्रशासन की अनुमति प्राप्त की गई थी; और

(ङ) वर्तमान पट्टाधारी ने पिछले पांच वर्षों में कितना लगान दिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान। दिया गया मुआवजा 97,963.90 रु० है।

(ख) अधिग्रहण बागान के क्षेत्र में निम्नलिखित वृक्ष शामिल हैं :—

| किस्म | संख्या | अवस्था |
|---|---|---|
| नारियल . . . | 1800 | 40 वर्ष से अधिक |
| मैंगस्टिन . | 83 | लगभग 35 वर्ष |
| आम . | 69 | लगभग 20 वर्ष |
| कण्टकिफल . | 33 | लगभग 30 वर्ष |
| काजू | 13 | 20 वर्ष से अधिक |
| सुपारी का पेड़ . | 30 | लगभग 7 वर्ष |

पेड़ों की सभी किस्में फल उत्पादक हैं।

(ग) 1936 में हाजी सुमान अली को बागान पट्टे पर दिया गया था जिसने 8,000 रुपये दिये थे। तत्पश्चात् 1955 में 30 वर्षों के लिए वह मुख्य पट्टाधारी के बच्चों को एक नये पट्टे के अन्तर्गत हस्तांतरित कर दिया गया।

(घ) प्रधान पट्टाधारी के बच्चों से इन बागान को खरीदने वाले वर्तमान पट्टाधारी अर्थात् सर्वश्री अन्दमान प्लाण्टेशन एण्ड डिवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया गया मल्य (जैसा कि बिक्री के कागजात में दिखाया गया है) निम्न प्रकार है :—

"कुल मिलाकर 5,000 रु० के मूल्य के दस दस रुपये के मूल्य के पूर्णतया अदा किये गये 500 साधारण शेयर"।

डिग्री की अनुमति अन्डमान व निकोबार प्रशासन से ले ली गई थी। अन्डमान और निकोबार प्रशासन से बिक्री के लिए आज्ञा प्राप्त की गई थी।

(ङ) पिछले 5 वर्षों में मैसर्ज अन्डमान प्लान्टेशन एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा दिया गया लगान इस प्रकार था :—

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1964 | रु० 556.96 पैसे |
| 1965 | रु० 495.86 पैसे |
| 1966 | रु० 495.86 पैसे |
| 1967 | रु० 496.86 पैसे |
| 1968 | रु० 571.69 पैसे |

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की जारवास आदिवासी आदिम जातियां**

2496. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की कुछ जारवास आदिवासी जातियों के लोगों को पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें मित्र बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या उनको उनके क्षेत्रों में छोड़ देने का सरकार का विचार है; और यदि हां, तो कब; और

(घ) जिन्होंने उनको पकड़ा था क्या उन आदिवासियों को पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (घ). 15 जून, 1968 को बहुत सवेरे मध्य अण्डेमान में कदमतला बस्ती ग्राम में 13 जारवासों का एक दल घुस आया था। वे स्थानीय आदिवासियों द्वारा देखे गये और 3 जारवास पकड़ लिए गये। पकड़े गये जारवासों को न्यायिक हिरासत में रखा गया। उन्हें मित्र बनाने की दृष्टि से लगभग प्रतिदिन बाहर ले जाया गया और पोर्ट ब्लेयर में रुचिकर स्थान दिखाये गये। अण्डेमान-निकोबार प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप में उनके पास गए और उन्हें उपहार भेंट किये। जारवासों को उन्हीं के ढंग का खाना, सुअर-मांस, मछली और मृग-मांस खिलाया गया। उनके रुकने के दौरान मानव-विज्ञान विभाग के तकनीकी तथा अन्य अधिकारी भी प्रतिदिन उनके पास जाते थे। 16 जुलाई, 1968 को जारवास दुबारा अपने दल में उपहार देकर भेज दिये गये। मानव-विभाग के अधिकारियों द्वारा तथा अन्य जेल कर्मचारियों द्वारा जो उनके मित्र बन गये थे, उनसे गले मिलकर और हाथ मिला कर उनको अपने क्षेत्रों के पास विदायी दी गयी।

उन आदिवासियों को जिन्होंने जारवासों को पकड़ा था, 100 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है।

**डी० एस० एस० 'स्टेट आफ़ बाम्बे' नामक जहाज द्वारा जहाजरानी सेवा**

2497. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से जुलाई, 1968 तक की अवधि में टी० एस० एस० "स्टेट आफ़ बाम्बे"

नामक जहाज द्वारा पोर्ट ब्लेयर (अन्दमान और निकोबार) तथा कलकत्ता और मद्रास के बीच कुल कितने फेरे लगाये गये ;

(ख) जहाज में शायिकाओं (बंकों) और केबिन कक्ष की अलग-अलग क्षमता है ;

(ग) प्रत्येक फेरे में, जहाज के प्रत्येक दर्जे, शायिकाओं, तथा कैबिनों की विभिन्न श्रेणियों में कितने यात्रियों ने यात्रा की ; और

(घ) प्रत्येक फेरे में यदि कोई हानि या लाभ हुआ है, तो कितना ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)**: (क) जनवरी, 1968 और जुलाई, 1968 के बीच में "स्टेट आफ़ बाम्बे" द्वारा की गई यात्राओं की सम्पूर्ण संख्या निम्न है :—

(1) पोर्ट ब्लेयर और कलकत्ता के बीच — 5 $\frac{1}{2}$ सागर यात्रायें

(2) पोर्ट ब्लेयर और मद्रास के बीच — 4 $\frac{1}{2}$ सागर यात्रायें

(ख) पोत की यात्री क्षमता इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| केबिन क्लास | 150 |
| बंक | 749 |
| योग | 899 |

(ग) प्रत्येक सागर में पोत द्वारा ले जाये गये यात्रियों की सम्पूर्ण संख्या नीचे दी गई है :—

| यात्रा संख्या | से / तक | कैबिन | बंक | योग |
|---|---|---|---|---|
| 8 (आधी) | कलकत्ता / पोर्ट ब्लेयर | 45 | 472 | 517 |
| 9 | पोर्ट ब्लेयर / मद्रास / पोर्ट ब्लेयर | 85 | 1052 | 1137 |
| 10 | ,, / कलकत्ता / ,, | 98 | 792 | 890 |
| 11 | ,, / मद्रास / ,, | 142 | 1613 | 1755 |
| 12 | ,, / कलकत्ता / ,, | 53 | 876 | 929 |
| 13 | ,, / मद्रास / ,, | 154 | 1298 | 1452 |
| 14 | ,, / कलकत्ता / ,, | 209 | 1264 | 1473 |
| 15 | ,, / मद्रास / ,, | 87 | 900 | 987 |
| 16 | ,, / कलकत्ता / ,, | 74 | 263 | 337 |
| 17 | ,, / कलकत्ता / ,, | 131 | 764 | 895 |
| 18 | ,, / मद्रास (आधी) | 21 | 346 | 367 |

(घ) अगले वर्ष आडिट द्वारा कच्चा लेखा और निकासी के संकलन के बाद हानि लाभ की वास्तविक संख्यायें उपलब्ध हो सकेंगी ।

**"एम० वी० शोम्पने" नामक जहाज द्वारा ले जाया गया माल**

**2498. श्री के० आर० गणेश** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से "एम० वी० शौम्पने" नामक जहाज चलाया गया है तब से लेकर अब तक वह अन्दमान और निकोबार कितनी बार गया ;

(ख) प्रत्येक यात्रा में उस जहाज में कुल कितना माल ले जाया गया तथा जहाज की कुल क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या इस जहाज को भारत अथवा विदेश के किसी बन्दरगाह पर भेजा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बार ऐसा किया गया था और इसके क्या कारण थे ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) सेवा में लिये जाने के बाद से एम० वी० शोम्पेन द्वारा $3\frac{1}{2}$ सागर यात्रायें की गई हैं ।

(ख) प्रत्येक यात्रा में पोत द्वारा ले जायी गयी माल की सम्पूर्ण मात्रा इस प्रकार थी :—

**यात्रा संख्या** मद्रास / पोर्ट ब्लेयर 368 डी० डब्ल्यु० टन

**(आधी)**

**यात्रा संख्या** 2 पोर्ट ब्लेयर / कलकत्ता / मद्रास/पोर्ट ब्लेयर 5694 डी० डब्लू० टन

" 3 " " रंगून / " 6164 " "

पोत की क्षमता 4300 डी० डब्लू० टी० और डुबाव 20'–9" है ।

(ग) और (घ). एक बार पोत को रंगून रवाना किया गया क्योंकि कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर के लिए पर्याप्त माल न था और वह अधिकतम सीमा तक पोत की माल क्षमता का उपयोग करने की और यात्रा पर अर्जन बढ़ाने की दृष्टि से 2264 टन रंगून माल ले गया था ।

**मध्य अन्दमान द्वीप में उत्तरा जेटी पर कार्य**

**2499. श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य अन्दमान द्वीप में उत्तरा जेटी से कदमतला रोड तक कार्य कब शुरू हुआ था और कब तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) इस परियोजना की पूर्णता में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) उत्तर जैटी से कदमतला तक की सड़क का निर्माण दो चरणों में आरम्भ किया गयाथा जैसे ( i ) दिसम्बर, 1963 में शान्तानु से उत्तरा तक और ( ii ) जनवरी, 1964 में कदमतला से शान्तानु तक। कार्य 1970 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ख) विलम्ब सड़क बनाने की मशीनें उपलब्ध न होने के कारण तथा कार्य-स्थलों पर सामग्री के ले जाने के कारण हुआ है ।

**अन्दमान प्रशासन के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएं**

**2500. श्री अमृत नाहाटा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन अथवा भारत सरकार के निर्णयों के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई लेख याचिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) जनवरी, 1968 से उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी लेख याचिकाओं की अन्तर्वस्तु क्या है ; और

(ग) क्या इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने कोई अन्तरिम फैसला किया है, और यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 158 7/68**]

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आठवीं कक्षा के परिणाम**

**2501. श्री अमृत नाहाटा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आठवीं कक्षा के 1967–68 के वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और देरी के कारण यदि कोई हैं, तो क्या हैं ;

(ग) क्या किसी छात्र का परिणाम रोका गया है, और यदि हां, तो उनके रोल नम्बर क्या हैं ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी, हां ।

(ख) 4–7–68 को । कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एक समायाचिका के ऊपर न्यादेश जारी करने के कारण परिणाम 4 जुलाई, 1968 से पहले घोषित नहीं किये जा सके ।

(ग) और (घ). जी, हां । कुछ सूचना उपलब्ध न होने के कारण रोल नम्बर 368 का परिणाम रोक लिया गया था और उसे अब प्रकाशित कर दिया गया है । रोल नम्बर 370 वाले उम्मीदवार का परिणाम, जिसे अनन्तिम रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, कुछ विषयों में अगस्त, 1968 में होने वाली परीक्षा तक निलम्बित कर दिया गया है । किन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय के और आदेश के मिलने तक उनका परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा ।

**"स्टेट आफ बाम्बे" और "एम० वी० अन्दमान" जहाजों द्वारा ले जाया गया सामान**

**2502. श्री अमृत नाहाटा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्टेट आफ बाम्बे" और "एम० वी० अन्दमान" नामक जहाजों द्वारा 1967 और 1968 में पोर्ट ब्लेयर (अन्दमान द्वीप समूह) से मुख्य भूमि की बन्दरगाहों तक अधिक सामान ले जाया गया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा सामान क्या-क्या था तथा प्रत्येक यात्रा में कितना सामान ले जाया गया ; और

(ग) अधिक सामान किन कारणों से ले जाया गया तथा इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक यात्रा में सरकार का कितना नुकसान हुआ ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) जी, हां ।

(ख) सूचना नीचे दी जाती है :—

**"स्टेट आफ बाम्बे"**

| यात्रा संख्या | माल की प्रकृति |
|---|---|
| 3 | 204 टन कोयला |
| | 11 टन लोहे की छड़ें |
| 6 | 265 टन सीमेंट |
| 9 | 500 टन लोहा और फौलाद |
| 10 | 136 टन लोहा और फौलाद |
| | 285 टन सीमेंट |

**"एम० वी० अन्दमान"**

| यात्रा संख्या | माल की प्रकृति |
|---|---|
| 132 | 81 ड्रम तेल |
| 134 | 369½ टन कोयला, गेहूं, जी आई पाईप इत्यादि । |
| 136 | 50 टन लोह पाईप और छड़ें |
| 139 | 77 टन ए० सी० शीट |
| 148 | 139 टन चावल |

(ग) स्टेट आफ बाम्बे और एम० वी० अन्दमान यात्री तथा माल पोत थे और यात्रियों को असुविधा न हो इसलिये इन्हें पोत यात्रा अनुसूची के अनुसार चलना था । माल को आगे ले जाने में ऋतु का निश्चित न होना और पोर्ट ब्लेयर पर अपर्याप्त बर्थ सुविधायें भी जिम्मेदार हैं । माल को आगे ले जाने से राजकोष को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि मुख्य देश के पत्तनों में यात्रा पर पर्याप्त माल नहीं लादा गया था और उपरोक्त सूचित माल के आगे ले जाये जाने के कारण कोई माल बन्द नहीं हुआ ।

## अन्दमान द्वीपसमूह में डीजल ईंधन की कमी

2503. **श्री अमृत नाहाटा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में डीज़ल ईंधन की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) पर्याप्त स्टाक न रखने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** (क) से (ग). जुलाई मास में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में डीज़ल ईंधन की कुछ कमी थी जो पर्याप्त पहले आदेश देने के बावजूद भी समय पर पूर्ति न मिलने तथा तेल ले जाने वाले जहाज के पोर्ट ब्लेयर पर रुकने से पूर्व रंगून की ओर मुड़ने के फलस्वरूप थी। साधारणतः अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन अपनी कुल आवश्यकता का एक तिहाई आरक्षण स्टाक में रखता है।

## पश्चिम बंगाल में कुलटी में भूमि का धंसना

2504. **श्री देवेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुलटी पश्चिम बंगाल में केन्डुआ बाजार में 6 जुलाई, 1968 को बहुत बड़ी भूमि धंस गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रभाव कितने क्षेत्र पर पड़ा और उससे कितने लोग प्रभावित हुए;

(ग) क्या पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को वहां से हटा कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिये और उनको मुफ्त राशन देने के लिये कोई व्यवस्था की गई थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुलटी क्षेत्र में भूमि धंसने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं और कुलटी बड़ाकार क्षेत्र में भूमि धंसने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में बार-बार भूमि धंसने की घटनाओं के कारणों की भली भांति जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये कार्यवाही करने के उपायों का सुझाव देने के लिये विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त करने का है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) कुलटी, पश्चिम बंगाल में केन्डुआ बाजार में 7 जुलाई को रात्रि के 11 बजे भूमि धंस गई थी।

(ख) इस धंसान से लगभग 19,800 वर्ग मीटर का क्षेत्र तथा 580 व्यक्ति प्रभावित हुए।

(ग) प्रभावित व्यक्ति अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों के साथ रहने के लिए चले गये अतः उन्हें मुफ्त राशन देने की कोई व्यवस्था आवश्यक नहीं समझी गई।

(घ) खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक द्वारा की गई जांच से पता चला कि कुलटी निर्माण क्षेत्र का एक भाग तथा आसनसोल डिवीज़न में कई अन्य स्थान, जैसे बड़ाकार बाजार तथा नगर-क्षेत्र, झमुरिया के समीप कुछ गांव और कई अन्य क्षेत्र भी असुरक्षित हैं।

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार के राजस्व बोर्ड के एक सदस्य धंसे हुए क्षेत्र को पहले ही

देख चुके हैं और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं। राज्य सरकार से उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रश्न पर विचार किया जायगा।

**Noting and Drafting in Hindi in the Home Ministry**

**2505. Shri Hardyal Devgun:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of sections in his Ministry where noting and drafting is being done in Hindi in pursuance of the Official Language Act;

(b) the number of Hindi Assistants doing noting and drafting in Hindi; and

(c) if satisfactory progress hos not been made in this work, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) The Official Languages Act, 1963, as amended, provides for the use of both Hindi and the English language for various official purposes and the employees are free to use either language for noting and drafting in all the Sections. Out of 85 Sections of the Home Ministry, Hindi is also being used for noting/drafting in 57 sections.

(b) There are four Hindi Assistants who are mainly engaged in translation from English to Hindi and *vice versa*.

(c) Does not arise.

**राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6**

**2506. श्री दे० अमात :**

**श्री गु० चं० नायक :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर हर मौसम में चलने योग्य कितने मील लम्बी सड़क का निर्माण किया जाना बाकी है और यह सड़क किन राज्यों में से होकर आती है; और

(ख) सड़क के इस विशेष भाग के विकास के लिये इस वर्ष कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) केवल 53 मील के लगभग की एक पट्टी उड़ीसा राज्य में केंवझर और पल्लाहारा के बीच में है।

(ख) अभी तक कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। फिर भी हाल ही में अन्तिम संरेखण के इंजीनियरी सर्वेक्षण के लिये प्राक्कलन प्राप्त हुआ है और परीक्षणाधीन है।

**बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय के छात्रावास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का सुरक्षण**

**2507. श्री द० रा० परमार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय में विज्ञान विभाग के छात्रावास में कुल कितने स्थान हैं;

(ख) विज्ञान विभाग के इस छात्रावास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम

जातियों के विद्यार्थियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित रख गये;

(ग) चालू वर्ष में इस छात्रावास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी दाखिल किये गये हैं;

(घ) क्या अनुसूचित जाति का कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने चालू वर्ष में दाखिले के लिये कहा हो किन्तु उसे इस छात्रावास में दाखिला देने से इन्कार कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

**यमुना-चम्बल घाटी आतंकित रक्षा समिति**

2508. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जनवरी, 1968 को भोपाल में यमुना-चम्बल घाटी आतंकित रक्षा समिति के अध्यक्ष ने उन्हें कोई ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा की गई जांच द्वारा यमुना-चम्बल घाटी आतंकित रक्षा समिति के ज्ञापन में आरोप सही नहीं पाये गये थे ।

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का चम्बल घाटी का दौरा**

2509. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जनवरी तथा 31 जनवरी, 1968 को गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने चम्बल घाटी (भिंड और मुरीना जिलों आदि) का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) 3 और 4 जनवरी, 1968 को गृह मंत्रालय में मंत्री ने ग्वालियर और शिवपुरी का दौरा किया था । उन्होंने ग्वालियर, भिण्ड और मुरीना का 31 जनवरी और 1 फरवरी को दौरा किया था ।

(ख) दौरा सरकारी था ।

(ग) सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Conference of National Integration Council**

**2510. Shri T. P. Shah:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no responsible Sikh organisations was invited to the conference of National Integration Council; and

(b) if so, the reason therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). To composition of the Council was fixed broadly on the pattern decided by the National Integration Conference (1961), but taking into account the changes that had occurred since then, so that, without being unwieldy, the Council was large enough to accommodate adequately all the interests that needed to be brought in. A statement giving the composition of the Council under different categories and the names of its members has already been laid on the Table of the House in reply to Starred Question No. 150 answered on July 26, 1968. To provide to the extent possible, for interests unrepresented, five seats were to be filled by nomination by the Prime Minister. Shri Bhai Jodh Singh, one of the persons so nominated, is from the Sikh community. Besides, Sardar Lachman Singh Gill, Chief Minister, Punjab and Sardar Swaran Singh, Union Minister of Defence also attended the first meeting.

**दिल्ली नगर निगम के साथ भेदभाव**

**2511. श्री टी० पी० शाह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार पर दिल्ली नगर निगम के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कथित भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) तथा (ख). दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के इस वक्तव्य से संबंधित प्रेस रिपोर्ट सरकार ने देखी है जिसमें यह अभियोग लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली नगर निगम के साथ भेदभाव का व्यवहार कर रही है। यह अभियोग निराधार है।

**सरकारी कार्यालयों से देवताओं के चित्रों को हटाये जाने के बारे में मद्रास सरकार के आदेश**

**2512. श्री वेन्नेटि विश्वनाथन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्रास सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों से देवताओं, संतों और महीसों के चित्रों को इस आधार पर हटाने का निदेश दिया है कि यह राज्य के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) और (ख). हमने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी है। तथापि, राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

## चतुर्थ ग्रेड केन्द्रीय सचिवालय सेवा

2513. श्री एस० एम० जोशी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय चतुर्थ ग्रेड सेवा के मूल पदों पर नियुक्तियां, गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1955 में जारी की गई इस ग्रेड की सिविल सूची के अनुभाग 1 और 2 के क्रमश: कालम 7 और 8 में दिखाई गई तारीखों से भूतलक्षी अवधि से की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अधिकारियों को उपर्युक्त सूची में मूल पदों पर उनकी नियुक्तियों की उल्लिखित तारीखों से चतुर्थ ग्रेड के अधिकारी समझा जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्। परन्तु वरिष्ठता-सूची से यह नहीं समझना चाहिये कि इससे वरिष्ठता, वेतन तथा भत्तों के मामले में कोई स्वीकृति या अधिकार मिल जाता है ।

## दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर (एम० ए० हिन्दी) कक्षा में प्रवेश

2514. श्री लोखावर कटकी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर (एम० ए० हिन्दी) कक्षा में छात्रों के दाखिले के लिये अंकों की जो न्यूनतम प्रतिशतता अनिवार्य है वह वस्तुत: इतनी अधिक है कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध स्थानों में से आधे भी स्थान नहीं भर पाते;

(ख) हिन्दी कक्षाओं में प्रवेश के लिये विशेषकर इतने अधिक प्रतिशत अंक निर्धारित करने के क्या कारण हैं, जबकि सरकार हिन्दी का इतना प्रचार कर रही है और उसके लिये इतना अधिक व्यय कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय को ऐसा निदेश देने का है कि उन सब विद्यार्थियों को, जिन्होंने हिन्दी में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) यह सच नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिये निर्धारित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता के कारण एम० ए० (हिन्दी) में प्रवेश के लिये पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय के स्वायत्त निकाय होने के कारण, अध्ययन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये पात्रता की शर्तें नियत करना पूरी तरह उसकी मर्जी पर है ।

## Correspondence in Hindi at State and Central Level

2515. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the names of such Hindi-speaking States as have started their correspondence in Hindi at the State and Central levels;

(b) whether Government have also followed this policy; and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) The State Governments of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh, have started using Hindi also in their correspondence with the Central Government.

(b) Orders already exist that all Hindi letters received from these States must be replied to in Hindi. In addition efforts are to be made to use Hindi for all types of correspondence with these States to as large an extent as possible.

(c) Does not arise.

**Communal Riots**

**2516. Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the names of places where communal riots took place during the last four months; and

(b) the names of riot-affected places, among them, in respect of which investigations have been completed, the number of persons convicted in these riots and the action taken against them?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). No communal riots took place during the last four months in the States of Punjab, Haryana, Nagaland, Assam, Orissa and the Union Territories of Chandigarh, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Pondicherry, Tripura, Manipur, Goa, Daman and Diu; Himachal Pradesh—Dadra and Nagar Haveli and N.E.F.A. Information regarding the other States and Union Territories is being collected.

**Smuggling of Archaeological Articles to Foreign Countries**

**2517. Shri Onkarlal Bohra:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that important archaeological material is being smuggled into foreign countries from the various parts of the country;

(b) if so, the number of complaints received so far by Government in this regard;

(c) the restrictions imposed by the Centre on such anti-national activities and the action taken on the cases received by Government; and

(d) the measures being taken by Government for conducting archaeological research in Rajasthan and the details of the scheme for the future?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh):** (a) No official information has been received about large-scale smuggling;

(b) Two.

(c) Export of antiquities is prohibited under the Antiquities (Export Control) Act, 1947. The State Governments, Customs authorities and the Police

have been instructed to keep closer watch on smuggling and unauthorised export of antiquities. Government have also under consideration various measures to prevent smuggling. The complaints received so far are being investigated by the C.B.I.

(d) A large scale excavation has been in progress at Kalibangan in Sriganganagar District of Rajasthan since 1960-61. It will be continued till completion.

**Excavation in Jawar Mala near Udaipur (Rajasthan)**

**2518. Shri Onkarlal Bohra:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the action taken so far by Government to excavate the remains of a full-fledged city near zinc mines in Jawar Mala near Udaipur (Rajasthan);

(b) if not, whether it is proposed to take some action in regard to the dicovery of ancient remains; and

(c) the details of important exacavation works in progress at present in Rajasthan?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh):** (a) Government are not aware of the archaeological potentialities of this site. necessary enquiries are being made.

(b) The matter can be considered only after enquiries on (a) are completed.

(c) An important excavation has been in progress since 1960-61, at Kalibangan, District Ganganagar. As a result thereof a Harappan settlement, with remains of an earlier occupation as well, has been brought to light.

**Foreign Missionaries**

**2519. Shri Onkarlal Bohra:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the extent to which the foreign Missionaries have been permitted to propagate Christianity in India and the basis on which this permission has been given;

(b) whether granting permission in a general way for religious propaganda is necessary, proper and advantageous for an ancient religous country like India;

(c) whether Government are aware that these Missionaries have taken advantage of the helplessness of the Adivasis and poor people and have started interfering with the internal politics of the country; and

(d) if so, the details in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). Under the provisions of the Constitution, all persons are, subject to public order, morality and health, equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess practice and propagate religion. The question of granting permission for religious propaganda does not, therefore, arise.

(c) and (d). There have been reports of some individual foreign missionaries using material inducement for conversion to Christianity. Some individual missionaries have also shown interest in local politics. Beyond this there have been no reports of exploitation of the Adivasis or interference in internal politics.

**Udaipur Airport**

**2520. Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the steps being taken by Government to extend Udaipur airport and to start air service both in the morning and in the evening in order to cope with the increasing traffic of tourists coming to visit places of tourist attraction like Udaipur, Chittaur, Rajsamand, Jaisamand, Haldighati and Raghavpur; and

(b) the amount being spent this year to improve the runway and extend other facilities at the airport?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** (a) and (b). A proposal to develop Udaipur aerodrome for regular operations by Viscount aircraft without load penalty is under consideration. Estimate for this work is also under preparation.

With a view to providing night landing facilities, runway lighting equipment has been installed at this aerodrome.

Indian Airlines is providing a daily service through Udaipur by Viscount aircraft under some load penalty. The volume of traffic terminating at and originating from Udaipur is not sufficient to justify a second service to Udaipur for the present.

**स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्ति योजना**

**2521. श्री टी० पी० शाह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फालतू कर्मचारी पुंज" को सौंपे गये व्यक्तियों की भांति केन्द्रीय सचिवालय का कोई कर्मचारी, जिसकी सेवा की अवधि 15 वर्ष की अथवा इससे अधिक हो चुकी हो, स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठा सकता है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक लागू रहेगी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नाकारात्मक' हो तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रशासनिक सुधारों के सूत्रपात या वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा अध्ययनों अथवा नये सिरे से अध्ययनों के परिणामस्वरूप फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों के पुनः प्रविस्तारण से सम्बन्धित योजना में स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति के लिये विकल्प का उपबन्ध शामिल है । यह उपबन्ध फालतू कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक नियोजन ढूंढने की समस्या को घटाने की दृष्टि से

बनाया गया है । इसका मतलब किसी विशेष स्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को आवरण करना है । सरकारी कर्मचारियों के लिए, एक श्रेणी के रूप में, सेवानिवृत्ति नियमों अथवा सेवा-निवृत्ति-वेतन के अधिकार को आम रूप से उदार बनाने का इरादा नहीं था ।

**Roads in Banda District District Uttar Pradesh**

**2522. Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Baberu-Atri Road, Baberu-Augari Road and the Baberu-Rajapur Road in District Banda, Uttar Pradesh were taken over by the Public Works Department with a view to make them tarred;

(b) if so, the amount sanctioned for this purpose and the amount spent so far and the time by which Government would be able to complete the work on these roads;

(c) whether it is also a fact that proper arrangement for throwing earth on the bridges on the roads in the said District are not made by the Public Works Department and Zila Parishad; and

(d) if so, whether Government propose to take action against the District Officers concerned for the carelessness on their part?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan):** (a) to (d). The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

**सीमा सुरक्षा बल में भर्ती**

**2523. श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4898 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए प्रत्येक सम्बन्धित आप्रवासी समुदायों में से कितने-कितने व्यक्ति सीमा सुरक्षा बल में भरती किये गये हैं; और

(ख) सुनियोजित तथा शीघ्र आधार पर ऐसी भरती करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किये गये 827 आप्रवासी 15 गारो ईसाई हैं अन्य हिन्दू है जिनमें 38 व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ।

(ख) ऐसे सभी आप्रवासी उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है यदि भर्ती के वर्तमान नियमों के अनुसार वे अन्यथा पात्र हों ।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये नौकरियों में सुरक्षण**

**2524. श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम

जातियों के आयुक्त की चौथी रिपोर्ट के पृष्ठ 166 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि आरक्षित अभ्यंश के लिए नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य उम्मीदवारों के बीच योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, तथा आरक्षित अभ्यंश के लिए केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के मध्य ही पारस्परिक प्रतियोगिता होनी चाहिए, यदि वे सब एक निर्धारित न्यूनतम स्तर को पूरा करते हों;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के अनुसार भरती के नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और लागू की गई हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि आरक्षित पदों के लिये भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता करने को कहा जाता है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० ए० रामा स्वामी)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). आदेश पहले से विद्यमान हैं कि सभी भर्तियों में, चाहे वे परीक्षा या अन्यथा द्वारा की गई हों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इन जातियों के उम्मीदवारों को चयन करना है, यद्यपि वे निम्न-स्तर के भी हों बशर्ते कि वे प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम स्तर को पूरा करते हों। ये आदेश भी विद्यमान हैं कि जहां चयन के लिए साक्षात्कार एक भाग के रूप में निर्धारित किया गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का, जब भी सम्भव हो, अलग-अलग समूह में तथा किसी अन्य दिन साक्षात्कार किया जाय ताकि आम उम्मीदवारों के साथ उनका तुलनात्मक मूल्यांकन न हो और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्तर में छूट के आदेशों को साक्षात्कार मण्डल द्वारा ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार इन समुदायों के उम्मीदवारों को दूसरों के साथ, जिनके लिए सामान्य स्तर लागू होता है, मुकाबला नहीं करना पड़ता है। जब कभी इन आदेशों के पालन न करने के दृष्टान्त, यदि कोई हो, गृह मंत्रालय के ध्यान में लाए जाते हैं तो सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग से इस सम्बन्ध में बातचीत की जाती है।

## कलकत्ता ट्रामगाड़ी का किराया

**2525. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता में ट्रामगाड़ी के किराये में तत्काल वृद्धि करने को विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) और (ख). कलकत्ता ट्रामवेज इनक्वायरी कमीशन 1967 ने रिपोर्ट की है कि कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी के मौजूदा भाड़ा संरचना से, कम्पनी का राजस्व कलकत्ता ट्रामवेज एक्ट, 1961 के और प्रथम अनुसूची के समझौते के अधीन से अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिये पर्याप्त नहीं है। वह संस्थान के परिचालन व्ययों की पूर्ति के लिये भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आमदनी और खर्चे में इतनी बड़ी खाई

है कि उसकी पुनर्व्यवस्था के एकत्रित करने में सुधार द्वारा ट्राम गाड़ियों के सदुपयोग द्वारा और सेवा की क्षमता को प्रभावित किये और खर्चे में कमी करके भी नहीं की जा सकती।

ट्राम भाड़ों का पुनरीक्षण पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### पंजाब विनियोग अधिनियम इत्यादि के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"Supreme Court Judgement on Punjab Appropriation Act, etc. and the reaction of the Government of India thereon."

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दीवनी अपील पंजाब राज्य बनाम सत्यपाल डांग के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 जुलाई, 1968 को दिये गये निर्णय का समाचार समाचार पत्रों में देखा है । इस निर्णय की प्रति प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

मैंने 10 मई, 1968 को सभा में बताया था कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने 1968 के पंजाब विनियोग अधिनियमों को संविधान के उपबन्धों के विपरीत बताया था और पंजाब सरकार ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। सरकारी वकील से प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायलय ने यह निर्णय दिया है कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान सभा को भंग किया जाना और विधान सभा में वित्त मामलों सम्बन्धी प्रक्रिया को नियमित करने के लिये अध्यादेश का जारी किया जाना वैध और उचित था और ऐसा करना संवैधानिक तंत्र के लिये आवश्यक हो गया था। भारत सरकार आशा करती है कि संविधान के कुछ उपबन्धों की इस अधिकृत व्याख्या से उक्त अधिनियमों के कार्यक्षेत्र और महत्व के सम्बन्ध में जो विवाद उत्पन्न हो गया था वह समाप्त हो जायेगा ।

**Shri Madhu Limaye:** Sir, it should be taken up latter on, because the copy of the judgement is not even with the Home Minister.

**अध्यक्ष महोदय** : आप ठीक कह रहे हैं। निर्णय की प्रतियां उपलब्ध न होने के कारण ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव पर वाद-विवाद अभी स्थगित किया जाता है। इसे कुछ दिन बाद लिया जायेगा।

---

## ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

## *Re.* CALLING ATTENTION NOTICES

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को अपनी एक दो कठिनाइयां बताना चाहता हूं। मुझे प्रतिदिन 30—40 ध्यान दिलाने वाली सूचनायें मिलती हैं। उनमें से कुछ का सम्बन्ध हड़ताल से होता है। हमारे जैसे विशाल देश में हड़तालों का होना स्वाभाविक है । अनेक स्थानों पर जैसे अस्पताल में, किसी उद्योग आदि में हड़तालें होती हैं । उनकी ओर ध्यान दिलाकर माननीय सदस्य मेरे विचार

से तत्सम्बन्धी जानकारी चाहते हैं। ऐसी जानकारी उन्हें अल्प सूचना प्रश्न के माध्यम से भी मिल सकती है। यदि कोई अखिल भारतीय स्तर की हड़ताल है तो मैं उसके बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकृति दे देता हूं। ऐसे विषय से सम्बन्धित एक अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न को दिन का प्रथम प्रश्न होने का अनुमति भी मैं दे सकता हूं। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य ऐसे विषयों के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने वाली सूचना के बजाय अल्प सूचना प्रश्न की सूचनाएं दें। साथ ही सरकार से भी मेरा यह अनुरोध है कि जहां केवल जानकारी देने का प्रश्न हो, सरकार अल्प सूचना प्रश्न के रूप में प्रतिदिन एक प्रश्न स्वीकार कर लें।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): Sir, you should keep this thing in mind that there is the President's rule in three States.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलपुर) : क्योंकि आठ अगस्त के प्रश्नों की सूचना देने का समय समाप्त हो जायेगा उससे बाद में हमारे पास अल्प सूचना प्रश्नों की सूचनाएं देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहेगा। परन्तु यदि मंत्री अल्प सूचना प्रश्न को अस्वीकार करते जायें तो सदस्य क्या करें ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसी संबंध में सुझाव दिया है।

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदाई) : यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मंत्रीगण अल्प सूचना प्रश्न को प्रायः स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात यह है कि एक समय था जब मैं संसद् सचिवालय को भारत का सर्वोत्तम कार्य कुशल कार्यालय समझता था, परन्तु अब वह चीज दिखाई नहीं देती है। मैंने एक ध्यान दिलाने की सूचना दी थी जिसके बारे में मुझे संसद् सचिवालय द्वारा बताया गया कि उसको अस्वीकार कर दिया गया है, परन्तु कल ही उसी मामले के बारे में सूचना किसी अन्य सदस्य के नाम से विषय सूची में छापी गई।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे यह गलती बताई गई थी और मैंने तुरन्त श्री समर गुह का नाम शामिल कर लिया। यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई बात या गलती मुझे बताई गई तो मुझे या मेरे सचिवालय को उसे ठीक करने में कोई संकोच न होगा।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): परन्तु इस प्रकार उन का नाम सबसे बाद में आयेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु लाटरी डाली गई थी।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : नहीं इस मामले में लाटरी नहीं डाली गई थी।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपा करके भविष्य में माननीय सदस्य ऐसा होने पर मुझे बतायें। मैं उसे अवश्य ही ठीक करूंगा।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपकी भी कुछ सीमाएं हैं। परन्तु आपको हमारी कठिनाई का भी अनुभव करना चाहिये। मंत्रियों को मामले की गम्भीरता पर ध्यान देना चाहिये। उदाहरण के लिये, गृह मंत्री के निवास स्थान के सामने केन्द्रीय श्रमिक संघ के कई नेता पकड़े गये, उसके बारे में भी महोदय को स्वयं ही वक्तव्य दे देना चाहिये था। उन्हें ऐसे मामलों में ध्यान दिलाने वाली सूचना की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये थी यह एक गम्भीर मामला है और इससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारयों में असंतोष फैल सकता है।

# सभा पटल पर रखे गए पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 20) की एक प्रति जो दिनांक 28 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1559/68]

(2) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा वर्ष 1965–66 के लिये लेखे का परीक्षित विवरण तथा उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1560 68]

(3) वर्ष 1964–65 के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के लेखे सम्बन्धी परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1560 68]

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की प्रतियां :—

(1) पुनः सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 10) की एक प्रति जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा पश्चिमी बंगाल लोक सेवा आयोग (राज्यपाल द्वारा परामर्श) विनियम, 1955 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(क) अधिसूचना संख्या 114–एफ दिनांक 12 जनवरी, 1967

(ख) अधिसूचना संख्या 3146–एफ दिनांक 6 सितम्बर, 1967

(ग) अधिसूचना संख्या 3654–एफ दिनांक 23 अक्तूबर, 1967

(घ) अधिसूचना संख्या 3655–एफ दिनांक 23 अक्तूबर, 1967

(ङ) अधिसूचना संख्या 4300–एफ दिनांक 19 दिसम्बर, 1967

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1279/68]

(2) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) ऊपर की मद (1) में उल्लिखित अधिनियम तथा अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण।

(दो) (क) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल सरकार की अधिसूचना संख्या 2243–एफ दिनांक 3 जुलाई, 1968 की एक प्रति जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल लोक सेवा आयोग (राज्यपाल द्वारा परामर्श) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(ख) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1561/68]

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं :—

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (सातवां संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 11 अप्रैल, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3(39)/67-टीपीटी में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1562/68]

---

## राज्य सभा से सन्देश

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे सभा को राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :–

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 29 जुलाई, 1968 की बैठक में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1968 को पारित कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 1 अगस्त, 1968 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि वह स्वर्ग (नियंत्रण) विधेयक, 1968 सम्बन्धी संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सहयोजित हों और

उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया है :—

(1) श्री भवानी चरण पट्टनायक
(2) श्रीमती यशोदा रेड्डी
(3) श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर
(4) श्री दयालदास कुर्रे
(5) डा० (श्रीमती) मंगलादेवी तलवार
(6) श्री सुखदेव प्रसाद
(7) श्रीमती विमल पंजाब देशमुख
(8) श्री डाह्याभाई व० पटेल
(9) श्री रतन लाल
(10) श्री बाल कृष्ण गुप्ता
(11) डा० जैड० ए० अहमद
(12) श्री बांका बिहारी दास
(13) पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा

---

## अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

## राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

## ADVOCATES (AMENDMENT) BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

**सचिव** : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1968 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

## अधिवक्ता अधिनियम 1961 के संबंध में याचिका

## PETITION RE. ADVOCATES ACT, 1961

**श्री कंवरलाल गुप्त** (दिल्ली सदर): मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के सम्बन्ध में नई दिल्ली के श्री ओ० एन० महेन्द्रु नामक अधिवक्ता की एक याचिका पेश करता हूं ।

---

## सभा का कार्य

## BUSINESS OF THE HOUSE

**संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: 5 अगस्त 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य पर विचार ।

(2) भारतीय पेटेंट और डिजाईन (संशोधन) विधेयक, 1968 पर विचार किया जाना तथा उसे पारित किया जाना और उसे पेटेन्ट विधेयक, 1967 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना ।

(3) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में वकील (संशोधन) विधेयक, 1968 पर विचार किया जाना और उसे पारित किया जाना ।

(4) विदेशी विवाह विधेयक, 1963 तथा बीमा (संशोधन) विधेयक, 1968 को संयुक्त समितियों को सौंपे जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाना ।

(5) न्यायाधीश (जांच) विधेयक 1968 पर विचार किया जाना तथा उसे पारित किया जाना ।

(6) रेल पथ परिवहन दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा का किया जाना ।

(7) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968 पर विचार किया जाना और उसे पारित किया जाना ।

**श्री स० मो० बनर्जी** —उठे

**अध्यक्ष महोदय :** आप इस पर सभा में बहस न करें, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति की आज शाम के चार बजे होने वाली बैठक में इस पर विचार करें ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा यह निवेदन है कि इसमें गैर-सरकारी सदस्यों का कोई भी प्रस्ताव अथवा कोई भी अनियत दिन वाला प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि उप-समिति ने यह निर्णय किया था कि ऐसे दो-तीन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा । स्वचालित यंत्रों के लगाये जाने से उत्पन्न रोष आदि महत्वपूर्ण विषय हैं ।

**डा० रामसुभग सिंह :** यह सच है कि उप-समिति में ऐसा निर्णय किया गया था । इस सत्र में अनियत दिन वाले कम से कम दो प्रस्तावों पर विचार किया जाना है । अभी सत्र चालू है और इसमें ऐसे दो प्रस्तावों को इस सत्र में समय अवश्य दिया जायेगा ।

---

## नियम 377 के अन्तर्गत विषय-कम्पनी (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में उप-प्रधान द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में

## MATTER UNDER RULE 377 RE. DEPUTY PRIME MINISTER'S STATEMENT ON COMPANIES (AMENDMENT) BILL

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): Sir, under Rule 377 I want to make a statement that Government is going back on its assurance regarding the Ban on the contributions to the Political Party by the companies.

In this connection I would like to say that my Bill which sought to ban the receiving of donations by Political Parties and which was discussed as a Private Members' Bill during the winter session of 1967 had received support from all the groups in the House including some Congress Members. I had withdrawn that Bill on the assurance given by the Minister of Industrial Development that he would be bringing an official Bill to that effect. At last the hon. Members introduced that Bill during the Budget session of 1968.

Now it is said that the Deputy Prime Minister, who presided over the meeting of the working committee of the Congress Parliamentary Party, due to the illness of Prime Minister stated that a final decision on such an important matter can be taken only after the views of the Working Committee of the Congress Parliamentary Party have been ascertained. He is also stated to have said that it is wrong to introduce the Bill without the consent of the Party.

If this statement is correct, it is a very serious thing. It appears that the Government wants to go back on its word which it had given under the pressure of some of its influential Members. Any how, now this is not the matter between the Government and the ruling party since the Bill has already been introduced in the House. We want an assurance from the Government that this Bill will be discussed in the current session and that it will not be referred to the Select Committee.

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : माननीय सदस्य जो आश्वासन माँग रहे हैं, मैं वह आश्वासन नहीं दे सकता। वह कांग्रेस दल द्वारा आयोजित कार्यकारी समिति की एक निजी बैठक थी। सभी राजनीतिक दल इस प्रकार की बैठकें करते हैं और यदि उनमें किए गए निर्णयों का उपयोग इस तरह किया जाएगा जिस तरह कि इस समय किया जा रहा है, तो उनकी कोई पवित्रता नहीं रह जायेगी। यह तो कार्यकारिणी में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम से जानकारी प्राप्त करने का केवल एक तरीका है।

यह कहना सही नहीं है कि मैंने कार्यकारिणी के सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि निर्णय कार्यकारिणी की सम्मति से लिया जायेगा। दूसरी बात के बारे में मेरी राय यह है कि सरकार को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से पूर्व दल से अवश्य परामर्श करना चाहिये। मैंने यही कहा था और मैं अभी भी इसी विचार का समर्थन करता हूं।

---

## बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक—जारी
## BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL—Contd.

**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा। क्या माननीय मंत्री श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा कल उठाये गये औचित्य प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: यह एक अजीब औचित्य प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य यह कैसे कहते हैं कि इन धाराओं को छोड़ा गया है। ये बात ठीक नहीं है। अधिनियम में ये धारायें हैं। 1965 में इस अधिनियम में धारा 56 जोड़ी गई थी ताकि रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों का भी मार्ग दर्शन कर सके। धारा के प्रथम भाग को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** (कटक) : हम घर पर पुस्तकालय बना कर नहीं रखते हैं। पुस्तकें हम संसद् पुस्तकालय से लेते हैं। हम ने कल ही अधिनियम की 31 जुलाई, 1968 तक शुद्ध की गई प्रति पुस्तकालय से ली है। उसमें उन सब धाराओं को छोड़ दिया गया । इसलिए माननीय उप-प्रधान मंत्री यह नहीं कह सकते कि यें अजीब बात है। अधिनियम 23 द्वारा एक धारा 56 जोड़ी गई थी। इस धारा में अधिनियम का, सहकारी समितियों पर यह जिस सीमा तक लागू होता था उस सीमा तक संशोधन किया गया था और तीन धाराओं को छोड़ा गया था। माननीय मंत्री इस संशोधन विधेयक द्वारा सहकारी समितियों सम्बन्धी उन धाराओं में संशोधन करना चाहते हैं जो सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। 1965 के अधिनियम 23 के अन्तर्गत, सहकारी समितियों पर लागू होने के सम्बन्ध में धारा 10 का लोप कर दिया गया था। वर्तमान विधेयक में, धारा 56 के अन्तर्गत सरकार यह कहना चाहती है कि धारा 10, 10क, 10ख और 10ग का भी लोप किया जायेगा। वे सहकारी समितियों पर लागू नहीं होती थीं। जो चीज सहकारी समितियों पर लागू नहीं होतीं सरकार उसका संशोधन कैसे कर सकती है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : जो धारा अर्थात् धारा 56 जब विधेयक में विद्यमान ही नहीं है तो सरकार उसका निरसन कैसे कर सकती है। मैं समझता हूं कि इस स्थिति का स्पष्टीकरण किये जाने से पहले विधेयक पर विचार करना गलत होगा।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न तो उस समय उत्पन्न होगा जब हम खण्डों पर विचार करेंगे।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): I had given notice of an adjournment motion under rule 340 unless that is decided, discussion cannot take place. This must be decided first.

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चर्चा के स्थगन के लिये प्रस्ताव कर सकते हैं।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar): Unless the objection raised has been clarified, we should not proceed with this Bill.

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : मैं अपने माननीय मित्र श्री कंवर लाल गुप्त और श्री श्रीनिवास मिश्र का ध्यान सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 8 की ओर दिलाता हूं। उसको पढ़ने से उनकी गलतफहमियाँ दूर हो जायेंगी।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, आपने कहा कि इस प्रश्न को, विधेयक पर खण्डवार चर्चा करते समय उठाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम किसी ऐसे विधान को मान्यता नहीं दे सकते जिसका उद्देश्य अविद्यमान धाराओं में संशोधन करने का हो ।

**श्री मोरारजी देसाई :** इस प्रति में 1 जुलाई, 1964 तक शुद्धि की गई है न कि 1968 तक। वह प्रति 31 जुलाई, 1968 तक शुद्ध की गई है और किसी ने उस पर हस्ताक्षर किये हैं। किन्तु उसके अन्दर कुछ धाराओं को काटा हुआ है। मेरे विचार से यह प्रति कहीं भी उपलब्ध नहीं है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : हमारा सम्बन्ध संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध प्रतियों से है।

**श्री मोरारजी देसाई** : यह मेरी व्यक्तिगत प्रति नहीं है अपितु वह प्रति है जो बाजार में उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त इसमें धाराओं को काटने के बाद उन्हें पुनः संख्या नहीं दी गई है ।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापत्तनम) : माननीय सदस्य के पास जो प्रति है, यदि उसमें शुद्धि नहीं की गई है, तो यह उनके कार्यालय का दोष है । गलती को मान लेने में कोई बुराई नहीं है ।

दूसरा तर्क यह दिया गया है कि इसकी ओर पहले ध्यान दिलाया जाना चाहिये था । प्रतिपक्ष के पास इतने साधन नहीं हैं जितने कि उप-प्रधान मंत्री के पास ।

**श्री पी० राममूर्ति** (मदुरै) : सामान्यतः जब बहुत सारी धाराएं होती हैं तो यह तरीका अपनाया जाता है कि जिस धारा का लोप किया जाना होता है, उस पर तारा लगा दिया जाता है और नीचे लिख दिया जाता है कि यह धारा निरसित है ।

**श्री मोरारजी देसाई** : गलती दूसरे अधिनियम में है । वहाँ पर यह लिखा होना चाहिये "केवल सहकारी समितियों पर लागू होता है ।"

**श्री खाडिलकर** (खेड) : मैंने अधिनियम को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । जहां तक धारा 10 के लोप का सम्बन्ध है, वह एक अपवाद है जो स्वयं धारा 3 में किया गया है, इसको काटा नहीं गया है । धारा 10 का केवल सहकारी समितियों के सम्बन्ध में लोप किया जायेगा । उन्होंने अधिनियम की एक ऐसी प्रति को ले लिया जिसे ठीक तरह शुद्ध नहीं किया गया था ।

**अध्यक्ष महोदय** : अधिनियम की प्रति में शुद्धि न करने के कारण ऐसा हुआ । अब हमें विधेयक पर आगे विचार करना चाहिये ।

**श्री पी० राममूर्ति** (मदुरै) : मेरा एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है । धारा 36 का सम्बन्ध विभिन्न बैंकों के प्रबन्ध को देखने के लिये रिजर्व बैंक को दी जाने वाली कुछ शक्तियों से है । किन्तु इसके पश्चात् अब एक धारा 36क घ रखी जा रही है । जिसमें कहा गया है :

> "कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी कार्यालय में वैध रूप से प्रवेश करने और उसको छोड़ने से नहीं रोकेगा ।"

इस धारा का धारा 36 से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह विधेयक ठीक नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप विधेयक के गुण दोषों में जा रहे हैं ।

**श्री पी० राममूर्ति** : मैं केवल इसके औचित्य के बारे में कह रहा हूं । क्या संसद् ऐसा विधेयक पारित कर सकती है ?

**श्री मोरारजी देसाई** : धारा 36 और 36 क घ अलग-अलग धाराएं हैं । दोनों एक ही चीज के भाग नहीं हैं ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । संविधान इस सभा को यह शक्ति नहीं देता कि यह किसी व्यक्ति से यह कहे कि "तुम अपनी सम्पत्ति दे दो । हम इसका प्रबन्ध करेंगे ।" यदि यह विधेयक पारित कर दिया गया, तो यह असांवैधानिक होगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में मतभेद हो सकता है । किन्तु मैं नहीं समझता कि मैं इस पर निर्णय ले सकता हूं । इसका निर्णय तो इस सभा को ही करना है । ये जिम्मेदारी अध्यक्ष पर मत डालिये ।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): The Committee's Report on which we are going to have discussions, is, as I think, not a report since it has not been prepared as it should have been. I, along with others, had given my minute of dissent which has not been published. The following formed the part of my minute of dissent:

"(v) Moreover, there is a great danger of the Banks falling under Congress Party Control under the new dispensation without being liberated from the influence of Big Business in any way. This is borne out by the fact that several Congressmen have been appointed directors, *viz.*, Messrs Utsov Parikh and G. B. Nawalkar (Bank of Baroda; Tribuwandas Patel (Central Bank); Shantilal Shah, M.P., Kantilal Ghia, M.L.A., S. N. Desai and Raghunath Singh (Union Bank); Jashbhai Patel (Bank of India), and Maganbhai Patel (Bank of India).

(v) The Thacker affair has also established beyond doubt the collusion between Big Business Bureaucracy and Ministers. It is established that the Minister for Industrial Development and his senior civil servants had given their consent to Prof. Thacker's accepting dictatorship of leading Commercial Bank and but for the opposition of Mr. Mohan Kumaramangalam and Dr. Paranjape and vigilance of Parliament, the deal would have gone through and the inquiry into one aspect of monopoly sabotaged. It is, therefore, necessary to give directions which will ensure that Chairman and Boards of Directors of the Banks do not become subservient to the ruling party."

Thus it is not full report, first of all this report should be complete and then Shri Morarji Desai should put forward his motion. I want your ruling on this point.

There is nothing unparliamentary or uncivilised expressions in my minute of Dissent and had it at all been there, you could have told me about it before expunging. So there is no justification for eliminating my minute of Dissent from the report. Hence this is not a report and you please do not accept it for consideration.

**अध्यक्ष महोदय :** मध्याह्न भोजन के बाद हम समिति के सभापति की बात सुनेंगे ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : उनका स्पष्टीकरण लेने का कोई नियम नहीं है । सभा में यह कहा गया है कि सदस्य की अनुमति बिना सभापति कोई संशोधन नहीं कर सकता । और यहां तो एक महत्वपूर्ण भाग को ही विमति टिप्पण से हटा दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मधु लिमये ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । इस पर विचार-विमर्श होना चाहिये कि सभापति को कोई भाग निकाल देने का अधिकार है अथवा नहीं ।

**Shri Madhu Limaye:** So you do not allow discussion on it just now.

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक अलग और बड़ा प्रश्न है तथा केवल इसी विधेयक से इसका सम्बन्ध नहीं है । यह एक अलग प्रश्न है जिस पर विचार-विमर्श करके निर्णय किया जा सकता है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मुझे आपका मार्ग-दर्शन चाहिये । जब श्री मधु लिमये और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने विमति की टिप्पणियां भेजीं तो उनमें एक विशिष्ट अनुच्छेद भी था । परन्तु रिपोर्ट में अब वह अनुच्छेद नहीं है । अत: यह एक अपूर्ण रिपोर्ट है तथा इस पर विचार-विमर्श किस प्रकार हो सकता है ?

**श्री पी०राममूर्ति** (मदुरै) : एक विधेयक पर विचार करने के लिये संसद् ने एक प्रवर समिति बनाई तथा जब यह विधेयक पुन: सामने आया तो संसद् को यह जानने का अधिकार है कि इस समिति में क्या-क्या बातें उठाई गईं तथा इसके सदस्यों ने विधेयक पर क्या प्रतिक्रिया दिखाई । परन्तु यदि सभापति अनधिकृत रूप से किसी भाग को निकाल देते हैं तो यह कैसे मालूम पड़ेगा कि अमुक सदस्य ने क्या विचार व्यक्त किये थे ? अत: यह रिपोर्ट अपूर्ण है तथा इसके स्थान पर पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिये । अन्यथा फिर प्रवर समिति की आवश्यकता ही क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय** : काश मुझे एक दो दिन पहले पता लगता तो अब निर्णय किया जा सकता था । फिर भी हम भोजनकाल के बाद सभापति का विवरण सुनेंगे ।

## इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

## THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

## लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुन: समवेत हुई

## THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN OF THE CLOCK

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

**[Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ढिल्लों ।

**श्री स० मो० बनर्जी** मध्याह्न भोजन से पूर्व मैं बोल रहा था ।

**श्री तिरुमलराव** (काकिनागा) : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मध्याह्न भोजन के बाद प्रवर समिति के सभापति बोलेंगे ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : विमति की टिप्पणियों पर श्री मधु लिमये तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त के हस्ताक्षर हैं । श्री इन्द्रजीत गुप्त मेरे दल के सदस्य हैं तथा वे इस समय भारतीय साम्यवादी दल की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में भाग लेने गये हैं । अत: उनकी ओर से मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठा रहा हूं ।

**श्री साम्बलिबम** (नागपट्टिणम) : किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मामला सभा के समक्ष है, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं ?

**श्री स० म० बनर्जी** : तब तो कोई भी बोल सकता है। मैं आपका ध्यान नियम 303 (6) था निर्देश 91(1) की ओर आकर्षित करता हूं जिनमें लिखा है कि विमति की टिप्पणियों में यदि कोई शब्द, वाक्यांश आदि असंसदीय अथवा असंगत है तो सभापति (प्रवर समिति के मामले में) तथा अध्यक्ष महोदय (लोक सभा के मामले में) उन शब्दों अथवा वाक्यांशों को कार्यवाही से निकाल सकता है। परन्तु अंग्रेजी भाषा में लिखित श्री मधु लिमये की उन विमति की टिप्पणियों में कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जिसको कि असंसदीय अथवा असंगत कहा जा सके। अतः मेरा निवेदन है कि हम प्रवर समिति के सभापति श्री गु० सिं० ढिल्लों से यह सुनना चाहते हैं कि उन्होंने किस आधार पर उस भाग को कार्यवाही से निकाल दिया।

**श्री गु० सिं० ढिल्लों** (तरनतारन) : माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विमति की टिप्पणियां 15 पृष्ठों में थीं तथा मैंने अनुभव किया कि 4–5 अनुच्छेद मुख्य प्रश्न से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं थे। इन अनुच्छेदों में अशिष्ट टिप्पणियां थीं असम्बन्धित सदस्यों के नाम थे तथा अकारण ही किसी राजनैतिक दल को बीच में लाने का प्रयत्न था। थक्कर रिपोर्ट के सम्बन्ध में कही गई बातें भी पूर्णतया असंगत थीं। अतः मैंने नियम 303 तथा निर्देश 91 के अधीन उन्हें निकाल दिया। जहां तक सम्बन्धित सदस्यों को बताने का प्रश्न है उसके लिये मुझे खेद है कि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। अन्यथा सभी मेरे प्रिय और अच्छे मित्र हैं और मुझे इस बात का ध्यान भी था कि उन्हें इसकी सूचना दी जानी चाहिये।

**Shri George Fernandes** (Bombay South): I want an explanation from you about Mr. Dhillon's saying that he deleted whose paragraphs.

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री जार्ज फरनेन्डीज़ कृपया आप बैठ जायें। आप सब कृपया मेरी बात सुन लें तथा फिर यदि कोई शंका रहे तो मैं बोलने की अनुमति दे दूंगा।

साधारणतया ऐसी प्रणाली रही है कि यदि कोई आपत्तिजनक बात होती है तो सम्बन्धित सदस्य को बताया जाता है। एक बार मैंने भी ऐसा किया था। परन्तु इस विशेष मामले में प्रवर समिति के सभापति ने जो किया है वह ठीक किया है। अब क्योंकि यह मामला सभा में प्रस्तुत हो गया है अतः मैं यह समझता हूं कि उन दोनों अनुच्छेदों को वापस ले लिया जाये। श्री मधु लिमये उन्हें यहां पढ़ चुके हैं तथा वे दोनों अनुच्छेद प्रचारित भी कर दिये जायेंगे। अब मैं अपने निर्णय पर बहस नहीं चाहता। अन्य व्यवस्था के प्रश्न भी अब नहीं उठेंगे।

**Shri Madhu Limaye:** Not on your ruling. It is on some other point. Please hear me.

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने कह दिया है कि दोनों अनुच्छेद प्रतिवेदन में रख लिये जायेंगे। अब और आपको क्या चाहिये ?

**Shri George Fernandes:** We welcome your ruling. Now my point of order is on Rule 305, which says:—

> The Secretary shall cause every report of a Select Committee to be printed, and a copy of the report shall be made available for the use of every member of the House. The report and the Bill, as reported by the Select Committee shall be published in the Gazette."

You have given a very good ruling and done justice. Now if this Bill is to be considered here, then the full report including minute of dissent in full as also those 2 paragraphs should be published and circulated. After that there will be discussion on this Bill.

**श्री पी० राममूर्ति** : किसी विधेयक को प्रवर समिति में इ ि्लये भेजा जाता है कि उस पर वहां विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श हो सके । इस सभा के प्रत्येक सदस्य को पूरी तरह यह जानकारी होनी चाहिये कि उस पर प्रवर समिति के प्रत्येक सदस्य की क्या राय थी ताकि बाद में संसद में उस पर विचार करते समय वह उन बातों पर जोर डाल सके और उन पर समुचित रूप से विचार-विमर्श हो सके । सभा के प्रत्येक सदस्य को पूरी तरह समझने का अवसर मिलना चाहिये कि विमति टिप्पणी में वास्तव में क्या कहा गया है । मेरा सुझाव यह है कि श्री मधु लिमये तथा अन्य सदस्यों ने जो विमति टिप्पणियां दी हैं, उन्हें रात में छपवा कर, कल परिचालित किया जाये और इस पर विचार-विमर्श सोमवार को किया जाये ताकि सदस्यों को उन्हें पढ़ने तथा समझने का पूरा अवसर मिल जाये ।

**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इन कण्डिकाओं को उनके स्थान पर पुनः जोड़ने का जो निदेश दिया है हम उसकी सराहना करते हैं । संसदीय व्यवस्था में प्रक्रिया का अत्यधिक महत्व है । संसदीय कार्यवाहियां त्रुटिहीन होनी चाहियें और यदि उसमें ठीक समय पर किसी दोष का पता लग जाये तो, उसे दूर करना आवश्यक है । इस सभा में साधारणतः कुछ प्रलेख अथवा दस्तावेज के आधार पर कार्यवाही चलती है जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । उस प्रलेख का थोड़ा-सा रूप बदला जा रहा है । यह ठीक है कि उससे काफी अन्तर नहीं पड़ता लेकिन सिद्धान्त रूप में यह बात बहुत महत्व रखती है । इसलिये, इस सम्बन्ध में आपको और अधिक सिद्धान्तपूर्ण रवैया अपनाना चाहिये और इस पर हो रहे विचार-विमर्श को आधा घंटा के लिये स्थगित कर देना चाहिये क्योंकि प्रक्रिया का मामला महत्वपूर्ण है ।

**श्री रंगा** (श्रीकाकुलम) : प्रवर समिति का प्रतिवेदन जो सभा में पेश किया गया है, अपूर्ण है । इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान नियम 305 की ओर भी दिलाया गया है । मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमें कुछ समय मिलना चाहिये । मेरी राय में इसे छपवा कर कल परिचालित किया जाये और तब सभा इस पर कल अथवा किसी और समय जब आप अथवा संसद-कार्य मंत्री उसके लिये समय निश्चित करें विचार-विमर्श करेगी ।

**श्री गु० सिं० ढिल्लों** : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपने अपना विनिर्णय दे दिया है और उससे प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य उलझनें पैदा कर दी हैं जिन्हें सुलझाना आपके लिये आवश्यक है । सदस्यों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसे आपको मानना पड़ेगा । मुझे आपके कार्यालय ने सलाह दी थी कि मुझे सभापति की हैसियत से अपने स्वविवेक का प्रयोग करने का पूरा अधिकार प्राप्त है और विमति टिप्पण में मेरे द्वारा किए गए परिवर्तनों को सदस्यों को बताने की कोई प्रथा नहीं है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : निदेश 91 (2) के अन्तर्गत यह गलत धारणा पैदा हुई है । जहां तक इन आपत्तियों का सम्बन्ध है, ये दो कण्डिकाएं सम्बन्धित सदस्यों को अवसर देने के लिये पुनः सम्मिलित नहीं की गई हैं, अन्यथा दूसरों को अपनी राय बदलने के लिये मनवाने का प्रश्न उत्पन्न हो गया होता । इन दो कण्डिकाओं का सम्बन्ध संशोधित विधेयक के खण्डों अथवा उसमें कहीं गई किसी बात से नहीं है । यह केवल व्यक्त की गई एक राय है, इसलिये मैं नहीं समझता कि इन कण्डिकाओं का उसमें पुनः जोड़ने तथा उनके परिचालन से वाद-विवाद में किसी तरह कोई असर पड़ेगा क्योंकि उनमें व्यक्त किये गये विचार एक राजनैतिक राय के अलावा और कुछ नहीं है ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। चाहे वह राजनैतिक है अथवा नहीं, अकण्डिकाओं को एक दफा निकाल दिया गया था और अब फिर से जोड़ा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राय प्रवर समिति के प्रतिवेदन का एक भाग है अथवा नहीं। यदि वह इस प्रतिवेदन का एक भाग है, तो यह बात उस प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करने से पहले स्पष्ट की जानी चाहिये।

**श्री नारायण दांडेकर** (जामनगर): हमारे समक्ष प्रस्ताव है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये, लेकिन दुर्भाग्यवश, वह प्रतिवेदन अधूरा है। मुझे विश्वास है कि उप-प्रधान मंत्री ने भी इस बात को माना है कि प्रतिवेदन इन कण्डिकाओं के बिना अपूर्ण है।

**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं अब भी यही कहता हूं कि इन दो कण्डिकाओं के इस प्रतिवेदन में फिर से जोड़े जाने पर भी वाद-विवाद में किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा।

अब सभा में अगले विषय पर विचार होगा।

---

## सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) संशोधन विधेयक

## PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL

**निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) अधिनियम में आगे संशोधन करने वाले वियधेक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) अधिनियम, 1958 सरकारी परिसरों से उन व्यक्तियों को, जिन्होंने उन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, बेदखल करने तथा लगान की बकाया राशियों को वसूल करने तथा इन परिसरों पर अनधिकृत कब्ज से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये शीघ्र व्यवस्था (मशीनरी) कायम करने के हेतु बनाया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी को, जिसे 'एस्टेट आफिसर' कहा जाता है किसी व्यक्ति को जिसने सरकारी परिसर पर अनधिकृत कब्जा किया हो, 'कारण बताओ' नोटिस देने के बाद तथा उसे उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद, बेदखल करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम में मालगुजारी की बकाया राशि के रूप में किराये और क्षतिपूर्ति वसूल करने की व्यवस्था भी है।

पंजाब सरकारी परिसर तथा भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1959 में भी, जो पंजाब तथा हरियाणा में लागू है, इसी तरह के उपबन्ध हैं। अप्रैल, 1967 में उच्चतम न्यायालय ने पजाब सरकारी परिसर तथा भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम की धारा 5 को इसलिये रद्द घोषित कर दिया गया था कि उसमें मुकदमे के आम उपाय के अलावा एक और उपाय की व्यवस्था थी जिसे इस न्यायालय ने भदभावपूर्ण बताया और कहा कि इससे

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। इसलिये हमने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को देखते हुए केन्द्रीय अधिनियम में, जिसके उपबन्ध तथा प्रक्रियायें पंजाब अधिनियम के समान ही हैं, संशोधन करना उचित समझा ताकि दीवानी मुकदमे के तौर पर सामान्य को खत्म किया जा सके।

अधिनियम में यह व्यवस्था करने के लिये संशोधन करने का हमारा विचार है कि सरकारी परिसर से बेदखली तथा किराये की बकाया राशि की वसूली और क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में केवल अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। कोई भी दीवानी अदालत किसी सरकारी परिसर पर अनधिकृत कब्जे वाले की बेदखली या किराये की बकाया राशि की वसूली और क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अथवा मुकदमा नहीं ले सकेगी।

अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार 'सरकारी परिसर' केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के परिसर हैं। हमने ऐसा महसूस किया है कि सरकारी कम्पनियों के परिसरों के सम्बन्ध में भी यही अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। अतएव सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1968 राज्य सभा में 5 मार्च, 1968 को पुरःस्थापित किया गया था। 29 मई, 1968 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम की धारा 5 तथा 7 (2) को उन्हीं आधारों पर संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया जिनका उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के मामले में किया है। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1968 के आधार पर, जिसे राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था और जो इस सभा में विचाराधीन है एक अध्यादेश जारी किया जाये और 17 जून, 1968 को वह अध्यादेश जारी किया गया। लेकिन भारतीय टेक्नोलॉजी) संस्था, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, एयर इंडिया इंटरनेशनल आदि जैसे निगमित निकाय 5 मार्च, 1968 को पुरःस्थापित किये गये विधेयक तथा उपरोक्त अध्यादेश के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आये, इसलिये हमारा विचार इन निगमित निकायों को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के भीतर लाने का है। प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का स्थान लेने के लिये लाया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि सरकारी परिसर (अप्राधिकृत दखल कर लेने वालों की बेदखली) अधिनियम, 1968 में आग संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

**श्री नो० कान्तन नायर** (क्विलोन) : प्रस्तुत विधेयक में भारत सरकार के अधीन निगमों तक के लिये सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और उन्हें इसके क्षेत्राधिकार के अन्दर जाया जा रहा है लेकिन राज्य सरकारों को उनसे वंचित रखा जा रहा है, इसलिये यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

**श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है : प्रथम पृष्ठ, खण्ड (ख), "केन्द्रीय सरकारों की ओर से" **के बाद** "राज्य सरकारों" जोड़ा जाये। यदि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप गलती पर हैं । यदि आप इसे इस संशोधन को आज प्रस्तुत करें तो प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जायेगी । मुझे संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** : मेरा स्पष्टीकरण है । माननीय मंत्री ने बोलते समय कहा था कि दीवानी अदालत को मामला सौंप दिया जायेगा । परन्तु दीवानी अदालत में जाने से पहले कौन बतायेगा कि अप्राधिकृत रूप से दखल करने वाला कौन है ।

**श्री जगन्नाथ राव** : सरकार के "एस्टेट आफ़िसर" को ये अधिकार होगा ।

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): Sir, the provisions of the Bill are against the interests of farmers, especially the jhuggi-dwellers of Delhi. We are not against development of cities, but we do not want to pay a heavy price for that in the form of eviction of lakhs of the poor jhuggi and jhopri dwellers without any compensation being paid to them.

Implementation of the Bill will result in the up-rooting of lakhs of such people. Everybody knows how thousands of jhuggis in Delhi were demolished and their dwellers were rehabilitated at distant places which are far off from their working places. No facility of drinking water has been provided in those colonies. They have been deprived of basic emeneties of life. No arrangement has been made for electrifications of these colonies. After all they are as good citizens of this country as we are. But the Government have been adopting an indifferent attitude towards these poor people. Why do they not take necessary steps to rehabilitate them properly and provide all civic amenities to them. The Bill is a discriminatory measure. The Government have been adopting a discriminating policy towards this poor section of the society and favouring the rich. The Bill itself is an example of it. The Bill, therefore, does not deserve to be supported.

[ श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए । ]

[**Shri R. D. Bhandare** in the Chair.]

This is good that Government are setting up factories in the Chhota Nagpur area of Bihar. But it should not be done it at the cost of poor adivasis. The adivasis of Bihar were ruthlessly uprooted from this area. They have been facing tremendous difficulties, they have been reduced to miserable plight. They have nothing to eat and they have no house to live in. They have not been paid compensation till today even after a very long time. This is the main cause leading to resentment, distress and frustration among the adivasis. They are compelled to lunch agitation against this policy of the Government when they raise their voice against their eviction without any payment therefor, it is termed as Naxelite movement. In addition, the Government are trying to create fissiparous tendencies between Christian and non-Christian population there. Necessary and immediate steps should be taken to rehabilitate these adivasis. The price of lands acquired from the farmers in the Shahabad district of this State was paid at the rate of Rs. 500 per bigha, which is not justified. It is nothing less than looting the farmers. The Government should pay reasonable compensation to the farmers whose lands are acquired by them so that they may re-settle themselves properly.

Whenever acquisition of land is considered necessary for developmental purposes, steps should be taken to see that suitable accommodation is provided to those people whose lands are acquired and who are evicted from their tenements, and payment made immediately after compensation in respect thereof is assessed and determined.

**Shri Randhir** (Rohtak): Mr. Chairman, the Bill may probably cause great hardships to the poor, farmers and labourers who come under its jurisdiction. They will have no right to appeal also as the provisions of the Bill preclude them from preferring an appeal against the orders of eviction. Special care should, therefore, be taken to see that the Bill does not become an instrument of repression. At the same time it is necessary to pay a reasonable compensation to those whose lands are acquired or who are evicted from their tenements under the provisions of this Bill.

**सभापति महोदय :** क्या आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं अथवा आपको और अधिक समय चाहिए। यदि आप को अधिक समय चाहिये तो फिर आप अगले अवसर पर बोल सकेंगे क्योंकि अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लिया जाना है।

**श्री रणधीर सिंह :** मैं अगले अवसर पर अपना भाषण जारी रखूंगा।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### तेतीसवां प्रतिवेदन

**श्री भालजी भाई परमार** (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से, जो 31 जुलाई, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 33वें प्रतिवेदन से, जो 31 जुलाई, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
THE MOTION WAS ADOPTED.

---

## सिविल और सैनिक विभागों में पदों के बारे में संकल्प—जारी
## RESOLUTION RE. POSTS IN CIVIL AND MILITARY DEPARTMENTS—contd.

**सभापति महोदय :** श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा 3 मई, 1968 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अब आगे चर्चा की जायेगी।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (बाढ़) : पिछली बार जब मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था तो मैं कह रही थी कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में बढ़ते हुए पक्षपात तथा ईश्वरीजावाद के बारे में

देश के अनेक लोग चिन्तित हैं। यह रोग हमारे सिविल विभागों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह वाणिज्यिक उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं तथा सैनिक विभागों में भी फैल गया है।

हम अंग्रेज सरकार से प्राप्त प्रशासन प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे हैं। उस समय अंग्रेजों ने कुछ ऐसे मूल नियम तथा प्रथाएं स्थापित की थीं जिनसे उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती थी। इनका उद्देश्य अपने वफादार लोगों को ईनाम देना भी था। वे लोगों का एक ऐसा वर्ग गठित करना चाहते थे जो उनके प्रति वफादार रहे। आजादी के बाद भी हमने इन नियमों आदि में कुछ परिवर्तन नहीं किया। हमने यह कभी अनुभव नहीं किया कि यह प्रशासन लोक कल्याण के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा सुविधाजनक तथा शान्तिपूर्ण ढंग से प्रशासन करने के लिये बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे प्रशासन का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है और इसको लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करना है। परन्तु इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। जहाँ तक कि मूल नियमों में भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आजकल वफादारी जाति, पक्षपात आदि पर निर्धारित की जाती है। यही कारण है कि हम प्रतिदिन सभा में तथा देश में सरकार में बढ़ते हुए भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात के बारे में सुनते हैं। ये बातें जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र में हो रही हैं उससे हमें बहुत चिन्ता है। सरकारी क्षेत्र में की गई नियुक्तियाँ तथा उनके काम को देखें तो हमें पता चलेगा कि यदि ये व्यक्ति किसी अन्य देशों में होते तो तुरन्त सेवामुक्त कर दिये गये होते और समूची प्रणाली को बदल दिया गया होता। सरकारी क्षेत्र में हमने करोड़ों रुपये लगा दिये हैं परन्तु उसके कुछ परिणाम नहीं निकले।

सिविल नियुक्तियाँ संबंधी प्रणाली अब पुरानी हो चुकी है। हमें मूल नियमों में परिवर्तन करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग को इस मामले पर विचार करने के लिए कहा गया है परन्तु उसके निदेशक पद बहुत अधिक है। अतः हम उससे कुछ आशा नहीं कर सकते। प्रशासनिक सुधार आयोग को इस समस्या पर विचार करना चाहिए कि सिविल प्रशासन में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है।

भारतीय सिविल अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र में किसी भी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। एक व्यक्ति यदि आज बिजली बोर्ड का चेयरमैन है तो कल उसको खाद्य निगम, निर्यात निगम तथा किसी इस्पात संयंत्र का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। मैंने किसी अन्य देश में यह चीज नहीं देखी।

गेलब्रेथ की नई पुस्तक 'दी न्यू इंडस्ट्रियल सोसायटी' के अनुसार आज पूंजीवाद तथा समाजवाद अर्थव्यवस्था में अधिक अन्तर नहीं रह गया है क्योंकि दोनों में बड़े-बड़े उद्योग समूहों को तकनीकी व्यक्ति ही चलाते हैं।

सर्वप्रथम सेवा के नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम इस देश के नागरिक हैं फिर भी हमें एक बंड पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि हम कुछ निश्चित वर्षों तक सरकार की सेवा करेंगे यह प्रणाली ब्रिटिश शासन में तो ठीक थी परन्तु अब बड़ी विचित्र लगती है।

गोपनीय प्रतिवेदनों की प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है। अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसकी अपेक्षा सभी मंत्रालयों में जाँच मूल्यांकन की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। इस काम पर तैनात व्यक्तियों को बराबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहना चाहिए जिससे कि इनमें निहित स्वार्थ उत्पन्न न हो।

आवेदन पत्रों को आगे भेजने तथा 'प्रोबेशन' प्रणाली में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे पता लगा है कि अनेक मामलों में आवेदनपत्रों को गुणोदोष के आधार पर नहीं बल्कि अन्य बातों को ध्यान में रखकर आगे भेजा जाता है।

भाई-भतीजावाद इस सीमा तक बढ़ गया है कि तकनीकी विकास के महानिदेशक सरकारी क्षेत्र के बीस समवायों का प्रतिनिधित्व करते हैं हालाँकि उनका अपना विभाग बहुत बड़ा है और उनकी अनेक जिम्मेदारियाँ हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी एक दिन के लिए बेकार नहीं बैठते क्योंकि वह किसी न किसी पद पर लगा दिये जाते हैं। उदाहरणतया श्री पाण्डेय तथा श्री माथुर को हैवी इलैक्ट्रिकल्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया था।

सरकारी उपक्रमों के ब्यूरों द्वारा प्रकाशित 'लोक उद्योग' नाम पुस्तक के अनुसार इस समय सरकारी क्षेत्र में 79 परियोजनाएं हैं इनमें 95·96 प्रतिशत अधिकारी भारत सरकार के हैं।

मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री यह बतायें कि सेना में अचानक इतनी पदोन्नतियाँ किस कारण की गई हैं? छः लैफ्टीनेंट जनरल, पाँच मेजर जनरल, 55 कर्नल और 20 ब्रिगेडियरों की पदोन्नति की गई है। दूसरे विश्व युद्ध में जवानों की संख्या तीन गुना थी परन्तु अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी। अब जबकि जवानों की संख्या उस समय से कम है अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के क्या कारण हैं। अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर व्यय बहुत बढ़ गया है। परन्तु उसी तुलना में जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं पर व्यय नहीं बढ़ा है।

**सभापति महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ

"कि सभा की राय है कि कार्य-कुशलता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सिविल और सैनिक विभागों में उच्च वेतन वाले पदों के निर्माण और कर्मचारियों के चयन की तथा तत्सम्बन्धी विद्यमान प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न की जाँच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाये।"

**श्री नायनार** (पालघाट) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

**सभापति महोदय :** संकल्प तथा संशोधन चर्चा हेतु सभा के समक्ष हैं।

**श्री नायनार :** श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने प्रशासन में भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि इन आरोपों की जाँच करने के लिए एक उच्च शक्ति वाले आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पहले भी इस संसद् में सैनिक मामलों की जाँच करने के लिए एक उच्च शक्ति वाली समिति के गठन पर चर्चा की गई थी। सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था परन्तु प्रतिरक्षा मंत्री ने इसे रद्द कर दिया था यद्यपि उन्होंने इस संकल्प की भावना को स्वीकार किया था।

मैं साधारण जवानों तथा अधिकारियों के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। भारत रक्षा कानूनों के रद्द किये जाने के पश्चात् जवानों की स्थिति अधिक खराब हो गई है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात उनकी सेवा की शर्तों, खाद्य तथा अन्य सुविधाओं में कमी हो गई है। चार वर्ष पूर्व सेना अथवा वायु सेना में भर्ती होने वाले जवानों के लिए 19 वर्ष की नियमित सेवा तथा 6 वर्ष की रिजर्व सेवा की व्यवस्था है। भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् इसमें परिवर्तन कर दिया गया है तथा अब यह 15 वर्ष की नियमित तथा 6 वर्ष की रिजर्व सेवा रह गई है। यद्यपि युद्ध

समाप्त हो चुका है तथापि स्थिति वही बनी हुई है । जवानों को 12 से 13 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया जाता है जिससे कि उनको पेंशन न देनी पड़े ।

जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है जवान अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत नहीं कर सकते । उनको अच्छी चिकित्सा भी नहीं की जाती है । जहाँ तक जवानों की छुट्टी का सम्बन्ध है यदि किसी जवान की माँ बिमार हो और उसको इस सम्बन्ध में घर से तार प्राप्त हो तो भी उस जवान को छुट्टी नहीं दी जाती है । जवानों की छुट्टी में कमी भी कर दी गई है । पहले उनको वर्ष में दो महीने की छुट्टी मिलती थी अब इसको कम करके 30 दिन कर दी गई है । हिमालय की सीमा पर तैनात जवान को अपने घर पहुंचने में दस से पन्द्रह दिन लग जाते हैं । इसके अतिरिक्त जवानों को दिये जाने वाले चावल के राशन में भी कमी कर दी गई है ।

सैनिक विभागों में भ्रष्चाचार तथा पक्षपात भी किया जाता है । प्रतिरक्षा बजट में अपव्यय भी होता है । बड़े-बड़े व्यापारी, टाटा, बिड़ला आदि प्रतिरक्षा से सम्बन्धित हैं तथा एकाधिकार होने के कारण बहुत लाभ कमा रहे हैं । परन्तु जवान की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है । मैं संकल्प का समर्थन करता हूं कि मामले की जाँच के लिए एक उच्च शक्ति वाली समिति नियुक्त की जानी चाहिए ।

**श्री नन्दकुमार सोमानी** (नागौर) : मेरे विचार में वर्तमान संकल्प के दो उद्देश्य हैं । एक विद्यमान प्रशासन और भर्ती, पदोन्नति आदि के बारे में नीति की जाँच करना है और दूसरा उद्देश्य दूषित वातावरण को साफ करना है । मुझे आश्चर्य है कि प्रस्तावक ने पिछले एक वर्ष के दौरान की गई कुछ अन्य खतरनाक नियुक्तियों का क्यों उल्लेख नहीं किया । उन्होंने कुछ नौकरशाहों तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों का उल्लेख किया है परन्तु चुनाव में हारे हुए उन मंत्रियों तथा राजनीतिज्ञों का उल्लेख नहीं किया जिनको उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया गया है ।

यह संकल्प मूल रूप से भारत सरकार के जन-शक्ति प्रशासन के बारे में है । में प्रतिरक्षा प्रशासन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है । नये लोगों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग है । इस आयोग तथा भर्ती सम्बन्धित निकायों के नियम पुराने पड़ चुके हैं तथा देश और विदेश में प्रबन्ध के बदलते हुए तरीकों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । उच्च पदों में लोग गत 30 अथवा 40 वर्षों से बने हुए हैं जोकि किशोरों के साहसिक दृष्टिकोण की प्रशंसा नहीं कर सकते । अतः यह आवश्यक है कि भर्ती सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किये जायें तथा-साथ साथ वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए यौवन और किसी समस्या को साहस से हल करने की बातों को भी नहीं भूलना चाहिए ।

जहाँ तक उच्च शक्ति वाली समिति बनाये जाने का प्रश्न है प्रस्तावक ने उसके तात्पर्य के बारे में कुछ नहीं बताया । यह भी नहीं बताया कि इसका गठन किस प्रकार किया जाना चाहिए और इसके निर्देश पद क्या होने चाहिएं ।

मेरे विचार में हमारे यहाँ पहले ही निकायों, समितियों, प्रतिवेदनों तथा अन्य चीजों की भरमार है अतः एक अन्य उच्च शक्ति वाला निकाय बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि संसद् विभिन्न महत्वपूर्ण उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी प्रक्रियायें तथा नीतियाँ बना दे तो यह एक अच्छी सेवा होगी ।

जहाँ तक वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रश्न है मेरा कहना है कि अधिकारियों के जल्दी-जल्दी तबादले नहीं किये जाने चाहिएं क्योंकि इससे अधिकारियों में अपने काम के प्रति वफादारी उत्पन्न नहीं होती और वे सुरक्षा की भावना भी खो बैठते हैं ।

**श्री हिम्मतसिंहका** (गोंडा) : मैं संकल्प में निहित भावना का समर्थन करता हूं । अब समय आ गया है जब कि सरकार को सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियां करते समय सावधानी से काम लेना चाहिए । इन उपक्रमों में बहुत अधिक धन लगाया गया है और यदि यह उपक्रम अच्छे परिणाम देना आरम्भ कर दें तो वित्त तथा घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में हमारी अनेक कठिनाइयां समाप्त हो जायें ।

अधिकारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी-जल्दी तबादला किया जाता है । इससे उसके अनुभव का लाभ नहीं उठाया जाता है । किसी सरकारी कर्मचारी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह ऐसा काम केवल इसलिए कर सकेगा क्योंकि वह सिविल सेवा में है । जो काम उसने कभी न किया हो । दुर्भाग्य की बात है कि कुछ उद्योगों में ऐसे अधिकारी नियुक्त किये हैं जिनको सम्बन्धित उद्योगों का अनुभव नहीं है ।

एक व्यक्ति बहुत कुशल हो सकता है लेकिन यदि प्रबन्धक उसकी कुशलता का उचित उपयोग नहीं करते तो वह अकुशल सिद्ध हो जाता है । भारतीय सिविल सेवा अधिकारी कुशल हो सकते हैं यदि उन्हें उन व्यक्तियों द्वारा सलाह दी जाये जो उद्योगों को चलाते हैं । यदि उनको सलाह देने वाले व्यक्ति स्वयं ही कार्यकुशल नहीं होंगे तो वे किस प्रकार कार्य कुशलता से काम कर सकते हैं । क्योंकि विभिन्न विभागों के सचिव एक कम्पनी के आंशिक डायरेक्टर हैं इसलिए वे जल्दी तो काम करते हैं और उन्हें किसी मामले पर पूर्ण अध्ययन करने का उचित अवसर नहीं मिलता । अतः यह आवश्यक है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये जो विशेषज्ञ हों, जिन्हें विषय का ज्ञान हो और जो नियुक्त अधीक्षकों से उचित जानकारी प्राप्त कर सकें ।

अशोक होटल के बारे में आपको जानकारी है । अशोक होटल लाभ में चल रहा था । परन्तु बाद में बहुत से ऐसे व्यक्तियों की उसमें नियुक्ति की गई जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप अशोक होटल के लाभ में कमी आती गई क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहे थे उन्हें निकाल दिया गया और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के सम्बन्धी थे उन्हें नियुक्त कर लिया गया ।

यही स्थिति अन्य संस्थाओं की भी है । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उचित व्यक्तियों को उद्योगों का प्रबन्धक नियुक्त किया जाना चाहिये और उनका उचित पथ-प्रदर्शन किया जाना चाहिये ताकि वे संस्थाएं लाभ देना आरम्भ कर दें और वे उचित रूप में चलाई जायें ।

**Shri Shri Chand Goyal** (Chandigarh): The aim of the resolution put forward by Shrimati Sinha before the House is to ensure efficiency and economy so that efficiency in work may be increased. Today the services required complete overhaul. There is a great discontent amongst the employees. They are of the view that the promotions in the services are not made on the basis of qualifications and efficiency, but are made on some other grounds.

So far as the question of economy is concerned, the Administrative Reform Commission has been doing this work for so many years and lakhs of rupees have been spent in this regard.

It was the duty of the Administrative Reforms Commission to find out whether the promotions were made on the basis of qualifications or on same other basis. Besides it, this nepotism can be stopped by enacting laws and making regulations.

There should be economy in our services. Proper investigation should be made in this regard. Surplus staff should be employed elsewhere and the tendency to appoint own kiths and kim should be discouraged.

**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर) : यदि माननीय महिला सदस्य ने उपक्रमों सम्बन्धी प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा होता तो उन्होंने ऐसी बातें न कही होतीं जो इन्होंने कहीं हैं । उन्होंने वही मामले उठाये हैं जिन पर अध्ययन दल और बाद में प्रशासनिक सुधार आयोग ने विचार किया है । समाचार पत्रों में घोषणा की गई थी कि सरकारी उपक्रमों में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । अतः यह संतोष का विषय है कि सरकार ने वैसा ही निर्णय किया है जैसा कि सदस्य चाहते थे ।

गोपनीय रिपोर्टों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था । इसके बारे में आयोग जांच कर रहा है । यदि सदस्य महोदय ने अध्ययन दल की रिपोर्ट का अध्ययन किया होता तो उन्हें ज्ञात हो गया होता कि उन्होंने जो बातें कहीं थीं उनके बारे में सिफारिशें पहले ही दे दी गई थीं । तीन अध्ययन दलों ने तीन प्रतिवेदन दिये हैं । अध्ययन दल के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रख दिया गया है ।

यह भी कहा गया था कि आयोग को इतने व्यापक निर्देश दिये गये थे कि वह किसी विशेष समस्या पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकता था । इसी के परिणामस्वरूप सरकार ने आयोग की नियुक्ति की । सरकार गांव पंचायत स्तर से लेकर संघ प्रशासन स्तर तक पूरे सरकारी ढांचे की त्रुटियों तथा कमजोरियों को जानना चाहती है । आयोग अब उनके प्रतिवेदन की जांच कर रहा है ताकि इस विषय पर अन्तिम रिपोर्ट दे सके ।

**Shri Shiv Chandra Jha** (Modhuhani): The suggestion for appointing a High Power Committee is superfluous. Several Committees have been formed in this connection. The basic point before us is that how to change the society, but unfortunately that basic point is not being discussed.

It is clear that there is no necessity of highly paid officers in the society. There is a great disparity between the salary of the officers and their subordinates and this should be avoided. As a result of it efficiency will increase and economy will be achived. Our I.C.S. officers still have the sense of bureaucrcy in them and they consider themselves to be most superior. If we really want to increase the efficiency and economy, it is essential that the disparity of pay between the officers and their subordinates in the civil and Defence Departments should be removed.

I am not dissatisfied with the work of Administrative Reforms Commission. But the question is that how this principle should be implemented. The Government have no power to implement it.

It is a superfluous motion. With these words I oppose the motion.

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है । पदोन्नति, भर्ती, सेवा निवृत्त, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के सब विषय पर विचार किया जाना चाहिये । इसके लिये संसद् सदस्यों का आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । यदि आप विभागीय पदोन्नति समिति के विभिन्न प्रतिवेदनों पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि आज पक्षपात और भाई भतीजेवाद का बोलबाला है तथा योग्यता पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाता यदि किसी व्यक्ति की मंत्री या उपमंत्री तक पहुंच होती है तो उसके लिये नौकरी और पदोन्नति प्राप्त करना सम्भव है । सरकारी उपक्रमों की दशा यह है कि दिवंगत पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्घाटित प्रथम ट्रांसफार्मर ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है ।

यह हाल सरकारी उपक्रमों और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य का है । हम देखते हैं कि कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता । वास्तव में वे सरकार से घबराते हैं क्योंकि सरकार स्वयं ही निर्णय नहीं ले पाती ।

इसी प्रकार अध्यक्ष की नियुक्ति राजनीतिक विचार को ध्यान में रखकर की जाती है । इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये । सरकार को यह कार्य उचित प्रकार से करना चाहिये । विभागीय पदोन्नति समिति का न्यायोचित कार्य करना चाहिये । अन्यथा असन्तोष उत्पन्न हो जायेगा । सैनिक कर्मचारियों में असंतोष फैला है । यहां तक कि सेना में भी पक्षपात पूर्ण और भाई भतीजेवाद का जोर है । यदि यह इसी प्रकार चलता रहा तो मैं नहीं कह सकता कि सेना का क्या होगा।

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : हमारे देश में स्वतन्त्रता के बाद प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता अनुभव हुई । केवल प्रक्रियाओं और नियमों में ही सुधार नहीं किया जाना था अपितु, प्रशासन की कल्पना भी बदलनी थी । अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए उच्च शक्ति प्राप्त प्रशासकीय सुधार आयोग का जो गठन किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । विचारणीय विषय जानबूझकर इतने व्यापक रखे गये हैं कि उन्हें लोक-प्रशासन से सम्बन्धित किसी विषय पर चिार करने में कोई अड़चन न हो ।

श्रीमती सिन्हा ने सरकारी उपक्रमों के बारे में टिप्पणी की है । इससे संदेह नहीं कि हमारे देश में सरकारी उपक्रमों ने इतना अच्छा कार्य नहीं किया जितनी उनसे आशा थी । लेकिन इसने देश की महान सेवा की है और देश की अर्थ व्यवस्था में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है । सरकारी उपक्रमों को और अधिक अच्छी तरह से काम करना चाहिये क्योंकि इस पर हमारी अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। दिये गये सुझावों से सरकारी उपक्रमों के कार्य में सुधार करने में सहायता मिलेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उद्देश्य लाभ अर्जन करना नहीं है । उत्पादन ही उनका लक्ष्य होना चाहिये, न कि लाभ कमाना । उन्हें उत्पादन प्रधान होना चाहिये । हमें आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में आत्मनिर्भर होना चाहिये । जब हम सरकारी क्षेत्र में उपक्रम आरम्भ करते हैं तो हमें सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों, जो इसमें सहयोग प्रदान करने के लिये सहमत हुए थे, पर निर्भर करना पड़ता है। गैर-सरकारी उद्योग समितियों की ओर

से बैर भाव और सहयोग के अभाव के कारण हमें विभिन्न स्रोतों से योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते और हमें सरकारी सेवाओं में कुछ व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है । यह प्रयास किये जाते हैं कि सरकारी उपक्रम को देश में सफल न होने दिया जाये । परन्तु ऐसे प्रयास सफल नहीं हुए हैं ।

सरकारी उपक्रमों को चलाने के लिये हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिये । इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह निश्चित रूप से सिविल सेवा के ही हों । यदि कोई व्यक्ति अथवा कुछ लोग सिविल सेवा के हों और उन्हें सरकारी उपक्रमों को चलाने का उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो तो उन्हें यह काम करने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

इस समय गृह मंत्रालय में जन शक्ति निदेशालय, और वित्त मंत्रालय में लोक उपक्रम कार्यालय इस मामले की देखभाल करते हैं । वे दोनों इस बात पर ध्यान देते हैं कि देश में उचित प्रकार की सेवा और विशेष जानकारी को बढ़ावा मिले जिसके परिणाम-स्वरूप हमारे सरकारी उपक्रम उचित प्रकार से चलाये जा सकें ।

अंग्रेजों से प्राप्त प्रशासन को हमने वैसा ही रखा है । स्वतन्त्रता के आरम्भ के युग में हमें प्रयास करने चाहिये और प्रशासन की रचना और उसके ढांचे में आमूल परिवर्तन लाने चाहियें । यदि आज हम इस क्षेत्र में अच्छे परिणाम नहीं दिखा सके हैं और एक विशेष क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं दिखा सके हैं तो इसका एक मात्र कारण यह है कि हमें जिस व्यवस्था के अनुसार काम करना पड़ा है वह प्रशासन के अनुकूल नहीं है ।

**श्री पी० राममूर्ति** (मदुरै) : मैं इस सम्बन्ध में भारत सरकार की राय जानना चाहता हुं। श्री शुक्ला व्यक्तिगत रूप से अपनी राय प्रकट कर रहेहैं। हमें उनकी व्यक्तिगत राय से कोई सरोकार नहीं है । हमें सरकार का मत बताया जाये, वह सरकार की ओर से बोल रहे हैं, न कि व्यक्तिगत हैसियत से ।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैंने जानबूझ कर यह कहा है कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है। यह सरकार की राय नहीं है । सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा कर रही है, जो कि उपयोगी सिद्ध होंगे । उन प्रतिवेदनों के प्राप्त हो जाने के बाद हम अपना प्रशासनिक सुधार कार्य अधिक अच्छे तरीके से कर सकेंगे । जैसा कि चेयरमैन महोदय ने स्वयं कहा है कि सरकार के लिये यह अनिवार्य नहीं है, कि वह प्रत्येक सिफारिश को स्वीकार करे । सरकार कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है तथा कुछ को अस्वीकार भी कर सकती है और कुछ सिफारिशों के बारे में उस से भी व्यापक कार्यवाही कर सकती है, जिसकी कि सिफारिश की गई है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारा प्रशासनिक ढांचा और कल्पना बदल दी गई होती, तो हमारी वे मुसीबतें जो हमें पिछले 20 वर्षों में उठानी पड़ी हैं, कम हो गई होती । चूंकि यह खास कमी बड़ी तेजी से महसूस की गई इसलिये यह उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया गया ।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** (मंगौर) : एक दूसरी उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त कर दीजिये ।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : हमारी प्रशासनिक प्रणाली के सम्बन्ध में यह सर्व विदित है कि हमारा प्रजातंत्र ऐसा है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर काम करता है, परन्तु हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राज्य स्तर से नीचे कोई प्रजातंत्र नहीं है । जिलों और अन्य स्तरों पर नौकरशाही काम करती है । यहीं पर अधिकांश प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता है । मैं पुनः यह बात अपने मतानुसार कर रही हूं, क्योंकि सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण अध्ययन कर के कोई निष्कर्ष निकालेगी ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : सभापति महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री शुक्ला बार बार कह रहे हैं कि यह उनका व्यक्तिगत मत है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक गैर-सरकारी सदस्य के प्रस्ताव का उत्तर गैर सरकारी तौर पर दिया जाता है ?

**सभापति महोदय** : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
**Mr. Deputy Speaker** *in the chair*

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या एक मंत्री किसी प्रस्ताव का उत्तर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दे सकता है । यह बहुत गलत परम्परा होगी । अन्ततः हम इस सभा में बैठे हैं, न कि केन्द्रीय हाल में । हम एक गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं । सब माननीय सदस्य बोल चुके हैं और गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री गृह कार्य मंत्रालय की ओर से उत्तर दे रहे हैं, परन्तु वह बार बार कह रहे हैं कि यह उन का व्यक्तिगत मत है । अतः इस संकल्प के सम्बन्ध में सरकार का कोई मत नहीं बताया गया है । क्या मंत्री महोदय केवल व्यक्तिगत हैसियत से इस बहस का उत्तर दे सकते हैं । यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है और उन्हें सरकारी मत बताना चाहिये ।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं केवल वाद विवाद में हस्तक्षेप कर रहा हूं । उत्तर देने का अधिकार माननीय सदस्या का है । मैं नहीं समझता कि श्री बनर्जी का कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे व्यक्तिगत मत व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है । मैं सरकार का मत व्यक्त करने के साथ साथ अपना मत भी व्यक्त कर सकता हूं । मैंने यह नहीं कहा है कि यह सरकार की राय नहीं है । हो सकता है अन्त में सरकार का मत भी यही हो जाये, परन्तु जब तक सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों पर विचार नहीं कर लेती, तब तक सरकार की राय नहीं बताई जा सकती ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकार की राय क्या है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है । जब तक प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर पूरी तरह विचार नहीं किया जाता, तथा सरकार इस सम्बन्ध में अपना कोई मत स्पष्ट नहीं बनाती, तब तक वह यह नहीं कह सकते कि सरकार का मत क्या है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी मंत्री अपना व्यक्तिगत मत जाहिर कर सकता है, परन्तु उसे ऐसा करते समय यह स्पष्ट करना चाहिये कि यह उनका व्यक्तिगत मत है ।

जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है आप कह सकते हैं कि सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** : हम इस समय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । उन्हें आयोग के सब प्रतिवेदनों को स्वीकार करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । हम इस समय प्रशासनिक ढांचे, अर्थ व्यवस्था, कार्यकुशलता तथा समूची स्थिति पर विचार कर रहे हैं ।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस मामले पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : महोदय, आप के विनिर्णय को देखते हुए मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न वापस लेता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस संकल्प को कुछ प्रशासनिक सुधारों की अविलम्बनीयता तथा उन के बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिये लाया गया है। मैं समझता हूं इस संकल्प का यही उद्देश्य है और मंत्री महोदय ने भी लगभग यही मत व्यक्त किया है। चूंकि प्रशासनिक सुधार तथा तत्सम्बन्धी प्रक्रिया का प्रश्न आयोग के विचाराधीन है, इस लिये मैं समझता हूं कि गृह कार्य मंत्री के लिये उस समय कोई आश्वासन देना संभव नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति देता हूं ।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : महोदय मैं जिला प्रशासन के बारे में कुछ बातें कह रहा था। मैं सरकारी तौर पर यह कहना चाहूंगा कि हमें आशा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, जिला प्रशासन में अधिकतम प्रजातन्त्र लाने की दृष्टि से जिला प्रशासन को नवीकरण और सुधार की ओर ले जाने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा। हमें आशा है कि देश की इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के बारे में हमें आयोग से काफी सहायता मिलेगी ।

माननीया सदस्या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने रिपोर्टों, मूल नियमों और कार्य मूल्यांकन तथा ऐसी ही दूसरी बातों के बारे में अनेक उपयोगी सुझाव दिये हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग इन मामलों का अध्ययन कर रहा है। हमें आशा है कि यह आयोग इन मामलों के बारे में उपयोगी सिफारिशें देगा ताकि हम उचित निर्णय कर सकें ।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक पृथक लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर्मचारियों को भर्ती करने के प्रश्न पर विचार करेगी, ताकि यहां की गई बहुत सी शिकायतें दूर हो सकें ?

**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर) : यह राय व्यक्त की गई है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उसके लिये एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। साधारण लोक सेवा आयोग के लिये यह काम करना संभव नहीं है ।

**श्री लोबो प्रभु** : इस के लिये एक पृथक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है ।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : हम इस बात पर भी विचार करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री नन्द कुमार सोमानी ने इस संकल्प पर बोलते हुए हारे हुए मंत्रियों तथा राजनीतिज्ञों को पद दिये जाने का उल्लेख किया था। देश में इस बारे में काफी भ्रांति है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिये पद नहीं दिया जाता कि वह चुनाव में हार गया है। यदि किसी हारे हुए व्यक्ति को पद दिया गया है तो वह उस की कार्यक्षमता या अनुभव के मल्यांकन के आधार पर दिया गया है। किसी व्यक्ति को केवल इसलिये दोषी ठहराना अनुचित है कि वह आम चुनाव में हार गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में या किसी भी देश में किसी व्यक्ति की केवल इसलिये आलोचना नहीं की जानी चाहिये क्योंकि वह चुनाव में हार गया है। ऐसा करना अनुचित होगा ।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एक संसदीय समिति नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। मैं श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें। सरकार भी इस बात

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

पर विचार कर रही है । इन बातों को देखते हुए मैं माननीय सदस्या से इस संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak): I want to point out that in our country not only wealth, property or industry, but services also have become the monopoly of few persons. Under the present circumstances the son of an I.C.S. officer is bound to be an I.A.S. officer and the son of a General is bound to get Commission. It is seen that there are as many as twenty gazetted officers in a particular family of a high officer. This tendency must be checked and our services should be made rural oriented, labour oriented and agriculture oriented. While advocating for the enrolment of rural people in Civil as well as Military Services I am raising the voice of the 80 per cent population of the country in this House.

I do not subscribe to the view that the son of a poor man, a farmer or the resident of a village is not capable enough for high services. In my opinion the highest merit of a person for recruitment in public services is that he is a son of a poor man or he is a son of a farmer.

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री चाहें, तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : उन्होंने एक सुझाव पेश किया है । उस पर विचार किया जायेगा ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने इस संकल्प की भावना की सरहाना की है ।

श्री हनुमन्तैया जोकि सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, ने कहा कि बहुत से विषय विचाराधीन हैं तथा कई सिफारिशें की गई हैं । मैं समझती हूं कि इस आयोग से देश के बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति सम्बन्धित हैं ।

मेरा डर यह है कि आयोग की सारी सिफारिशों को एक दम कार्यान्वित करना असंभव हो जायेगा क्योंकि उनके दूरगामी परिणाम होंगे । इसलिये जैसे जैसे वे सिफारिशें प्राप्त हों उन्हें कार्यान्वित करते रहना चाहिये । जिस तरीके से सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां की हैं उस से तो यह प्रतीत होता है कि सरकार ने इन सिफारिशों पर पूरा ध्यान नहीं दिया है ।

मुझे यह चिन्ता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । इन्हें शायद पुरात्व सम्बन्धी विभाग में भेज दिया जायेगा ।

योजना के बारे में व्यवस्था से सम्बन्धित प्रतिवेदन में एक सिफारिश की गई है कि 25 संसद् सदस्यों की एक विशेष समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो योजना के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करे । एक सुझाव यह भी है कि यही समिति एक औपचारिक परामर्श समिति का कार्य भी क्यों न करे । इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर समय पर ध्यान देने के बारे में एक कारगर व्यवस्था की आवश्यकता है अन्यथा इसका सारा प्रभाव समाप्त हो जायेगा । मैं विरोधी सदस्यों के इस सुझाव से पूर्णतया सहमत हूं कि इस संबंध में एक समिति बनाई जानी चाहिये । अमरीका में भी ऐसे ही समितियां बनाई गई हैं जो प्रशासन तथा सेवाओं में गड़बड़ी पर निगरानी रखती हैं । प्रशासनिक सुधार आयोग ने बार बार अपने प्रतिवेदन में इस पर ज़ोर दिया है कि एक ऐसी ही स्थाई समिति बनाई जानी चाहिए । यह समिति लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति की भांति हो

मैं आशा करती हूं कि श्री शुक्ल ने समिति बनाये जाने के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देने का जो वचन दिया है उसे वह सरकार के एक सदस्य के नाते पूरा करेंगे और निकट भविष्य में एक समिति नियुक्त करेंगे। इस बात को ध्यान में रख कर मैं अपना संकल्प वापिस लेती हूं।

**श्री नायनार** (पालघाट) : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

THE AMENDMENT WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN.

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या संकल्प को वापिस लिये जाने के बारे में सभा की अनुमति है।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

THE RESOLUTION WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN.

---

## ग्राम आवास विकास

## RURAL HOUSING DEVELOPMENT

**श्री सु० कु० तापड़िया** (पाली): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह भोजनाओं में ग्राम आवास विकास को प्राथमिकता दें"।

महोदय 20 वर्ष पूर्व यह आवाज आती थी "कि छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में"। यह आवाज उस समय लड़के तथा लड़कियां लगाया करते थे। परन्तु 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति वही है। क्या वह आशायें पूरी होंगी ? क्या वह बचन पूरें होंगे जो मंत्रियों ने दिये थे। ऐसा मालूम होता है कि वह वचन केवल वचन ही रह गये हैं।

वर्ष 1967 में मंत्री महोदय ने कहा था कि 1961 की जन गणना के अनुसार देश में 651 लाख मकानों में से केवल 19 प्रतिशत मकान पक्के हैं। आज हमारी सरकार की ये स्थिति है कि मानव जीवन की अत्यावश्यक वस्तुयें, खाद्यान्न, वस्त्र तथा आवास भी वह जनता को उपलब्ध नहीं करा पाई है। मानव जीवन में मकान इन तीन आत्यावश्यक वस्तुओं में से सब से महत्वपूर्ण है। जो स्थिति खाद्यान्न के बारे में है वही मकानों के संबंध में भी है।

मंत्री महोदय कह सकते हैं कि मकान की व्यवस्था का काम राज्यों का विषय है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले तक केन्द्र तथा राज्यों में कांग्रेस दल का ही शासन था और इससे सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस ही जो सत्तारूढ़ थी सब स्थानों पर मकान बनाने में असफल रही है। उपाध्यक्ष महोदय मकानों से ही किसी राष्ट्र की सामाजिक प्रगति का पता चलता है और सरकार मकान की व्यवस्था करने में ही असफल रही है।

मकान बनाने के लिये किसी आयातित वस्तु की आवश्यकता नहीं है तथा न ही विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी। मकान बनाने के लिए सभी आवश्यक वस्तुयें देश में उपलब्ध हैं परन्तु फिर भी इस कार्यक्रम को पूरा नहीं किया गया है।

[श्री सु० कु० तापड़िया]

मैं इस सरकार से यह नहीं कहूंगा कि वह 50 लाख मकान प्रति वर्ष बनाय। मेरा कहना तो यह है कि यह 10 लाख मकान ही प्रति वर्ष बनाये। यदि ऐसा किया गया तो इस से 20 लाख लोगों को रोजगार मिल जायेगा। ऐसा करने से क्षेत्रीय विकास में असंतुलन भी नहीं होगा जैसा कि उद्योगों के मामले में होता है। मैं मंत्री महोदय को परामर्श दुंगा कि वह कभी सिंगापुर जायें और वहां जाकर देखें कि मकानों का निर्माण किस प्रकार होता है। उन्होंने प्रति 1000 व्यक्तियों के लिये 10 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था तथा उसमें से 9.4 मकान निर्माण कर लिये। इंगलैंड में भी 1947 से 1967 तक 60 लाख से अधिक मकानों का निर्माण हो चुका है। अमरीकी संसद् ने अगले तीन वर्षों में मकानों पर व्यय करने के लिये 4000 करोड़ रुपय की राशि की मंजूरी दे दी है। यह मकान कम आय के लोगों के लिये बनेंगे।

हमें यह देखना है कि क्या हमें केवल नारे ही लगाना है अथवा इस दिशा में कुछ वास्तविक कार्य भी करना है। मंत्री महोदय इसे न करने का एक तर्क तो यह देते हैं कि उनके पास धन नही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस इस काम के लिए जो धन राज्यों के लिए मंजूर किया था, उन्होंने वह भी व्यय नहीं किया है। ऐसा न करने के लिये क्या सरकार ने उनसे पूछ ताछ की है? मेरा सुझाव यह है कि इस विषय को आप राज्यों की सूची से हटा कर समवर्ती सूची में ले आयें। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस कार्य पर 20 हजार करोड़ रुपय व्यय होगा और वह पूछते हैं कि यह राशि कहां से आयेगी? मेरा उत्तर यह है कि यह राशि गैर सरकारी बैंकों, जीवन बीमा निगम, सहकारी एजेंसियों आदि से प्राप्त हो सकती है? रिजर्व बैंक इसकी गारंटी दे सकता है जैसा कि लघु उद्योग के मामले में किया था। इसके लिये जनता भी धन व्यय करने को तैयार है। 20 से 30 प्रतिशत राशि तो ग्रामीण क्षेत्र से एकत्रित हो जायेगी। जो धन जनता ऋणों के रूप में लेगी उसकी अदायगी तीन चार वर्ष बाद आरंभ हो जायेगी। इस धन से उपभोक्ता उद्योग आरंभ हो जायेंगे तथा अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा और देश का आर्थिक विकास होगा। सरकार को भी उत्पादन शुल्क के रूप में आय होगी।

मेरा अंतिम सुझाव यह है कि इसे आम प्राथमिकता प्राप्त उद्योग की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मेरा कहना यह भी है कि यह ऐसा कार्य नहीं है जिसमें लागत लगाना बेकार है। हमें पर्यटकों के लिये भी तो मकान बनाने हैं। आप ऐसी स्थिति पैदा करें जिस से लोग अधिक मकान बनाने के लिये प्रोत्साहित हों।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह योजनाओं में ग्राम आवास विकास को प्राथमिकता दे।"

इस पर श्री यशपाल सिंह का एक संशोधन है।

**श्री रा० धो० भण्डारे** (बम्बई—मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। प्रस्तावक ने इस समस्या का गहराई से अध्ययन किया है और इसके आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण को समझा है।

भारत का प्रत्येक गांव दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग में पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं और दूसरे भाग में अन्य लोग रहते हैं। मैं अपने भाषण में अधिक जोर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये मकानों पर दूंगा। पहली तीन योजनाओं में मकान बनाने के लिये राशि तो निर्धारित की है परन्तु वह कार्य पंचायतों को सौंप दिया है।

{ **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** पीठासीन हुईं। **Shrimati Tarkeshwari Sinha** *in the Chair* }

जब हम ग्रामीण आवास विकास की बात करते हैं तो इसके दो पहलू हैं। एक यह कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिये मकान बनाने के लिये स्थान देना। यह कार्य भी पंचायतों को दे दिया है। दूसरा पहलू यह है कि उन्हें मकान बनाने के लिये राशि दी जाये। पंचायतें इस कार्य में भी ढ़ील दिखा रही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। यदि आप गांवों में जायें तो आपको इस बात का प्रमाण मिल जायेगा। लोग शताब्दियों से कच्चे मकानों में रह रहे हैं। वहां स्वच्छता नहीं है।

राज्यों के पास दो प्रकार की योजनायें थीं। केन्द्र-शासित योजनायें तथा राज्य की योजनायें। तीसरी योजना में केन्द्र शासित योजनाओं का स्थान केन्द्र द्वारा सहायता दी गई योजनाओं ने ले लिया है। इन दोनों में बड़ा अन्तर है। राज्य सरकारें पिछड़ी जातियों के मकान बनाने की राशि को अन्य कार्यों पर व्यय करती हैं। योजना आयोग भी पिछड़ी जाति के लोगों के लिये मकान बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं दे रहा है। जो राशि दी जाती है उसे अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है।

मकान बनाने की योजना बनाते समय हमारा मुख्य उद्देश्य एकता उत्पन्न करना है अथवा मिश्रित समाज बनाना है। जब सहकारी समितियां अथवा राज्य पिछड़ी जाति के लोगों के लिये मकान बनाते हैं तो वह विभिन्न जाति के लोगों से उनके मकान अलग बनाते हैं। इस प्रकार पिछड़ी जाति के लोगों के लिये अलग मकान होता है। यदि एकता उत्पन्न करनी है तो यह मकान साथ-साथ निर्माण करने चाहियें। पिछड़ी जाति के लोगों के प्रति राज्यों ने अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किया है।

**श्री धीरेश्वर कलिता** (गोहाटी) :महोदय, मैं श्री तापड़िया को यह प्रस्ताव लाने के लिये बधाई देता हूं।

यह सरकार गांधी जी के नाम पर बहुत से कार्य कर रही है। मेरा सुझाव यह है कि गांधी शताब्दी के अवसर पर प्रत्येक राज्य में आवास के कार्य किये जायें।

दूसरी बात यह है कि मंत्रिगण समाजवाद की बात करते हैं, गांवों में गृह-निर्माण योजनाओं की चर्चा करते हैं, परन्तु चर्चा चर्चा तक ही सीमित रह जाती है। एक मंत्री के बंगले में तो 22000 रुपये की कीमत का फरनीचर आदि लगा होता है तो दूसरी ओर लोगों को बिना घर के सड़क पर खुले में रह कर ही गुजारा करना होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति में परिवर्तन आये। दिल्ली तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों में तो सरकार बहुमंजिला इमारतें बना रही है, परन्तु गांवों में या ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण हेतु पर्याप्त धन नहीं दिया जाता। सरकारी भूगृहादि (अवैध कब्जा निष्कासन) संशोधन विधेयक पास करके सरकार लोगों को सरकारी भूमि आदि पर से उखाड़ फैंकना तो चाहती है परन्तु ऐसे लोगों के लिये जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें घर देने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझती। तीसरे सरकार ने खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये घर बनाने हेतु जो राशि उद्योगपतियों को दी थी उससे घर नहीं बनाये गये हैं सरकार भी औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकान बनाना नहीं चाहती। वे गन्दी बस्तियों में रहते चले आ रहे हैं।

**सभापति महोदय** : आप इस पर अगली बार पुनः बोल सकते हैं।

## भारत के खाद्य निगम द्वारा अदा किया गया विलम्ब शुल्क

## DEMURRAGE PAID BY FOOD CORPORATION OF INDIA**

**Shri Beni Shanker Sharma** (Banka): Mr. Chairman, while replying to my Unstarred Question No. 789 in this very session the Minister of Food and Agriculture told that the Food Corporation of India had to pay the demurrage amounting to Rs. 1,43,412 at the stations in Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan and Delhi. It is not a question of adjustment of funds from one Ministry to the other but it is a question of inefficiency and lethargy on the part of Government. I want to draw the attention of the House towards it. When it was apparent that the Rabi crop would be a bumper crop, the Government should have made arrangements for the storage and movement of the procured foodgrains sufficiently in advance. But the Government did not do it. I think, the main reason for the Government's failure on this front is the lack of coordination between various Ministries or Departments of Government of India. It caused colossal damage to the foodgrains and a large amount was spent on this account without good results.

The Government pleaded their inability on the pretext of unexpected heavy arrivals of foodgrains in the market. But Government should have planned for such an exigency in advance particularly in a situation when they were aware of the arrival of bumper crop. Government should be condemned for this failure.

Moreover, Government are not prepared to abolish the food zones system, in spite of the unexpectedly increased agricultural production. The Government established this year Food Corporation as the procuring agent on behalf of Government. It is good but Government tried to monopolize this trade. Government should have allowed the private businessmen along with the Food Corporation for making purchases of foodgrains after fixing the bottom price for foodgrains. There should have been healthy competition between the Food Corporation and the private foodgrains dealers. Such an arrangement should have resulted in profit to the farmers and avoided the difficulty of Government faced in view of heavy arrivals. Again coming to the point of food zones, I would like to say that the rice and the wheat is not available at the reasonable rates to the people of Bihar while it is being damazed in Punjab, Hariyana and Uttar Pradesh due to lack of proper arrangement of storage and movement. Had there been no zones, there would have not arisen such a situation. So I request the hon. Minister to remove the zonal restrictions as soon as possible.

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): Mr. Chairman, in a Press Conference held at Patna on 29th July, the Managing Director of Food Corporation of India, Shri N. P. Sen, told the press correspondents that the FCI made a net profit of Rs. 3 crores in the financial year 1966-67 and paid 20 per cent bonus to 95 per cent of its staff. He also told that during the year 1967-68 the FCI handled foodgrains of the value of Rs. 400 crores. But he did not give the details of the demurrage, the FCI had to pay annually. Will he be pleased to tell the statewise figures of the demurrage, the Food Corporation had to pay?

*आधे घंटे की चर्चा ।

**Half-an-Hour Discussion .

**Shri Shinkre** (Panjim): The Minister has said in his reply that the contractors are responsible for such demurrage, because they had been given contracts for the movement, loading and unloading of foodgrains procured by F.C.I. May I know whether those contractors, who failed in their duties, have been blacklisted?

**Shri Shri Chand Goyal** (Chandigarh): It appears that a large quantity of foodgrains is being damaged, due to the carelessness and improvidence on the part of the Food Corporation of India. Will the Food and Agriculture Minister made such efforts as will enable us to utilize the increased agricultural production in a better way not leaving the chances for its damage etc.?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : सभा में जिन सदस्यों ने इस सम्बन्ध में आलोचना की है उन्होंने परिस्थिति का ठीक से अध्ययन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिये कि इस वर्ष सर्वप्रथम हमारे देश में इतना अन्न पैदा हुआ कि जो उत्पादकों की आवश्यकता से अधिक होने के कारण बिक्री के लिये उपलब्ध है। इसका श्रेय वैज्ञानिकों, विस्तार-सेवा के कर्मचारियों और किसानों सभी को है। सभी ने इस संबंध में अपना-अपना योगदान दिया है। इस वर्ष 15 जून से 15 जुलाई तक इतना अधिक अनाज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाजारों में आया जितने की आशा न थी। इससे हमारे सामने कई समस्यायें भी उठ खड़ी हुई। परन्तु उनसे घबराने या निराश हो जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिक अन्न का होना तो प्रसन्नता की बात है और ऐसी अच्छी फसलों के होने पर ही देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होगा।

इस वर्ष खाद्य निगम ने अनाज के व्यापार में प्रथम बार प्रवेश किया है। खाद्य निगम ने सात-आठ सप्ताहों में लगभग 135 करोड़ रुपये का अनाज खरीदा। इतनी बड़ी सफलता कम नहीं है। यदि खाद्य निगम व्यापार क्षेत्र में न उतरता तो अनाज के दाम गिरते जाते और किसानों को हानि होती। खाद्य निगम ने वसूली या उपयुक्त मूल्यों पर अनाज खरीदा और किसानों को हतोत्साह होने से बचाया।

जहां तक विलम्ब शुल्क का सम्बन्ध है, इतने बड़े व्यापार में थोड़ा बहुत विलम्ब शुल्क तो देना ही पड़ता है। दूसरे विलम्ब शुल्क का भुगतान ठेकेदारों द्वारा किया जायेगा। क्योंकि अनाज को लाने-लेजाने, उसे गाड़ी पर लदवाने और उससे उतरवाने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की ही थी। विलम्ब शुल्क के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

| राज्यों के नाम | विलम्ब शुल्क की राशि |
|---|---|
| पंजाब और हरियाणा | 4,764 |
| दिल्ली | 1,364 |
| राजस्थान | 37,000 |
| बिहार | आंकड़े अभी प्राप्त |
| पश्चिम बंगाल | नहीं हुए हैं। |

विलम्ब के भी कई कारण हैं—जैसे मजदूरों का उस समय पर न मिलना, वर्षा का शुरू हो जाना,

[श्री अन्नासाहिब शिन्दे]

खुले माल के डिब्बों का काम में लाया जाना और रेलवे तथा खाद्य निगम को उस प्रकार का अनुभव न होना । इस प्रकार यह सोचना गलत है कि विलम्ब शुल्क कुप्रबन्ध के कारण अथवा स्थिति का पूर्वानुमान न करने के कारण देना पड़ रहा है ।

वस्तुत: 7-8 सप्ताहों में लगभग 21 लाख टन अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया-लाया गया । इतने बड़े पैमाने पर अनाज का लाया-लेजाया जाना अब तक पहले कभी नहीं हुआ था । इसमें कुछ खामियां भी रहीं । परन्तु कुल मिलाकर इसे सफलता ही कहा जायेगा । यदि कोई खास किसम की गलती कहीं हुई है तो मैं उस सम्बन्ध में जांच कराने को तैयार हूं और स्थिति को ठीक करने में मैं संकोच नहीं करूंगा । माननीय सदस्य खाद्य क्षेत्र की व्यवस्था के विरोधी हैं और इसीलिये उन्होंने यह चर्चा उठाई है । इसी दौरान उन्होंने भारत के खाद्य निगम की आलोचना की है । परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यदि हम देश की खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो खाद्य निगम जैसी किसी सरकारी ऐजेंट को अनाज की खरीदारी के लिये बाजार में उतारना आवश्यक होगा और उसकी स्थिति को गैर-सरकारी व्यापरियों की तुलना में सुदृढ़ बनाना होगा । खाद्य निगम ऐसी स्थिति प्राप्त करता जा रहा है । खाद्य निगम एक सरकारी निगम है और यदि उसकी स्थिति सम्पूर्ण देश में सुदृढ़ हो गई तो देश की खाद्य समस्या सम्बन्धी सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी, और इससे उपभोक्ता तथा कृषक दोनों का ही लाभ होगा । अन्य छोटी-छोटी बातों के सम्बन्ध में मैं कुछ नही कहना चाहता ।

---

## कार्य मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### 21वां प्रतिवेदन

**संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

**इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार, 5 अगस्त, 1968/14 श्रावण, 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then Adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 5, 1968/Sravana 14, 1890 (Saka).**



GMGIPND—LS II—1813 (Ai) LS—8-2-69—600

PLS.40.XX.28.68.
1,010

© 1969 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, COIMBATORE